चतुर्थ माला, खंड 38, अंक 6

मंगलवार, 21 मार्च, 1995
30 फाल्गुन, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....
Date 15.7.96

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

21 मार्च, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

कालम/पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	2	स्थिति	स्थित
11	15	हमार	हमारी
18	17	रखा	रख
76	11	(ग) भाग के पश्चात्	
		(घ) क्या प्रतिवर्ष आबंटित राशि वास्तव में खर्च ही नहीं की गई, पढ़िए ।	
76	12	(घ)	(ङ)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1916 (शक)
अंक 6, मंगलवार, 21 मार्च, 1995/30 फाल्गुन, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101-104	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	105-120	23—100
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1002-1232	100—295
'टाडा' का दुरुपयोग और उसके निरसन की मांग		297—317
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल के बारे में		330—331
सभा पटल पर रखे गये पत्र		318—323
राज्य सभा से संदेश		323—324
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक		
राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित रूप में		
और		
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक		
राज्य सभा द्वारा यथापारित—**सभा पटल पर रखा गया**		324
लोक लेखा समिति		
84वां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		325
संचार संबंधी स्थायी समिति		
11वां, 12वां, 13वां और 14वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		325
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		325—326
पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
10वां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		326
दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों द्वारा सभा की अवमानना के बारे में प्रस्ताव—**पारित**		326—330
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) देश में पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक पदार्थों, विशेष रूप से प्लास्टिक तथा धातु की कतरनों के जमाव को रोकने की आवश्यकता		
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		332
(दो) बंगलौर तथा तुमकुर के बीच एक नयी शटल रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता		
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा		332—333

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(तीन) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सलेमपुर स्थित जे.के. पैट्रोरसायन परियोजना को शीघ्र शुरू किये जाने की आवश्यकता	
डा. लाल बहादुर रावल	333
(चार) अफीम उत्पादकों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के 556 अफीम उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	333-334
(पांच) सिलीगुड़ी—अलीपुरद्वार—जलपाईगुड़ी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	334
पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर चर्चा स्थगित करने हेतु पूरक कार्य-सूची के बारे में	334-358
पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश के लिए निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा स्थगित न किये जाने के बारे में प्रस्ताव	
और	
पेटेंट (संशोधन) विधेयक	358-366
पेटेंट (संशोधित) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—**अस्वीकृत**	
और	
पेटेंट (संशोधन) विधेयक	366-394
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री एम. अरुणाचलम	366
श्री तरित वरण तोपदार	371
पेटेंट (संशोधन) विधेयक	
खंड 2 से 8 तक और 1	383
पारित करने का प्रस्ताव	384
श्री एम. अरुणाचलम	384
श्री सैयद शहाबुद्दीन	384
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	386
श्री बसुदेव आचार्य	387
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	388
श्रीमती गीता मुखर्जी	389
श्री रवि राय	390
श्री सुदर्शन रायचौधरी	391

लोक सभा

मंगलवार, 21 मार्च, 1995 / 30, फाल्गुन, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

*101. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खाली तथा अप्रयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी भूमि है; और

(ग) सरकार ऐसी भूमि का कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). वर्ष 1991-92 के भू उपयोग आंकड़ों (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार देश में कुल कृष्य भूमि 184.34 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। इस कुल कृष्य भूमि में से 9.85 मिलियन हैक्टेयर पुरानी परती भूमि है तथा 15.07 मिलियन हैक्टेयर कृष्य परती भूमि है।

(ग) पुरानी परती भूमि और कृष्य परती भूमि के अधीन क्षेत्र को कम करने के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम, जिनमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और परती भूमि का सुधार भी शामिल हैं, चलाती रही है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 28 मिलियन हैक्टेयर भूमि में काम चल रहा है और शेष 160 मिलियन हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इसके न होने के कारण से जो लाखों टन अनाज होता था, वह नहीं हो रहा है तो सरकार इसके लिये क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? क्या सरकार यह जमीन बेरोजगार या गरीब काश्तकारों को वनीकरण या कृषि के लिए 10-15 साल के पट्टे पर देने के लिए विचार कर रही है?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा अभी सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत उनको खेती योग्य बनाया जा रहा है। यदि आप कहें तो मैं उनको पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने पूछा है कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं, क्या उनको जमीनें देकर जोत करेंगे?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं कह रहा हूं। अभी तक 28.5 मिलियन हैक्टेयर जमीन राज्यों के मार्फत समय-समय पर बांटी जाती है और यह सब सरकार की योजना के अधीन है और उनको खेती के योग्य बनाया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, अकेले जमीन की खेती नहीं होती है। जमीन किस प्रकर की हो, उसमें क्या-क्या साधन उपलब्ध हों तब जाकर खेती होती है। अगर जमीन असर हो, सिर्फ रेत ही रेत हो, बंजर हो, उसमें पानी उपलब्ध न हो तो कहता हूं कि सारी उपलब्धि कराने के लिए जो कुछ सालों में हुआ है, वह सारा का सारा उसमें अंकित होता है। आज 22 मिलियन हैक्टेयर जमीन से लेकर 64 मिलियन हैक्टेयर भूमि में सिंचाई और खेती होती है। दूसरे तरीके से हम ऊसर भूमि को रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में उसी हिसाब से प्रगति चाहिये। जिस तरह से ऊसर भूमि में खेती नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें पानी न हो। ऐसी भूमि को सिंचाई और खेती योग्य बनाने के लिए साधन उपलब्ध करायें और ऐसी जमीन बनायें ताकि उसमें उपज पैदा हो, तब जाकर यह सब काम होता है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, पहले प्रश्न का उत्तर ही नहा आया है।

अध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर दे दिया है। वह नहीं कहना चाहते थे, विस्तार से कह दिया है। आप बैठिए।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष जी, जो निजी जमीन मालिक हैं, जिनके पास 10-20 एकड़ जमीन भूमि है, लेकिन पैसे कि कमी से वह उसको कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं, उनको सहायता देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कितनी सहायता देने का विचार है? इसके लिए केन्द्र से सहायता दे रहे हैं या राज्य सरकार से सहायता दे रहे हैं, इसकी जानकारी दीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : इसके लिए अलग-अलग स्टेट्स में हमारी स्कीम्स हैं। कम से कम 90 करोड़ की स्कीम्स हमारे पास बनी हैं जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम सालों में लगेगी। इस साल उसके लिए 16 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसमें तीन स्टेट्स को हम और लेने जा रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये सारी बातें हम निश्चित रूप से काम करके कर रहे हैं जिससे सिंचाई उपलब्ध हो सके, काम ज्यादा हो सके और अधिक से अधिक भूमि पर खेती हो सके।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण हैं कि बहुत अधिक भूमि परती पड़ी हुई है और सरकार अभी तक उसको

के रूप में है जैसे भिण्ड, मुरैना, और धौलपुर, जो तीन प्रांतों की सीमा है और जहां डकैती की भी समस्या है, क्या ऐसी भूमि का समतलीकरण करके कृषि योग्य बनाने की कोई योजना है?

श्री बलराम जाखड़ : महामना, ये सारी बातें हमारे ध्यान में हैं और उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1950-51 में कल्टिवेबल वेस्टलैण्ड तकरीबन 23 मिलियन हैक्टेयर था, वह घटकर 15 मिलियन हैक्टेयर रह गया है। जो फैलो लैण्ड है, वह 17 मिलियन हैक्टेयर था, अब वह घटकर पौने दस मिलियन हैक्टेयर रह गया है। ये सब उस हिसाब से किया जा रहा है और जब तक हम उसको पानी नहीं दे सकते, उसके लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा सकते, तब तक हम पक्का काम नहीं कर सकते। आपको ज्ञात होना चाहिए कि पिछले दिनों कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि हम सिंचाई के लिए 50 प्रतिशत आम भाई को, 75 प्रतिशत गरीब और हरिजन भाइयों को तथा 75 प्रतिशत उन बहनों को जिनके नाम जमीन हैं, उनको ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंक्लर इरीगेशन के लिए अनुदान देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित हो सके, उपज ज्यादा हो सके, खाद की खपत कम हो सके और देश का धन भी बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, यद्यपि माननीय कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि कृषि के काम आ सकने वाली ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना परम आवश्यक है, मैं उनसे यह बात विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वह ड्रिप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को स्पष्ट निदेश देंगे। निश्चय ही सिंचाई की इस व्यवस्था से आप पानी की कम मात्रा से अधिक भूमि की सिंचाई कर सकते हैं और ऐसा करने से ऊसर भूमि भी कम रह जायेगी। अब तक केवल दो हैक्टेयर भूमि के लिए राजसहायता दी जाती है। आपने स्वयं स्वीकार किया था कि चार हैक्टेयर भूमि तक राजसहायता दी जानी चाहिए। इस आशय की अधिसूचना अभी तक नहीं की गयी है। क्या मंत्री महोदय अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाने के विचार से इस संबंध में स्पष्ट निदेश देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : हमने चार हैक्टेयर से भी अधिक का निर्णय लिया है। मैंने युक्तिसंगत सीमा तक छूट और राजसहायता देने का निर्णय लिया है जो प्रतिशतता के रूप में है, जो दस या पांच एकड़ हो सकती है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : परन्तु इस पर अमल नहीं किया गया है।

श्री बलराम जाखड़ : हमने इसकी अभी स्वीकृति दी है, इस पर अमल किया जायेगा। किसानों को राजसहायता देने के लिए हमारे पास धन उपलब्ध है। मैं सभी राज्यों को निदेश दूंगा और अपने किसान मित्रों को बताऊंगा कि वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठायें क्योंकि इससे उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है और इससे ग्रामीण क्षेत्र के कृषि और आर्थिक ढांचे की संपूर्ण व्यवस्था में क्रांति आ जायेगी।

श्री मृत्युन्जय नायक : आदिवासी क्षेत्रों में विषम समस्या है। गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से आदिवासी संलग्न आरक्षित वन-क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं। महोदय, हाल में वहां पर वन रोपण अथवा अन्य ऐसा कार्यक्रम चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। वे भूमि की यथास्थिति का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसके परिणामस्वरूप वे सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली ऐसी अनेक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह किसी ऐसे सूत्र अथवा तरीके पर विचार कर रहे हैं जिससे आरक्षित वनों से संलग्न इन श्रेणियों की भूमि का फैसला आदिवासी जनों के पक्ष में किया जा सके। महोदय, इन श्रेणियों की भूमि कृषि योग्य है।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मेरे विचार में, हम ऐसे मामलों के साथ निपट नहीं सकते। संबंधित सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यह राज्य का विषय है।

श्री मृत्युन्जय नायक : जहां तक वन भूमि का संबंध है....

श्री बलराम जाखड़ : वन भूमि पर खेती नहीं की जाती।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस देश में, मानव संसाधन के बाद मूल संसाधन भूमि ही है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रश्न एवं उत्तर दोनों से पता चलता है कि भूमि के महत्व को समझा ही नहीं गया है। प्रश्न यह है कि देश में कृषि योग्य कितनी भूमि अप्रयुक्त अथवा खाली पड़ी है? इसका उत्तर यह दिया गया है कि कुल कृषि योग्य भूमि में से इतनी कृषि योग्य पुरानी परती भूमि है और इतनी कृषि योग्य परती भूमि है। परन्तु ऐसी भूमि में से, जो ऊसर अथवा परती नहीं है, वास्तव में कितनी भूमि का पूरा उपयोग किया जा रहा है? भूमि के पूरे उपयोग का तात्पर्य क्या है? क्या वर्ष में केवल एक बार भूमि का उपयोग काफी है? अथवा क्या हम भूमि का उपयोग वर्ष में दो बार करने की आशा कर सकते हैं और उपयोग की बारम्बारता 1,2,2.5 अथवा 3 बार तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। हमारे देश की जलवायु संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम जितना पानी उपलब्ध करा सकते हैं, यदि हम उस पानी को जमा करने का प्रयास करें और सिंचाई के लिए उपयोग करें तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? क्या सरकार ने अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अमल दत्त : अतः मेरा प्रश्न यह है :

(क) क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि यदि जल संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग किया जाये तो खेती की बारम्बारता का लक्ष्य क्या होगा और कितनी भूमि का उपयोग किया जा सकेगा; (ख) मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात सिंचाई व्यवस्था है परन्तु धनराशि का उपयोग बहुत बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। अन्यथा आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा।

श्री अमल दत्त : प्रश्न यह है : क्या आप बड़े पैमाने पर सिंचाई की तुलना में छोटी सिंचाई को उचित महत्व देते हैं? बड़े पैमाने पर सिंचाई की तुलना में छोटी सिंचाई के संबंध में आपकी राय क्या है?

श्री बलराम जाखड़ : जहां तक पानी और भूमि के उपयोग का संबंध है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रकार की भूमि का उपयोग दो फसलें उगाने के लिये किया जाता है और कुछ भूमि ऐसी भी है जिसका उपयोग वर्ष में तीन फसलें उगाने के लिये भी किया जाता है, कुछ पुरानी परती भूमि तथा अन्य प्रकार की परती भूमि है जिनमें हम एक फसल उगाते हैं और फिर उस भूमि को खाली रहने देते हैं; फिर बाद में दूसरी फसल उगाई जाती है। इस प्रकार पानी की उपलब्धता के अनुरूप खेती की बारम्बारता बढ़ती है। हम यही करते हैं। हमने सब जगह ऐसा ही किया है। मुझे पता है कि प्राचीन काल में भी तीन प्रकार की भूमि होती थी—एक खाली रहती थी, एक में खरीफ के मौसम में फसल उगायी जाती थी और एक अन्य में रबी के मौसम की फसल उगायी जाती थी। फिर पानी मिलने लगा और पानी का बहाव भी अच्छा था। इसलिये हमने बारम्बारता बढ़ा दी।

आजकल हम प्रतिवर्ष दो फसलें उगाते हैं और यह व्यवस्था निरंतर चल रही है। अतः यह हमपर निर्भर करता है और हम सिंचाई को सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रत्येक वर्ष हम 200 प्रतिशत की वृद्धि कर लेते हैं। और यही बात हम छोटी सिंचाई के संबंध में तथा अन्य प्रत्येक मामले में भी करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि को कृषि-योग्य बनाने और जल सम्भर तथा जल संरक्षण संबंधी कार्यक्रम भी है। इन सब मामलों पर ध्यान दिया जाता है और इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पानी के बिना भूमि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वर्षा होने या न होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं किया जा सकता। शुष्क खेती अथवा वर्षा पर आधारित खेती के संबंध में हम यही व्यवस्था करते हैं। हम इन बातों पर पूरा ध्यान देते हैं और इन प्रयासों का क्या फल निकलेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा। हमने यह काम अब शुरू किया है। आगामी वर्षों में इसका महत्व बढ़ जायेगा।

श्री अमल दत्त : छोटी सिंचाई को क्या महत्व दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है?

श्री बलराम जाखड़ : जैसा कि मैंने आपको बताया है, भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के काम पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। हम कुछ अन्य स्रोतों पर भी निर्भर कर रहे हैं।

यह सिंचाई मंत्रालय पर भी निर्भर करता है क्योंकि उन्होंने अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करानी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पहलू की ओर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सिंचाई मंत्रालय में अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे भी इस समस्या पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के संबंध में राज्य सरकार केन्द्र सरकार को जितनी योजनाएं भेजती है, उन पर यहां कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाता है ताकि देश की अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ केन्द्र सरकार की योजनाएं भी होती हैं, जिन्हें राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं। उदाहरण के लिए हमारा गंगा का मैदान इलाहाबाद से बाढ़ तक फैला हुआ है और अनुसंधान करके यह सिद्ध हो चुका है कि विश्व में यदि कोई सबसे उपजाऊ क्षेत्र है तो वह गंगा का मैदान है लेकिन इस मैदान में भी जितनी भूमि कृषि योग्य होनी चाहिये, उपजाऊ भूमि का उपयोग होना चाहिए, उतनी भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं पर आप यहां कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श करते हैं, यहां से राज्य सरकारों को योजनाओं को क्रियान्वित करने के संबंध में निर्देश देते हैं और कई राज्य सरकारों से आपके पास रिपोर्ट भी आ चुकी है, इस सदन में चर्चा हुई है कि कई राज्य सरकारें आपके निर्देशों के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन का काम ठीक से नहीं करती हैं, क्या आपके पास कोई व्यवस्था है कि जो राज्य सरकारें आपके आदेशों का पालन नहीं करतीं, परती भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने से संबंधित योजनाओं पर अमल नहीं करतीं, आप राज्य सरकारों को कम्पैल करके उस योजनाओं पर अमल करा सकें, विशेषतया गंगा के मैदान से जुड़ी योजनाओं के संबंध में मैं आपसे जानकारी चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह संवैधानिक उपबंध है। इस संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री बलराम जाखड़ : मेरे सामने भी एक समस्या है और मेरे विचार में यह प्रश्न मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा। मैं राज्यों को जो धनराशि आवंटित करता हूं, कभी-कभी वह स्वीकृत धनराशि भी व्ययगत हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आवंटित धनराशि का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह सभव आवंटित धनराशि का अच्छे काम के लिये उपयोग करने हेतु राज्यों से सिफारिश कर सकती है। मेरे विचार में हमें इस पहलू पर अधिक बल देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तारा सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके इल्म में है कि हरियाणा के कई जिलों में जहां पहले उपजाऊ जमीन थी, पानी काफी था लेकिन वहां डीप-ट्यूबवैल लगाकर पानी को आगे ले जाया जा रहा है जिसके कारण जमीन के अंडर ग्राउण्ड वाटर लेवल हर साल नीचे से नीचे चला जा रहा है और ऐसी जमीनें बीजने के काबिल नहीं रह गयी हैं। यदि मंत्री जी के इल्म में यह बात है तो वे इस बारे में क्या बंदोबस्त करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : *क्या आपका सप्लीमेंटरी प्रश्न मूल प्रश्न में* से निकलता है?

श्री तारा सिंह : एक तरफ तो हम वेस्ट लैंड को आबाद करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आबाद लैंड को वेस्ट करते जा रहे हैं, मेरा यह सवाल है।

श्री बलराम जाखड़ : वैसे माननीय सदस्य का सवाल मूल प्रश्न से नहीं निकलता, लेकिन मेरी जानकारी में यह बात है, मुझे ज्ञात है कि वहां पानी नहरों में डाला जा रहा है और वहां से पानी को आगे ले जाया जा रहा है। अब चूंकि इस सवाल का ताल्लुक राज्य सरकार से है, आप वहां के एम.पी. हैं, आप स्वयं राज्य सरकार से बात करिये, मैं भी लिख दूंगा।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री यादव को पुकारा है, आपको नहीं। मुझे पता है कि कृषि के बारे में किसको कितनी जानकारी है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मुझे इस विषय की जानकारी है। मैं स्वयं किसान हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष जी, जहां तक मेरी जानकारी है, देश में कितनी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, उसके लगभग एक-चौथाई भाग में ही अब तक सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है बाकी फैलो लैंड है, जिसे अभी कृषि योग्य बनाना है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश और बिहार में, जमीन के अंदर और ऊपर पानी की कोई कमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं, कोई समय-सीमा निर्धारित की है कि इतने वर्षों में देश में सारी जमीन को कृषि योग्य बना दिया जायेगा या असिंचित जमीन को सिंचित में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

श्री बलराम जाखड़ : जितना कपड़ा होता है, उतना ही कोट बन सकता है, उससे छोटा-बड़ा नहीं बनाया जा सकता। हमें पैसे की भी आवश्यकता है, मगर मैं दृष्टांत के तौर पर इस संबंध में जो हमारी स्कीम है, उसके खर्च के बारे में आपको बताना चाहता हूं : जो स्कीम थी उसका 1995-96 का खर्च इस प्रकार है :—

[अनुवाद]

"वर्ष 1995-96 के लिए 0.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी है। आठवीं योजना में इन तीन राज्यों में 3.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए 86.82 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी है। इसके अतिरिक्त आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम को *गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लागू करने का* विचार है।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बिहार को जितनी धनराशि आवंटित की है उन्होंने उसका 36 प्रतिशत भी उपयोग नहीं किया है। समस्या यह है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए लगभग 50 वर्ष हो गये है और परती भूमि को कृषि योग्य बनाने का सवाल बहुत प्रारंभ से चला आ रहा है, तो क्या आपने कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है कि कितने प्रतिशत परती भूमि को आप हर वर्ष खेती योग्य बनाएंगे हम देख रहे हैं कि यह कहावत—"अरवा सत्ता ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों" चरितार्थ हो रही है, क्योंकि खेती के मामले में हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, मगर सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी चीज की हो रही है, तो वह खेती की ही हो रही है। इसलिये मैं प्रति वर्ष परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लक्ष्य का प्रतिशत जानना चाहता हूं कि कितना रखा है?

श्री बलराम जाखड : अध्यक्ष महोदय जी, 22 मिलियन से 64 मिलियन पर ले आए हैं, फिर ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, यह सब कागजों में है। आप फील्ड में चलकर देख लीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, 50 मिलियन से 185 मिलियन अनाज का उत्पादन हो गया और फिर भी ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या यह इतना उत्पादन हवाई जहाज में हो गया?

नवोदय विद्यालय

+

***102. डा. परशुराम गंगवार :**
श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य-वार कितने-कितने नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे;

(ख) क्या सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने हेतु इन विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने सिविल और रक्षा क्षेत्रों में 5 वर्ष की अवधि 1993-98 में प्रति वर्ष 20 केन्द्रीय विद्यालय तक खोलने तथा परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत जितने प्रस्ताव उपयुक्त पाए जाएं उतने विद्यालय खोलने और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त उपयुक्त प्रस्तावों की उपलब्धता के आधार पर एक वर्ष में 50 नवोदय विद्यालय तक खोलने का निर्णय लिया है। तथापि, सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में स्कूल खोलने का निर्णय पूरे प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है जिनमें प्रायोजक-प्राधिकरणों से स्थायी स्थान और अस्थायी आवास के लिए भूमि के आबंटन की पेशकश भी शामिल है।

(ख) और (ग). इस योजना को जारी रखने की वांछनीयता की पुनरीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरीक्षा करते समय की गई थी। इस समय, 346 विद्यालयों में से केवल 192 विद्यालयों में कक्षा 12 है। अधिकांश मामलों में भवन-निर्माण और संबंधित आवश्यक सुविधाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्रवाई-योजना, 1992 के अनुसार, सरकार का आशय देश के सभी जिलों में इस प्रकार के विद्यालयों को स्थापित तथा समेकित किए जाने के बाद नवोदय विद्यालयों की योजना की पुनरीक्षा करने का है।

(घ) शिक्षा के स्वीकार्य मानकों तक इन विद्यालयों को ले जाने हेतु, उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :-

(i) विद्यालयों, छात्रावासों और शिक्षकों के रहने के लिए आवास के निर्माण हेतु निधियों के अधिकाधिक आबंटन के प्रयास।

(ii) शिक्षकों के लिए भर्ती नियमों में सुधार।

(iii) शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए आंचलक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्वीकृत करना; तथा

(iv) और अधिक कारगर पर्यवेक्षण और मानिटरिंग।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, ये नवोदय जो खोले गए थे, ये ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाशाली छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए खोले गए थे, जो देश के हर जनपद में खोले जाने थे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार को केन्द्रीय/नवोदय विद्यालय के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने नवोदय/केन्द्रीय कार्यरत हैं और कितनों के भवन बन रहे हैं तथा उ.प्र. के जनपद शाहजहांपुर के नाहिल ग्राम में 1993 में विद्यालय का सर्वे हुआ था, परन्तु अभी तक वहां विद्यालय नहीं खोला गया है इसके क्या कारण हैं इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उ.प्र. के जनपद शाहजहां और पीलीभीत में कब तक नवोदय विद्यालय खोलेंगे?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं। मंत्री महोदया जितना रिप्लाई आप दे सकती हैं, वे दीजिए।

कुमारी शैलजा : सर, केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय अलग-अलग ढंग से खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और नवोदय विद्यालय हर जिले में खोले जाने की बात थी। जहां तक केन्द्रीय विद्यालय खोल जाने की बात है, हमें 1995-96 के लिये 126 प्रपोजल प्राप्त हुए हैं जो अलग-अलग एजेंन्सीज के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनमें कुछ सांसदों के माध्यम से भी प्राप्त हुए हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं। इतने सारे प्रस्तावों में से प्रत्येक को देखा जाता है और बाद में निर्णय लिया जाता है कि कितने स्कूल खोले जाएं और कहां खोले जाएं। नवोदय विद्यालयों को खोलने के बारे में अलग बातें आ जाती हैं। जहां नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं वहां राज्य सरकार को जमीन देनी पड़ती है और अस्थायी आवास की व्यवस्था करनी होती है। हम इनको बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि शुरू में हमने प्रस्ताव मिलते ही नवोदय विद्यालय खोलने की कोशिश की जिसका बाद में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। सांसदों की ओर से भी काफी क्रिटिसिज्म आया कि इन्हें खोल तो दिया, लेकिन कोई फेसिलिटी नहीं दी गई और जो दी गई वे पर्याप्त नहीं हैं। शुरू में हमें टेम्पोरेरी एकोमोडेशन दे दी गई, लेकिन बाद में जमीन ट्रांसफर नहीं हुई। इसलिए अब हम प्रस्ताव को पूर्णतः देखकर और सभी शर्तें पूर्ण होने पर ही नवोदय विद्यालय खोलते हैं।

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के नाहिल ग्राम में नवोदय विद्यालय खोलने का सर्वे हो चुका है, वहां पर कब तक यह विद्यालय खोला जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं पूछें। इस प्रकार से एक-एक विद्यालय के बारे में उनको बताने कठिनाई होगी। आप लिखकर पूछिए। आपको जवाब मिलेगा। इस प्रकार की जानकारी उनके पास नहीं होगी।

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया था कि शिक्षकों की भर्ती में सुधार किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भर्ती के नियमों में क्या सुधार किए गए हैं? स्टेटमैंट के अनुसार 346 नवोदय विद्यालयों में से 192 विद्यालय कक्षा

12 तक हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शेष 154 विद्यालय 12वीं कक्षा तक कब तक हो जाएंगे?

कुमारी शैलजा : यह ऑन-गोइंग प्रोसैस है क्योंकि कक्षाएं हर साल बढ़ाई जाती हैं। हम छठी कक्षा से बच्चों को लेते हैं जिसमें पहले उनका एडमीशन टैस्ट होता है और उसके हिसाब से हर साल कक्षाएं बढ़ती रहती हैं।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि वहां पर्याप्त सुविधा नहीं दे सकते हैं, बहुत पैसा लगेगा। बहुत से राज्यों में प्राईवेट इंस्टीटयूशन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके जो भी नॉर्म्स हैं, उन्हीं को लेकर प्राईवेट संस्थाएं सामने आती हैं और मुझे विश्वास है कि आप जो नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय चलाते हैं, वे उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। मुझे मालूम है कि सिंधिया जी का भी बहुत अच्छा विद्यालय है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि ऐसी कोई प्राइवेट संस्था सामने आए तो क्या आप उसे परमीशन देंगे?

कुमारी शैलजा : नवोदय हमार अलग से स्कीम है। प्राईवेट संस्थाए भी चलती हैं और वे सी.बी.ई. से ऐफीलिएशन मांगती हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात की जांच करवाएगी कि कुछ ऐसे स्थानों पर भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कर दिए गए हैं जहां सेना, अर्ध सैन्य बल अथवा केन्द्र सरकार का कोई कार्यालय अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? ऐसे स्थानों पर राजनैतिक दबाव के कारण केन्द्रीय विद्यालय खोलने की शिकायत आई है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा भाग यह है कि केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है क्योंकि वहां शिक्षकों के कई स्थान रिक्त हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार उन केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थानों को भरकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में कब तक सहयोग प्रदान करेगी?

कुमारी शैलजा : ऐसी बात नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय वहीं पर खोले जाते हैं जहां पर कम से कम एक हजार सैन्ट्रल गवर्नमेंट इम्लाईज हों।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : क्या आप इस बात की जांच करवाएंगे? मेरे पास नाम हैं।...**(व्यवधान)**

कुमारी शैलजा : सब चीजें देखकर ही केन्द्रीय विद्यालय खोला जाता है, उसके बिना केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुलता।....**(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, वह हमारी जानकारी में नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया। यदि ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो आप उपलब्ध करवाइए, हम स्वागत करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : शिक्षकों के रिक्त स्थान भरने के बारे में भी बताइए।

श्री माधव राव सिंधिया : अभी मंत्री महोदया ने कहा कि ऑन-गोइंग प्रोसैस है, हम उन रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास लगातार कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, देश में अब तक स्थापित किये गये 346 विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में होस्टल नहीं हैं और कितनों में विद्यालय-परिसर में आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि होस्टल निर्माण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बजट का अध्ययन करें तो आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी।

डा. कार्तिकेशवर पात्र : मैं होस्टल निर्माण के लिए तथा विद्यालय परिसर में अध्यापकों के लिए रिहाइशी क्वार्टर बनाने हेतु निर्धारित कुल परिव्यय जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : मैं ऐग्जैक्ट इनफार्मेशन अभी नहीं दे सकती।

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, ठाणे जिले में बोर्डी नाम का शहर है। वह वनवासी क्षेत्र है और शिक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र में उसका बहुत सम्मान है। वहां इस योजना की शुरूआत से नवोदय विद्यालय चल रहा है लेकिन आवास की व्यवस्था, छात्रों, शिक्षकों के रहने की व्यवस्था की दृष्टि से जो-जो करना चाहिए, इसमें बहुत कमी है। यह बात बार-बार मैं यहां उठाता रहा हूं, पत्र लिखता रहा हूं और माननीय अर्जुन सिंह जी ने मुझे पार्लियामेंट के फ्लोर पर आश्वासन भी दिया था कि मैं इसपर ध्यान दूंगा। क्या अभी इसपर ध्यान दिया जायेगा?

कुमारी शैलजा : जो आश्वासन यहां दिया जाता है...**(व्यवधान)**

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मैं, सरकार से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने का क्राइटीरिया क्या है, कैसे उसका चयन किया जाता है? उसमें सिर्फ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ही बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है या राज्य सरकार के, गांव के किसानों के बच्चों को पढ़ाने की भी व्यवस्था है? मैं वह प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूं कि हमारे संथाल परगना में एक डिवीजन है, जिसकी 40 लाख की आबादी पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय देश की 50 साल की आजादी के बाद भी वहां स्थापित नहीं किया गया है, उसका क्या कारण है और वहां क्या क्राइटीरिया एडाप्ट किया गया है?

कुमारी शैलजा : मैं माननीय सदस्य की भावना को समझती हूं लेकिन केन्द्रीय विद्यालय की जहां तक बात है, इनको ट्रांसफरेबल सैण्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के बच्चों को सुविधा देने के लिए एक अलग मकसद से स्थापित करने की बात थी।

श्री नारायण सिंह चौधरी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इनमें दिये गये धन का सही उपयोग हो, यह देखने के लिए इन विद्यालयों में प्रबंधन तथा त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इनके प्रबंध बोर्डों अथवा संगठनों में जनता द्वारा चुने गये संबंधित विद्यालय के क्षेत्रों से आने वाले विधायकों तथा सांसदों को पदेन सदस्यों के रूप में रखने पर सरकार विचार करेगी?

कुमारी शैलजा : नवोदय विद्यालय के मैनेजमेंट में एम.पीज. आलरेडी हैं।

[अनुवाद]

पीने के पानी में प्रदूषण

+

*103. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पीने के पानी में रासायनिक और जैविक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए कम से कम एक प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ : (क) से (ङ). राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत 286 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 173 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। मिशन के तहत, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में 480 जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए हैं। निगरानी राज्य प्रदूषण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से की जाती है।

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : अध्यक्ष महोदय, आजकल प्रदूषण एक बहुचर्चित समस्या है। उदारीकरण के कारण बहुत से उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं जो....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे डैजर्टेशन के साथ क्वश्चन नहीं, आप सीधे प्रश्न पर आइये। वह सबको मालूम है कि बर्निंग प्राब्लम है।

[अनुवाद]

अन्य लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : देश में ऐसे अनेक उद्योग स्थापित हो गये हैं जिनपर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। मुझे गुजरात में ऐसे अनेक स्थानों की जानकारी है जहां विषैले रसायनों के कारण भूमिगत जल पूरी तरह प्रदूषित हो गया है और लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे उद्योगों का पता लगाया है जिनके कारण भूमि और जल प्रदूषित हो रहे हैं और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न है। अब इतना ही रहने दीजिए।

श्री कमल नाथ : महोदय, ऐसे उद्योगों का पता लगा लिया गया है जिनका जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत फरवरी में अधिसूचना जारी की गई थी कि ऐसे उद्योगों को जिनसे न केवल जल प्रदूषित होता है बल्कि वायु भी प्रदूषित होती है, प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत उद्योगों का पानी पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है और इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वे अपनी परियोजना निर्माण में इस मामले से किस प्रकार निपटने का विचार रखते हैं। उनको पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिये जाने से पूर्व, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे उद्योगों के लिए परम आवश्यक है, उनको इस संबंध में विशेषज्ञ समिति को संतुष्टि करना होता है और तत्पश्चात ही उनको अनुमति दी जाती है।

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि 173 केन्द्रों में से, गुजरात में कितने केन्द्र हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं?

श्री कमल नाथ : महोदय, गुजरात में 41 केन्द्र हैं। मैं ऐसे केन्द्रों की एक सूची, अलग से, माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 173 परियोजनाओं में से, जिनमें काम चल रहा है, कितनी पूर्वोत्तर भारत में है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप लगभग आंकड़े बता दीजिए।

श्री कमल नाथ : महोदय, उनकी पूरी श्रृंखला है, परन्तु यदि आप समग्र पूर्वोत्तर को लें तो त्रिपुरा में 4 हैं; असम में 12 हैं; मेघालय में 5 हैं; मणिपुर में 5 हैं और अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार हैं। यदि भारतीय सदस्य अधिक ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उनको अलग से दे दूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में भूमिगत जल में खतरनाक प्रतिशतता में संखिया पाया गया है। प्राकृतिक एवं भूगर्भीय कारणों से यह जमा हो गया है और बस्तियों में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला उसका प्रभाव राष्ट्रीय विपत्ति के स्तर तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिये कुछ व्यवस्था की है और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार की सहायता कर रही है। अतः सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या उनका विचार इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य में कुछ संखिया परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है।

दूसरे, अनेक गरीब लोगों पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ा है और वे अपनी रोजी-रोटी कमाने में असमर्थ हो गये हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उनके लिये कोई पुनर्वास योजना बनाने पर विचार करेगी।

श्री कमल नाथ : पश्चिम बंगाल में अधूरे भू-वैज्ञानिक विन्यास के कारण, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, पश्चिम बंगाल के 6 जिलों-24 परगना (दक्षिण) 24 परगना (उत्तर), मालदा, बर्दवान और मुर्शिदाबाद में भूमिगत जल में भारी मात्रा में संखिया जमा हो गया है। इन जिलों में कुल जनसंख्या 302 लाख है जिसमें से 1.75 लाख लोगों पर संखिया का प्रभाव दिखाई देता है।

महोदय, इस बारे में विस्तृत छानबीन की गयी है। विषैलेपन का प्रभाव बता दिये गये हैं और ड्रिंकिंग वाटर मिशन ने भी इस बारे में अपने कुछ निष्कर्ष भेजे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग ने पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल के संखिया से प्रदूषित होने के संबंध में अपना अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया है। दो या तीन वर्ष पूर्व नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन ने इसकी पुनः जांच पड़ताल की थी। इस संबंध में अनेक निष्कर्ष निकाले गये हैं। परन्तु हमारी विद्यमान प्रयोगशालाएं संखिया का पता लगा सकती हैं और उन प्रयोगशालाओं में परीक्षण चल रहा है....**(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास के उपाय करने के बारे में आपका क्या विचार है?... **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : महोदय पुनर्वास के पहलू पर विचार करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार का है। यदि मूल्यांकन करने के पश्चात पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजती है तो हम उनके साथ सहर्ष विचार-विमर्श करेंगे।

श्री अनिल बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का आश्वासन विचार-विमर्श करने तक सीमित है?

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में कैमूर पहाड़ी हैं जो कि हिन्दुस्तान को बिजली और कोयला देती है। वहां पंत सागर है जिसके चारों तरफ एन.टी.पी.सी. और एन. सी.एल. का प्रोजैक्ट है। वहां कई सीमेंट फैक्टियां हैं जैसे कि डाला है। ऐश डैम पंत सागर के 880 रेजरव्वॉर के चारों तरफ बनाया जा रहा है। मंत्री जी को इस संबंध में मैंने कई पत्र लिखे।

मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तैमूर पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी, वनवासी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। वहां पर पीने के पानी की गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न बहुत लंबा कर रहे हैं।

श्री रामनिहोर राय : उस आदिवासी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है। हिन्डालको और हाईटैक-कार्बन उद्योगों ने जमीन के नीचे के पानी को गंदा कर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सीधे प्रश्न पर नहीं आते तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सोनभद्र और मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में अपने मिशन द्वारा कोई सैंटर खोलेंगे, जो डीप बोरिंग करके वहां के आदिवासी और वनवासी लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करे?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है, उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित कराया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मदद करेगें न, उनकी।

श्री कमल नाथ : उन्होंने जो एक कारखाने की बात कही है, तो वहां से अन्य शिकायतें भी आई हैं। मैं सैन्ट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की एक जांच समिति भेज कर जांच कराऊंगा।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर के बाहर देहाती क्षेत्रों में उद्योग बढ़ने के कारण पोल्युशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ आबादी भी बढ़ रही है। बेलापुर, जो एक छोटी ग्राम पंचायत है, उस विधान सभा क्षेत्र में इस समय 9.5 लाख मतदाता हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लेबोरेटरी के बारे में है। पानी की जांच लेबोरेटरी के बारे में है।

श्री राम नाईक : मेरा सवाल यह है कि आपने लेबोरेटरी इस्टैबलिश कर भी दी और वहां पीने का पानी खराब है, इस प्रकार की बात ख्याल में आ भी गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं, वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार से योजना बना रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पेय जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यह बात हमें समझनी चाहिए। यह प्रश्न प्रयोगशालाओं के बारे में है।

श्री कमल नाथ : महोदय, स्पष्टतः यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। निःसंदेह, विशेष रूप से महानगरों में, विकास और जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप सतही जल और भूगत जल दोनों पर दबाव पड़ता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह जिम्मेदारी है और हम वित्तीय तथा तकनीकी रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता करते रहते हैं और मुझे आशा है कि पहले से चली आ रही समस्या जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया था। भविष्य में हल कर ली जायेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे प्रश्न का एक भाग तो मालिनी जी ने पहले ही पूछ लिया है। मैं उसे पूरा करना चाहूंगी। क्या संखियागत प्रदूषण केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित है; यदि नहीं, तो अन्य कौन-कौन से राज्य हैं जहां यह समस्या विद्यमान है और उस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं? हमें पता है कि केरल में भी...

अध्यक्ष महोदय : इन प्रयोगशालाओं में पानी की जांच होती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : केरल में भी यह समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, प्रयोगशालाओं से ही पता चला है वहां यह समस्या विद्यमान है। यद्यपि पेय जल का विषय राज्य सरकार के अधीन है तथापि इस महत्वपूर्ण मामले में केन्द्रीय सरकार को अधिक ब्यौरा देना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि इस संबंध में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्या जानना चाहती हैं कि:..

अध्यक्ष महोदय : आप यथासंभव इनकी बात का उत्तर दें। हम संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं।

श्री कमल नाथ : पश्चिम बंगाल में यह आम समस्या है और देश के अन्य भागों में संखिया का जमाव इतना अधिक नहीं है। प्रश्न के अन्य भागों का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि यह बर्निंग प्राब्लम है और इस बर्निंग प्राब्लम को शुद्ध जल से शांत करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह जल का प्राब्लम नहीं है, लैबोरेटरी का प्राब्लम है।

(व्यवधान)

श्री अरविन्द त्रिवेदी : महोदय, मैं शुद्ध जल की बात कर रहा हूं। मैं पीने के पानी की शुद्ध जल की बात कर रहा हूं वह आज कल दूध से ज्यादा मंहगा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रश्न यह है कि हम 550 जिलों में पीने के पानी को जांचने की प्रयोगशालाएं बनाने जा रहे हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अरविन्द त्रिवेदी : महोदय, अगर प्रयोगशालाएं बनाने जा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह जो मिनरल वाटर बिकता है उसकी भी जांच होती है या नहीं और अगर होती है तो क्या उस पर सरकार की सील लगती है या नहीं? दूध से ज्यादा मंहगा यह शुद्ध जल मिलता है। यह देश के लिए कलंक की बात है कि एक पीने के पानी की बोतल 10-10, 12-12 रुपये की मिले। महोदय, आप भी पानी पीते हैं आपको पता होगा कि यह शुद्ध जल है या नहीं, यह पता नही है। तो क्या हमें शुद्ध जल के लिए मिनरल वाटर पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या सरकार शुद्ध जल देने के लिए कोई उपाय करेगी?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : माननीय नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं। परन्तु यह देखना मेरा काम नहीं है कि पानी बोतल में है या ग्लास में है।

निरक्षरता उन्मूलन

+

*104. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों से निरक्षरत का उन्मूलन करने हेतु कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1994-95 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों का चयन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े स्वयंसेवी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ). राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को यह कार्य सौंपा गया है कि वे पिछड़े क्षेत्रों सहित, संपूर्ण देश में वर्ष 1997 तक 15-35 आयु वर्ग के 10 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाएं। वर्ष वार कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। साक्षरता के प्रति प्रमुख अभिगम जिलों द्वारा अपने साक्षरता स्तर पर ध्यान दिए बिना तैयार की गई परियोजनाओं के आधार पर शुरू किए गए स्वयंसेवक आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से है। पूर्ण साक्षरता अभियान जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जिनमें स्वैच्छिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है जिन क्षेत्रों में अभी तक पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू नहीं किए गए हैं वहां छोटे-छोटे क्षेत्रों में साक्षरता कार्य शुरू करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान, जिला साक्षरता समितियां तथा स्वैच्छिक एजेसियों को 136.01 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने यह जानना चाहा था कि 1994-95 में निरक्षरता उन्मूलन करने का क्या लक्ष्य है, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 52 फीसदी जनसंख्या निरक्षर रही है और कहीं-कहीं तो 70 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और हमने यह जानना चाहा था कि देश में जो आधी से अधिक जनसंख्या निरक्षर रहे हैं उस जनसंख्या को साक्षर बनाने के लिए सरकार ने 1994-95 में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, उसका कोई जवाब नहीं मिला है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जहां ज्यादा अनपढ़ लोग हैं वहां पर विशेष अभियान चलाकर उन

लोगों को साक्षर बनाने के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है?

कुमारी शैलजा : हमारे जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाने के लिए हमारा पूर्ण साक्षरता अभियान चला है तो पूरे देश में चल रहा है और यह जो हमारे देश के किसी भी भाग में निरक्षर लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही चलाया गया है। इसमें ज्यादातर जो हमारे सामने समस्या आई है वह यह है हमारे जो उत्तर-भारत में राज्य हैं, खास कर चार राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, यहां पर ज्यादा इस तरह की समस्या है तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए अब ज्यादा ध्यान इनकी तरफ दे रहे हैं लेकिन इसमें भी जिले के स्तर पर पूर्ण साक्षरता अभियान प्रोग्राम को लिया जाता है। इसमें जाहिर है जो एजुकेशनली बैकवर्ड जिले हैं उनको लिया जाता है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी बिहार के बारे में मंत्री महोदया ने बताया है और मैं बिहार के संथाल-परगना क्षेत्र से आता हूं वहां समाज-सेवी संगठनों द्वारा लोगों को साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है। मगर मुझे यह जानकारी है कि उनको कोई देखने वाला नहीं है, आप जो पैसा देते हैं उसका सही खर्च होता है या उसका दुरूपयोग होता है या सिर्फ कागज में ही लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर जिले में जहां यह समाज-सेवी संगठन है या जिसके माध्यम से आप लोगों को साक्षर बनाने का काम कर रहे हैं वहां कम से कम जन-प्रतिनिधियों को भी सलाह-विचार के लिए रखें तभी यह काम हो सकता है अन्यथा पैसा व्यर्थ जा रहा है। जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां स्कूल नहीं है और जहां स्कूल है वहां शिक्षक नहीं है, अगर यह व्यवस्था रही तो मात्र कागज में ही सब काम होता रहेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पैसा लोगों को साक्षर बनाने के खर्च किया जा रहा है उसका सही उपयोग हो, इसके लिए क्या सरकार कोई कमेटी का गठन करना चाहती है या इसकी कोई जांच करना चाहती है या नहीं?

कुमारी शैलजा : यह जांच लगातार चलती रहती है, हर लेवल पर मानीटरिंग होती रहती है; नेशलन लिटरेसी मिशन लेवल पर भी और जिला साक्षरता समिति भी इसी मकसद से बनाई गई है, इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर, गांव के लेवल पर भी समिति होती है, जो लगातार इस काम को देखती है, उसमें प्रतिनिधि होते हैं तथा इसका चेयरमैन जिला कलेक्टर होता है। यह सोसायटी बाकायदा रजिस्टर्ड होती है और सारा काम देखती है और हर प्रकार के प्रतिनिधि इस समति में होते हैं।

श्री राम टहल चौधरी : ब्लाक लेवल पर कोई कमेटी वगैरह नहीं है, बी डी ओ को भी पता नहीं है कि यह संस्था कहां चल रही है, यह वास्तविक स्थिति है।

कुमारी शैलजा : यह संस्था वहीं पर है जिस जिले में पर पूर्ण साक्षरण अभियान चल रहा है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन गरीबी तो सबके लिए बराबर है। इसलिए क्या लड़कों के लिए भी सरकार निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करेगी?

कुमारी शैलजा : आठवीं तक तो पूरे देश में बस बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।

[अनुवाद]

डा. बी.जी. जावाली : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में दिया गया उत्तर कुछ अस्पष्ट है। आरंभ में एक जगह बताया गया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 1997 तक 15-35 आयुसीमा वर्ग के 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने के लिये कहा गया है। यह भी बताया गया है कि अलग से कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं और अंत में यह लिखा है कि जिला साक्षरता समितियों व स्वैच्छिक एजेंसियों को चालू वर्ष के दौरान 136.01 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई, वर्षवार, लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये तो यह धनराशि किस आधार पर प्रदान की गयी है।

हमने समाचार पत्रों में अनेक जिलों के बारे में पढ़ा है जहां इस प्रयोजन के लिये प्रदान की गयी राशि का दुरुपयोग किया गया है और अध्यापन के साधन निर्धारित संख्या से अधिक खरीदे गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने और उसका मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य पर नजर रखने के लिये एक एजेंसी बनायी जानी चाहिए। उसके बाद ही आगामी वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा. बी.जी. जावाली : यह अपने आप में प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रश्न नहीं कहा जा सकता, यह एक विवरण मात्र है।

डा. बी.जी. जावाली : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने, उसका मूल्यांकन करने और उस पर नजर रखने के लिये एक एजेंसी बनाने का है?

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : जो पैसा वालेंटरी एजेंसीज को रिलीज किया जाता है, वह जिला साक्षरता समिति प्रोजेक्ट के बेस पर सेंक्शन करती है और कोई इयर-वाइज टारगेट हमने नहीं रखा है। हमारा टारगेट 1997 के अंत तक 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का है। इस तरह से हमारा पूर्ण साक्षरता अभियान चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस साल यह होगा और उस साल वह होगा।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, अशिक्षा और गरीबी, ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो गरीब है वह शिक्षित होना नहीं चाहता, उसके पास अवसर नहीं है। प्रोढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा योजना की जो दुर्दशा इस देश में हुई है, वही परिणाम इस पूर्ण शिक्षा अभियान का न हो, क्या इसके लिए मंत्री जी के पास कोई कार्य योजना है। इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां घनघोर

गरीबी है और निरक्षरता है, टोटल टारगेट में क्या इस क्षेत्र के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाएगी?

कुमारी शैलजा : यह योजना किसी क्षेत्र के लिए अलग से नहीं है, बल्कि पूरे देश में लागू है। अभी आपने जो प्रोढ़ शिक्षा योजना की खामियों की बात की है, इससे हम सहमत हैं और इसीलिए हमने टोटल लिटरेसी कैंपेन मोड बनाया है और यह कोई ऐसा काम नहीं है कि सरकारी काम है और हमने लागू कर दिया है और इसको चलाया जाएगा, बल्कि इसमें वालेंटरी एफ्ट्र्स बहुत आवश्यक हैं और यह वालेंटरी प्रोग्राम है।

वह लोग इसको करते हैं और जब हम इसको किसी डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो उसके पहले वहां इन्वायरमेंट बनाना होता है। यह ऐसा नहीं है कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट को यहां से उठा लेंगे और दूसरी जगह सैंक्शन कर देंगे। यह डिमांड तो डिस्ट्रिक्स से आनी चाहिए। वहां पर अगर लोगों ने काम किया है और वहां अगर कोई समति बनी हुई है और उनकी तरफ से अगर पूर्ण साक्षरता अभियान की जरूरत की डिमांड है तभी इसको सैंक्शन करते है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि 100 जिले इसमें लिये जाएंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने बजट भी अलॉट कर दिया है, तो इस धन का उपयोग निरक्षरता को दूर करने के लिए किस प्रकार किया जा रहा है। क्या इसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है और अगर नहीं लिया जा रहा है तो क्या आप उनका सहयोग लेने के लिए कोई व्यवस्था करेंगी?

कुमारी शैलजा : जहां तक साक्षरता मिशन की बात है तो जो अपैक्स-बॉडी है उसमें जितनी हमारी राष्ट्रीय-स्तर की राजनैतिक पार्टियां हैं उन सबके प्रतिनिधि हैं।

श्री मोहन सिंह : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 1997 तक 10 करोड़ लोगों को जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच में है, साक्षर बनाया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार अभी 45 करोड़ निरक्षर लोग इस देश में हैं। इसमें 1997 तक 10 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। इनको साक्षर बनाने के लिए 136 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं और इनको केवल दस्तखत करने का ढंग सिखाकर घर भेज दिया जाता है। एक साल बीतने के बाद वे सब फिर से निरक्षर हो जाते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि भारत के संविधान की मंशा है कि 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, उस विचार पर अमल करने की दिशा में कुछ सोच रहे हैं।

कुमारी शैलजा : 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में तो है ही। हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां अलग हैं, इसलिए हम इसको अनिवार्य नहीं बना सके हैं। हमारे सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि ग्राउंड रिअलिटीज और होती हैं, इसलिए यह दिक्कत हमारे सामने है। जहां तक दस्तखत करने की बात है तो तीन प्राईमर्स हैं जो उनको सिखाए जाते हैं। उसके बाद मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है उसको भी टैस्ट किया जाता है। उनको हम वहीं पर नहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद पोस्ट लिटरेसी कैम्पेन है जो दो साल तक लागू रहता है ताकि जो कुछ पढ़ाया गया है वह लैप्स न हो जाए।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत की आजादी के बाद, शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, यह हमारी पॉलिसी थी। आज तक करोड़ों रुपया हमारी सरकार साक्षरता के ऊपर खर्च कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं बताने जा रहा हूं कि प्राइमरी स्कूल की जिस शिक्षा की बात अभी बताई गयी है उसमें प्राइमरी स्कूल के मास्टर इन्वोल्स होकर इसको कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल जो जनजाति एरियाज में है वहां पर सिद्धांत रूप से शिक्षा का कोई काम नहीं किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इन एरियाज में कुछ काम करेगी?

कुमारी शैलजा : प्राइमरी-स्तर के स्कूल तो राज्य-सरकार के अंतर्गत आते हैं। हालांकि हम केन्द्र से जरूर उनको मदद देते हैं। प्राइमरी-स्तर की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में एक अलग कार्यक्रम है। तो यह सब चीजें एक साथ चलती हैं।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मंत्रालय एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की हमारे देश में निरक्षरता उन्मूलन की भूमिका सराहनीय है। हाल ही में मेरे जिले को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया है। हमने अपने अनुभव से देखा है कि साक्षरता अभियान के बाद मुख्य समस्या साक्षरता का स्तर सुधारने के लिये अपेक्षित पुस्तकों की होती है। पुस्तकें मातृभाषा में उपलब्ध होनी चाहिए और हमारी जानकारी यह है कि साक्षरता अभियान के बाद जिस प्रकार की पुस्तकें अपेक्षित होती हैं वे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पास विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जिससे विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की कमी के कारण चल रहे साक्षरता अभियान के बाद की स्थिति में कोई बाधा न पड़े।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उस पर हमने ध्यान दिया है। इसमें स्टेट रिसोर्स सेंटर है। हम यहां से किताबें सप्लाई नहीं करते हैं। हमारा मकसद विकेन्द्रीयकरण का है कि राज्य अपनी मातृभाषा में किताबें छपवाये। जो उनको सूट करता है वह अपने हिसाब से किताबें देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गन्ने का उत्पादन

*105. **श्री वी. कृष्णा राव :**
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों की तुलना में हाल ही में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस समय प्रत्येक राज्य में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान गन्ने का उत्पादन 1993-94 के 227 मिलियन मीटरी टन उत्पादन की तुलना में फिलहाल 245 मिलियन मीटरी टन आंका गया है।

(ग) और (घ). 1994-95 के दौरान गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज 1993-94 को 671 क्विंटल तथा 1992-93 को 638 क्विंटल की तुलना में फिलहाल 666 क्विंटल आंकी गई है।

(ङ) 1993-94 (अंतिम) और 1994-95 (अनंतिम) के दौरान प्रत्येक मुख्य उत्पादक राज्यों में गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज का विवरण संलग्न है।

विवरण

1993-94 और 1994-95 के दौरान मुख्य राज्यों में गन्ने की फसल के अन्तर्गत उपज दर (कि.ग्रा./है.)

राज्य	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	77315	67158
असम	38377	41667
बिहार	36680	21647
गुजरात	79689	85040
हरियाणा	57630	63830
कर्नाटक	85416	90140
केरल	79982	75000
मध्य प्रदेश	35421	34500
उड़ीसा	58284	76000
पंजाब	61169	60440
राजस्थान	49515	42105
तमिलनाडु	105367	118400
उत्तर प्रदेश	59101	60879
पश्चिम बंगाल	57806	120000
अखिल भारत	67062	66597

बुनियादी शिक्षा

*106. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों में शिक्षकों के वेतन और शैक्षिक-शुल्क भी एक समान नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समानता लाने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख). पूरे देश में मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूल या तो किसी राज्य सरकार/बोर्ड, या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल शिक्षा परिषद से सम्बद्ध हैं। चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सरकारी क्षेत्र के वे स्कूल सम्बन्धन निकाय द्वारा निर्धारित पाठ्यविवरण का अनुसरण करते हैं। देश में सभी पाठ्यविवरण मोटे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में 1988 में राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अनुरूप हैं।

(ग) और (घ). प्रारम्भिक शिक्षा सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क है। शिक्षकों के वेतन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। वे सम्बन्धित राज्य सरकार की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करते हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न

*107. **श्री मंजय लाल : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया तथा किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं/नई तकनीक उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). देश खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है और सामान्य वर्षा वाले वर्षों में मांग और आपूर्ति में उपयुक्त संतुलन बनाए रखा जाता है। तथापि, उन वर्षों के दौरान जब सूखे की स्थिति होती है और/अथवा अधिक वर्षा होती है जिसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आ जाती है, देश खाद्य प्रबंध के व्यापक हित में विदेश से खाद्यान्नों के आयात का सहारा लेता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही है जैसाकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों से विदित होगा।

1959-60	76.77	मीटरी टन
1969-70	99.50	मीटरी टन
1979-80	109.70	मीटरी टन
1981-82	133.30	मीटरी टन
1983-84	152.37	मीटरी टन
1992-93	180.01	मीटरी टन
1993-94	182.12	मीटरी टन
1994-95	185.00	मीटरी टन (अनुमानित)

1-1-1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में कुल 30.30 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था।

(ग) पिछले दो वर्षों के संबंध में सरकारी खाते पर खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आयात और निर्यात निम्नानुसार है :-

वर्ष	देश	जिन्स	मात्रा (मीटरी टन में)
1	2	3	4
निर्यात (गेहूं और चावल)			
1992-93	नेपाल	गेहूं	10,714
		चावल	12,969
	क्यूबा	चावल	10,068
	सोवियत संघ	चावल	3000
1993-94	नेपाल	चावल	40,000
आयात (गेहूं और चावल)			
1992-93	वियतनाम	चावल	86,000
	आस्ट्रेलिया	गेहूं	8,74,000
	कनाडा	गेहूं	10,27,000
1993-94	आस्ट्रेलिया	गेहूं	1,76,000
	संयुक्त राज्य अमेरिका	गेहूं	3,00,000
	वियतनाम	चावल	56,000

जहां तक निजी व्यापार में आयात और निर्यात का संबंध है, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) विभिन्न राज्यों में फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित नीति तैयार की गई है :-

(1) फसल विशेष पद्धति की बजाय सस्यक्रम योजना अपनाना।

(2) उप-जातीय प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना और जैव तथा अजैव प्रतिरोधों सहित विशिष्ट अधिक उपज वाली नई किस्मों का पता लगने के बारे में प्रचार करना।

(3) किसानों द्वारा अनाज रखने के बारे में खेत पर प्रदर्शन करके और महिलाओं सहित किसानों और खेतिहर श्रमिकों का प्रशिक्षण देकर उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रचार करना।

(4) आर्गेनिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(5) भूमि सुधारकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(6) एकीकृत कीट प्रबंध उपाय अपनाना।

(7) अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देना।

विवरण

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

चावल के संबंध में अद्यतन व्यापारिक आंकड़े

आयात

मात्रा मीटरी टन में
मूल्य : करोड़ रुपये में

वर्ष	मात्रा	मूल्य	यूनिट मूल्य
1	2	3	4
1990-91	66,038	39.18	5933
1991-92	12,117	10.94	9032
1992-93	102,379	73.32	7162
1993-94	75,524	55.26	7316
1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर)	3,199	4.27	—

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता।

निर्यात	बासमती	मात्रा मीटरी टन में मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में यूनिट मूल्य अमरीकी डालर में	
1	2	3	4
1991-92	266528	202.5	759.7
1992-93	324790	276.44	851.13
1993-94	536534	328.69	612.62
1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर)	297821	–	–

गैर-बासमती

		मात्रा मीटरी टन में मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में यूनिट मूल्य अमरीकी डालर में	
1989-90	26705	9.83	368.09
1990-91	313720	104.68	333.67
1991-92	411935	104.01	252.49
1992-93	255619	60.41	236.33
1993-94	268908	79.43	295.38
1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर)	49094	–	–

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस.

निर्यात का मुख्य स्थान : कुवैत, सऊदी अरब, यू.के., संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, कनाडा, ओमान।

गेहूं के सम्बन्ध में अद्यतन व्यापारिक आंकड़े

आयात	मात्रा मीटरी टन में मूल्य लाख रुपयों में	
वर्ष	मात्रा	मूल्य
1992-93	1363695	71006.91
1993-94	230587	12080.76
1994-95	1113	99.84

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड ई. कलकत्ता मुख्य देशः आस्ट्रेलिया, कनाडा यू. एस.ए.

निर्यात	(हजार मीटरी टन में)	
वर्ष	मात्रा	मूल्य
1992-93	36.75	1020.98
1993-94	0.591	27.11
1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर)	17.058	1090.98

स्रोतः डी.जी.सी.आई. एंड एस. कलकत्ता।

पिछले तीन वर्षों के लिए दालों के आयात और निर्यात को बताने वाला विवरण

आयात	मात्रा मीटरी टन में मूल्य करोड़ रुपये में	
वर्ष	मात्रा	मूल्य
1990-91	1273433	481.17
1991-92	310604	254.24
1992-93	578799	325.98
1993-94	627284	567.36
1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर, 1994 (अनन्तिम)	311119	311.78

आयात के मुख्य स्रोतः आस्ट्रेलिया, कनाडा, ईरान, म्यांमार, तुर्की, सीरिया, थाइलैंड, यू.के.

निर्यात	मात्रा मीटरी टन में मूल्य करोड़ रुपयों में	
वर्ष	मात्रा	मूल्य
1990-91	15465	18.37
1991-92	25859	39.13
1992-93	37420	54.74
1993-94	42880	73.73
1994-95 (अप्रैल से अक्तूबर, 1994) (अनन्तिम)	22745	40.09

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता

निर्यात के मुख्य स्थान : कनाडा, कुवैत, सऊदी अरब, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के.

[अनुवाद]

रेलवे प्रबंधन का पुनर्गठन

*108. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रबंधन के पुनर्गठन संबंधी प्रकाश टंडन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार करने हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त पेनल ने इस बीच अपनी सिफारिशें भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल प्रबंधन की पुनर्संरचना के संबंध में प्रकाश टंडन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-1 प्रस्तुत कर दिया है। अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) समिति ने प्रथमदृष्टया केवल एक ही परीक्षा के आधार पर आठ संगठित सेवाओं में एकीकृत भर्ती को व्यावहारिक नहीं पाया है।

(ग) और (घ). यह मंत्रालय समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

किसानों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

*109. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में आधुनिक कृषि उपकरणों के समुचित उपयोग और रख-रखाव के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को दी गई सहायता/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) युवा किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने के लिये अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं दिये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार ने पहले ही चार क्षेत्रीय मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, जो बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गार्लेडिने (आन्ध्र प्रदेश) और विश्वनाथ चरायली (असम) में हैं। राजस्थान और तमिलनाडु में खोले जाने वाले दो और संस्थानों के लिए आठवीं योजना में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पांच राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, अर्थात् केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर (केरल); नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश); उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) और पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला (महाराष्ट्र) के कृषि इन्जीनियरिंग विभागों को भी कृषि मशीनरी में प्रशिक्षण देने के लिए उनका बुनियादी ढांचा मजबूत करने हेतु सहायता दी गई है।

(घ) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि इन्जीनियरिंग विभागों सरकारों को 249.95 लाख रुपये की धनराशि दी गई है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	1993-94 के दौरान दी गई धनराशि	1994-95
1.	पंजाब	2.00	48.00
2.	महाराष्ट्र	2.00	48.00
3.	केरल	2.00	48.00
4.	उड़ीसा	2.00	48.00
5.	उत्तर प्रदेश	1.95	48.00
	योग :	9.95	240.00

(ङ) इस संबंध में इस समय कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

यात्री किराया और माल भाड़ा ढांचा

*110. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग दोहरी राजसहायता दिये जाने संबंधी मुद्दे के सामाधान के लिए यात्री किराया और माल भाड़ा ढांचे में लागत तथा सेवाओं को जोड़ने संबंधी किसी योजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या औचित्य है; और

(ग) इससे आधारभूत परिवहन के रूप में रेलवे का उपयोग करने के संबंध में रेलवे की वित्त व्यवस्था में कितना सुधार होगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता अदालतें

*111. **डा. महादीपक सिंह शाक्य**
श्री चमकौर सिंह बराड़ :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता अदालतों में सुधारों के बारे में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने हाल ही में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन्हें कब तक लागू किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ). जी, हां। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता के संबंध में एक सर्वेक्षण करने के लिए प्रायोजित किया था। उन्होंने उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं। ऐसे सुझावों में ये शामिल हैं : जिला मंचों और राज्य आयोगों में कर्मचारियों की भर्ती के पैटर्न के बारे में एक समान नीति अपनाई जाए; राज्य आयोगों/जिला मंचों के लिए आवश्यक आधार ढांचे के साथ उपयुक्त जगह दी जाए; जिला मंचों के अध्यक्ष को आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाए; उपभोक्ता न्यायालयों के व्यय को योजना अनुदान के तहत लाया जाए, आदि।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पर्याप्त कर्मचारी और आधार ढांचा मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय सरकार भी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध करती रही है कि वे उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण को कारगर ढंग से मॉनीटर करें, ताकि उनका कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी भेजी गई हैं। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक बार की योजना सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

लंबित विकास परियोजनाएं

*112. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकार द्वारा पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से राज्यवार कौन-कौन सी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई और कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं अस्वीकृत की गई;

(ख) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं सहित ऐसी विकास परियोजनाओं के राज्यवार क्या नाम हैं, जो आज भी सरकार के समक्ष पर्यावरण और वानिकी स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं; और

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94 के दौरान पर्यावरणीय एवं वानिकी की दृष्टि से 219 परियोजनाएं मंजूर की गई थी तथा 38 परियोजनाएं अस्वीकृत कर दी गई थी। 1994-95 में, अब तक, 172 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं तथा 59 परियोजनाएं नामंजूर की गई हैं। मंजूर, नामंजूर तथा लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण I, II और III में संलग्न हैं।

(घ) पूर्ण ब्यौरों सहित जब भी कोई परियोजना प्राप्त होती है, उस पर निर्णय लेने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
क.	**पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए परियोजनाएं**
क.क.	**1993-94**
	आन्ध्र प्रदेश
1.	रायलसीमा तापविद्युत केन्द्र चरण-II (2x210 मेगावाट)
2.	रामागुंडम ताप विद्युत केन्द्र चरण-II (2x250 मेगावाट)
3.	कोठागुंडम ताप विद्युत केन्द्र चरण-5 (2x250 मेगावाट)
4.	बेमागिरि गैस आधारित विद्युत परियोजना
5.	गोदावरी गैस आधारित विद्युत परियोजना (200 मेगावाट)
6.	सबमर्जड ए आर सी फरनास + सी सी पी -सफॉण्ड आयरन इंडिया लि.
7.	विजाग से विजयवाड़ा पैट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन, एच पी सी एल
8.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
9.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
10.	सिंगरैनी कालरिज कंपनी लि.
11.	श्री सेलम लैफ्ट बैंक पैनल प्रोजेक्ट
	अण्डमान व निकोबार
12.	इन्टरव्यू द्वीप पर प्रकाश स्तम्भ की स्थापना
13.	थिसिंग गेयर सैक्शन का निर्माण
14.	विल्सन द्वीप पर प्रकाश स्तम्भ का निर्माण
15.	उपग्रह भू-केन्द्र परिसर, कार निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एक टाइप-I के दो स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण
16.	कालकॉन जल विद्युत परियोजना
	बिहार
17.	सैन्टल कोल फील्ड लि.. हिन्दगिश खली खदान

1	2
20.	सैन्ट्रल कोल फील्ड लि., केडीहैसलोन खुली खदान
21.	सैन्ट्रल कोल फील्ड लि., पीपरवास खुली खदान व वासरी
22.	सैन्ट्रल कोल फील्ड लि., सौन्दा "डी" खुली खदान व भूमिगत
	दिल्ली
23.	तुगलकाबाद में आईसलैण्ड कन्टेनर डिपो का निर्माण
	गुजरात
24.	क्रीभको का हजीरा में नाइट्रो-फास्फेट फर्टीलाइजर्स प्लाण्ट
25.	पैट्रो फाइल्स क्वापरेटिव लि. नलधारी में पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लाण्ट
26.	उकाई-काकड़ापाड़ा माडर्नाइजेशन प्रोडेक्ट
27.	वांकबोरी वियर में हाइड्रो + फ्यूज गेट्स लगाना
	गोवा
28.	मार्नुगो पोर्ट ट्रस्ट परिसर, गोआ में प्रस्तावित जहाज मरम्मत यार्ड
	हिमाचल प्रदेश
29.	बासपा जल विद्युत परियोजना चरण-2
	जम्मू व कश्मीर
30.	कारगिल में खाद्यान्न गोदाम
	कर्नाटक
31.	न्यू मंगलौर पोर्ट में कच्चे पी ओ एल उत्पादों की उठाई धाराई के लिए पत्तन सुविधाएं
32.	जे पी ई एस सी ओ द्वारा मंगलौर में सी पी पी सहित एकीकृत इस्पात संयंत्र
33.	मैसर्स पी अबूबाकर, डैम रोड, हॉस्पेट विल्लारी
34.	श्री कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स, गुरू कृपा निलय, नेहरू कालोनी, वेलारी
35.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि., II ब्लॉक, कोरामंगुलु, बंगलौर
	केरल
36.	नौ सेना अकादमी का निर्माण, झिमाला
37.	केरल में कोचीन पोर्ट पर कोचीन ऑयल टर्मिनल जाने वाली नहरों को गहरा बनाना
38.	हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल लि. का फिनॉल प्लाण्ट
	लक्षद्वीप
39.	लक्षद्वीप के काठमठ द्वीपसमूह के प्रवेश पर वाटर ब्लास्टिंग के अंतर्गत नियंत्रण हेतु प्रस्ताव-पर्यावरणीय मंजूरी
	महाराष्ट्र
40.	बम्बई में नेशनल सैन्टर फार परफारमिंग आर्ट द्वारा ड्रामा ओपेरा थियेटर का निर्माण

1	2
41.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर एक अभिगम/पुल सेवा बर्थ का निर्माण
42.	जमसेदजी बन्दर, बम्बई से बम्बई के क्रास मार्गों पर भूगर्भ क्राफ्ट फेरी सेवा
43.	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में जलयान यातायात प्रबंध प्रणाली की स्थापना
44.	भन्डरपुल, गणपति पूल जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र में कृष्णावी की समुद्रतट सैरगाह परियोजना
45.	बान्दरा भूखंड के अंतिम छोर पर होटल परियोजना, बम्बई
46.	गेट वे ऑफ इंडिया, बम्बई में भूगर्भ क्राफ्ट सर्विस के लिए एक रैम्प और प्लेटफार्म का निर्माण
47.	कुफिपरेड, बम्बई में एक टेलिफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण
48.	तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के तहत कुफिपरेड बम्बई में एक स्कूल भवन का निर्माण
49.	मानिकगढ़ सीमेन्ट कैप्टिव पावर प्लाण्ट (2x5 मेगावाट)
50.	द भोल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट)
51.	बम्बई मिन्ट का आधुनिकीकरण
52.	हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स रसायनी का विस्तार
53.	मैसर्स लॉयड स्टील प्लाण्ट द्वारा वर्द्धा में चार मिलियन टन इस्पात संयंत्र
54.	कुपरी वर्द्धा परियोजना
55.	कारवा परियोजना
56.	अरूणावती सिंचाई परियोजना
57.	कुनांद सिंचाई परियोजना
58.	वेस्टर्न कोल फील्ड लि.
	मध्य प्रदेश
59.	ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत परियोजनाएं (817 मे.वा.)
60.	भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल में आक्सीजन परियोजना
61.	नेशनल फर्टीलाइजर्स द्वारा बीजापुर में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र का विस्तार
62.	बीपीसीएल द्वारा बीना में मध्य भारत तेल शोधन-शाला
63.	सिनटेर प्लाण्ट—III, सी पी पी —II, बिलैट ब्लूम कास्टर्स-भिलाई इस्पात संयंत्र
64.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना
65.	बारगी दिक्परिवर्तन परियोजना
66.	ओंकालेश्वर परियोजना

1	2
67.	दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लि.
68.	दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लि.
69.	दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लि.
70.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
71.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
72.	दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लि.
73.	पश्चिमी कोल फील्ड लि.
74.	उत्तरी कोल फील्ड लि.
	पांडिचेरी
75.	कनगाचेटीकुकोम, पांडिचेरी में फिश ड्राईंग प्लेटफार्म एंड ऑक्सन हॉल का निर्माण
	राजस्थान
76.	मोदी एलकालिज एंड कैमिकल्स लि., अल्वर द्वारा कास्टिक सोडा यूनिट का विस्तार
77.	पाईराइट्स फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि.
	तमिलनाडु
78.	तुतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट पर बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ नं. 7 का निर्माण
79.	कलकत्ता से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली पूर्वी तट रोड
80.	मद्रास फिशिंग हारबर-चरण-2
81.	ई आई डी पैरी इन्डौर द्वारा कम्पाउंड फर्टीलाइजर्स का विस्तार
	उत्तर प्रदेश
82.	बेवर हीडर कैनल प्रोजैक्ट
	पश्चिम बंगाल
83.	चिनापुरी, पश्चिम बंगाल में दिसेरगढ़ विद्युत आपूर्ति कम्पनी की परियोजना
84.	कलकत्ता मिन्ट का आधुनिकीकरण
85.	पुरलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम
86.	ईस्टर्न कोल फील्ड लि.
	अन्य परियोजनाएं जिनमें अंतःराज्यीय परियोजनाएं भी शामिल हैं
87.	ननकान रेलवे परियोजना (अन्तर राज्यीय परियोजना-महाराष्ट्र, गोआ और कर्नाटक)
88.	ओ एन जी सी का वैस्टर्न ऑफ शोर में एस-I सैण्ड गैस फील्ड कॉम्पलैक्स
89.	ओ एन जी सी का साउथ हीरा फेज-II प्रोजैक्ट
90.	[illegible]

1	2
क.ख.	1994-95
	आन्ध्र प्रदेश
1.	विशाखापट्टनम में चिपाड़ा में सी वाटर मैगनेसिया प्रोजेक्ट
2.	ओबुलापुरम आयरन ओर माइन
3.	जुराला बहुउद्देश्यीय परियोजना
	असम
4.	कोनवापुर ड्रेनेस डेवलपमेंट स्कीम
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
5.	साउथ सेन्टीनल द्वीप में प्रकाश स्तम्भ का निर्माण
6.	पोर्ट ब्लेयर में रनवे का विस्तार
7.	अंडमान द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार (4x5 मेगावाट)
8.	लॉग आइसलैंड, अंडमान व निकोबार (3x128 मेगावाट)
9.	पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका को जल आपूर्ति का विस्तार
	बिहार
10.	बोकारो "बी" ताप विद्युत केन्द्र (3x210 मेगावाट)
11.	टिस्को का कैप्टिव पावर प्लाण्ट "67.5 मेगावाट"
12.	दि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि.
13.	सैन्ट्रल कोल फील्ड लि.
14.	मैसर्स ऊषामार्टिन लि., जमशेदपुर का विस्तार व आधुनिकीकरण
15.	सीबरौली में एल्युमिनियम संयंत्र का 1,70,000 से 2,10,000 टी पी ए तक विस्तार तथा आधुनिकीकरण
	दमन एवं दीव
16.	घोलार, मोती दमन, दमन में सैरगाह व मनोरंजन उद्यान परिसर (वंडर वर्ड रिसोर्स)
	गोआ
17.	मैसर्स पाइनर डैवलैपर्स द्वारा वारका में पर्यटक कुटीरों का निर्माण
	गुजरात
18.	वानकबोनी ताप विद्युत केन्द्र 5वीं यूनिट 210 मेगावाट में गुजरात विद्युत बोर्ड की परियोजना
19.	गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र 5वीं यूनिट 210 मेगावाट में गुजरात विद्युत बोर्ड की परियोजना
20.	हाजीरा शोर टर्मिनल का विस्तार-ओ एन जी सी
21.	बागोदीया में एल पी जी रिकवरी प्लांट, जी ए आई एल
22.	ओ एन जी सी का बालोल में मूल स्थान पर भस्मीकरण
23.	ओ एन जी सी का संचाल में मूल स्थान पर भस्मीकरण

1	2
24.	गुजरात अंबुजा सीमेंट लि. का गमबुजा सीमेंट संयंत्र (एक मिलियन टन) का विस्तार
25.	कार्जन जलाशय परियोजना
	हरियाणा
26.	सोना, जिला गुड़गांव में पश्चिमी भारत शिक्षा केन्द्र का गारगिड कालेज का प्रस्ताव
26.क.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना
	कर्नाटक
27.	जिन्दल प्रोटोडेल विद्युत कं. लि. द्वारा उद्योग के तहत एक एकीकृत प्रस्ताव के रूप में टोरनागुलु में 2x120 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र
28.	काकीनाडा में एनएफसीएल के नागार्जुन फर्टीलाइजर्स काम्पलैक्स का विस्तार
29.	सरपटी एच ई पी
	केरल
30.	केरल राज्य विद्युत बोर्ड का केसरकोड डी जी सैट 60 मेगावाट
31.	कोंजीकोड में 120 मेगावाट डीजी विद्युत संयंत्र
32.	मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. का 200 टी पी डी डिलिंकिंग प्लांट एटा इन हैन्स मैन ऑफ दि मिल टू 1,00,00 टी पी ए
	मध्य प्रदेश
33.	नागदा में ग्रासिम 40 मेगावाट विद्युत संयंत्र
34.	उड़ीसा सीमेंट लि.
35.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि., ऊर्द्धा खुली खदान
36.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि., छतरपुर-II अंडरग्राउंड
37.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि., फेस गोरा मथानी अंडरग्राउंड
38.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि., गिरजापुर माइनिंग
39.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि., चिरिमिरी खुली खदान
40.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि., चुरचा (पश्चिम)
41.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि., सिंघाली अंडरग्राउंड
42.	पोर्ट लैंड सीमेंट मैनुफैक्चरिंग यूनिट ऑफ जे पी बेला (प्राइवेट) लि., रीवा
43.	कीमोर सीमेंट वर्क्स का विस्तार
44.	मैसर्स भारत ओमना रिफाइनरी लि. का सैन्ट्रल इंडिया क्रूट रिफाइनरी
	महाराष्ट्र
45.	बी पी सी एल की बम्बई-मैन रोड पाइप लाइन प्रोजेक्ट
46.	एच पी सी एल की देवघर में 6.0 एम एम टी पी ए ग्रास रिफाइनरी
47.	मैसर्स नेशनल रेयन कारपोरेशन लि. की बलोरकाली प्रोजेक्ट का विस्तार व आधुनिकीकरण

1	2
48.	आर सी एफ थाल का मालामाहन संयंत्र
49.	मैसर्स इंटरनिस एवरेस्ट का एसबेटस रोकिंग सीट्स एंड एक्ससरिज
50.	एच पी सी एल ओमन ऑयल कं. का पश्चिमी तट पर 6 एम एम टी पी ए क्रास क्रूट रिफाइनरी
51.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि. विरूर/चिंचौली अंडरग्राउंड
52.	भद्रावती ताप विद्युत केन्द्र (स्थल मंजूरी) (2x500 मेगावाट)
53.	मैसर्स द वोल पावर कं. लि. में धबोल, महाराष्ट्र में पोर्ट्स एंड हारबर प्रोजेक्ट
54.	कासीद गांव जनजीरा हरद तालुका, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में बीच रिसोर्स प्रोजेक्ट
55.	बम्बई सीवेज डिसपोजल प्रोजेक्ट
56.	डी पी टी द्वारा सोर बेसन भूमि सुधार
57.	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 7 सब मैरिन पाइप लाइनों को बदलना (महाराष्ट्र)
58.	डी जी टी स्कीम के तहत महाराष्ट्र में एनएच कोर पर पनवेल बाइपास के निर्माण को पर्यावरणीय मंजूरी
59.	मैसर्स निप्पन डायनमो इस्पात लि. (महाराष्ट्र) द्वारा तासेल पेन, रायगढ़ में स्पॉज आयरन प्रोजेक्ट के लिए कैप्टिव जैटी हेतु पर्यावरणीय मंजूरी
	उड़ीसा
60.	दबूरी ताप विद्युत केन्द्र (2x250 मेगावाट)
61.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.
62.	टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.
63.	इंडियन मेटल एंड फेयरोएलाट लि.
64.	बाल्को का कोरबा में नया कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना और एल्युमिनियम प्रगालक का आधुनिकीकरण
65.	टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.
66.	बिसरा स्टीम लाइन कं. लि.
67.	मैसर्स मैत्री शुक्ला
68.	महानदी कोल फील्ड कं. लि.
	पांडिचेरी
69.	मालावाकु पांडिचेरी में समुदाय हाल का निर्माण-तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के तहत मंजूरी
70.	मैसर्स सयास्था एक्वुवा इंडिया प्रा.लि. पांडिचेरी के पूर्णाकप्पम गांव में ब्रिम हेचरी की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी
71.	साबदंड एल पी जी लि. की एल पी जी स्टोरेज एंड बोटलिंग यूनिट

1	2
	राजस्थान
72.	धौलपुर ताप विद्युत केन्द्र (3x120)
73.	हिन्दुस्तान कापर लि.
74.	राजस्थान राज्य विकास निगम लि.
	सिक्किम
75.	गंगटोक, सिक्किम के पास वटंक में स्टोल एयर फील्ड का निर्माण
	तमिलनाडु
76.	मैसर्स ई आई डी पैरी (इंडिया) लि. द्वारा एन्नौर तट पर आयातित एमोनिया के लिए सबमैरीन पाइप लाइन प्रणाली
77.	तुतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा एक्सटेंशन पोर्ट पर आर सी सी जैटी के स्थान पर ब्लॉक कार्य
78.	पोलिस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट
79.	मैसर्स स्टैरलाइट इंडस्टरीज (इं.) लि. में तांबा प्रगालक और ल्यूब ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स
79क.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की जीरो यूनिट (250 मेगावाट)
	उत्तर प्रदेश
80.	रेनु सागर ताप विद्युत केन्द्र (2x67.5 मेगावाट) (चरण-4)
81.	आई ओ सी द्वारा मथुरा रिफाइनरी की क्षमता को 7.5 एम टी पी ए से बढ़ाना
82.	समानान्तर गौण प्रसंस्करण सुविधाएं (ओ एच सी यू, हाइड्रोजन यूनिट, एस आर यू आदि)
83.	लालकुंआ नैनीताल में देहाती कागज और लुग्दी मिलें
84.	पूर्वी गंगा नहर परियोजनाएं (संशोधित)
	पश्चिम बंगाल
85.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में हवाई पट्टी प्रस्ताव के लिए मंजूरी
86.	बाकरेश्वर जलाशय स्कीम
87.	तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट
88.	सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना
	अन्य
89.	आई ओ सी की हल्दिया से बरूणी तक नया क्रूरूण ऑयल पाइप लाइन
90.	आई ओ सी का बिराम गांव-चक्सु विस्तार तथा चक्सु-पानीपत का विस्तार
91.	बी एच में ओ एन जी सी के बी-121/बी-119 ढांचों का विकास

1	2
ख.	**वानिकी मंजूरी के लिए परियोजनाएं**
ख. क.	**1993-94**
	आन्ध्र प्रदेश
1.	रायदुर्ग से चित्रदुर्ग तक रेलवे लाइन
2.	विगाराबाद-तन्दुर के बीच रेल लाइन ट्रैक्ट
3.	डी वी एम-40 टिगावंत डिस्ट्रीब्यूट के लिए डिवीजनल फारेस्ट वन भूमि
	असम
4.	400 केवी/डी/सी रनगनादी-वालीपारा टी/एल
5.	काथलगूरी से काथिया टोली तक 400 किलोवाट पारेषण लाइन
6.	एन ई ई पी सी ओ द्वारा काथियाटोली से बिमापुर तक 200 किलोवाट पारेषण लाइन
	बिहार
7.	तेनुघाट ताप विद्युत परियोजनाएं
8.	राजमहल कोयला परियोजनाएं, सी सी एल लि.
9.	लालपानिया बड़गांव-घोरगांव-जगेशर बड़गांव का निर्माण
10.	मैसर्स सी सी एफ लि. का खनन परियोजन हेतु ओ/सी उरीमारी
11.	पारेज ईस्ट ओ/सी सी सी एल का कोल प्रोजेक्ट
12.	दिमागपुर से जमशेदपुर तक 400 किलोवाट पारेषण लाइन
13.	रामेश के वनों में फ्लोट्स, पीब्ल्स, बोल्डर्स उठाना
14.	रमेश प्रसाद वी द्वारा फ्लोट्स पीब्ल्स एंड बोल्डर्स उठाना
	गोवा
15.	चपोली एम एल पी
	गुजरात
16.	भादर सिंचाई स्कीम
17.	दभोई में मियागम नर्मदा मुख्य नहर
18.	गोमा एम आई एस के लिए समरजैन्स
19.	रेन आफ मैसर्स आई एम एफ/ओ गुजरात मिनरल डिवलैपमेंट कारपोरेशन
	हिमाचल प्रदेश
20.	220 केवी डी/सी बैराकुलपांग टी/एल
21.	जल विद्युत परियोजना चरण-II
22.	22 केवी एच टी लाइन लारोड से डोडराकोआ आर ई सी स्कीम
23.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए वन भूमि का पट्टा
24.	132 केवी गिरि से सोलन-सिरमूर

1	2
25.	सोलन से कुलीहा पारेषण लाइन के लिए 8,875 है. वन भूमि का इस्तेमाल
	हरियाणा
26.	आई आर आर आई के लिए सिधमुख मोहन परियोजना
27.	के एम 130 से के एम 131.17 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 की चार लेनिंग
	कर्नाटक
28.	मैसर्स बीरभद्रपा सेनगप्पा एंड कंपनी के कंपनी का खनन पट्टा
29.	लौह अयस्क खनन का नवीकरण
30.	सरवती तेल रेश एच ई पी का निर्माण
	मध्य प्रदेश
31.	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क का खनन
32.	चारागांव टैंक परियोजना
33.	खामडोगरी टैंक का निर्माण
34.	सिकरौली टैंक परियोजना
35.	तारागांव टैंक का निर्माण
36.	टेडोली टैंक परियोजना
37.	मुजार्यगोंडी टैंक परियोजना
38.	देवैपाली टैंक का निर्माण
39.	कुरीगांव टैंक परियोजना
40.	400 केवी कोरबा भिलाई पारेषण लाइन
41.	बिलासपुर में दहीबड़ा परियोजना
42.	बिरियापुर लैफ्ट बैंक केनल प्रोजेक्ट
43.	बन्दकपुर सेमरखो लघु सिंचाई परियोजना
44.	11 केवी लाइन अपडेले से सिमरानी
45.	बी एस पी द्वारा लौह अयस्क का खनन
46.	बी एस पी द्वारा लौह अयस्क का खनन
47.	अल्लाहपुर बांध
48.	गुना-इटावा ब्राडगेज लाइन
49.	माडला में बेलीटैंक परियोजना
50.	रामनगर टैंक का निर्माण
51.	शिवपुर से गोरस तक 33 केवी लाइन
52.	बीएसपी के लिए धुलकी और कलवार खनन परियोजना
53.	132 के वी रागेड़ पाचल गांव
54.	पिलपा पानी टैंक परियोजना
55.	पिरदा टैंक परियोजना

1	2
56.	गोरसमता टैंक परियोजना
57.	दासपुर टैंक परियोजना
58.	ठाकुर देव टैंक परियोजना
59.	भीमुआ टीका टैंक लघु सिंचाई परियोजना
60.	रीवा और सिंधी जिले में फाइरिंग रेंज
61.	सागर जिले में महुआ सिंचाई परियोजना
62.	भूमिगत खनन नौगांव और राजेन्द्रा के लिए एस ई सी एल
63.	माधर टैंक परियोजना
64.	पारागढ़ टैंक का निर्माण
65.	मकसूदन गढ़ सिंचाई परियोजना
66.	400 केवी इटारसी-धूले पारेषण लाइन, जिला खण्डवा
67.	पटपाड़ा टैंक परियोजना
68.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए 11 केवी पारेषण लाइन
69.	चिचौली से मवदपुर तक 33 केवी पारेषण लाइन
70.	सरगुजा में खेदरी सिंचाई परियोजना
71.	एरिया नाला ब्रिज के लिए सम्पर्क मार्ग
72.	डब्ल्यू सी एल लि. द्वारा नई खान खोलने के लिए भूतल अधिकार
	महाराष्ट्र
73.	अंबिट में लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण
74.	सरदार सरोवर का पुनरूद्धार
75.	कुंबीय सिंचाई परियोजना
76.	चित्री मझौली सिंचाई परियोजना
77.	कनारी-गवाहीवाड़ी धंगावाड़ा रोड का निर्माण
78.	जंगाव हड्डी मझौली सिंचाई परियोजना
79.	कसारी मझौली सिंचाई परियोजना
80.	बेदगंगा नदी पर पटगांव मझौली सिंचाई परियोजना
81.	जामनदी सिंचाई परियोजना
82.	निचली ऊना परियोजना का निर्माण
83.	रावलगांव एम आई टी का निर्माण
84.	धनौली नासिक में लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण
85.	अरानवर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण
86.	पी एफ पाइप लाइन बिछाना तथा पी यू में सेवा मार्ग का निर्माण
87.	पुणे में कोयना लोरीकन पारेषण लाइन बिछाना
88.	वादरदिकेलवाडेल रोड का निर्माण

1	2
89.	थाणे में विधे लघु सिंचाई का निर्माण
90.	ऊपरी वर्द्धा परियोजना
91.	जुरौदी में लघु सिंचाई परियोजना, अरूणावती
92.	आदम सिंचाई टैंक
93.	डब्ल्यू सी एल द्वारा बेलोरा खुली खदान खनन
94.	वादरी में लघु सिंचाई टैंक
95.	गंगापुरी में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
96.	गढ़ सिंचाई परियोजना के लिए वन भूमि का इस्तेमाल
97.	वेकर नदी परियोजना
98.	मोर नदी परियोजना
	उड़ीसा
99.	आर्डिनेन्स फैक्टरी की स्थापना
100.	कुनीहा में मेरीगोराउंड रेलवे लाइन का निर्माण
101.	क्योंझर में निरंजन पटनक के लिए खनन पट्टा
102.	तलचर से राउरकेला तक 400 केवी का निर्माण
103.	कोटेरू लघु जल विद्युत का निर्माण
	राजस्थान
104.	सानगढ़-झालवाड़ में विद्युत लाइन
	तमिलनाडु
105.	भारती सेना के लिए फायरिंग रेंज हेतु वन भूमि का इस्तेमाल
	त्रिपुरा
106.	अम्बास 71 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय की स्थापना
107.	गैस ताप संयंत्र का निर्माण
	उत्तर प्रदेश
108.	बसौलीखान-चमतौला जी आई सी लिंक रोड का निर्माण
109.	सागर-छानगांव चैलछीना मोटर मार्ग
110.	कटपुड़ियाछीना सिलाघाट मोटर मार्ग
111.	खोती-जटेश्वर मोटर मार्ग
112.	कोसी-दोलाघाट-कोकछीना मोटर मार्ग
113.	बेजरी मोटर मार्ग का निर्माण
114.	थराली घाट मोटर मार्ग
115.	पालेथी-बारतोली मोटर मार्ग
116.	घाट-सुटेल-कनोल मोटर मार्ग का निर्माण
117.	सालोरधुमा मोटर मार्ग
118.	फील्ड फाइरिंग रेंज
119.	भौवाला तिलवाड़ी जगतपुर मोटर मार्ग

1	2
120.	छतियारा खावरा मोटर मार्ग
121.	कीर्तिनगर गांवधारी मोटर मार्ग का निर्माण
122.	लखनऊ से उन्नांव तक 400 केवी पारेषण लाइन
123.	400 केवी, डी सी अनपाड़ा वाराणसी पारेषण लाइन
124.	हरडांग गांव में वनभूमि का हस्तांतरण
125.	रामपुर से नई हलद्वानी होते हुए उत्तरी ईस्टर तक नई बीजी लाइन
126.	एनचाली-जखवाम ओलाघाट मोटर मार्ग
	पश्चिम बंगाल
127.	डी पी आर तेंदु ने खुड़िया वनग्राम लाख का अंतरण
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
128.	डिडिया टापू में पत्थर उत्खनन
	अरुणाचल प्रदेश
129.	तवांग के लिए वैकल्पिक मार्ग (मोरसिंग-फुहुंग क्षेत्र)
ख.खा.	**1994-95**
	आन्ध्र प्रदेश
1.	मानचेरियल में एसीसी द्वारा चूना पत्थर का खनन
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग 7 (नागपुर-हैदराबाद रोड) को चौड़ा करना
3.	गोलोटी नं.1 को खान प्रवेश और सेवा भवन
4.	एल आर सिलेरू-बोमोरू के लिए 220 केवी पारेषण लाइन की स्थापना
5.	मनुगुरू ओ/सी-टू चरण-3 ग्रांट माइनिंग का निर्माण
6.	मॉडगेज रेलवे लाइन का ब्राडगेज लाइन में बदलना, गिद्दाल
7.	तेलगू गंगा परियोजना
8.	श्री सेलेम लैफ्ट बैंक कैनाल का जांच कार्य
9.	श्री सेलम से हैदराबाद तक 400 केवी पारेषण लाइन का निर्माण
10.	स्रोत के रूप में मूलस्तुर वृहद कवाली जल आपूर्ति स्कीम
11.	वन ब्लॉक 2 फार्म में मैगनीज खनन
12.	डी बी एम के उत्खनन के लिए वन्नावरम ब्रांच केनाल का निर्माण
	असम
13.	ओ एन जी सी द्वारा के एच ई व के एच जी ड्रीलिंग लोकेशन
14.	बदरपुर कालासीप-एजुआल 132 केवी पारेषण लाइन
	बिहार
15.	बी बी सी के बोकारो बी पी पी एस का राख निपटान याई
16.	सी सी एल लि. को पीपरवा कोयला परियोजना
17.	सी सी एल पीपरवा रेलवे साइडिंग चरण-2 का निर्माण

1	2
	गोवा
18.	कल्पित खनिज पट्टा 1950 का नं. 7 का नवीनीकरण
19.	रेन ऑफ एम/एल बियरिंग नं. 55/1953 (रेअनटाव बीच)
20.	खनन पट्टे का नवीनीकरण
	गुजरात
21.	आरक्षित वन का अनारक्षण
22.	केलीयारी सिंचाई स्कीम
	हिमाचल प्रदेश
23.	रोहतांग सुरंग का निर्माण
24.	400 केवी झाकरी–अब्दुलपुर पारेषण लाइन
	कर्नाटक
25.	मैसर्स एच आर गोवीअप्पा एंड कंपनी के खनन पट्टे का नवीनीकरण
26.	कांचीकेरे में श्रीमती के एन सरोज को खनन पट्टा
27.	श्री अम्बूटकर को खनन पट्टे का नवीनीकरण
28.	मैसर्स कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स को खनन पट्टा
29.	चूना पत्थर डोलामाइट खनन के लिए मैसर्स के टी के मिनरल एंड एन सी बी
30.	मैसर्स कुद्रेमुख आयरन कोर कं. लि. के पक्ष में पी/एल
31.	कोंकम रेलवे निगम के लिए भूमि
32.	मालकी बांध का निर्माण
33.	देवकर विलेज के क्रम सं. 87 में खनन पट्टे की मंजूरी
	मध्य प्रदेश
34.	हरातोला से सोनगुंडा तक 11 केवी लाइन
35.	पिठापुर टैंक का निर्माण
36.	कुमाहर टैंक परियोजना
37.	निचली सिंचाई परियोजना
38.	एके कंडोवल के पक्ष में खनन
39.	उड़ीसा सीमेंट कं. लि. को खनन पट्टे का नवीनीकरण
40.	नार्थर्न कोल फील्ड लि. की दूधिचूआ परियोजना
41.	सतना से बीरंगपुर तक 400 के.वी. पारेषण लाइन
42.	गुणा–इटावा में ब्राड गेज रेलवे लाइन का निर्माण
43.	खरगांव में छोटाउमाम फाइरिंग रेंज
44.	डब्ल्यू सी एल के अधीन पट्टा खेड़ा विस्तार परियोजना
	महाराष्ट्र
45.	कुगाड़ी लैफ्ट बैंक कैनाल का निर्माण
46.	कोलाम्बी टैंक का निर्माण

1	2
47.	दही गांव एम आई टी
48.	टेकेपार लिफ्ट इरीगेशन स्कीम
49.	सेनाकल्ली में एम आई टी
50.	बुलधारा जिले में एम आई टी
51.	खनन पट्टे का नवीनीकरण (68 परंपरागत खानें)
52.	जलोड़ में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
53.	वाकवाड में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
54.	खामखेड़ा में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
55.	सिंगगासपुर में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण
56.	रोजवा लघु सिंचाई टैंक
57.	नासिक/पुने में वन भूमि का इस्तेमाल
58.	कोड गांव में लघु सिंचाई टैंक
59.	दूधन गंगा सिंचाई परियोजना का निर्माण
60.	चिनोडा लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण
61.	नागपुर–डबलाबाद रोड पर रिंगनबोडी घाट का सुधार
62.	कुनांग लघु सिंचाई परियोजना
63.	ब्रानेल लैफ्ट बैंक केनाल का निर्माण
64.	पिपलो गांव जोधा बांध लघु सिंचाई परियोजना
65.	सानम टैम्ब लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण
66.	खनन पट्टे (64 खानें) का नवीनीकरण
67.	असवाली लघु सिंचाई टैंक
68.	दहानु से वासोवा थाणे तक पारेषण लाइन बिछाना
69.	कारनटी लघु सिंचाई परियोजना
70.	बोरखड़ लघु सिंचाई बैंक का निर्माण
	पंजाब
71.	सालेरन बांध के निर्माण के लिए वन भूमि का इस्तेमाल
	राजस्थान
72.	220 केवी आर ए पी टी एस के लिए भैराहु इंरशाद बेगु रेंज में एफ/1
73.	सेना कंटोनमेंट के लिए आवंटन
	तमिलनाडु
74.	400 केवी त्रिची–मदुरै पारेषण लाइन
	उत्तर प्रदेश
75.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामीखेत
76.	बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग
77.	भारतीय सेना के लिए आसन फील्ड फाइरिंग रेंज
78.	800 केवी एस/सी उन्नाव–अनपाड़ा पारेषण लाइन
79.	खिरसु–मूसागली–दमदेवल मोटर मार्ग का निर्माण

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
क.	**पर्यावरण मंजूरी के लिए परियोजनाएं**
क.क.	**1993-94**
	अंडमान और निकोबार
1.	निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी
	बिहार
2.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., परेज, वाशरी
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., गिडी "ए" खुली खदान
4.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., कर्मा खुली खदान
5.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., टर्मा खुली खदान
6.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., न्यू गिडी "सी"
7.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., मगध खुली खदान
	गोवा
8.	बर्थ नं. 8, एक बर्थ नं.9 मोरमुगो पोर्ट ट्रस्ट, गोवा को गहरा बनाना
9.	तेल टैंकरों के लिए डबल बैकिंग आपरेशन्स, मोरमुगों पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
10.	बर्थ नं. 3 में 6, मारमुगों पोर्ट ट्रस्ट गोवा के सामने 2 बहुउद्देश्यीय कार्गो का निर्माण
11.	गोवा शिपयार्ड लि. द्वारा चिकोलना में कर्मचारी आवास कालोनी का निर्माण
	जम्मू व कश्मीर
12.	ए एन एस स्टेज-2 एच ई पी
	कर्नाटक
13.	मिनीरलाइंटरप्राइजिज प्रा. लि.
14.	भीमा फ्लो इरीगेशन स्कीम
15.	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम
	मध्य प्रदेश
16.	हिन्दुस्तान कापर लि.
	महाराष्ट्र
17.	चिकलदरा पंप्ड स्टापेज स्कीम
	नागालैण्ड
18.	एचईपी, शिल्लाई
	उड़ीसा
19.	महानदी कोलफील्ड्स लि., लखनपुर, खुली खदान परियोजना
20.	महानदी कोलफील्ड्स लि., भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना

1	2
21.	महानदी कोलफील्ड्स लि., हिंगुल खुली खदान परियोजना
22.	महानदी कोलफील्ड्स लि., भरतपुर खुली खदान परियोजना (एक्सप.)
	सिक्किम
23.	तेस्ता चरण-3 जल विद्युत परियोजना
	तमिलनाडु
24.	एसोसिएट सीमेंट क. लि.
	उत्तर प्रदेश
25.	भारत एक्सप्लोसिव लि. का ललितपुर में एन जी आधारित एक्सप्लोसिव प्लांट
26.	आगरा बैराज परियोजना
	पश्चिम बंगाल
27.	बोट कैनल क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भूमि का विकास
28.	स्ट्रांड क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भूमि का विकास
29.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
क.ख.	**1994-95**
	असम
1.	पगलडिया बांध परियोजना
2.	धिखोव बहुउद्देश्यीय परियोजना (स्थल मंजूरी)
	बिहार
3.	संख एच बी पी स्टेट-II
	गोवा
4.	बीपीसीएल का वास्को गोवा में पीओएल की स्थापना
	गुजरात
5.	इण्डो गल्फ के लखीमपुर में तांबा प्रगाल में परियोजना (पुनः विचार किया गया और मंजूरी जारी की गई)
6.	प्रेस डाइयां, मोल्ड्स के विनिर्माण के लिए एचएमटी संयुक्त परियोजना
7.	कृष्णको का हजीरा परिसर में आरगोन गैस रिकवरी
8.	लखीमपुर में तांबा प्रगालक परियोजना
9.	वाडिनेर ईएसएसएआर में 9 मिलियन टन तेल शोधन (केवल स्थल मंजूरी)
10.	कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना
11.	दौलतपुर वीयर परियोजना
	हरियाणा
12.	मारुति उद्योग लि. अल्युमीनियम ढलाई

1	2
	हिमाचल प्रदेश
13.	मलना जल विद्युत परियोजना
	कर्नाटक
14.	जेईएससीओ का एक मिलियन टन एकीकृत इस्पात संयंत्र
15.	मंगलौर में तांबा प्रगालक परियोजना
16.	वराही टेलरेश जल विद्युत परियोजना
17.	विजयनगर (होशपेट) टीपीएस (1x500 मे.वा.)
	केरल
18.	संशोधित अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना
	महाराष्ट्र
19.	कासलकुडे, तालुका कुदाल, जिला सिन्धुदुर्ग महाराष्ट्र में हवाई अड्डे का निर्माण
20.	शिर्दी, तालुका कॉपरगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में हवाई हड्डे का निर्माण
21.	मिडल वैतरना परियोजना
	मध्य प्रदेश
22.	गोपालपुर जल-विद्युत परियोजना
	उड़ीसा
23.	हीराकुड बी और चिप्लीमा-बी में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन
24.	शिंडल विद्युत परियोजना
25.	आई बी वैल्ली टी पी एस (2x250 मे.वा.)
	पंजाब
26.	रावी नदी के बायें किनारे पर बादशाही नहर का आधुनिकीकरण और विस्तार
	राजस्थान
27.	चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र (500 मे.वा.)
	तमिलनाडु
28.	नार्थ मद्रास ताप विद्युत केन्द्र (1x500 मे.वा.)
	उत्तर प्रदेश
29.	गंगा बैराज परियोजना
30.	चम्बल लिफ्ट स्कीम पर संशोधित परियोजना
31.	टेंस पम्प केनाल परियोजना
32.	देवरा मॉरी जल विद्युत स्कीम (स्थल मंजूरी)
	पश्चिम बंगाल
33.	फराक्का बैराज परियोजना
34.	गौरीपुर ताप विद्युत केन्द्र (2x67.5 मे.वा.)

1	2
ख.	**वानिकी स्वीकृति वाली परियोजनाएं**
ख.क.	**1993-94**
	हिमाचल प्रदेश
1.	बुर्वा और पालचन मंडली में ट्रांजिट कैंप
	कर्नाटक
2.	मैसर्स डंडेली फेरा आलायूस प्रा. लि. की लीज नवीकरण
	मध्य प्रदेश
3.	सुयापत जलाशय परियोजना का निर्माण
4.	मोरंगा परियोजना टैंक
5.	रानीडोगरी टैंक का निर्माण
6.	बखोरी टैंक परियोजना
7.	नंदखी टैंक परियोजना
	महाराष्ट्र
8.	नामगांव में एमआईटी का निर्माण
	ईरीपुरा
9.	ताप विद्युत केन्द्र आधारित गैस की स्थापना
ख.ख.	**1994-95**
	आन्ध्र प्रदेश
1.	श्रीशैलम लैफ्ट बैंक नहर का निर्माण
	गुजरात
2.	सीमेंट संयंत्र का निर्माण
3.	जांखरी सिंचाई परियोजना
4.	बीटवलदिया सिंचाई स्कीम
	हिमाचल प्रदेश
5.	मनोरंजन उद्यान की स्थापना
	केरल
6.	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास
7.	कृषकों को वन भूमि का सौंपा जाना
8.	खनिज जल का विनिर्माण और निर्यात
	महाराष्ट्र
9.	पलंदुर एम.आई. टैंक का निर्माण
10.	पुरडा एम आई टी का निर्माण
11.	नीमबल में एम आई टी का निर्माण
12.	तम्बुरवेदी में एम आई टी का निर्माण
13.	भेंद्रा एम आई पी
14.	नंदपुर में नंदपुर टैंक का निर्माण
15.	पी.टी. विल. सुकाली का निर्माण

1	2
	मध्य प्रदेश
16.	बोधघाट जल विद्युत परियोजना
17.	चिचरी सिंचाई टैंक का निर्माण
18.	आध्यात्मिक उत्थान हेतु अंतरण
19.	कोनार्क मिनरल्स लि. के पक्ष में खनन लीज
20.	डूमरपली सिंचाई परियोजना
21.	नायक बंध-टैंक का निर्माण

1	2
	उड़ीसा
22.	सिंचाई
	राजस्थान
23.	बाल्डा में खनन लीज
	उत्तर प्रदेश
24.	जमरानी सिंचाई परियोजना
25.	400 हे. वन भूमि का आदान-प्रदान

विवरण-III

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित है	लम्बित होने के कारण
1	2	3	4
क	**पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजनाएं**		
	आंध्र प्रदेश		
1.	नवभारत फेरो एलाइज लि. 30 मेगावाट कैप्टिव पी पी एस कोल बेस्ट, पोलंचा	सितम्बर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
2.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 2x500 मे.वा. सिमहादरी टीपीएस	नवम्बर, 1994	प्रस्तावकों से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
3.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 1x500 मेवा रामागुंडम सुपर टी पी पी स्टेज-3	नवम्बर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
4.	सिंगरेनी कालरीज कं. लि., मनुगुरू साफ्ट ब्लॉक-1	जनवरी, 1993	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 7.4.93 और 23.8.94 को विचार किया गया। कार्रवाई चल रही है।
5.	सिंगरेनी कालरीज कं. लि., केयागुंडम ओ सी पी कोल प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1994	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 12/13.1.95 को विचार किया गया। वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
6.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इं. लि., तेंदुर लाइम स्टोन माइन	मार्च, 1993	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 13.5.93 और 24.1.94 को विचार किया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
7.	मनुगुरू ओ सी पी-4 एससीसीएल, मनुगुरू ओ सी पी-4	मार्च, 1993	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
8.	सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग, श्री सेलम राईट ब्रांच कैनल स्कीम	अक्तूबर, 1994	इस परियोजना पर 16.11.94 और 7.3.95 को हुई मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा की गई। इसको विश्व बैंक से सहायता मिल रही है।

1	2	3	4
9.	श्रीराम सागर परियोजना	अक्तूबर, 1994	इस परियोजना पर 19.1.95 और 7.3.95 को हुई मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा की गई। इसको विश्व बैंक की सहायता मिल रही है।
10.	मैसर्स भगीरथ कैमिकल इं. लि. की 300 टी पी ए टैकनीकल ग्रेड क्लोरोपाइराफोर्स यूनिट	अगस्त, 1994	इस पर 30.1.95 को मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा की गई। समिति ने इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की।
11.	एच पी सी एल की विशाख रिफाइनरी कैपेसिटी का विस्तार	दिसंबर, 1994	इस पर 30.1.95 को मूल्यांकन समिति बैठक में मूल्यांकन समिति बैठक में चर्चा की गई। अतिरिक्त सूचना मांगी गई। स्थल दौरे का भी प्रस्ताव है।
12.	गोदावरी फर्टीलाइजर्स लि. का आधुनिकीकरण-व-विस्तार	दिसंबर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
13.	4 लेनों को चौड़ा करना तथा चिल्ला कालुरीपेट से विजयवाड़ा तक के वर्तमान पेगमेंट को मजबूत बनाना (255/000 किमी से 434/150 किमी) यह आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के मद्रास-विजयवाड़ा क्षेत्र में है।	जुलाई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	असम		
14.	कालोन नदी घाटी के लिए एकीकृत सिंचाई स्कीम	मार्च, 1995	हाल ही में प्राप्त हुआ और उसकी जांच की जा रही है।
	बिहार		
15.	अमझोर खनन परियोजना	मार्च, 1989	संशोधित पर्यावरण प्रबंध योजना पर दिसंबर, 1993 में विचार किया गया। मंजूरी की सिफारिश की है। वानिकी पहलुओं से जोड़ा गया।
16.	उत्तरी उड़ीमिरि ओ सी पी	फरवरी, 1993	मूल्यांकन समिति द्वारा 25.6.93 और 21.1.94 को विचार किया गया। मंजूरी की सिफारिश की गई। वानिकी से जोड़ा गया।
17.	रायवासरा भूमिगत परियोजना	फरवरी, 93	परियोजना पर 15.4.94 को मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया। वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
18.	तपिन साउथ ओ सी पी	अप्रैल, 1994	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा 12.12.94 को विचार किया गया। वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
19.	गोविन्दपुर ओ सी पी	अप्रैल, 1993	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा 12.12.93 को विचार किया गया। वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
20.	रोहिणी ओ सी पी	मई, 1993	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा 12.12.93 को विचार किया गया। वानिकी से जोड़ने

1	2	3	4
21.	हेसलडैंग डोलोमाइट परियोजना	जनवरी, 1994	समिति द्वारा 19.8.94 को विचार किया गया। सिफारिश की गई।
22.	भवन्तपुर लाइम स्टोन माइन	मई, 1994	समिति द्वारा 6.10.94 को विचार किया गया। स्पष्टीकरण मांगा गया।
23.	हूरीलांग यू जी (कोयला)	दिसम्बर, 1994	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 21.2.94 को विचार किया गया।
24.	चूरीरोजर प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1994	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
25.	केरल खुली खदान	जुलाई, 1992	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा वानिकी से जोड़ने की सिफारिश की गई।
26.	अशोक ओ सी पी	अगस्त, 1992	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा सिफारिश की गई। वानिकी से संबद्ध।
27.	कोनार ओ सी पी	सितंबर, 1992	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा सिफारिश की गई। वानिकी से संबद्ध।
28.	तुलसीडामर डोलोमाइट माइन	अक्तूबर, 1992	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा सिफारिश की गई। वानिकी से संबद्ध।
29.	कावेरी ओ सी पी	जनवरी, 1993	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा सिफारिश की गई। वानिकी से संबद्ध।
30.	बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल की कोल ब्रीक्विटिंग लि.	अक्तूबर, 1993	मूल्यांकन समिति की बैठक में 30.1.95 को चर्चा की गई। समिति ने प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की।
31.	4 लेनों को चौड़ा करना। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बारवाडा बाराकर खंड में वर्तमान दो लेनों को मजबूत बनाना	अक्तूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	दीव व दमन		
32.	दमन के समुद्र तट पर होटल गोल्ड बीच के लिए अनुमति	नवंबर, 1994	उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण निर्णय रोका गया है।
33.	दमन के समुद्र तट पर बीप रिसोट "होटल सी व्यू"	अक्तूबर, 1992	पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों के बारे में विधि मंत्रालय की राय प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।
34.	दीव में हिरिसोल्टहॉका	जुलाई, 1994	अंतिम निर्णय के लिए कार्रवाई की गई है।
35.	दीव में बीच रिसोल्ट होटल का विकास-मैसर्स क्रास कंट्री होटल का प्रस्ताव	अक्तूबर, 1994	कर्रवाई चल रही है।
	गोआ		
36.	मार्मुगाऊपोर्ट, गोआ के लिए चिकालिम खाड़ी में फिशिंग	अप्रैल, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
37.	मैसर्स स्टार बीचरिसोर्ट द्वारा कोलवा, गोआ में सर्वे नं 24/26 और 16 पर्यटक कुटीर तथा होटल भवन का प्रस्तावित निर्माण	दिसंबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
38.	मार्मुगाऊपोर्ट ट्रस्ट गोआ में बहुउद्देश्यीय बल्क कारगो बर्थ का निर्माण।	फरवरी, 1995	जांच की जा रही है।
	गुजरात		
39.	मेंग्रोल लिगनाइट आधारित तापविद्युत केन्द्र (2×120 मे.वा.)	जनवरी, 1993	प्रस्तावों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
40.	अक्रीय मोटा में लिगनाइट आधारित तापविद्युत केन्द्र (2×120 मे.वा.)	जुलाई, 1993	प्रस्तावों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
41.	बड़ौदा में जी आई पी सी एल के संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र	जुलाई, 1994	प्रस्तावों से हाल ही में प्राप्त हुई अतिरिक्त सूचना की जांच की जा रही है।
42.	लाइम स्टोन (सोलाज) खनन परियोजना	जनवरी, 1995	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 21.2.95 को विचार किया गया।
43.	जी पी सी एल द्वारा वाडीनार में कच्चे तेल का टर्मिनल	जुलाई, 1993	उच्चतम न्यायालय से अंतिम निर्देश/आदेश प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित किया जाएगा।
44.	वाडीनार, रिलायंस पैट्रो कैमिकल में 9 मिलियन टन तेल शोधन (केवल स्थल मंजूरी)	अक्तूबर, 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है 16×27 अक्तूबर, 1993 को स्थल दौरे के लिए परियोजना पर निर्णय को लम्बित न्यायालय मामले के कारण आस्थगित किया गया।
45.	इंडोशैल्फ फर्टीलाइजर्स की लखीमपुर में तांबा प्रगालक परि.	सितंबर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
46.	मैसर्स लासन एंड टुब्रो लि. की गुजरात में सीमेंट परि. के लिए गांव केवाया राजुकातालुक, अमरेली में कैप्टिव बर्थ	सितंबर, 1993	औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा सीमेंट संयंत्र हेतु मंजूरी जारी करने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा
47.	मेंगलौर फिशिंग हारबर स्टेज-2 का विस्तार	जुलाई, 1994	कार्रवाई चल रही है।
48.	मैसर्स इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. के तरल हाइड्रो कार्बन तथा अन्य रसायन तथा अन्य रसायनों के संचालन के प्रस्ताव के लिए काम्बे की खाड़ी में दाहेज में एक पत्तन टर्मिनल का निर्माण	अक्टूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
49.	वाडीलाल केमिकल्स द्वारा सिक्का में प्रस्तावित एल.पी.जी. और तरल पैट्रोलियम उत्पाद भंडारण की सुविधाएं	सितम्बर, 1994	जांच अंतिम चरण पर है।
50.	गुजरात के कच्छ जिले में जाखू में मत्स्य बन्दरगाह का का निर्माण	नवम्बर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
51.	कांडला पत्तन, गुजरात में चौथे तेल जेटी का निर्माण।	जनवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
52.	कांडला पत्तन न्यास, कच्छ की खाड़ी में वाडीनार में	फरवरी, 1995	जांच की जा रही है।

1	2	3	4
	हरियाणा		
53.	पलवल ताप विद्युत केन्द्र (2x250 मे.वा.)	अक्टूबर, 1994	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
54.	गुड़गांव में फोइनिक्स इंटरनेशनल लि. का सीमेन्ट संयंत्र।	अक्टूबर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
55.	गुड़गांव जिले के सोहना में गाडगिल कालेज वेस्टर्न इंडिया सेंटर फॉर एडुकेशन से प्रस्ताव,अरावली अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय मंजूरी	फरवरी, 1995	जांच अंतिम चरण में है।
	हिमाचल प्रदेश		
56.	आरकी चूना-पत्थर परियोजना	नवम्बर, 1992	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा सिफारिश की गई। वानिकी से संबद्ध।
	कर्नाटक		
57.	रायचुर ताप विद्युत संयंत्र (2x250 मे.वा.) यूनिट 5 और 6	दिसम्बर, 1993	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
58.	चामलापुरा ताप विद्युत केन्द्र (2x250 मे.वा.) अथवा (1x500 मे.वा.)	अगस्त, 1994	प्रस्ताव पर मूल्यांकन की दिनांक 29.11.94 की बैठक में विचार किया गया था। प्रस्तुतिकरण को आज स्थगित कर दिया गया क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसी का अभी निर्णय लिया जाना है।
59.	संदुर मैगनीज और लौह अयस्क परियोजना	मई, 1993	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा सिफारिश की गई। वानिकी से संबद्ध।
60.	मैसर्स हिंदल विजयनगर स्टील कम्पनी का 1.25 हॉट रोल्ड कॉयल।	सितम्बर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
61.	मैसर्स किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि. का पिग आयरन व फाउन्डरी।	अगस्त, 1994	कार्रवाई चल रही है।
62.	बी.ए.एस.एफ. का रंगाई का 1500 टीपीए तथा डिस्पैसन का 8000 टीपीए का निर्माण।	दिसम्बर, 1994	मूल्यांकन समिति की दिनांक 28.2.95 की बैठक में विचार किया गया। समिति ने परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए सिफारिश की।
63.	गुलबर्गा में हवाई अड्डे का निर्माण	सितम्बर, 1994	प्राप्त अतिरिक्त सूचना की जांच की जा रही है।
	केरल		
64.	कोचिन में फिशरिज हार्बर स्टेज-II का विकास	मार्च, 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
65.	क्विलोन जिले में फिशरी हार्बर स्टेज-II में बंगासेरी का निर्माण।	मई, 1994	-वही-
66.	केरल सरकार द्वारा अझिक्काल बन्दरगाह का विकास	मई, 1994	-वही-
67.	कालीकट हवाई अड्डे का विकास एवं विस्तार	सितम्बर, 1994	-वही-
68.	एर्नाकुलम में नेदुम्बासेरी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का	अक्तूबर, 1994	जांच अंतिम चरण में है।

1	2	3	4
69.	कोचीन में समन्वित द्वीप विकास-गोश्री द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण, कोचीन, केरल	दिसम्बर, 1994	निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण रोका गया है।
	मध्य प्रदेश		
70.	बीना ताप विद्युत केन्द्र (4x250 मे.वा.)	जुलाई, 1994	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
71.	मंगथार में संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-II	अक्टूबर, 1994	-वही-
72.	रौघाट लौह अयस्क	जून, 1987	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा 8.7.87 और 26.6.90 तथा उप-समिति द्वारा 2.7.90 को विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना 2.2.94 को मांगी गई।
73.	कुतेश्वर चूना-पत्थर खान	दिसम्बर, 1993	कार्रवाई चल रही है।
74.	बाराद्वार डोलोमाइट	सितम्बर, 1994	-वही-
75.	निघाई खुली खदान परियोजना (विस्तार)	अक्टूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना 4.1.95 को मांगी गई।
76.	बॉक्साइट खान	नवम्बर, 1994	मूल्यांकन समिति (एम) द्वारा 12.1.95 को विचार किया गया। मांगी गई आरईएमपी की प्रतीक्षा है।
77.	मोंगरा परियोजना	सितम्बर, 1990	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र		
78.	नागोथाणे सी.सी.जी.टी. (820 मे.वा.)	जून, 1992	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
79.	उरान में अपशिष्ट ताप पुनर्प्रापण परियोजना (3x130 मे.वा.)	जून, 1993	हाल ही में प्राप्त सूचना की जांच की जा रही है।
80.	भद्रावती में कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र	अगस्त, 1994	कार्रवाई चल रही है।
81.	तारापुर में रूपाल केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	अक्टूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
82.	चन्द्रपुर में मानिकगढ़ सीमेन्ट परियोजना	अक्टूबर, 1994	-वही-
83.	केरियन ड्रग प्रा. लि. की औषधी निर्माण परियोजना	जनवरी, 1995	मूल्यांकन समिति की 30.1.95 की बैठक में विचार किया गया। समिति ने परियोजना की पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की।
84.	महाराष्ट्र में देवधर में 6 एमएमटीपीए ग्रासरूट रिफायनरी की एसपीएम/कॉस कन्ट्री पाइपलाइन वहिस्राव निपटान सुविधाएं मैसर्स हिन्दुस्तान ओमान पैट्रोलियम क. लि.	जनवरी, 1995	मूल्यांकन समिति की 30.1.95 की बैठक में चर्चा की गई। अतिरिक्त सूचना मांगी गई।
85.	मैसर्स सिनार मास पल्प एंड पेपर (इंडिया लि. नई दिल्ली) का पुणे में आयातित ब्लिच्ड पल्प पर आधारित 200, 000 टीपीए पेपर मिल।	जनवरी, 1995	मूल्यांकन समिति की 31.1.95 की बैठक में चर्चा की गई। अतिरिक्त सूचना मांगी गई। समिति ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रस्ताव की सिफारिश की है।
86.	मैसर्स एप्रान लि. का महद, रायगढ़ जिले में बल्क ड्रग्स और इन्टरमिडियट्स का विनिर्माण।	फरवरी, 1995	मूल्यांकन समिति की 28.2.95 की बैठक में चर्चा की गई अतिरिक्त सूचना मांगी

1	2	3	4
87.	राहूरी साह-शक्कर कारखाना लि. की वर्तमान डिस्टीलरी क्षमता को 30 केएलपीडी से बढ़ाकर 45 केएलपीडी करना	फरवरी, 1995	परियोजना प्राधिकारी के अनुरोध पर पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति की 28.2.95 को हुई बैठक में परियोजना पर चर्चा की गई।
88.	बम्बई में वर्ली-बान्द्रा लिंक रोड का निर्माण	जुलाई, 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	लक्षद्वीप		
89.	कारावत्ती में स्थाई बंकरिंग की सुविधाएं	अगस्त, 1992	तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
	मणिपुर		
90.	लोकटक डाउन स्ट्रीम एच ई पी	मार्च, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	मिजोरम		
91.	टूरियल जल विद्युत परियोजना	जुलाई, 1994	-वही-
	उड़ीसा		
92.	तालचर एसटीपीपी स्टेज-II (4x500 मे.वा.)	सितम्बर, 1994	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
93.	सारगीपल्ली सीसा	जुलाई, 1992	परियोजना पर 13.7.92 को पुनर्विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
94.	अन्नत खुली खदान परियोजना	जनवरी, 1994	परियोजना पर मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 15.4.94 को विचार किया गया। वानिकी से संबद्ध सिफारिश की गई।
95.	चूना पत्थर की खान और डोलोमाइट खान	अगस्त, 1994	कार्रवाई चल रही है।
96.	बोलानी लौह अयस्क खान	सितम्बर, 1994	4.1.95 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई।
97.	बॉक्साइट खान	अक्टूबर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
98.	सामलैश्वरी खुली खदान परियोजना	दिसम्बर, 1994	-वही-
99.	सुकिण्डा क्रोमाइट खान	जून, 1993	वानिकी से संबद्ध सिफारिश।
100.	छेन्दीपारा खुली खदान परियोजना	फरवरी, 1995	जांच की जा रही है।
101.	लौह अयस्क खानें	फरवरी, 1995	-वही-
102.	बरसूआ कास्टा लौह अयस्क खान	दिसम्बर, 1994	-वही-
103.	मीड-ईस्ट इंटिग्रेटेड स्टील लि., जाजपुर का 0.5 एमटीपीए क्षमता का लघु इस्पात संयंत्र	जनवरी, 1994	मूल्यांकन समिति की 28.2.95 की बैठक में चर्चा की गई। समिति ने प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की।
104.	मैसर्स उत्कल एल्यूमिनियम इंटरनेशनल लि. की 1.0 एमटीपीए एल्यूमिनियम रिफायनरी।	सितम्बर, 1994	कार्यवाही चल रही है।
105.	मैसर्स नीलचल इस्पात निगम लि. भुवनेश्वर का दायत्री के निकट एक मिलियन टन इस्पात संयंत्र।	दिसम्बर, 1994	मूल्यांकन समिति की 28.2.95 की बैठक में चर्चा हुई। अतिरिक्त सूचना मांगी गई।

1	2	3	4
	पाण्डिचेरी		
107.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति लॉज के निर्माण की अनुमति।	अक्टूबर, 1994	उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण निर्णय रोका गया।
108.	मैसर्स डीसीएम श्रीराम एक्वा फूड्स लि. द्वारा कराइकल, पाण्डिचेरी में समन्वित एक्वाकल्चर परियोजना।	जनवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
	राजस्थान		
109.	धौलपुर टीपीएस (4x175 मे.वा.) कोयला आधारित।	जनवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
110.	झामड़कोटरा समन्वित परियोजना	फरवरी, 1994	समिति द्वारा 19.7.94 को विचार किया गया। कार्रवाई चल रही है।
111.	बालदा टंग्स्टन फ्लोरटाइप परियोजना	फरवरी, 1994	पर्यावरण प्रबन्ध योजना पर मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 23.8.94 को विचार किया गया। मांगे गए स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
112.	चूना-पत्थर खनन (गांव सानू)	जुलाई, 1994	मूल्यांकन समिति (खनन) द्वारा 22.11.94 को विचार किया गया। वानिकी से संबद्ध सिफारिश की गई।
113.	सॉप स्टोन माइन	जनवरी, 1995	7.2.95 को स्पष्टीकरण मांगे गए।
114.	चूना-पत्थर (आमली-मलाप)	जनवरी, 1995	15.2.95 को स्पष्टीकरण मांगे गए।
115.	विशालपुर सिंचाई परियोजना	जनवरी, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
116.	भरतपुर में तेल डिपो	मार्च, 1994	अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा गया।
117.	मैसर्स डीएलएफ सीमेंट लि. का पाली में 1.4 एमटीपीए सीमेंट संयंत्र।	सितम्बर, 1994	प्रस्तुत किया जा रहा है।
118.	अलवर में मैसर्स एसीई लेबरोटरीज लि. का भेषज संयंत्र।	नवम्बर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
119.	अलवर में एसीई लेबरोटरीज लि. की प्रतिपादन यूनिट।	नवम्बर, 1994	-वही-
	तमिलनाडु		
120.	लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना (स्थल मंजूरी)	फरवरी, 1993	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
121.	3x500 मे.वा. लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना	नवम्बर, 1994	-वही-
122.	सामलपट्टी डीजल इंजन विद्युत केन्द्र (100 मे.वा.)	मई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
123.	जयमकोण्डम लिगनाइट खान	अप्रैल, 1994	समिति द्वारा 19.7.94 तथा 22.11.94 को विचार किया गया। कार्रवाई की जा रही है।
124.	मैसर्स धरनी सीमेंट प्रा. लि. के रूप में तमिलनाडु के त्रिची जिले में धरनी सीमेंट परियोजना का विस्तार	दिसम्बर, 94	28.2.95 को ई.सी. बैठक में चर्चा की गई। समिति ने पर्यावरणीय मंजूरी के प्रस्ताव की सिफारिश की।
125.	तूतीकोरिन में मिनोटा एक्वेटेक का झिंगा फार्म	मई, 1993	राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों से उत्तर

1	2	3	4
126.	मैसर्स गै ट्रेक्लर्स प्रा.लि. द्वारा तमिलनाडु के कुथूकाडु में प्रस्तावित तीन सितारा होटल परियोजना	जनवरी, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
127.	कुडीलाराई में नए लाइट हाउस की स्थापना, पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में	फरवरी, 95	जांच की जा रही है।
	उत्तर प्रदेश		
128.	रोसा टीपीएस (2×250 + 1×250 मे.वा.) कोयला आधारित	सितम्बर, 94	प्रस्तावकों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
129.	सिरोली मेग्नेसाइट खान	जून, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
130.	बीनाखान सं. II	जनवरी, 93	सिफारिश की गई, वानिकी मंजूरी से संबंधित।
131.	0.5 एमटीपीए इस्पात परियोजना-मालविका इस्पात (प्रा.) लि.	सितम्बर, 94	संशोधित पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रभाव की प्रतीक्षा है।
132.	इफको की फूलपुर अमोनिया, यूरिया संयंत्र का विस्तार	जनवरी, 95	28.2.95 को ईसी बैठक में चर्चा की गई। समिति ने पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजना की सिफारिश की।
133.	सोंग नदी पर पुल के निर्माण तथा देहरादून जिले में कि.मी. 2 और 3 रायपुर थांड, भोगपुर सड़क तक के लिए पर्यावरणीय मंजूरी।	फरवरी, 95	जांच के अंतिम चरण में हैं।
134.	जमानिया पम्प नहर परियोजना	नवम्बर, 94	जांच के अंतिम चरण में है।
135.	अर्निघाड नैन ग्रांव पन विद्युत परियोजना (स्थल मंजूरी)	जनवरी, 95	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
136.	सागर दीघी टीपीएस (2×500 मे.वा)	फरवरी, 1993	प्रस्तावकों के संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।
137.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. का 0.5 एमटीपीए इस्पात उत्पाद	सितम्बर, 94	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	अन्य		
138.	भारतीय तेल निगम का विद्यमान सलाया मथुरा क्रूड आयल के सलाया विरामगन तथा विरामगन-कोयाली सेक्सन का विस्तार	जुलाई, 94	वानिकी मंजूरी की प्रतीक्षा है।
ख.	**वानिकी स्वीकृति हेतु परियोजनाएं**		
1.	बदरपुर से कुमारी घाट तक 132 कि.वा.की ट्रांसमिशन लाइन	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
	आन्ध्र प्रदेश		
2.	श्रीराम बाबू, अनंतपुर को खनन पट्टा	अप्रैल, 1994	विचाराधीन
3.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को खनन पट्टे का नवीनीकरण	नवम्बर, 1994	कार्रवाई चल रही है।
	अरुणाचल प्रदेश		
4.	इची आरक्षित वन में वनों को आरक्षण रहित करना	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
5.	वाई.जे.एन. रंगानदर-गिरसुन-नेलया से सड़क का निर्माण	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
	बिहार		
6.	"सेल" द्वारा तुलसीडमार डोलामाइट खान	जुलाई,1994	23.2.95 को एसीएम में विचार-विमर्श किया गया।
7.	राजमहल ओसीपी लाल मातिया	फरवरी, 1995	वही
8.	डी.वी.सी. के लिए पतरातू से उत्तरी कर्मपुरा तक 132 कि.वा. की ट्रांसमिशन लाइन	फरवरी, 1995	वही
	गुजरात		
9.	बी.पी. जोशी के पक्ष में बोर वृक्ष उगाने के पट्टे का नवीनीकरण	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
10.	ग्लास उद्योग में खनन पट्टे का नवीनीकरण	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
11.	सिक्का में एलपीजी गोदाम की स्थापना	जनवरी, 1995	वही
12.	कॉपर स्मेल्टर परियोजना	जनवरी, 1995	वही
	हिमाचल प्रदेश		
13.	एनएमडीसी द्वारा आरकी लाइन स्टोन परियोजना	जनवरी, 1995	वही
	गोवा		
14.	सलगांवकार एण्ड कम्पनी के खनन पट्टा ओ. 19/1953 का नवीनीकरण	सितम्बर, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
15.	श्री कुमाराम पलाऊडीकर के खनन पट्टा नं. 17/49 का नवीनीकरण	सितम्बर, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	कर्नाटक		
16.	तीसरे नैवल बेस के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	जनवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
17.	हंसूर वन प्रभाग में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों का पुनर्वास	जुलाई, 1994	- वही -
	मध्य प्रदेश		
18.	डीआरडीओ के लिए वन भूमि का प्रयोग	फरवरी, 1995	- वही -
19.	ऊपरी वेन गंगा परियोजना	फरवरी, 1995	- वही -
20.	भारतीय सेना के लिए सिंगौर फील्ड फायरिंग रेंज	जनवरी, 1995	- वही -
21.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के दूसरे भाग के लिए राखड़ बांध का निर्माण	नवम्बर, 1994	- वही -
22.	एसईसीएल की सिंघाली भूमिगत कोयला खनन परियोजना	अक्तूबर, 1994	- वही -
23.	एसईसीएल द्वारा धेलवेटीह भूमिगत खनन परियोजना	अक्तूबर, 1994	- वही -
24.	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कान्हा वन ग्राम के 25 परिवारों का पुनर्वास	अगस्त, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र		
25.	रानीपुर में एमआईपी	जून, 1994	- वही -

1	2	3	4
26.	दीलाली फील्ड फायरिंग रेंज, नासिक	सितम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
27.	मनुदेवी में परिस्रवण टैंक	फरवरी, 1995	– वही –
28.	टेमी बारखेड़ा में एमआईपी	अगस्त, 1994	– वही –
29.	ग्राम सिरीला में एम आई पी	जनवरी, 1995	– वही –
30.	गांधार से पुडगा तक 400 कि.वा. की ट्रांसमिशन लाइन	सितम्बर, 1994	– वही –
31.	धूले जिले में वनजारपाडा-II में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
32.	धूले जिले में पुरमेपाडिया-3 में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
33.	धूले में खोलीविहिर सं. 3 में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
34.	जलगांव जिले में खामखेडा में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
35.	जलगांव जिले में कटमाड नं. 1 में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
36.	जलगांव जिले में पालास्खेडा (4) में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
37.	जलगांव जिले में उमारती में परिस्रवण टैंक	सितम्बर, 1994	– वही –
38.	धूले जिले में नागपुर संख्या 4 में परिस्रवण टैंक का निर्माण	नवम्बर, 1994	– वही –
39.	धूले जिले में शेवाली सं. 4 में परिस्रवण टैंक	– वही –	– वही –
40.	धूले जिले में चांदसेली में परिस्रवण टैंक	– वही –	– वही –
41.	धूले जिले में खोलविहिर सं. 5 में परिस्रवण टैंक	– वही –	– वही –
42.	धूले जिले में वंधरा में परिस्रवण टैंक	– वही –	– वही –
43.	धूले जिले में नांदल में परिस्रवण टैंक	– वही –	– वही –
44.	चकडू में परिस्रवण टैंक	– वही –	– वही –
45.	अम्बापता टैंक परियोजना	अगस्त, 1994	– वही –
	मणिपुर		
46.	लोकटक निचली धारा बांध परियोजना	नवम्बर, 1994	– वही –
	मिजोरम		
47.	भारत-बांग्लादेश सड़क मार्ग "डेमाजिन मारपारा" 117 कि.मी.	फरवरी, 1995	– वही –
	उड़ीसा		
48.	सत्यभाया और कनुपुर के ग्रामीणों का पुनर्वास	जून, 1994	– वही –
49.	वेजुअमला लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	मई, 1994	– वही –
50.	पुरी तथा कोणार्क बीच पर होटलों के निर्माण के लिए वन भूमि का प्रयोग	अक्तूबर, 1994	– वही –
51.	महानदी कोयला क्षेत्र लि. के तलचर कोयला खान के खनन पट्टे के लिए वन भूमि का प्रयोग	नवम्बर, 1994	– वही –
52.	कोरापुट जिले में तेलनगिरी एमआईपी का निर्माण	जनवरी, 1995	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
53.	दुबरी जिले में मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लि, द्वारा स्टील प्लांट का निर्माण	दिसम्बर, 1994	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
54.	कटंकाजर एम.आई.पी.	फरवरी, 1994	कार्रवाई चल रही है।
55.	बोनल वन विभाग में मैसर्स सन्एलाय और मिनरल लिमिटेड द्वारा खनिज अयस्कों का खनन	फरवरी, 1995	- वही -
56.	अम्खाल नाला एम.आई पी. का निर्माण	फरवरी, 1995	- वही -
	पंजाब		
57.	पशुचिकित्सा कालेज की स्थापना	जनवरी, 1995	- वही -
	राजस्थान		
58.	सरिसका राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित गांवों और गुडा के लिए स्थान निर्धारण और पुनर्वास	अगस्त, 1994	- वही -
59.	उदयपुर जिले में गोंगुवा गोगरोड से 33 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
60.	पावरग्रिड कार्पोरेशन लि. द्वारा उदयपुर तथा चित्तोड़गढ़ जिले से होती हुई 220 कि.वा. की आर ए पी पी उदयपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
61.	पावरग्रिड कार्पोरेशन द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में 220 कि.वा. की आरएपीपी अन्तर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
62.	220 कि.वा. की आर ए पी पी चित्तोड़गढ़ ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
63.	चित्तोड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों में 220 कि.वा. की आरएपीपी चित्तौड़गढ़ ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
64.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में 220 कि.वा. की आरएपीपी उदयपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
65.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 220 कि.वा. की आर ए पी पी अन्ता, ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	- वही -
	सिक्किम		
66.	फील्ड फायरिंग रेंज "जी"	नवम्बर, 1994	- वही -
67.	उत्तरी सिक्किम मे कलॉप से सड़क हेतु वन भूमि का प्रयोग गियार्कोंग सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण	फरवरी, 1995	- वही -
	तमिलनाडु		
68.	100 कि.वा. लाइन पेरियार के लिए वन भूमि का प्रयोग	अप्रैल, 1994	- वही -
69.	मदुराई जिले में कोडीकनाल गोल्फ क्लब को वन भूमि के पट्टे का नवीनीकरण	अगस्त, 1994	- वही -
	उत्तर प्रदेश		
70.	पोटेटो डिशेनस्ट्रेशन फार्म	जनवरी, 1994	- वही -
71.	तवाघाट जबती मोटर रोड का निर्माण	मार्च, 1994	23.2.95 में एसीएम में विचार किया गया।
72.	ए.एम. लिमिटेड खनन पट्टे का नवीनीकरण	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।

महानगरों में उपनगरीय रेलगाड़ियां

*113. **श्री दत्ता मेघे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, दिल्ली एवं अन्य महानगरों में व्यस्त समय के दौरान दैनिक यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए विद्यमान उपनगरीय रेलगाड़ियों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेहतर उपनगरीय रेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग).

1. बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में ई.एम.यू. उपनगरीय गाड़ियां चलाने के लिए प्रणाली की क्षमता का संतृप्तता स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। मौजूदा क्षमता की तुलना में व्यस्त दिशा में व्यस्त अवधि के दौरान चलाई जा रही ई.एम.यू. गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है :—

नगर	व्यस्त अवधि के दौरान क्षमता	व्यस्त अवधि के दौरान गाड़ियों की संख्या
बम्बई	411	410
कलकत्ता	188	184
दिल्ली	28	28
मद्रास	165	163

2. बेहतर उपनगरीय रेल सेवाओं की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. गाड़ियों की संरचना में वृद्धि करके उन्हें 9 सवारी डिब्बों से 10/12 सवारी डिब्बों वाली बनाना।
2. 1994-95 के दौरान 11 अतिरिक्त ई.एम.यू. रेक चलाए गए हैं।
3. 1995-96 के दौरान 39 अदद ई.एम.यू. रेकों के प्रापण की योजना है। इनमें से बम्बई के लिए 16 रेकों की योजना है। शेष 23 ई.एम.यू. रेक दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता को आवंटित किए जाएंगे। अनंतिम योजना के अनुसार 5 रेकों को बदलाव के लिए और शेष रेकों को ई.एम.यू. स्टाक की मौजूदा 9 यान वाले रेकों की संरचना में वृद्धि करके उसे 10/12 यानों का रेक बनाने के लिए जहां व्यावहारिक हो अतिरिक्त सेवाएं चलाने के वास्ते उपयोग में लाया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य

*114. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किये जाने की उचित व्यवस्था करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजट में कृषि विकास हेतु आवंटित राशि में से कितनी प्रतिशत राशि अनुसंधान कार्य के लिये नियत की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) उक्त अवधि के दौरान असिंचित भूमि से औसत पैदावार को बढ़ाने हेतु किये गये अनुसंधान कार्य का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) धनराशि का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय बजट (योजना) योजना	कृ.अनु.शि., विभाग/भा.कृ.अन. परिषद के लिए केन्द्रीय बजट (योजना)	समग्र कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए कृ.अनु. शि. विभाग/भा. कृ.अनु.परिषद को किये गये आवंटन का %
		(रु. करोड़ में)	
1991-92	1857.85	190.00	10.23%
1992-93	1879.27	200.00	10.64%
1993-94	2435.83	250.00	10.26%

(घ) जी, नहीं। आवंटित धनराशि का उपयोग संतोषजनक है।

(ङ) निम्नलिखित तरीके से इसका उपयोग किया गया है :—

	कृ.अनु.शि. विभाग, भा. कृ. अनु. परिषद को केन्द्रीय बजट का आवंटन (योजना)	कृ.अनु. शि. विभाग, भा.कृ. अनु. परिषद का व्यय (योजना) (रु. करोड़ में)	उपयोग का प्रतिशत
1991-92	190.00	163.24	85.92%
1992-93	200.00	176.02	88.01%
1993-94	250.00	233.31	93.32%

(च) जैसा विवरण में संलग्न है।

विवरण

असिंचित भूमि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सफल अनुसंधान

भा.कृ.अ.प. के अनुसंधान कार्यक्रमों में असिंचित भूमियों की कृषि पर अधिक जोर दिया जाता है। उनका क्षेत्रवार परिणाम निम्न प्रकार है :

बारानी क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों में जारी की गई फसल की किस्में/संकर किस्में

फसल	किस्म	उगाए जाने वाले क्षेत्र
1	2	4
चावल	हीरा	उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल
	सी.आर. 1002	उड़ीसा, बिहार और उत्तर-पूर्वी राज्य
	नरेन्द्रधान-97	उत्तर प्रदेश
	पी.एन.आर-381	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु
	नरेन्द्रधान-359	उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार
गेहूं	एच.एस.-277	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र
	एच.एस.-295	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र
	एच.पी.डब्ल्यू-42	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र
	पी.बी.डब्ल्यू-299	उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र
ज्वार	पी.के.वी-400 (एस.पी.वी.-860)	महाराष्ट्र
	पलयूर	तमिलनाडु के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भाग
	सी.जे.-38	दक्षिणी गुजरात
	सी.एस.वी.-15 (एस.पी.वी.-946)	उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र
	एस.एस.वी.-84	सभी खरीफ ज्वार उगाने वाले क्षेत्र
	एच.ई.एस.-4	महाराष्ट्र
	एस.पी.एच.-388	महाराष्ट्र
	सी.एस.एच.-14	सभी खरीफ ज्वार उगाने वाले क्षेत्र
	सी.एस.एच.-13-आर	सभी रबी ज्वार उगाने वाले क्षेत्र
	के-10	दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु
	सी.एस.वी-14-आर	सभी ज्वार उगाने वाले क्षेत्र
मक्का	डेक्कन-107	सम्पूर्ण भारत
	डेक्कन-109	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ी, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में खरीफ मौसम में।
	महिकंचन	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात।
	मेघा	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मैदानी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात।

1	2	3
बाजरा	एच.एच.बी-67	हरियाणा, राजस्थान और गुजरात
	राज-171	सम्पूर्ण भारत विशेषकर राजस्थान के लिए
	पूसा-322	सम्पूर्ण भारत
रागी	वी.एल-124	उत्तर प्रदेश की पहाड़िया
	वी.एल.-149	तमिलनाडु को छोड़कर सम्पूर्ण भारत
	ए-104	बिहार और उत्तर प्रदेश
कोदो मिलेट	जी.पी.यू.के-3	सभी कोदो मिलेट उगाने वाले क्षेत्र
प्रोसो मिलेट	एल-5224 (नागार्जुना)	आन्ध्र प्रदेश
	एल-1387(सागर)	आन्ध्र प्रदेश
	भावना	उत्तर प्रदेश और बिहार
सावां	के.ई-12 (चन्दन)	उत्तर प्रदेश के मैदानी
	वी.एल.-21	उत्तर प्रदेश के मैदानी
	वी.एल-29	सम्पूर्ण भारत
कंगनी	एस-114(निशाद)	उत्तर प्रदेश
	ए.के-13सी-1	आन्ध्र प्रदेश
चना	जेजी-74,आर.एस.	मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार
	जी-44	पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
	ई.एस.-372	
	सदाबहार,	उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध प्रदेश, तमिलनाडु और
	आई.सी.सी.वी-10	केरल।
	उदय (के.पी.जी.-59)	हरियाणा, पंजाब, उत्तर राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार
अरहर	जवाहर अरहर-4,	मध्य प्रदेश
	आई.सी.पी.एल-87119	पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र
	पूसा-9	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल
	पारस(एच-82-1)	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान
मूंग	आर.एम.जी.-62	राजस्थान
	बी.एम.-4	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात
	एम.यू.एम-2	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
	एम.एच.-88-III	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
उड़द	टी.पी.यू-4	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात
	एल.बी.जी.-402	पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक।
	डब्ल्यू.बी.यू.-108	पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक।

1	2	3
मटर	जवाहर मटर-6	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
	जे.पी-885	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड
	के.ई.पी-103	उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
मसूर	जे.एल-1	मध्य प्रदेश
	सपना	पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान
	पंत मसूर-4	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल
	शिवालिक (लैन्स-4076)	हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां
राजमा	मालविया राजमा	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम
	एच.पी.आर-35	महाराष्ट्र
अरंडी	डी.सी.एस.-9	आन्ध्र प्रदेश का बारानी क्षेत्र, तमिलनाडु और कर्नाटक
	एस.के.आई.-73	सभी अरंडी उगाने वाले क्षेत्र
कुसुम	बी.एस.एफ-168-4	महाराष्ट्र
रामतिल	जी.ए-1	उड़ीसा
	जी.ए-10	उड़ीसा
तौरिया सरसों		
तौरिया	टी.एच-68	देश के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र
सरसों	आर.एच-781	हरियाणा
	आर.एच.-819	उत्तर-पश्चिमी भाग के बारानी क्षेत्र
	आर.एल.-1359	उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र
	जी.एम-1	गुजरात
कपास	सी.एन.एच-36 (हिरसूतम किस्म)	पश्चिमी महाराष्ट्र
	सी.डी.एच.बी-1	दक्षिणी क्षेत्र
	सी.डी.एच.बी-2(संकर)	
	एन.जी.एम.एस.एच-5	
	एन.जी.एम.एस.एच-59	
गन्ना	सी.ओ.-94003	उड़ीसा और बिहार
	सी.ओ-94012	
तम्बाकू	वर्जिनिया तम्बाकू-1158	आन्ध्र प्रदेश
	सी.एम-12(के.ए)	
	रस्टिका किस्म गुजरात	मध्य गुजरात
	कलकत्ता तम्बाकू-2 चबाकर खाने वाली किस्म- वैशाली स्पेशल	बिहार
	बर्ली किस्म वैंकट ए-1	आन्ध्र प्रदेश

बागवानी

फल :

देश के प्रमुख भागों में असिंचित स्थिति में बारानी खेती के रूप में मुख्यतः आम, अमरूद, बेर, अनार, शरीफा, आंवला, बेल जैसी फलों की फसलें उगायी जाती हैं। आम की अर्का (उच्च सघनता के रोपण के लिए उपयुक्त), अर्का पुनीत (गुदार रेशा रहित) तथा अर्का अनमोल (देर तक रखने की नजर से अच्छी) नामक तीन आशाजनक संकर किस्में तथा अमरूद की अर्का "मृदुला" तथा अर्का अमूल्य नामक दो उन्नत किस्में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा जारी की गयी हैं। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी में रूसी कल्टीवर्स के साथ जारी की गयी अनार की "गणेश" नामक व्यावसायिक किस्म के संकरण के जरिये अनार की 15 आशाजनक किस्में विकसित की गई हैं। गोला तथा कैथाली नामक बेर के कल्टिवर्स दक्षिण भारतीय (आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु) की स्थितियों के लिए आशाजनक पायी गयी हैं। आंवले की (एन.ए.7, एन.ए-10) तथा बेल की (एन.ए-5 तथा एन.ए-9) अधिक उपज देने वाली उत्कृष्ट किस्मों का नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा पता लगाया गया है। बेहतर फसल होने के कारण किसानों ने इन्हे तरजीह दी है। बेर तथा अनार जैसी शुष्क क्षेत्रों के लिए जारी की गयी फलों की किस्मों की खेती महाराष्ट्र राज्य में व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है।

तटवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश में अल्फान्सों, रत्ना, केसर नामक आम की किस्मों में जल्दी फूल आने और बेहतर उपज के लिए एक भरोसेमन्द टेक्नोलाजी विकसित की गयी है। आम के पेड़ के लिए उसकी जड़ों की मिट्टी में 5 ग्राम पैकलोबुट्राजोल (कल्टर) डालने की सिफारिश की गई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेर में कांट-छांट की क्रियाओं को मानकीकृत किया गया है, फिर भी तमिलनाडु में मार्च तक तथा महाराष्ट्र में अप्रैल तक कटाई-छंटाई के लिए बेहतर समय माना गया है। अतः इस समय तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के अन्नतपुर में शरीफे (कस्टर्ड एप्पल) में मार्च के महीनें में पौध की बढ़वार के समय उसकी नरम टहनी में ग्राफ्टिंग करना संवर्धन की नजर से ज्यादा मुफीद पाया गया है।

आलू :

पहाड़ियों में आलू की केवल 10 प्रतिशत फसल ही सिंचित स्थितियों में उगायी जाती है। इस क्षेत्र के लिए ओ.बी/ए 9-120 नामक आलू की एक संकर किस्म विकसित की गई है जो काफी आशाजनक है और इसकी उपज क्षमता 246 क्विंटल प्रति हैक्टर है और यह काफी हद तक पछेती अंगमारी रोग की प्रतिरोधी भी है। आलू की डी/79-42 नामक दो अन्य संकर किस्में कृषिकोष गोलकृमि तथा पछेती अंगमारी रोगों की बहुत प्रतिरोधी हैं, जो अच्छी उपज भी देती है। ये नीलगिरी पहाड़ियों के कृषिकोष-गोलकृमि रोग से प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।

पछेती अंगमारी रोगों के रासायनिक नियन्त्रण के उपायों तथा जीवाणु मुरझान रोग के नियन्त्रण के लिए कृषि पद्धतियों को मानकीकृत किया गया है तथा प्रति एकड़ क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसकी सिफारिश की गई है। लाइन एम.एस.टी-1 नामक उन्मुक्त परागित वास्तविक आलू के बीज (ट्रू.जी.एस) का पता लगाया गया है, जिसकी उपज-क्षमता 365 क्विंटल प्रति हैक्टर है।

कंदवर्गीय फसलें :

पकाने की नजर से अच्छी तथा 50-54 टन प्रति हैक्टर उपज-क्षमता वाली कसावा की दो संकर किस्में विकसित की गई, जो केरल राज्य के लिए मुफीद पाई गई हैं। सी-1-649, सी-1-731 तथा सी-1-732 नामक कम समय में पकने वाले कसावा के तीन कल्टीवर्स विकसित किये गये हैं, जिनकी फसल 6-7 महीनों में काटी जा सकती है। विभिन्न स्थानों पर इनके परीक्षणों द्वारा इनकी उपयोगिता की जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश के लिए "किरण", उत्तरी बिहार के लिए "राजेन्द्र शकरकन्द-47" तथा उड़ीसा के लिए "भुवनगोरी" नामक शकरकन्दी की तीन किस्मों का पता लगाया गया है जिन्हे शीघ्र जारी किया जाएगा।

रतालू की श्री कला (लेसर याम) नामक किस्म केरल राज्य के लिए जारी की गयी।

काजू :

पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू की चार किस्में जारी की गयीं। इनमे असिंचित स्थितियों में केरल के लिए एक, कर्नाटक के लिए दो तथा उड़ीसा के लिए एक किस्म शामिल है।

बारानी कृषि में प्रमुख उपलब्धियां :

बारानी कृषि पर अनुसंधान की दिशा मे निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है :- कृषि मौसम विज्ञान, वर्षा जल-प्रबन्ध, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों तथा फसल प्रणालियों का पता लगाना, फसल सुधार तथा प्रबन्ध, समाकलित पोषण-प्रबन्ध, खेती के कारगर औजारों की डिजाइन तथा उनकी जांच और सीमान्त भूमियों से अनुकूलतम उत्पादकता के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली का पता लगाना।

वर्षा जल प्रबन्ध-स्थापात्रे नमी संरक्षण :

असामान्य वर्षा को ध्यान में रखते हुए, बारानी कृषि में वर्षा के जल के संरक्षण की टेक्नोलॉजी का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इनमें मौसम से

पहले जुताई, गहरी जुताई, समय से फसलों की बुआई तथा स्वपात्रे नमी संरक्षण क्रियाएं शामिल हैं। स्वपात्रे नमी-संरक्षण तथा विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के परे इनकी उपयुक्तता को तालिका में नीचे दिया गया है।

वर्षा पद्धति (मी.)	अनुशंसित भूमि उपचार	पैदावार का लाभ
शुष्क (500)	फसल उगाये गये तथा फसल न उगाये गये क्षेत्रों के 1:1 के अन्तःभूखण्ड में जलसंग्रह 3.6 मी. अन्तरालों पर डैड कूंद	जोधपुर में बाजरे में 50 प्रतिशत अनन्तपुर में मूंगफली में 10 प्रतिशत
अर्ध शुष्क (500-1000)	ढाल के ऊपर बुआई करना तथा में उसमें मेंड़ बनाना	हैदराबाद में ज्वार में 10 प्रतिशत
	संरक्षित मृदा नमी में फसलों को बढाने के लिए उप खण्ड संबंधी बोध	सोलापुर में रबी ज्वार में 25 प्रतिशत
	कन्टूर खेती (कन्टूर के साथ खेती तथा बुआई)	बेल्लारी में रबी ज्वार में 35 प्रतिशत
	चौड़े पलवार तथा कूंड (जहां पानी की निकासी की समस्या हो)	अकोला में ज्वार में 26 प्रतिशत
उप आर्द्र	अन्तःभूखण्ड जल संग्रह	देहरादून में मक्का में 17 प्रतिशत, धान में 21 प्रतिशत

विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल प्रणालियां

फसल तथा किस्मों और फसल पद्धति के उपयुक्त चयन के साथ समय से खरपतवार नियन्त्रण और पोषण प्रबन्ध की समाकलित क्रियाओं के जरिये किसानों को इस समय प्राप्त लाभ के मुकाबले पक्की तौर पर 100 प्रतिशत या उससे अधिक लाभ मिल सकता है। अधिक फसल पैदावार प्राप्त करने को सुनिश्चित करती है। मिट्टी के प्रकार, वर्षा तथा उगाने वाले मौसम की अवधि पर फसल-प्रणालियां निर्भर करेंगी।

वर्षा (मी.मी)	व्यापक मृदा ग्रुप	उगाने वाला मौसम (सप्ताहों में)	सुझायी गयी फसल-प्रणालियां
600	अल्फीसोल्स शैलो	20	वर्षा वाला मौसम एक फसल (बाजारा, ज्वार, अरहर, मूंगफली)
	वर्टीसोल्स		अरंडी
600-800	अल्फीसोल्स	20-30	अन्तःफसल अरहर+ज्वार अरहर+बाजरा
	वर्टीसोल्स		मूंगफली+तिल
800	वर्टीसोल्स	30	दोहरी फसल
	अल्फीसोल्स		बाजरा-मूसर अथवा चना ज्वार-मसूर अथवा चना अरहर-जौ अथवा चना

वैकल्पिक उपयोगों के लिए सीमान्त भूमियों का इस्तेमाल :

अध्ययनों से पता चला है कि फसल की पसंद और उसकी उत्पादन क्षमता पर मृदा की गहराई का काफी प्रभाव होता है। कम गहराई वाली सीमान्त भूमियों में ज्वार, अरहर और अरंडी जैसी प्रमुख बारानी फसलों से बहुत ही कम पैदावार प्राप्त होती है। ऐसी जमीनों को कृषि-बागवानी एवं वन-चारागाह आदि जैसे वैकल्पिक भूमि उपयोग के लिए इस्तेमाल में लाना लाभदायक पाया गया। भूमि उपयोग के ऐसे अनेक विकल्पों का अल्फीसोल्स एवं वर्टीसोल्स के लिए विकास किया गया, जहां विभिन्न मात्राओं में वर्षा होती है - उदाहरण के लिए :

* ल्यूकेइना+ सेन्क्रस को शामिल करने से वन-चराहगाह पद्धति कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमान्त लाल मिट्टियों के लिए कम खर्चीली - और अधिक लाभप्रद पाई गई।
* जबकि अनार और बेर को शामिल करने से कृषि-बागवानी पद्धति महाराष्ट्र और कर्नाटक के कम नमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त पाई गई। लेकिन अधिक लाभ के लिए पूरक सिंचाई आवश्यक है।

देश के विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए मॉडल जलसंभरों के इस्तेमाल से फसल की पैदावार में पर्याप्त वृद्धि हुई। देश के विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संसाधनों में सुधार होने से फसल की पैदावार में काफी वृद्धि हुई। जल संसाधनों में सुधार तथा अनेक फसलों की पैदावार की स्थिरता को, जिससे अनेक किसानों को लाभ मिला, जलसंभर कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस अनुभव से स्पष्टरूप से यह पता चला कि इसकी सफलता के लिए बारानी टेक्नोलाजी के अन्तर्गत जल संरक्षण, उन्नत फसल-पद्धति और संसाधन प्रबन्ध के समेकित पैकेज को शामिल करना आवश्यक है। जब इन सभी पैकेजों को एक साथ कार्यान्वित किया जाता है तो इससे

पैदावार में पर्याप्त वृद्धि होती है जैसा कि आंध्र प्रदेश के चवेल्ला जल संभर के अनुभव से स्पष्ट है।

चवेल्ला (मेडक) के अन्दर एवं बाहर वाले जलसंभर क्षेत्रों में फसलवार पैदावार की तुलना

फसल	अनाज (किलो./हैक्टे.)		प्रतिशत वृद्धि
	अन्दर	बाहर	
मूंग	744	312	138
उड़द	289	फसल नहीं हुई	-
स्थानीय ज्वार	576	504	14
सूरजमुखी	596	282	111
मूंगफली	321	269	19

जलसंभर कार्यक्रम के पहले फसल की जो गहनता 80 प्रतिशत थी वह इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के 5 वर्षों के अन्दर बढ़कर 120 प्रतिशत हो गई। ऐसा जल भंडारण क्षेत्र में वृद्धि करके अतिरिक्त जल संसाधन उपलब्ध कराने के कारण हुआ। इससे न केवल पैदावार में सुधार हुआ तथा समग्र सस्य गहनता में वृद्धि हुई बल्कि इससे उत्पादन में स्थिरता आई जो इस कार्यक्रम का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था।

विघटित जमीनों में सुधार के लिए 4:4 मिलियन स्केल पर 13 राज्यों के मृदा संसाधन मानचित्र, 9 राज्यों के भूमि संसाधन एटलस(भू-चित्रावली) तथा देश में मृदा विघटन के मानचित्र जारी किए गए। इसी तरह नियोजन संरक्षण उपायों के लिए 1:250,000 के स्केल पर पश्चिम बंगाल का मृदा-कटाव मानचित्र तथा गुजरात के लवण प्रभावित मिट्टियों(लवणीय/क्षारीय) का मानचित्र तैयार किया गया है। आई.एस.ओ.-क्षरण मृदा मानचित्र भी तैयार किए गए हैं।

समेकित पौध-पौषण :

अध्ययनों से स्पष्ट रूप से यह पता चला कि अधिक पैदावार वाली किस्मों में गहन सस्य पद्धति के साथ मिट्टियों की स्थिरता (टिकाऊपन) के लिए जैविक और रासायनिक उर्वरकों का एक साथ इस्तेमाल आवश्यक है।

पोषण प्रबन्ध :

शुष्क क्षेत्रों की बलुई मिट्टियों में फसल की पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन इसके लिए कम्पैक्शन तकनीकों तथा फसल अवशिष्ट प्रबन्ध तकनीकों को अपनाकर जल और नाइट्रोजन के गहन रिसाव को कम करना होगा।

फास्फोरस का संघटन :

रॉक फास्फेट के साथ जैविक खादों को मिलाकर जैविक सामग्री यानी घूरे की खाद की उपयोगिता में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जा सकती है। इस तकनीक द्वारा फास्फोरस मिलाकर कम्पोस्ट खाद की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है।

जैव-उर्वरक :

वी.ए.एम. माइकोर्हिजा अधिक चूनेदार मिट्टियों में फास्फोरस (पी) की उपलब्धता बढ़ाने में कारगर पाया गया है।

जलसंभर प्रबन्ध :

विभिन्न क्षेत्रों में जल संभर-प्रबन्ध पर किये गये व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं से पता लगता है कि जलसंभरों के जरिये वर्षा के पानी को इकट्ठा करने से पानी की तो उपलब्धता बढ़ ही जाती है, उसका उत्पादकता पर भी वांछित प्रभाव पड़ता है। इसके जरिये पानी को बेकार बह जाने से बचाया जा सकता है और मिट्टी को होने वाला नुकसान भी कम हो जाता है। इस दिशा में वर्टिसोल्स (फट जाने वाली मिट्टी) पर क्रमशः बांध भी कारगर सिद्ध हुए हैं।

मध्य प्रदेश के नम और शुष्क नम क्षेत्रों में वर्षा के पानी का संरक्षण/टैंकों अथवा क्यारियों और कूंडों में संग्रह करने से न केवल बेकार बहकर जाने वाले पानी की बचत होती है, मिट्टी के क्षरण से होने वाला नुकसान भी कम होता है। यही नहीं, इससे फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। बैंच टेरेस से 152 प्रतिशत तक पैदावार बढ़ी।

30-70 प्रतिशत तक ढलान वाली खानों की मिट्टियों में वनस्पति उगा कर लगायी गयी रोक (वैरियर) को सहारा देने के लिए जिओं-जूट का प्रयोग संरक्षण का कारगर उपाय है।

रेत के टीलों को स्थिर बनाये रखने के लिए एक तकनीकी विकसित की गयी है, ताकि रेत के टीलों को स्थिर रखा जा सके तथा रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जा सके।

फार्म उपस्कर और मशीनरी :

बारानी खेती के लिए खेती के अनेक औजार विकसित किए गए हैं, जो नीचे दिए गए हैं :—

(i) जुताई यंत्र : कम भार का पशुचालित यंत्र का ढांचा।

(ii) बुआई -क्रीडा का पशु चालित हकहरी कतार में बीज एवं उर्वरक डालने वाला यंत्र जिसे देशी हल में लगाया जा सकता है, सी.आई.ए.ई. का पशु-चालित मूंगफली लगाने वाला यंत्र (प्लांटर), पशु चालित मालवीय बीज एवं उर्वरक ड्रिल।

(iii) अन्तः फसलक्रिया के यंत्र : हाथ से चलाये जाने वाला, खरपतवार निकालने वाला यंत्र (व्हील-हो-वीडर), मूंगफली और मंडुआ के लिए पावर-टिलर के साथ जुड़ा इन्टर-कल्चर।

(iv) कटाई यंत्र : मंडुआ, कुसुम और खाद्यान्नों की कटाई के लिए वर्टिकल कन्वेयर-रीपर। पशु चालित मूंगफली खुदाई यंत्र।

(v) गहाई यंत्र : सी आई ए ई - सोयाबीन, मक्का, अरहर, चना, सरसों, गेहूं आदि के लिए बहु-फसली गहाई यंत्र

(थ्रेशर) । ए.पी.ए.यू. का गीली फसल के लिए पावर से चलने वाला मूंगफली के दाने निकालने वाला ड्रम, जो कि तार के लूप की तरह का होता है।

(vi) बारानी क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया एक ड्रिल हल और दूसरे बुआई के यंत्रों का व्यापक रूप से परीक्षण किया गया और उसे उपयुक्त पाया गया। अब इनमें से कुछ को वितरण के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है।

बारानी क्षेत्रों में पशुधन उत्पादन :

आनुवंशिक स्रोत मूल्यांकन :

देश के बारानी क्षेत्रों में व्यापक पशु, आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध हैं। यह अनेक प्रजातियों और प्रजातियों की विभिन्न नस्लों से भी सिद्ध होता है। आकृति से संबंधित गुणों, उत्पादन, पुनरोत्पादन और हरियाणा, राठी गाय, मुर्रा और सूरती भैंसों, चोकला, नली, मालपुरा और मारवाड़ी भेड़ों और जमुना पहरी और सिरोही बकरिओं के कोशिकानुवंशिकी प्रोफाइल सहित बढ़वार पैरामीटर पूरे कर लिए गए हैं। अनेक मोजोग्राफ भी प्रकाशित किए गए हैं।

चयन और सुधार :

गाय :

हरियाणा, अंगोला, गिर और साहीवाल में सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए, जोकि सन्तति-परीक्षण के माध्यम से किया गया और उनके दूध-उत्पादन में परीक्षित सांढ़ों के प्रयोग से काफी सुधार हुआ है। इसी तरह मुर्रा और सुरती भैंसों के सुधार कार्यक्रम भी चल रहे हैं। गायों और भैंसों के लिए परीक्षित और दूसरे युवा उत्कृष्ट सांडों का वीर्य विकासशील एजेन्सियों को बांटा जा रहा है।

भेड़ :

ऊन उत्पादन के क्षेत्र में बढ़िया क्वालिटी के चोकला, मारवाड़ी और नाली भेड़ों का चयन किया गया। इनका चयन इन्डेक्स के आधार पर किया गया है जिसमें ऊन का उत्पादन और 6 महीने की आयु में शरीर का भार का प्रयोग किया जा रहा है। चोकला भेड़ से 2.9 कि.ग्रा. औसत ऊन मिली जबकि नाली और मारवाड़ी भेड़ से 1.5 और 1.1 कि.ग्रा. ऊन वर्ष में 2 बार ऊन काटने पर मिली। भेड़ों के आधार पर इन नस्लों में व्याने का प्रतिशत 75 से 85 प्रतिशत है और उनमें से 94 प्रतिशत जीवित रहते हैं। इनमें मज्जा(मेडुलेशन) 40 से 73 प्रतिशत होती है। प्रति किलो ऊन की औसत लागत पारिवारिक श्रम को जोड़कर व घटाकर क्रमशः 17-23 और 9-12 रु. के बीच है। प्रति कि.ग्रा. मटन (मांस) की लागत पारिवारिक श्रम को जोड़कर व घटाकर 15 और 7 रु. है। बढ़िया ऊन के लिए नये भारत मेरीनो भेड़ को इंडेक्स चयन द्वारा सुधारा जा रहा है। इससे वर्ष में 2.9 कि.ग्रा. ऊन का उत्पादन मिलता है और व्याने की दर 95 प्रतिशत है और भेड़ों के आधार पर 12 प्रतिशत जुड़वां बच्चे (टिवनिंग) पैदा कराए जाते हैं। मारवाड़ी भेड़ों की नस्लों की दो प्रजातियां हैं, एक तो मज्जा तैयार करने के लिए चुनी गई है और दूसरी ऊनी फसलीय भार के लिए तैयार की गई है। मज्जा तैयार करने (मेडुलेशन) के लिए चुनी गई किस्म ऊन की क्वालिटी को सुधारने के साथ-साथ कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कारगर पाई गयी।

बकरी :

जमुनापारी, बारबरी, मारवाड़ी और सिरोही बकरियों में दूध और अधिक बढ़वार दर के लिए चयन कारगर पाया गया। अधिक खिलाई किए गए नर मेंमनों का 6 महीने में शरीर भार 17.5 कि.ग्रा. हो गया। जमुनापारी का औसत दूध उत्पादन 140 दिन में 124 कि.ग्रा. था। यह बारबेरी और सिरोही से काफी अधिक था। जमुनापारी माद्दा बकरी ने 38 प्रतिशत और । प्रतिशत तीन-तीन बच्चे दिए ।

ऊंट :

ऊंट के मामले में बीकानेरी, जैसलमैरी और काच्छी ऊंटों के सुधार का कार्य चल रहा है। बिना पूरक आहार दिए काच्छी नस्ल में 10 महीने के दुग्ध काल के दौरान दूध का उत्पादन 2.2 से 5.4 कि.ग्रा. प्रतिदिन रहा। 16 पोलीमार्फिक सिस्टम के लिए रक्त प्रोटीन/एन्जाइम बनाने वाले जीनों पर अध्ययनों में ऊंट में किसी भी प्रोटीन/एन्जाइम पद्धति के लिए कोई विविधता रिकार्ड नहीं की गयी। प्रारंभिक खोजों से पता चलता है कि ऊंट के दूध में दूसरी प्रजातियों के दूध के मुकाबले अधिक संख्या में लेक्टोफेरीन्स पाए जाते हैं।

घोड़े :

उच्चकोटि के विदेशी गदहे के जर्मप्लाज्म के एक नामिक समूह का निर्धारण किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली का उपयोग करके इनका सफलतापूर्वक प्रजनन किया जाता है। इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा समय से पहले गर्भाधान कराया जाता है। घोड़ों के इन्फ्लुएंजा बीमारी के लिए एक कम लागत की टीका तैयार की गई है। इसे तैयार करने के लिए देसी ए/इम्बीजेड/लुधियाना/87 (एच.3 और 8) के आइसोलेट को विकसित करके उसकी जांच की गई है। अब यह व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार है।

मुर्गी पालन :

मुर्गियों के मामले में व्यावसायिक आई एल-80 ने हेसराघट्टा में 22 वें रैंडम सेम्पल टेस्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अधिक उत्पादन एवं भूरा (ब्राऊन) अंडा देने वाली मुर्गियां व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दी गई हैं। चयन के अन्तर्गत मुर्गी की विशुद्ध नस्ल की प्रजातियों में मुर्गीघर (हेन हाऊस) में अंडा देने में 2-10 दिनों का सुधार पाया गया है।

मछली पालन :

(I) प्रमुख कार्प मछली का प्रजनन बिना मौसम के प्रभाव के स्वतंत्ररूप से वर्ष के दौरान फरवरी से सितम्बर तक कराया जा सका। एक प्रजनन मौसम के दौरान कटला का 10 गुना ज्यादा प्रजनन संभव हो सका है।

(II) कार्प झींगों (फ्राई) को पालने के लिए टैक्नोलाजी को मानकीकृत किया गया है जिसमें इन्टेन्सिव एक्वाकल्चर के

द्वारा 10 मिलियन/है. के हिसाब से उन्हें पाला गया। कुल स्टाक में से 80 प्रतिशत जीवित रहीं।

(III) कम्पोजिट कल्चर और बहु-प्रजातियों के पालन के माध्यम से भारत की प्रमुख कार्प मछली और चाइनीज़ कार्प की 17 टन है./वर्ष की दर से उत्पादकता का प्रदर्शन किया गया।

(IV) ताजे पानी के मछलियों के तालाबों में उन्हें पाल कर लेमिलीडेन्स में सीपियों के पालने की टैक्नोलाजी का मानकीकरण किया गया।

(V) निर्यात के लिए जाइन्ट गार्डेन स्नेल के प्रजनन और उसके पालन की टैक्नोलाजी को परिष्कृत करना।

(VI) गैर परम्परागत मछली की प्रजातियों जैसे हवा में सांस लेने वाली क्लेरिआस बेटरेचूस(मागूर) हेटेशेन्यूस्टेस फोसीलस (सिंघी) और मुरेल को पालने की तकनीकों के विकास को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया।

[अनुवाद]

ईंधन-लकड़ी और चारा परियोजनाओं संबंधी स्कीम

*115. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 1994-95 में ईंधन-लकड़ी और चारा परियोजनाओं संबंधी स्कीम के निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या किसानों को वृक्ष/पौध मुफ्त दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). क्षेत्रोन्मुखी ईंधन-लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम 50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें ईंधन-लकड़ी और चारा वृक्षारोपण करने पर आई लागत बराबर-बराबर वहन करते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान ईंधन-लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के तहत् प्रदान की गई राज्य-वार धनराशि, निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों को बताने वाले विवरण I तथा II और 1994-95 के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण III संलग्न हैं।

(ग) और (घ). इस योजना का लक्ष्य, अविक्रमित वनों तथा आस-पास की भूमि का सुधार करके ईंधन-लकड़ी और चारे के उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना के तहत् संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय समुदाय, किए गए वृक्षारोपण से मिलने वाले वनोपज के लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम" के तहत् राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई केन्द्रीय सहायता			
		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (15/03/95 तक)
		(लाख रुपए)			
1.	आंध्र प्रदेश	209.17	–	40.00	39.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.30	14.43	8.83	7.50
3.	असम	118.64	95.97	119.84	94.01
4.	बिहार	326.69	75.00	454.32	–
5.	गोवा	3.15	5.32	6.15	6.26
6.	गुजरात	212.98	120.85	84.87	60.00
7.	हरियाणा	306.26	143.65	191.93	331.21
8.	हिमाचल प्रदेश	102.29	72.35	118.95	121.64
9.	जम्मू व कश्मीर	20.00	–	15.00	–
10.	कर्नाटक	286.12	139.80	192.98	87.50
11.	केरल	–	–	–	50.00
12.	मध्य प्रदेश	172.00	311.55	150.00	276.30

विवरण–II

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "क्षेत्रोन्मुखी ईंधन–लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम" के तहत् वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

(हेक्टेयर क्षेत्र)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां					
		1991–92		1992–93		1993–94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	3775	3292	2600	2532	2560	2624
2.	अरुणाचल प्रदेश	380	380	250	250	200	210
3.	असम	4200	4200	4800	4850	4600	4100
4.	बिहार	7378	7378	1950	1130	14000	14000
5.	गोवा	110	117	200	200	200	200
6.	गुजरात	4800	4286	3000	3000	2000	1876
7.	हरियाणा	7000	6608	4565	4565	7050	7070
8.	हिमाचल प्रदेश	2096	1999	1784	1841	2630	2718
9.	जम्मू व कश्मीर	690	445	325	-	551	
10.	कर्नाटक	4878	5520	5714	3341	3330	3320
11.	केरल	–	–	–	-	–	
12.	मध्य प्रदेश	11000	13882	13882	13605	9655	10140
13.	महाराष्ट्र	–	–	–		3850	2029
14.	मणिपुर	3200	3200	3500	3500	3500	3500
15.	मेघालय	2100	1459	1051	1051	1649	1649
16.	मिजोरम	10000	10335	12000	12000	12000	12000
17.	नागालैंड	–	–	399	प्रा.न.	600	450
18.	उड़ीसा	3880	3905	4500	4500	4500	4500
19.	पंजाब	3600	3600	3465	3465	3000	3000
20.	राजस्थान	4500	4500	7000	7000	450	450
21.	सिक्किम	905	951	1166	1166	1430	1430
22.	तमिलनाडु	4050	4604	2800	2828	2800	2805
23.	त्रिपुरा	3147	2935	3045	2906	1000	1080
24.	उत्तर प्रदेश	5574	5925	4080	4299	5152	2570*
25.	पश्चिम बंगाल	4540	3710	4540	4198	3460	3420
26.	दिल्ली	–	–	–			
	कुल	91803	93231	86616	82227	90167	85141

* रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण उत्तरांचल क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचित नहीं की जा सकी।

विवरण-III

वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना "क्षेत्रोन्मुखी ईंधन-लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम" के तहत् वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	900	45.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	280	14.00
3.	असम	2400	120.00
4.	बिहार	5000	250.00
5.	गोवा	160	8.00
6.	गुजरात	2400	120.00
7.	हरियाणा	3000	150.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2000	100.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1000	50.00
10.	कर्नाटक	3500	175.00
11.	केरल	1000	50.00
12.	मध्य प्रदेश	6000	300.00
13.	महाराष्ट्र	1300	65.00
14.	मणिपुर	2340	117.00
15.	मेघालय	2000	100.00
16.	मिजोरम	7000	350.00
17.	नागालैंड	800	40.00
18.	उड़ीसा	5200	260.00
19.	पंजाब	3500	175.00
20.	राजस्थान	5000	250.00
21.	सिक्किम	1320	66.00
22.	तमिलनाडु	2000	100.00
23.	त्रिपुरा	800	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	4000	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	2400	120.00
26.	दिल्ली	200	10.00
	रिज़र्व		125.00
	योग	65500	3400.00

अपस्थलीय (ऑफ साइट) आपात्कालीन तैयारी योजनाएं

*116. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे राज्यों में, जहां खतरनाक उद्योग स्थित हैं, अपस्थलीय (ऑफ साइट) आपात्कालीन तैयारी योजनाएं बनाने के लिए अध्ययन कराया है;

(ख) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों को रासायनिक पदार्थ-जनित आपदा से निपटने के लिए यह रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख मुद्दों पर अध्ययन कराया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। देश में 10 जिलों के बारे में अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों की रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

(घ) किए गए अध्ययनों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा स्थल बाह्य (ऑफ साइट) आपात् तैयारी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. रासायनिक आपात तैयारी, नियोजन और प्रतिक्रिया दुर्घटना नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है।
2. बड़ौदा और मुरादाबाद में स्थल-बाह्य आपात योजनाओं के प्रतिरूप परीक्षण किए गए हैं। शेष 8 जिलों में प्रतिरूप परीक्षण हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।
3. जिलों में वृहद् दुर्घटना इकाइयों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटों के न्यूनीकरण के संभावित तरीकों का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक पाकेटवार परिसंकट विश्लेषण नामक एक स्कीम बनाई और लागू की गई है।

(ग) दस जिलों नामतः बड़ौदा (गुजरात), मुरादाबाद (उ.प्र.), विशाखापत्तनम, (आंध्र प्रदेश), मंगलौर (कर्नाटक), कोटा (राजस्थान), थाणे और रायगढ़ (महाराष्ट्र), टूटीकोरिन-कुड्डालौर (तमिलनाडु), दुर्गापुर और मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के लिए आदर्श स्थल बाह्य आपात योजनाएं तैयार की गई हैं। रिपोर्ट दो खण्डों में हैं। पहले खण्ड में ऑन-साइट और ऑफ साइट योजनाओं में अंतराल का अभिनिर्धारण और तत्संबंधी सिफारिशें हैं, तथा दूसरा खण्ड क्षेत्र विशिष्ट योजना का है। क्षेत्र विशिष्ट योजना में अभिनिर्धारित वृहद दुर्घटना इकाइयों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटों का मूल्यांकन तथा सड़क और पाइपलाइन से परिसंकटमय रासायनों की ढुलाई शामिल है। इस खण्ड में आपातकालीन सहायता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, उनके कार्यों और दायित्वों का भी उल्लेख है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

*117. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों पर बुनियादी और अतिरिक्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या इन मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) अब तक यात्री सुविधाएं "मूल सुविधाएं" और "अतिरिक्त सुविधाएं" के रूप में वर्गीकृत की गई थीं। मूल सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल थीं :-

नियमित/फ्लैग स्टेशनों पर

1. समुचित बुकिंग व्यवस्था
2. प्रतीक्षालय
3. बेंच
4. रोशनी का उपयुक्त प्रबंध
5. पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था
6. भली प्रकार अनुरक्षित सतह वाले प्लेटफार्म
7. शौचालय और
8. छायादार वृक्ष

हाल्ट स्टेशनों पर

1. बुकिंग-एवं-प्रतीक्षा शेड
2. स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों की लंबाई के अनुरूप उपयुक्त लंबाई वाला पटरी की सतह वाला एक प्लेटफार्म
3. जहां रात्रि में गाड़ियां रुकती हैं वहां रोशनी की व्यवस्था
4. छायादार वृक्ष।

"मूल सुविधाओं" के अलावा दी जाने वाली सुविधाओं को "अतिरिक्त सुविधाओं" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और किसी स्टेशन पर "मूल सुविधाओं" की व्यवस्था करने के बाद "अतिरिक्त सुविधाओं" की व्यवस्था सतत आधार पर शुरू की गई थी जो इस स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा पर आधारित आवश्यकता, धन की समग्र उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की (ख) से (घ). इस मानदंड का सभी रेलों द्वारा एकसमान रूप से पालन किया गया है। बहरहाल, रेलों से संबंधित संसद की स्थाई समिति ने "मूल" और "अतिरिक्त" सुविधाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें मान ली गई हैं।

[अनुवाद]

शिक्षा में गैर-सरकारी सैक्टर की भागीदारी

*118. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षिक विकास कार्यक्रम में गैर सरकारी सेक्टर को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में गैर-सरकारी सेक्टर को भागीदारी की अनुमति दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तथा (ख). गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में सरकार की नीति का प्रतिपादन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में किया गया है, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्र समग्र रूप से शैक्षिक रूपांतरण, विषमताओं को कम करने, प्रारम्भिक शिक्षा के सुलभीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान इत्यादि के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए संसाधन सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व संभालेगा। इस नीति में सामाजिक रूप से सक्रिय दलों को शामिल करते हुए गैर सरकारी और स्वैच्छिक प्रयास को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है बशर्ते उनका उचित प्रबंधन हो। इसके लिए विशेषकर, स्वीकृत मानदण्डों और लक्ष्यों के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में निजी और स्वैच्छिक प्रयास की भागीदारी हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी।

गन्ने की खेती

*119. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में इस समय गन्ने की खेती कम क्षेत्र में की गयी है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कमी के क्या कारण हैं;

(ङ) इसका चीनी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले तीन वर्षों में गन्ने की खेती के क्षेत्र का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। 1994-95 के दौरान गन्ने की खेती का क्षेत्र 36.88 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है जो 1993-94 के 33.86 लाख हैक्टेयर तथा 1992-93 के 35.72 लाख हैक्टेयर से अधिक है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) वर्तमान वर्ष अर्थात् 1994-95 में गन्ने की खेती का क्षेत्र बढ़ जाने से गन्ने तथा चीनी का सम्भावित उत्पादन भी पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक होने का अनुमान है।

(च) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्पादकों को प्रोत्साहन देने तथा चीनी मिलों के लिये गन्ने की अधिक मात्रा मुहैया करने हेतु गन्ने के 1993-94 के 34.50 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में 4.60 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करके इसे उसके मुकाबले 1994-95 के लिए 39.10 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 1995-96 मौसम के लिये गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य भी अग्रिम तौर पर घोषित कर दिया गया है तथा इसे बढ़ाकर 42.50 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है जो 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध है।

विवरण

1992-93 से 1994-95 तक मुख्य राज्यों में गन्ने की फसल का क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-94 (अनन्तिम)
आन्ध्र प्रदेश	171.1	175.3	202.0
असम	39.9	35.8	48.0
बिहार	132.9	119.9	232.0
गुजरात	127.2	128.4	125.0
हरियाणा	134.0	111.4	141.0
कर्नाटक	261.5	244.5	215.0
केरल	6.2	5.6	8.0
मध्य प्रदेश	39.0	48.7	50.0
महाराष्ट्र	403.8	344.1	480.0
उड़ीसा	16.0	13.4	50.0
पंजाब	112.0	77.0	91.0
राजस्थान	24.3	20.6	19.0
तमिलनाडु	215.6	261.7	225.0
उत्तर प्रदेश	1857.5	1773.9	1774.0
पश्चिम बंगाल	15.4	10.3	10.0

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना

*120. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इस परियोजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग). सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन अप्रैल, 1995 से शुरू होना है।

(ख) इस परियोजना के ब्यौरे निम्नवत् हैं :—

1995-2000 की अवधि के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के दूसरे चरण का कुल परिव्यय 330 मिलियन अमरीकी डालर है। इस परियोजना का मुख्य बल अत्यंत प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र है और इसके तीन संघटक हैं (1) संस्थागत सहायता (2) परियोजना निवेश, और (3) तकनीकी सहायता।

संस्थागत संघटक की रूपरेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम की सहायता के लिए तैयार की गई है।

अपशिष्ट न्यूनीकरण पर ध्यान देते हुए प्रदूषण उपशमन और उत्पादन की स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने के लिए अलग-अलग फर्मों की उप-परियोजनाओं की सहायता के लिए निवेश संघटक बनाया गया है। साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की वित्त व्यवस्था तथा शोधन और पुनःचक्रीयण के लिए औद्योगिक बहिस्राव के साथ-साथ मलजल का उपयोग करने वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल पुनः चक्रीयण संयंत्रों के लिए निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों और औद्योगिक अपशिष्ट जल पुनः चक्रीयण संयंत्रों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी की संस्थापना, संस्थागत विकास नेटवर्क, अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कलों, प्रशिक्षण और निवेश पूर्ण अध्ययनों की तैयारी से संबंधित परियोजनाओं की सहायता के लिए तकनीकी सहायता संघटक का निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि ऋण

1002. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को किसानों को

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ गत दो वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई; और

(ग) इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार कृषि आदान, नामतः उर्वरकों, बीजों और कृमिनाशियों की खरीद में किसानों को सहायता करने के लिए तथा समय पर किसानों को इन्हें उपलब्ध कराने के लिए 1993-94 तक प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को खरीफ तथा रबी मौसमों के लिए अलग-अलग लघु आवधिक ऋण दे रही थी। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात सरकार को दी गई लघु-आवधिक ऋण सहायता इस प्रकार है :-

(रुपये करोड़ में)

1992-93	12.70
1993-94 (केवल खरीफ मौसम के लिए)	6.85

रबी 1993-94 से राज्यों को लघु आवधिक ऋण मंजूर करना बंद कर दिया गया है।

[अनुवाद]

गुरुदास हाल्ट स्टेशन

1003. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे में गुरुदास स्टेशन की स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). गुरुदास नगर स्टेशन की इमारत अच्छी हालत में है तथा हाल ही में इस स्टेशन की वार्षिक मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य किया गया है। इस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण

1004. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद-बरेली रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) रामपुर और मिलक (23 कि.मी.) के बीच दोहरीकरण पूरा हो चुका है। वित्त वर्ष के दौरान मिलक से पारसखेड़ा तक के खंड को पूरा किए जाने की संभावना है और शेष कार्य को 1995-96 में पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

शेड का निर्माण

1005. श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुम्बरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर शेड का निर्माण करने का है;

(ख) इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). मुम्बरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 पर सायबान के विस्तार के कार्य को वर्ष 1994-95 के निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में 35 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृति दे दी गई है और इस कार्य को 31.3.1996 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

रेल फाटक

1006. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में शोरानूर और मांजेश्वरम के बीच कितने रेल फाटक हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी रेल फाटक पर उपरि पुल बनाने संबंधी प्रस्ताव लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 127।

(ख) और (ग). जी, नहीं। बहरहाल, राज्य सरकार ने 1992 में 660/4-5 कि.मी. पर समपार सं. 177 के बदले उपरि पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया था, किंतु उसने अभी तक अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है। इसलिए, यह कार्य रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

अंगूर अनुसंधान केन्द्र

1007. श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में राष्ट्रीय स्तर का कोई अंगूर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भा.कृ.अनु. परिषद द्वारा गठित स्थान चयन समिति की सिफारिशों पर भा. कृ.अनु. परिषद ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है। स्थान चयन समिति ने गुजरात में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश नहीं की है, क्योंकि वहां व्यावसायिक दृष्टि से अंगूर का उत्पादन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1008. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमांत रेलवे में छोटी और मीटर गेज लाइनें कितनी-कितनी हैं;

(ख) किन-किन और कितनी लाइनों पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है;

(ग) किन-किन लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू किया जाएगा;

(घ) क्या सभी जिला मुख्यालयों को परस्पर बड़ी लाइनों के द्वारा जोड़ा जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में छोटी लाइन खंड न्यू जलपाईगुडी से दार्जिलिंग तक है।

I. मीटर लाइन खंड इस प्रकार है :—

1. कटिहार-जोगबनी
2. कटिहार-गुवाहाटी
3. कटिहार-मनिहारीघाट
4. नया माल-न्यू दोमुहानी
5. अलीपुरद्वार जं. -बामनहाट-गितलदह
6. धुबडी-फकीराग्राम जं.
7. बारसोई जं.-राधिकापुर
8. तेजपुर-रंगापाड़ा नार्थ-रंगिया
9. सेनचोवा-सिलघाट टाउन
10. हैबरगांव-मैराबाड़ी
11. भालुकपोंग-बलियापाड़ा नार्थ
12. मुरकांगसेलेक-नार्थ लखीमपुर-रंगापाड़ा नार्थ
13. लमडिंग-करीमगंज जं.-कुमारघाट
14. जीरीबाम-सिलचर-बदरपुर
15. बैराबी-कटखल
16. दुल्लभचेरा-बरई ग्राम
17. करीमगंज जं.-महिषासन (लाटू)
18. लमडिंग-डिब्रूगढ़
19. डांगरी-तिनसुकिया
20. माकुम-लेखापानी
21. मरियानी-जोरहाट-फरकाटिंग जं. (लूप)
22. मोरनहाट-सिमलगुडी जं.-नगीनीमोरा
23. आमगुरी-तुली

(ख) निम्नलिखित लाइनों पर आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है :—

1. लमडिंग-दीमापुर
2. दीमापुर-फरकटिंग
3. फरकटिंग-मरियानी
4. फरकटिंग-मरियानी (लूप)
5. मरियानी-तिनसुकिया लेखापानी
6. तिनसुकिया-डिब्रूगढ़

(ग) निम्नलिखित लाइनों को कार्यवाई योजना में शामिल किया गया है और आगामी वर्षों में आमान परिवर्तन के लिए इसका कार्य शुरू किया जाएगा :—

1. रंगिया-मुरकांगसेलेक
2. बलियापाड़ा-भालुकपोंग
3. रंगापाड़ा नार्थ -तेजपुर

(घ) से (च). जी, नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों के लिए रेल संपर्क की व्यवस्था करना, उनके निर्माण में शामिल भारी निवेश तथा रेलों के समक्ष संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

धुनियानगंगा स्टेशन कार्यालय

1009. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धुनियानगंगा रेलवे स्टेशन के कार्यालय भवन की पूर्णतः मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). चूंकि धुलियानगंगा स्टेशन पर इमारत की हालत संतोषजनक है, इसकी पूरी मरम्मत करना आचित्यपूर्ण नहीं है।

क्वार्टरों का आबंटन

1010. **श्री ललित उरांव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में क्वार्टरों के आबंटन में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में क्वार्टरों के अनियमित आबंटन के कुछ मामले ध्यान में आए थे। अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। अनाधिकृत आवंटियों को क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा किराये की वसूली के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि विकास योजनायें

1011. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने कृषि विकास संबंधी कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केरल सरकार से कृषि विकास के लिए कोई योजना अनुमोदनार्थ प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

1012. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार थेमाला आर्यनकाबु रेलवे स्टेशनों के जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) तेनमल और आर्यनकाबु में रेलवे स्टेशन की इमारत अच्छी हालत में है। इसलिए इसके पुनर्निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक प्रदूषण

1013. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों और 1994-95 के दौरान इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). देश में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है जो मुख्यतया अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योग सेक्टरों में अभिनिर्धारित मझौली और बड़ी इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण पर केन्द्रित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषक सेक्टरों की 17 श्रेणियों से संबंधित 1551 मझौले और बड़े उद्योगों की शिनाख्त की गई है। इन 1551 इकाइयों में से 1134 इकाइयों ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं, 107 इकाइयां बंद कर दी गई हैं और बाकी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। इसके अलावा, एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त की है और लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को साझी बहिस्राव शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1014. **श्री रामचन्द्र मारोतराव चंगारे :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाग विदर्भ ग्राहक सहकारी संस्था और उचित दर दुकान संघर्ष समिति, नागपुर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के अंतर्गत गेहूं, चावल और चीनी के मूल्य खुले बाजार से अधिक होने के संबंध में कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों का थोक में आबंटन करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य किसानों के लिए वसूली/समर्थन मूल्यों, वसूली/भण्डारण पर आने वाली संचालनात्मक लागत इत्यादि को ध्यान में रखकर नियत किए जाते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विक्रेताओं के लिए अन्तिम खुदरा मूल्य, स्थानीय करों, लेवियों, थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिनों, परिवहन प्रभारों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए स्वयं नियत करते हैं। खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्य, खाद्यान्नों के उत्पादन, कटाई के मौसम के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करते हैं। कभी-कभी कुछ केन्द्रों में खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्यों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तिम खुदरा मूल्यों से कम रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, इस बारे में, बताए गए संगठनों से हाल में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों, जैसे समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र के तहत आने वाले देश के 1775 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50/- रुपए प्रति क्विंटल कम होते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि इन क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों के अन्तिम खुदरा मूल्य, इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 25 पैसे प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होने चाहिए। इन क्षेत्रों में वितरण हेतु, सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आबंटन के अलावा 32 लाख मी. टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त मात्रा नियत की गई है। केन्द्रीय सरकार वितरण के आधार ढ़ांचे को मजबूत बनाने के लिए संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण तथा मोबाइल वैनों की खरीद के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता देती है, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध कराई जा सकें। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इन क्षेत्रों में रह रहा 1650 लाख से अधिक की अनुमानित जनसंख्या को लाभ मिल रहा है।

चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

1015. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी मिलों के लिए कुछ नई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने संबंधी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो से 01.04.1994 से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लाइसेंस दी जाने वाली नई चीनी फैक्टिरयों और विस्तार परियोजनाओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों, यदि कोई है तो, के तर्काधार तथा प्रकार पर नए सिरे से अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

दालों के मूल्य

1016. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से दालों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दालों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इनके उत्पादन में वृद्धि करने तथा इनके मूल्यों को नियन्त्रित करने में किस प्रकार से प्रभावी रहा है;

(घ) क्या दालों के उत्पादन के संबंध में कोई नई तकनीक विकसित की गई है; और

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसे कितना महत्व दिया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले वर्षों में दलहनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। लेकिन, वर्ष 1994-95 के दौरान (25.2.995 तक) एक वर्ग के रूप में दलहनों के थोक मूल्य सूचकांक में केवल 7.8 प्रतिशत की वृद्धि देखने में आई है जबकि सभी जिंसों के सूचकांक में 11.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

(ख) दलहनों के मूल्य में वृद्धि के विभिन्न कारण हैं। उत्पादन में सापेक्षिक रूप से निम्न वृद्धि दर, मूल्यों में सामान्य वृद्धि, अनाजों की तुलना में दलहनों की मांग में अपेक्षाकृत उच्च आय सापेक्षता।

(ग) पिछले वर्षों में दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। उपज पर प्रौद्योगिकी का अच्छा प्रभाव पड़ा है क्योंकि दलहनों की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ रही है, भले ही मामूली दर से।

(घ) और (ङ). घरेलू मांग पूरी करने के लिए, दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना, नामतः राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अनुसंधान और नई किस्मों के विकास पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लगातार बल दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न दालों की 25 किस्में निर्मुक्त की गई हैं।

[हिन्दी]

लाख का उत्पादन

1017. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में लाख का राज्य-वार वार्षिक उत्पादन कितना-कितना रहा;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस कृषि-आधारित उद्योग के विकास हेतु कोई नियंत्रण योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लाख के भावी आयातकर्ता देश कौन-कौन से हैं; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पर्यावरण सुरक्षा बल

1018. श्री अन्ना जोशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए पर्यावरण सुरक्षा बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). सरकार "पर्यावरण वाहिनी" के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता एवं निगरानी की एक स्कीम पहले ही कार्यान्वित कर रही है ताकि पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघनों को रोका जा सके। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना और लोगों को इसमें शामिल करना।
2. वनों, वन्यजीवन, प्रदूषण, पर्यावरणीय अवक्रमण और जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित अवैध कार्यों की रिपोर्ट करना।
3. वनरोपण और पेड़-पौधों के बचे रहने के बारे में फीड बैक।
4. निगरानी, जिसमें नमूनों का संग्रहण, जल, वायु गुणवत्ता और मोटर वाहनों के उत्सर्जनों का विश्लेषण शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

1019. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बयाना और आगरा के बीच रेलमार्ग के आमान परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) बयाना और आगरा के बीच की रेल लाइन पहले से ही बड़ी लाइन है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सब्जियों के बीज

1020. श्री सुकदेव पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सब्जियों के बीजों की सुधरी हुई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिक पैदावार देने वाले इन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रबंध किए जा रहे हैं; और

(ग) सब्जी उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरा 8 सब्जी वाली फसलों की अधिक पैदावार देने वाली 12 किस्मों, 5 सब्जी वाली फसलों की 16 एफ-1 संकर किस्मों और 4 सब्जी वाली फसलों की 7 रोग-प्रतिरोधी किस्मों

को अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार प्रायोजना के माध्यम से विकसित किया गया है और जारी करने के लिए उनकी पहचान की गई है।

(ख) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा.कृ.अनु. परिषद के संस्थानों द्वारा इन किस्मों के बीजों का बड़े पैमाने पर संवर्धन किया जा रहा है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत सब्जी वाली फसलों के बीजों के उत्पादन की पूर्ति के लिए 1500 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं जिसमें से 681.84 लाख रुपये सब्जी वाली फसलों के उत्पादन के लिए 5,12,000 किसानों में मिनीकीट वितरित करने के लिए रखे गये हैं।

[अनुवाद]

मछुआरों हेतु बचत-एवं-राहत योजना

1021. **श्री पी.सी. चाको** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार और अन्य क्षेत्रों से अंतर्देशीय मछुआरों को मछुआरों संबंधी बचत-एवं-राहत योजना का लाभ देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंतर्देशीय क्षेत्र में योजना के लाभ प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-सह-राहत घटक को लागू करने के लिये केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, कर्नाटक और संघ शासित प्रदेश पाण्डिचेरी से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय, बचत-सह-राहत घटक के तहत ऐसे सक्रिय समुद्री मछुआरों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो मानसून/काम बंद होने के मौसम मत्स्यन कार्य संभव न होने के कारण वर्ष में करीब चार महीने तक बेरोजगार रहते हैं। मत्स्यन के आठ महीनों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थी द्वारा 45-45 रुपये प्रतिमाह की दर से जमा किया जाने वाला अंशदान मंदी के चार महीनों में 270 रुपये की चार मासिक किश्तों में मछुआरों को वितरित किया जाता है। उपर्युक्त राज्यों ने अनुरोध किया है कि ये लाभ अन्तर्देशीय मछुआरों को भी दिए जायें।

(ग) से (ङ). यह निर्णय लिया गया है कि 1994-95 में इस योजना को इसके वर्तमान रूप में ही जारी रखा जाये तथा केवल मूल्यांकन के बाद ही किसी परिवर्तन पर विचार किया जाये।

[अनुवाद]

डी.एम.यू. शटल रेलगाड़ी

1022. **श्री राम नाईक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अंतर्गत विरार और दहानू के बीच प्रतिदिन डी.एम.यू. शटल रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी की बारम्बारता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). विरार और दहानू रोड के बीच प्रतिदिन डी.एम.यू. गाड़ियां चलाने की मांग की जांच की गई है परंतु इसे अनुरक्षण संबंधी तंगियों सहित परिचालनिक कारणों से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स

1023. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स को अपने अधिकार में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना अनुसार, होम इकॉनॉमिक्स एजूकेशन सोसायटी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स को चला रही है, वह संस्थान के अनुरक्षण की जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पा रही है। अतः संस्थान व इसके साथ-साथ उपर्युक्त सोसायटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संपर्क किया है कि वह विश्वविद्यालय की अनुरक्षित संस्था के रूप में इसे अपने अधिकार में ले ले। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् सिद्धांतः इस संस्थान को अपने अधिकार में लेने के लिए सहमत हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मामले पर आगे कार्रवाई तभी संभव होगी जब विश्वविद्यालय से इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होगा।

शयनयान

1024. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों में शयनयान जोड़े जाने से रेलवे की आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से इन शयनयानों को हटाए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 1.4.1993 से एक पृथक शयनयान दर्जा शुरू किया गया था जिसका किराया दूसरे दर्जे से 25 प्रतिशत अधिक रखा गया था जबकि दूसरा दर्जा 3-टियर/2-टियर शयनयान सवारी डिब्बों में रात के समय की जाने वाली यात्रा के लिए विभिन्न दरों पर लिया जाने वाला अधिभार समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1993-94 में शयनयान दर्जे और दूसरे दर्जे से 1992-93 की तुलना में दूसरे दर्जे से (शयनयान सवारी डिब्बों सहित) अधिक आमदनी हुई थी, यात्रियों की संख्या में कमी-बेशी और यात्रा की दूरी सहित विभिन्न कारकों की वजह से होने वाली आमदनी की वृद्धि के कारण शयनयान दर्जे को शुरू करने से होने वाली आमदनी की मात्रा का सही-सही पता नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ). हालांकि इस मंत्रालय में प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों से शयनयान दर्जे को हटाने के लिए कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, तथापि छोटी दूरी की गाड़ियां चलाकर मौजूदा गाड़ियों का विस्तार करके, विभिन्न गाड़ियों की मौजूदा संरचना में वृद्धि करके और शयनयान सवारी डिब्बों को अनारक्षित डिब्बों में बदलकर जनता की कठिनाइयां दूर की गई हैं। शयनयान दर्जे को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह दर्जा बड़ी संख्या में लम्बी दूरी के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पशुओं के लिए दवाएं

1025. श्री आनन्द अहिरवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पशुओं के लिए दवाओं के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। पशुओं के लिए दवाओं के सम्बन्ध में अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तटीय विनियमन क्षेत्र में औद्योगिक एकक

1026. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से तटीय विनियमन क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना की अनुमति न देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने तटीय विनियमन क्षेत्र में ऐसे एकक स्थापित करने की अनुमति दी है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.3.1995 के अपने हाल के आदेश में तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य और उद्योगों की स्थापना के बारे में इस मंत्रालय की दिनांक 19.2.1991 की अधिसूचना में उल्लिखित प्रतिबंधों और निषेधों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कथित अनियमितताएं

1027. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1995 के "राष्ट्रीय सहारा" में "केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार की जांच की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में व्याप्त कथित अनियमितताओं की कोई उच्च स्तरीय जांच शुरू की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकरण का उचित ढंग से निर्वहन किया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है। तदनुसार संगठन ने इस मामले की जांच की है और उनका मत यह है कि इन आरोपों की जांच किए जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अस्पष्ट हैं और उनका कोई ठोस आधार नहीं हैं।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उचित तरीके से संगठन के कार्यकरण में मार्गदर्शन के लिए एक शासी बोर्ड है।

उर्वरक राजसहायता

1028. श्री पीयूष तीरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोटाश तथा फास्फेट उर्वरकों के विभिन्न उत्पादकों को देय राजसहायता की बकाया धनराशि का भुगतान करने का है;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का उत्पादक-वार ब्यौरा क्या है और इस धनराशि का भुगतान कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). फास्फेटयुक्त उर्वरकों के विनिर्माताओं और एम.ओ.पी. के आयातकों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित रिपोर्टों के आधार पर किसानों को इन उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। चूंकि राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से बिक्री के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाता है, अतः विनिर्माताओं/आयातकों द्वारा दावा की गई राशि तथा रकम का भुगतान कब तक किया जाएगा, इस बात का उल्लेख करना संभव नहीं है। तथापि राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उन पर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

दुल्लाहपुर स्टेशन पर आरक्षण कोटा

1029. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वाराणसी-भटनी रेल लाइन पर स्थित दुल्लाहपुर रेलवे स्टेशन पर सुदूर स्थानों जैसे दिल्ली, बंबई और कलकत्ता के लिए यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए दैनिक आरक्षण कोटे में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) (क) से (ग). इस समय दुल्लाहपुर स्टेशन पर गाड़ी सं. 4649 अप सरजू-यमुना एक्सप्रेस तथा 1028 अप गोरखपुर-दादर एक्सप्रेस में शयनयान दर्जे की 2 शयिकाओं का कोटा उपलब्ध है। इन कोटों की उपयोगिता के विश्लेषण से पता चला है कि इनका क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत तक उपयोग किया जा रहा है। अतः वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त समझे जाते हैं। कलकत्ता की ओर जाने वाले यातायात के लिए इस स्टेशन पर कोटा आवंटित करने का औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य तथा गैर-खाद्य तेलों की कीमतें

1030. श्री जीवन शर्मा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान खाद्य तथा गैर-खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप साबुन बट्टी तथा डिटरजेन्टों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान खुदरा विक्रेताओं, सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार तथा अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को गत दो वर्षों के दौरान इनके मूल्यों की तुलना में किन-किन कीमतों पर उपलब्ध कराया गया, उनका ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान ब्रांड-वार उनकी स्थिति क्या थी; और

(घ) इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). खाद्य तेलों और गैर-खाद्य तेलों के मूल्य इन वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर के कारण बढ़ रहे हैं। साबुन बट्टी और डिटर्जेन्ट के मूल्यों में केवल नाममात्र की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा खुले बाजार में मुख्य खाद्य तेलों, साबुन बट्टी और डिटर्जेन्ट और बम्बई में गैर खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के वास्ते कदम उठाने के अतिरिक्त इन अधिकांश खाद्य तेलों के आयात के वास्ते खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है। गरीबों की कठिनाइयों को कम करने के लिए आयातित पामोलीन की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों और सहकारी भण्डारों के माध्यम से खुले बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर की जा रही है।

विवरण

खाद्य तेलों, साबुन तथा अपमार्जकों के खुदरा मूल्य

वस्तु	मार्च, 1995	सितम्बर, 1994	मार्च, 1993
1	2	3	4
सरसों का तेल			
कनोडिया (ली./कि.ग्रा.)			
सुपर बाजार	46.95	43.00	36.80
केन्द्रीय भंडार	50.50	47.00	36.80
खुला बाजार	53.00	48.00	38.00
मूंगफली का तेल			
(परिष्कृत (ली./कि.ग्रा.)			
सुपर बाजार	59.25	56.35	50.25
केन्द्रीय भंडार	62.40	57.65	48.50
खुला बाजार	58.00	59.00	51.00

1	2	3	4
धारा वनस्पति तेल (ली.)			
सुपर बाजार	39.30	39.30	32.00
केन्द्रीय भंडार	39.00	39.00	32.00
खुला बाजार	39.00	39.00	34.00
लाइफ ब्याय (टिक्कियां)			
सुपर बाजार	5.85	5.75	5.35
केंद्रीय भंडार	5.80	5.75	5.35
खुला बाजार	6.00	6.00	5.50
सर्फ (कि.ग्रा.)			
सुपर बाजार	48.55	47.50	41.10
केंद्रीय भंडार	48.50	47.50	42.50
खुला बाजार	49.00	48.00	43.00

गैर खाद्य तेलों के थोक मूल्य (बम्बई में)

(रु. प्रति मी.टन)

एरंड का तेल	24200	22300
अलसी का तेल	31000	29000
धान की भूसी का तेल	20200	18000

टिप्पणी: आंकड़े हमारे द्वारा एकत्र किए गए हैं—इनमें अंतर संभव है।

शताब्दी एक्सप्रेस

1031. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक भी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कलकत्ता से टाटा, भुवनेश्वर, पटना, न्यू जलपाईगुडी, गुवाहाटी, राऊरकेला तथा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं पर्यटक स्थलों के लिए ऐसी गाड़ियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). 1995-96 के दौरान हवड़ा तथा बोकारो और हवड़ा तथा राऊरकेला के बीच शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। तथापि, पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य मार्गों पर ऐसी गाड़ियां चलाना परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों की कीमतें

1032. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :**
श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा करों में राहत तथा अन्य रियायतें दिए जाने के बावजूद भी खाद्य तेलों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) करों में दी गयी राहत तथा अन्य रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए अथवा किए जाएंगे?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 (अप्रैल से 18 फरवरी, 1995 तक) के दौरान सारे देश में खाद्य तेल उप-समूह के थोक मूल्य सूचकांकों में गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुई 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई पड़ी है। मूल्य में वृद्धि मुख्यतया कुल आवश्यकता और सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता के बीच प्रतिवर्ष 5-6 लाख मी.टन के अन्तर के कारण हुई है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायतों की हमें जानकारी नहीं है।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर.बी.डी. पामोलीन की 1.07 लाख मी.टन मात्रा का आयात किया गया है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा भी 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क दर पर चुनिन्दा खाद्य तेलों का आयात किया गया है। 1.3.1995 से, नारियल का तेल, ताड़ गिरी का तेल, आर.बी.डी. ताड़ तेल और आर.बी.डी. ताड़ स्टीयरिन को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 30 प्रतिशत के घटाए हुए शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई है। राज्य व्यापार निगम को वर्ष 1995-96 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर.बी.डी. पामोलीन का आयात करने हेतु अपेक्षित प्राधिकार दे दिया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में डेयरी संस्थान

1033. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार से नाडियाड डेयरी संस्थान की तरह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में डेयरी संस्थान को विकसित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को डेयरी के प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि को किस तरह खर्च किया जाएगा और परियोजना से क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र के संसद सदस्य को परियोजना में शामिल किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

1034. डा.आर. मल्लू :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और चीनी की प्रति क्विंटल आर्थिक लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान प्रति क्विंटल लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). इन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्यांकित गेहूं, चावल और लेवी चीनी की प्रति क्विंटल "इकनामिक" लागत निम्न प्रकार रही है :—

(दर रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	गेहूं	चावल	लेवी चीनी
1991-92	390.79	497.04	695.65
1992-93	504.10	585.27	763.88
1993-94	532.03	665.10	864.12
1994-95 (संशोधित अनुमान)	562.45	724.00	903.49

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

1035. श्री राम सिंह कस्वां क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, जलपान-गृहों, पेयजल, शौचालयों विश्राम-गृहों आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) रेलवे सलाहकार समिति को ऐसे कितने मामले भेजे गये हैं; और

(ग) उन स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कब तक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हरियाणा में पर्यावरण तथा वानिकी परियोजनाएं

1036. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से पर्यावरण तथा वनों के संरक्षण के लिए किन-किन परियोजनाओं को शुरू किया गया है;

(ख) इस दिशा में परियोजनावार अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). हरियाणा में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता से पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के नामों का वित्तीय तथा भौतिक, दोनों उपलब्धियों सहित विवरण संलग्न है।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली निधि की मात्रा	स्थिति	गत तीन वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उपलब्धि	
					वित्तीय	भौतिक
I. केन्द्रीय सहायता प्राप्त						
1.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	100%	जारी	47.68	एक राष्ट्रीय उद्यान तथा तथा 3 वन्यजीव अभयारण्यों को
2.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पक जीविका मुहैया करना।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	8.30	शामिल किया गया।
3.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	लोगों की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता सृजित करना।	100%	जारी	1.15	2 जिलों में गठित
4.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी तथा चारे की आपूर्ति बढ़ाना	50%	जारी	641.84	18,243 है. कवर किया गया।
5.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद पैदा करना	100%	जारी	86.65	2410 है. कवर किया गया।
6.	बीज विकास स्कीम	उत्तम बीजों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास	100%	जारी	75.83	वित्तीय बंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित
7.	समन्वित वनरोपण तथा पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनरोपण तथा पारि-विकास को प्रोत्साहन देना	100%	जारी	682.17	5148 है. कवर किया गया।
II. विदेशी सहायता प्राप्त						
8.	अरावली में सामान्य भूमि का पुनरूद्धार यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त परियोजना	अरावली पहाड़ियों में पर्यावरण की सुरक्षा तथा हरित आवरण की की बहाली	परियोजना को 1990 से राज्य के चार जिलों में कार्यान्वित किया गया है। कुल परियोजना परिव्यय 48 करोड़ रुपए है। सितम्बर, 1994 तक 43.28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तथा 24250 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।			

[अनुवाद]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

1037. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अलुआबाड़ी रोड और गुवाहाटी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस लाइन पर यातायात के मौजूदा स्तर से इसके दोहरीकरण का औचित्य नहीं बनता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

1038. श्री बलराम पासी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सूचना इस प्रकार है :—

निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं के नाम	पूरा किये की जाने की संभावित तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
I. नई लाइनें		
1. बगहा-छितौनी (पुनःस्थापना) (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)	31.12.1996 बशर्ते कि सहभागीदारों अर्थात् उ.प्र., बिहार सरकार एवं जल संसाधन मंत्रालय से उनके हिस्से की राशि समय पर मिल जाए।	164.09
2. गुना-इटावा (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)		
चरण-I गुना-ग्वालियर	1997-78	256.00
3. कटरा-फैजाबाद	31.3.2002	51.26
II. आमान परिवर्तन		
1. छपरा-औंडिहार (आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)	31.12.95	82.64
2. लालकुआं-काशीपुर	निम्न प्राथमिकता के कारण अस्थाई रूप से काम रोक दिया गया है।	45.00
III. दोहरीकरण		
1. रामपुर-बरेली	30.6.95	45.88
IV. पुल		
1. बलावली पुल	31.12.96	20.90
2. कर्जन पुल	31.3.96	27.57
V. रेल-विद्युतीकरण		
1. सरसवां-मुरादाबाद (अंबाला-मुरादाबाद परियोजना का भाग)	31.3.98	111.00 (लगभग)
2. गहमार-मुगलसराय (सीतारामपुर-मुगलसराय परियोजना का भाग)	31.3.99	34.00 (लगभग)

[अनुवाद]

लेवी चीनी की कीमत

1039. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ और राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ लिमिटेड ने सरकार से देश में लेवी और खुली बिक्री वाली चीनी की कीमतों का संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) चीनी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा क्या मुख्य प्रस्ताव रखे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर कब तक विचार किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). भारतीय चीनी मिल संघ और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने एक संयुक्त अभ्यावेदन में वर्ष 1994-95 मौसम के लिए लेवी चीनी के नए मूल्यों की शीघ्र घोषणा करने पर जोर दिया है।

(ग) और (घ). सरकार ने वर्ष 1994-95 मौसम के लिए चीनी निकासी मूल्यों की घोषणा कर दी है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988

1040. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). देश में अवक्रमित वन भूमि के बड़े क्षेत्र पर बढ़ते हुए अवैध कब्जे के खतरे तथा हरित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उस पर अनिवार्य रूप से वन लगाने, अवैध कब्जों व मृदा निगवरण रोकने और ईंधन की लकड़ी तथा चारे की जरूरतों को पूरा करके मौजूदा प्राकृतिक वनों तथा संरक्षित क्षेत्रों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से सरकार अत्यधिक अवक्रमित क्षेत्रों पर वनरोपण के कार्य में उद्योग को शामिल करने के बारे में विचार कर रही है ताकि सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा लोक सहकारी संस्थाओं के प्रयासों में तेजी लाई जा सके तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की वनरोपण स्कीमों हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

उद्योगों को राष्ट्रीय वनीकरण प्रयासों में शामिल करने से राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कतिपय संशोधन करने आवश्यक होंगे। वर्तमान नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त रखी गई है कि पौधरोपण करने और किन्हीं अन्य गतिविधियों के लिए वन भूमि उद्योगों को नहीं दी जाएगी। नीति में प्रस्तावित संशोधनों में ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायों को मूल जरूरतों को पूरा करने तथा उन्हें प्राप्त पारम्परिक अधिकारों एवं रिसायतों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सुरक्षोपाय करते हुए अत्यधिक अवक्रमित वनों के विकास के लिए राज्य वन विकास निगमों द्वारा उद्योगों के सहयोग से पौधरोपण करना अभिकल्पित है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन

1041. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फथुहा-इस्लामपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने तथा इसे बिहार में गया के साथ जोड़ने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

माल डिब्बों का आदेश

1042. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों को विशेषतः पूर्वी क्षेत्र के लिए माल डिब्बों का आदेश दे दिया है जो 1993 से 1995 तक के लिए तय था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पूर्वी क्षेत्र में स्थित इकाइयों सहित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों को 1993-94 तथा 1994-95 के लिए आवश्यकता के अनुसार माल डिब्बों के आर्डर दे दिए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का उठान

1043. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
डा. सुधीर राय :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री राम नाईक :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की अनुमानित उठान कितनी थी और अप्रैल, नवंबर और दिसम्बर, 1994 के अंत में इसके वास्तविक आंकड़े क्या थे;

(ख) क्या खुल बाजार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत में भारी कमी हुई है;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम में 6 मिलियन टन से भी अधिक खाद्य भंडार की वृद्धि हुई है;

(घ) क्या बढ़ते खाद्य भंडार के कारण सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का उठान बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) अप्रैल, नवम्बर और दिसम्बर, 1994 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की उठान आबंटन की तुलना में निम्नानुसार है :

(लाख टनों में)

माह	चावल		गेहूं	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
अप्रैल, 94 (पी.)	10.18	5.40	8.89	3.69
नवम्बर, 94 (पी.)	11.17	6.27	9.13	3.98
दिसम्बर, 94 (पी.)	11.24	6.74	9.31	4.96

(ख) वर्ष 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993 के दौरान खाद्यान्नों की प्रतिदिन (प्रति व्यक्ति) उपलब्धता क्रमशः 411.8, 452.6, 435.3, 468.5 तथा 429 ग्राम रही है तथा इसमें तेजी से कमी नहीं आई है। लगातार दो फसल वर्षों 1992-93 एवं 1993-94 (जुलाई-जून) के दौरान चावल एवं गेहूं के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप खाद्यान्नों की बेहतर उपलब्धता के कारण, गेहूं एवं चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों तथा खुले बाजार की कीमतों के बीच अन्तर में इस समय कमी आई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय खाद्य निगम के पास एक अप्रैल, 1994 (पी.) को 187.19 लाख टन खाद्यान्न भण्डार के स्टाक की तुलना में 31.12.1994 को 218.58 लाख टन खाद्यान्न जमा था।

(घ) और (ङ). खाद्यान्नों का वितरण बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की है :—

(एक) फ्रैंचाइज्ड इकाइयों सहित मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि., को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से कम कीमतों पर 2,15 लाख टन गेहूं इस शर्त पर जारी किया जाये कि वे डबल रोटी का मूल्य घटा देंगे। गेहूं की उपर्युक्त मात्रा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है।

(दो) देश में अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रावासों को प्रतिवर्ष 1.08 लाख टन खाद्यान्न (चावल एवं गेहूं) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित दरों पर जारी किया जाये। खाद्यान्नों की यह मात्रा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है।

(तीन) डबलरोटी, बन, पापड़ आदि का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों द्वारा निर्माण करने के लिए पांच वर्षों तक रोजगार सृजन हेतु प्रतिवर्ष 5.0 लाख मीटरी टन खाद्यान्न (चावल और गेहूं) जारी करना (3.5 लाख मीटरी टन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1.5 लाख मीटरी टन शहरी क्षेत्रों के लिए)। ये खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निश्चित केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 1000 रुपए प्रति मीटरी टन कम मूल्य की दर पर जारी किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय और लघु उद्योग विभाग क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिए हैं और खाद्य मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उन्हें योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

1044. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने के क्या लक्ष्य तय किए गए हैं;

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). बिहार में निम्नलिखित चालू परियोजनाओं की प्रगति तथा उन्हें पूरा करने की लक्ष्य तिथि प्रत्येक के सामने दर्शाई गई है :-

	बहाली	प्रगति	लक्ष्य
	बगहा-छितौनी रेल एवं सड़क पुल	80 प्रतिशत	31.12.96
आमान परिवर्तन			
1.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	55 प्रतिशत	31.3.95
2.	समस्तीपुर-दरभंगा	11 प्रतिशत	1995-96
3.	छपरा-औंड़िहार	48 प्रतिशत	1995-96
4.	सगौली-नरकटियागंज	5 प्रतिशत	1996-97
दोहरीकरण			
1.	मुगलसराय-सोननगर तीसरी लाइन	33 प्रतिशत	1996-97
2.	गढ़वा रोड-सोननगर (चरण-II)	100 प्रतिशत	30.6.95
3.	अलुआबाड़ी-किशनगंज न्यू जलपाईगुड़ी-अंबरी फलाकटा	70 प्रतिशत	1995-96

(ग) प्रगति की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है तथा लक्ष्य तिथि तक कार्य पूरा करने के लिए रेलवे को आवश्यक राशि तथा सामग्रियां मुहैया कराई जा रही है।

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें

1045. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को 1993-94 के दौरान सेंट्रल बोर्ड आफ एजुकेशन के साथ संबद्ध सभी स्कूलों की आवश्यकता के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध कराई गयी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियंत्रण कक्ष

1046. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार का जिला-वार नियंत्रण कक्ष खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किये गए हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के अन्य सुझाव दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना

(च) उक्त योजना से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (च). जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जिलावार नियंत्रण कक्ष स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है, जहां उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की अनुपलब्धता और उचित दर दुकानदारों एवं बेईमान व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों के बारे में रिपोर्ट कर सकें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे नियंत्रण कक्षों और उनके अधिकारियों के ब्यौरों का इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों और प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए व्यापक प्रचार करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के जरिए इन आवश्यक वस्तुओं को मात्रा और मूल्यों के संबंध में जिन पर वे उपलब्ध करायी जा रही हैं, जानकारी का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऊपर है। अतः ऐसे नियंत्रण कक्षों के जिलावार ब्यौरे केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी लोग आते हैं, अतः प्रस्तावित उपाय देश की सम्पूर्ण आबादी के लाभ के लिए हैं।

[अनुवाद]

उदारीकरण नीति

1047. श्री हरिन पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी क्षेत्र को उदारीकरण नीति के तहत लाए जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दृष्टिकोण से यद्यपि लाइसेंस प्रदान करने का सिद्धान्त उचित है, फिर भी सम्बन्धित क्षेत्रों की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। डेयरी उद्योग के मामले में उनके विचार से लाइसेंस प्रदान करने से लाइसेंस मुक्त करने का क्रमबद्ध परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक उचित है ताकि प्रभावकारी दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद विपणन आदेश की क्रमबद्ध शुरुआत को संभव बनाया जा सके।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबन्धों के अधीन दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 को तैयार करते समय सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विचारों को [illegible]

खाद्यान्न खरीद नीति

1048. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन की अच्छी स्थिति को देखते हुए खाद्यान्न खरीद नीति की समीक्षा करने के संबंध में विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यह नीति कब तक लागू कर दी जाएगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). गेहूं, धान और मोटे अनाजों के संबंध में फिलहाल मौजूदा वसूली नीति में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है।

तथापि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा सितम्बर, 1995 को समाप्त वर्तमान 1994-95 के खरीफ विपणन मौसम के शेष भाग में चीनी मिल-मालिकों/व्यापारियों के लिए चावल पर लेवी को वैकल्पिक बनाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यकरण

1049. श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री एन.वी. राठवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के गांधी नगर, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा रेलवे स्टेशनों और जन जातीय क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों के सौंदर्यकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा; और

(घ) यह कार्य कब से शुरू किया जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण/मरम्मत करने से संबंधित कार्य हालत के आधार पर किये जाते हैं। तदनुसार, गुजरात में पोरबन्दर रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण का कार्य और लाखाबावल पर पुरानी टूटी-फूटी इमारत के बदले नई स्टेशन इमारत का कार्य क्रमशः 2.86 लाख रुपये और 4.75 लाख रुपये की लागत पर शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

पशुओं की संख्या

1050. श्री लाल बाबू राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली दो जनगणनाओं के अनुसार देश में प्रमुख पशुओं की संख्या के राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या देश में पशुधन निरंतर कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने पशुओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1982 तथा 1987 की संगणना के अनुसार देश में प्रमुख पशुओं के राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण-I और-II में दिए गए हैं।

(ख) से (च). जी, नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। देश में पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए, प्रजनन, आहार तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण-I

1982 तथा 1987 की संगणना के अनुसार प्रमुख पशुधनों की राज्यवार संख्या

(हजारों में)

अनन्तिम

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोपशु		भैंस	
		1982	1987	1982	1987
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13220	12374	8704	8757

1	2	3	4	5	6
3.	असम	6750	7278	558	623
4.	बिहार	16216	20841ए	4641	4872ए
5.	गोवा	132	112	44	40
6	गुजरात	6994	6240	4443	4502
7.	हरियाणा	2342	2201	3369	3828
8.	हिमाचल प्रदेश	2174	2245	616	795
9.	जम्मू और कश्मीर	2325	2765	563	565
10.	कर्नाटक	11300	10175	3648	4036
11.	केरल	3097	3424	409	329
12.	मध्य प्रदेश	27117	28549	6335	7351
13.	महाराष्ट्र	16162	16983	3972	4755
14.	मणिपुर	747	770	138	141
15.	मेघालय	550	587	29	28
16.	मिजोरम	49	50	4	5
17.	नागालैंड	151	283	9	15
18.	उड़ीसा	12930	13576	1333	1309
19.	पंजाब	326ए	2832ए	4590ए	5577ए
20.	राजस्थान	13505	10922	6043	6344
21.	सिक्किम	173	184	4	3
22.	तमिलनाडु	10365	9343	3212	3129
23.	त्रिपुरा	680	828	16	16
24.	उत्तर प्रदेश	26152	26323	15785	18240
25.	पश्चिम बंगाल	15658	16511ए	987	965ए
संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	36	45	12	14
2.	चंडीगढ़	7	6	19	20
3.	दादर और नगर हवेली	45	46	3	4
4.	दिल्ली	52	55ए	177	285ए
5.	लक्षद्वीप	3	3	–	–
6.	पांडिचेरी	93	89	7	10
	अखिल भारत	192453	195867	69784	76769

ए : राज्य जिन्होंने संगणना नहीं की है और पिछली संगणनाओं के आधार पर अनुमानित संख्या प्रदान की है।

नोट : संघ सरकार द्वारा दी गई संदर्भित तारीख के अनुसार 15 अप्रैल, 1982 तथा 15 अक्तूबर, 1987 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संगणना नहीं की गई है।

स्रोत : आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा राज्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

विवरण–II

1982 तथा 1987 की संगणना के अनुसार प्रमुख पशुधनों की राज्यवार संख्या

(हजारों में)

अनन्तिम

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भेड़		बकरे		सूअर	
		1982	1987	1982	1987	1982	1987
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7519	6872	5559	4876	786	724
2.	अरुणाचल प्रदेश	20ए	28	76ए	108	213ए	243
3.	असम	46	67	1729	2134	578	641
4.	बिहार	1322	1520ए	12221	15032ए	1043	1043ए
5.	गोवा	1	–	15	18	73	86
6.	गुजरात	2357	1559	3300	3585	172	93
7.	हरियाणा	758	890	608	674	258	339
8.	हिमाचल प्रदेश	1091	1112	1060	1120	8	17
9.	जम्मू और कश्मीर	1909	2493	1004	1396	3	2
10.	कर्नाटक	4792	4727	4547	3888	319	302
11.	केरल	7	30	2004	1581	127	137
12.	मध्य प्रदेश	959	834	7572	7751	474	681
13.	महाराष्ट्र	2671	2872	7705	9195	302	334
14.	मणिपुर	14	16	42	44	368	383
15.	मेघालय	26	15	186	194	207	280
16.	मिजोरम	1	1	28	20	77	82
17.	नागालैंड	–	1	62	72	248	314
18.	उड़ीसा	1990	1840	4931	4804	418	590
19.	पंजाब	6161ए	588ए	700ए	537ए	226ए	97ए
20.	राजस्थान	13431	9933	15479	12577	180	207
21.	सिक्किम	11	11	96	98	30	31
22.	तमिलनाडु	5537	5881	5246	5921	694	661
23.	त्रिपुरा	5	3	343	441	103	88
24.	उत्तर प्रदेश	2307	2101	9686	11321	2282	2489
25.	पश्चिम बंगाल	1365	1460ए	10916	11890ए	768	898ए

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ शासित प्रदेश							
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	34	44	96	38
2.	चण्डीगढ़	1	–	1	1	3	3
3.	दादर व नगर हवेली	3		14	19	–	–
4.	दिल्ली	3	–	28	22ए	21	42ए
5.	लक्षद्वीप	–	–	10	15	–	
6.	पाण्डिचेरी	9	5	53	31	3	1
	अखिल भारत	48766	44837	95255	99405	10072	10760

ए : राज्य जिन्होंने संगणना नहीं की है और पिछली संगणनाओं के आधार पर अनुमानित संख्या प्रदान की है।

नोट : संघ सरकार द्वारा दी गई संदर्भित तारीख के अनुसार 15 अप्रैल, 1982 तथा 15 अक्तूबर, 1987 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संगणना नहीं की गई है।

स्रोत : आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा राज्य पशुपालन एवं डयरी विभाग।

[हिन्दी]

ठेकेदारों की असफलता

1051. श्री छेदी पासवान क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल परियोजना कार्यों में ठेकेदारों की असफलता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे कार्यशालाएं

1052. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे कार्यशालाओं द्वारा अन्य विभागों के कार्य किए जाने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन वैकल्पिक प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे में उदारीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). देश में गैर रेलवे कार्यों के संबंध में सीधे कोटेशन लेने के लिए रेल कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित करते हुए हाल ही में क्षेत्रीय रेलों को निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समिति

1053. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई उचित दर की दुकानों पर निगरानी हेतु समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों में बरती जा रही कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ). संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र

पाने वालों को विभिन्न श्रेणियों को शामिल करके उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करने के लिए सहमत हो गए थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 फरवरी, 1995 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों को स्थापित करने में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की है। जल्दी तथा प्रभावी रूप से निवारण करने के लिए, उचित दर दुकानों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतों तथा ऐसी अन्य उपभोक्ता शिकायतों का निपटान जिला प्रशासनों को स्थानीय स्तर पर ही करना होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस बारे में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समिति गठित करने के बारे में राज्यवार सूचना 28.2.1995 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हुई प्रगति

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहचाने गए क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की कुल संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित उचित दर दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के बारे में सूचना।
1.	आंध्र प्रदेश	8233	प्रत्येक उचित दर दुकान के लिए खाद्य सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	876	551 उचित दर दुकान स्तर समितियां बनाए जाने की सूचना दी है।
3.	असम	4117	4117 कार्य कर रहीं हैं।
4.	बिहार	9402	सभी उचित दर दुकान स्तर समितियां स्थापित कर ली गई हैं।
5.	गुजरात	4729	4120 उचित दर दुकान स्तर की समितियां स्थापित की गई हैं।
6.	हरियाणा	2116	सभी उचित दर दुकान स्तर की समितियां स्थापित कर ली गई हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	162	162 उचित दर दुकान स्तर की समितियों के कार्य करने की सूचना है।
8.	जम्मू और कश्मीर	642	पंचायत स्तर पर गठित की गई हैं।
9.	कर्नाटक	7796	7749 उचित दर दुकान स्तर की समितियां गठित की गई हैं।
10.	केरल	1723	सभी पंचायतों में गठित की गई हैं।
11.	मध्य प्रदेश	7238	10 जिला तथा 65 ब्लॉक स्तर की समितियां गठित की गई हैं।
12.	महाराष्ट्र	13755	ग्राम स्तर की समितियां गठित की गई हैं।
13.	मणिपुर	604	417 उचित दर दुकान स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
14.	मेघालय	3634	3071 उचित दर दुकान स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
15.	मिजोरम	935	अब सूचना मिली है कि केवल 296 समितियां कार्य कर रही हैं।
16.	नागालैंड	269	130 गठित की गई हैं और कार्य कर रही हैं।
17.	उड़ीसा	8693	8616 समितियां कार्य कर रही हैं।
18.	राजस्थान	9257	सभी उचित दर दुकान स्तर की समितियां स्थापित कर ली गई हैं।
19.	सिक्किम	253	ग्राम पंचायत तथा जिला स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
20.	तमिलनाडु	2259	सभी उचित दर दुकान स्तर की समितियां गठित की गई हैं।
21.	त्रिपुरा	509	उप-प्रभागीय स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं, उचित दर दुकान स्तर पर स्थापित की जा रही हैं।
22.	उत्तर प्रदेश	10698	उचित दर दुकान स्तर की समितियां गठित कर ली गई हैं।
23.	पश्चिम बंगाल	3840	पंचायत, ब्लाक तथा जिला स्तर की समितियां कार्य कर रही हैं।
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61	8 क्षेत्रीय समितियां स्थापित की गई हैं और कार्य कर रही हैं।
25.	दादरा व नगर हवेली	70	65 उचित दर दुकान स्तर तथा 10 पंचायत स्तर की समितियां गठित की गई हैं।
26.	दमण और दीव	42	8 उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां कार्य कर रही हैं।
27.	लक्षद्वीप	34	10 उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां कार्य कर रही हैं।
	कुल	101947	

[अनुवाद]

बागवानी को बढ़ावा

1054. **डा. साक्षीजी :**
डा. सुधीर राय :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकरिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने बागवानी विकास हेतु राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता प्रदान की है; और

(घ) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। सरकार ने आठवीं योजना अवधि में देश में बागवानी के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है।

(ख) फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में 15 योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें विभिन्न फसलों के विकास, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन, प्लास्टिक के उपयोग, और फसल कटाई के पश्चात् के कामकाज, विपणन और निर्यात के लिये बुनियादी सुविधाओं का विकास करना शामिल है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

91-92, 92-93 और 93-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी की गयी धनराशि

राज्य का नाम	वर्षों के दौरान निर्मुक्त कोष		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	185.84	346.49	677.45
अरुणाचल प्रदेश	14.67	45.59	89.92
असम	38.89	79.86	105.74
बिहार	60.15	75.57	214.55
गोवा	20.19	51.24	107.34
गुजरात	221.55	431.67	204.63
हरियाणा	16.18	79.23	181.12
हिमाचल प्रदेश	132.75	149.91	181.80
जम्मू और कश्मीर	30.25	104.74	145.78
कर्नाटक	169.03	581.94	927.20
केरल	688.55	1027.96	1591.49
मध्य प्रदेश	127.33	222.98	336.30
महाराष्ट्र	425.56	292.22	909.92
मणिपुर	11.88	25.98	41.18
मेघालय	11.17	19.04	41.86
मिजोरम	12.57	19.28	62.02
नागालैंड	8.88	23.63	38.43
उड़ीसा	57.20	72.41	295.08
पंजाब	41.14	109.18	158.24
राजस्थान	92.74	143.82	137.09
तमिलनाडु	214.03	408.94	770.23
त्रिपुरा	19.52	38.30	44.89
उत्तर प्रदेश	144.44	204.32	385.40
पश्चिम बंगाल	30.52	41.64	193.61
सिक्किम	6.62	23.98	62.23
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.62	38.21	48.19
चंडीगढ़	0.83	1.50	39.46
दादरा नगर हवेली	0.83	6.50	18.07
दमन और दीव	0.25	6.50	18.07
दिल्ली	2.65	11.17	50.99
लक्षद्वीप	0.68	13.06	25.07
पांडिचेरी	5.00	17.96	37.38
योग :	2810.51	4714.82	8060.73

उपर्युक्त के अलावा इन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को भी अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता की धनराशि जारी की गयी थी।

विवरण–II

1994–95 के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए जाने के लिए आबंटित धनराशि तथा अब तक वास्तविक रूप से जारी की गई धनराशि

राज्य का नाम	94–95 के लिए आबंटन	28.2.95 तक जारी की जा चुकी धनराशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1099.46	471.68
अरुणाचल प्रदेश	161.72	92.61
असम	194.10	47.28
बिहार	289.32	1.53
गोवा	187.30	135.87
गुजरात	380.96	129.02
हरियाणा	201.93	82.84
हिमाचल प्रदेश	253.62	54.60
जम्मू और कश्मीर	160.39	74.08
कर्नाटक	1306.20	577.36
केरल	2860.78	1456.92
मध्य प्रदेश	413.30	170.99
महाराष्ट्र	1228.48	495.55
मणिपुर	96.56	41.12
मेघालय	110.40	22.87
मिजोरम	72.95	35.46
नागालैंड	71.16	42.28
उड़ीसा	510.27	210.78
पंजाब	184.88	66.63
राजस्थान	212.52	88.18
तमिलनाडु	876.60	393.17
त्रिपुरा	89.87	21.97
उत्तर प्रदेश	571.67	187.45
पश्चिम बंगाल	301.56	23.95
सिक्किम	132.16	36.39
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	72.28	12.85
चंडीगढ़	17.43	7.22
दादरा और नगर हवेली	20.42	6.88
दमन और दीव	20.45	7.59
दिल्ली	39.12	12.83
लक्षद्वीप	35.18	0.00
पांडिचेरी	36.61	10.93
योग :	12209.65*	5018.88**

* उपर्युक्त के अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से 4000 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है।

** अब तक जारी की गयी धनराशि के अलावा, नारियल विकास बोर्ड को अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से 1982 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। यह राशि आबंटन के कालम में दर्शायी गयी है।

तम्बाकू उत्पादकों के लिए नकद प्रोत्साहन योजना

1055. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु तम्बाकू उत्पादकों के लिए कोई नकद प्रोत्साहन योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू उत्पादक वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सी.टी.आर.आई. द्वारा विकसित नई तकनीक अपनाने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादकों को इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ). कृषि मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला तम्बाकू बोर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए निम्न प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है :-

(1) कृमि नियंत्रण	275 रु./हैक्टेयर
(2) संतुलित निवेषण	300 रु./है. (एन.एल.एस.) और 215 रु./है. (एस.एल.एस.)
(3) सिंचकलर सेट्स	5500 रुपये/सेट

(4) टापिंग एंड सकरी साइड्स	172 रुपये/है.
(5) फर्नेस सेट्स	1375 रुपये/सेट
(6) फ्लू पाइप्स	575 रु./बार्न
(7) रूफ इन्सुलेशन आफ बार्न	1100 रु./बार्न

उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि वर्जीनिया तम्बाकू की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए इस योजना के तहत पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

गांधीधाम और दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

1056. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री से गांधीधाम और दिल्ली के बीच बड़ी लाइन की एक रेलगाड़ी चलाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जायेगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1057. डा. लाल बहादुर राजल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ कुछ और रेलवे स्टेशनों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). आधुनिकीकरण, जो रेलवे स्टेशनों पर मौजूदा सुविधाओं में सुधार करके किया जाता है, एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार जहां कहीं आवश्यक होता है, किया जाता है जो धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में आगरा कैंट, मिर्जापुर, मैलानी, गोरखपुर, गोंडा, इंदारा, बादशाहनगर, बस्ती, मानकपुर, मंडुआडीह भटपार-रानी, सारनाथ, देवरिया, सदर, बलिया, लार रोड, दुल्लाहापुर, जरवल रोड, फतेहगढ़, काशीपुर, चित्रकूटधाम कारवी, झांसी, आगरा, बादां, रसुइया, हाथरस जंक्शन, फिरोजाबार, मुरादाबाद, बरेली, कुंदा, हरनामगंज, इटावा, परियावा काला कांकर रोड, अमेठी, सहारनपुर, देहरादून, सोहवाल, सरकोनी, कुदनगंज, उबारेनी, लखनऊ, जौनपुर, निहालगढ़, वाराणसी, खागा, फतेहपुर, रूरा, चोला, दनकौर, अजैबपुर, कानपुर, मुजफ्फरपुर, सजूरा हाल्ट, अहेडा, खेक्खरा आदि के रेलवे स्टेशनों पर कार्य पूरे किए गए थे।

1994-95 के दौरान भी मथुरा, मुगलसराय, चित्रकूटधाम, कारवी, ललितपुर, बांदा सैदराजा, वाराणसी, इलाहाबाद, कंचौसी, गोविंदपुरी, टूंडला, विध्याचल, फिरोजाबाद, नैनी, अलीगढ़, मिर्जापुर, बरौत, बागपत रोड, मुजफ्फरनगर, फूलपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, बछरावां, भदोही, जौनपुर, शाहगंज, जौनपुर सिटी, रायबरेली, फैजाबाद, जाफराबाद, निहालगढ़, हमौसी, मानकनगर, प्रयाग, फाफामऊ, मुरादाबाद, बरेली, देहरादून, अमरोहा, हरिद्वार, नैमीषारण्य आदि में स्टेशनों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। 1995-96 में भी जहां कहीं आवश्यक होगा ऐसे कार्य शुरू किए जायेंगे, जो धन की समग्र उपलब्धता और विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, ऐसे चुने गए कार्य के समापन की तारीख आगामी वर्षों में धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

गुजरात में मूंगफली उत्पादन

1058. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मूंगफली के उत्पादन को बड़े पैमाने पर विस्तार किए जाने की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मूंगफली के उत्पादन और कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने और मूंगफली की बिक्री हेतु पर्याप्त विपणन सुविधाएं देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। गुजरात में रबी/ग्रीष्म मूंगफली के अधीन क्षेत्र विस्तार की संभावना है।

(ग) और (घ). गुजरात में मूंगफली के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन बीजों के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शन, मिनिकिट्स, उन्नत औजारों, मिनिसम

और पाइराइट आदि के वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली उत्पादकों से मूंगफली की खरीद करते हैं।

[हिन्दी]

कपास के बीजों का वितरण

1059. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान कपास उत्पादक किसानों को कितनी मात्रा में कपास के बीजों का वितरण किया गया;

(ख) राज्य में पैदा की जा रही कपास की विभिन्न किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितने प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया गया?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान कपास के बीज की वर्षवार वितरित मात्रा क्रमशः 0.61 लाख क्विंटल, 0.83 लाख क्विंटल और 0.89 लाख क्विंटल है।

(ख) राज्य में कपास की उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण किस्में हैं :- दिग्विजय, वी-797, संजय, दविराज,. गुजरात-1, गुजरात-II, गुजरात-12, गुजरात-13, गुजरात-15, एल.आर.ए.-5166, एच-4, एच-6, एच-7, एच-8, एच-9, वारालक्ष्मी, डी.सी.एच.-32 आदि।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के दौरान क्रमशः 18.81 लाख गांठ, 19.89 लाख गांठ तथा 16.23 लाख गांठ का उत्पादन हुआ। तथापि किए गए निर्यात के प्रतिशत पर सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उपनगरीय रेलगाड़ियों हेतु केन्द्रीय कोष

1060. श्री सुधीर सावंत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई केन्द्रीय कोष गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कोष कब तक गठित किया जाएगा; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ इस कोष हेतु अनुमानतः कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उपनगरीय रेल प्रणाली

1061. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में वर्तमान यातायात की समस्या से निपटने के लिए उपनगरीय रेल प्रणाली की आवश्यकताओं के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बी.यू.टी.पी. II के अंतर्गत 13 रेल परियोजनाओं की पहचान कर ली है जिसे विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। इस संबंध में आगे और ब्यौरे की जानकारी विश्व बैंक द्वारा कतिपय अध्ययन करने बाद ही दी जा सकेगी।

ड्रिप सिंचाई

1062. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में किसी जिले को ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में ड्रिप सिंचाई के लाभों से किसानों को परिचित कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए किसानों को राजसहायता देकर तथा सरकारी फार्मों पर प्रदर्शन करके तथा प्रशिक्षण देकर राज्य में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान ड्रिप संस्थापना के अधीन 8000 हैक्टेयर क्षेत्र, जिसमें ड्रिप प्रदर्शन के अधीन 480 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है, कवर करने के लिए 1232 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकुलर रेलवे

1063. श्री अमल दत्त :
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के उत्तरी उपनगरीय क्षेत्रों से आने वाली गाड़ियों को सरकुलर रेलवे द्वारा चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार दोहरी रेल लाइन बिछाने तथा सरकुलर रेलवे का विद्युतीकरण करने का है; और

(ग) सरकुलर रेलवे को प्रिंसेपघाट से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक सर्कुलर रेलवे के विस्तार के लिए दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण की वांछनीयता का पता लगाने के लिए नए सिरे से एक तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन एवं लागत लाभ विश्लेषण तथा पूरी लम्बाई के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण पर वर्तमान में रेलवे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

मैट्रो रेलवे स्टेशन

1064. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषतौर पर कलकत्ता में कुछ मैट्रो स्टेशनों के नाम बदलकर सुविख्यात राजनैतिक नेताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने के संबंध में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994 के दौरान प्राप्त हुए इन अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्टेशनों का नाम कब तक बदल दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है कि मैट्रो रेलवे के श्याम बाजार स्टेशन का नाम हेमन्त कुमार बसु भूतपूर्व विधायक और मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार के नाम पर रखा जाये।

(ग) यह मामला गृह मंत्रालय को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है और अगली कार्यवाही इसके प्राप्त होने पर की जा सकती है।

मैट्रो रेलवे

1065. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो रेलवे को टॉलीगंज से गरिया तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). मैट्रो रेलवे के टॉलीगंज से न्यू गरिया तक विस्तार के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी सह-अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को रेलवे के 1995-96 के निर्माण कार्य में शामिल किया जा चुका है। परियोजना पर कार्य शुरू करना सर्वेक्षण के परिणाम और आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

1066. श्री सत्यदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्टेशनों पर प्रतीक्षा गृह, भोजन कक्ष, पेय जल, शौचालय और विश्राम कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले रेल सलाहकार समिति के पास भेजे गए हैं; और

(ग) राज्य में स्टेशनों पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हाथियों की संख्या

1067. श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो गणनाओं के अनुसार हाथियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में हाथियों के बेरोक-टोक अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या के कम होने की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों और 1994-95 के दौरान अवैध शिकारियों द्वारा राज्यवार कितने हाथी मारे गए; और

(ङ) सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) 1993 से पूर्व सभी राज्यों में जंगली हाथियों की सुव्यवस्थित गणना नहीं की गई थी। एशियाई हाथी विशेषज्ञ दल ने 1985 में अपने अध्ययन में भारत में हाथियों की संख्या का व्यापक क्षेत्रवार अनुमान लगाने का प्रयास किया था। इस अध्ययन के अनुसार भारत में 16,560 से 21,361 के बीच हाथी थे। 1993 में हाथियों की आबादी का अनुमान 22,796 और 28,346 के बीच है। 1993 में हाथियों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). यद्यपि हाथी दांत के लिए वन्य हाथियों के यदा-कदा चोरी छिपे शिकार की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। तथापि, भारत में हाथियों की आबादी संबंधी अध्ययन के अनुसार वन्य हाथियों की

संख्या में कोई कमी नहीं आई है। 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान चोरी छिपे शिकार द्वारा जिन हाथियों के मारे जाने की सूचना है, उनकी संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) हाथी को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है जिसके तहत इसे कानून द्वारा अधिकतम संभव सुरक्षा प्रदान की गई है। हाथी दांत के लिए हाथी के चोरी छिपे शिकार को हतोत्साहित करने के लिए हाथी दांत के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसे वनस्पतिजात और प्राणिजात के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन की अनुसूची-I में भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत हाथी दांत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है। भारत सरकार ने भारत में वन्य हाथियों के संरक्षण पर बल देने के लिए 1991 में हाथी परियोजना आरम्भ की है। राज्यों को उनके सुरक्षा एवं संचार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता भी दी जा रही है।

विवरण-I

1993 में विभिन्न राज्यों में वन्य हाथियों की अनुमानित संख्या

	राज्य	न्यूनतम	अधिकतम
1.	आंध्र प्रदेश	46	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	2000	3000
3.	असम	5000	6000
4.	बिहार	500	600
5.	कर्नाटक	5000	6000
6.	केरल	3000	4000
7.	मेघालय	2500	3000
8.	उड़ीसा	1500	2000
9.	तमिलनाडु	2300	2500
10.	उत्तर प्रदेश	750	1000
11.	पश्चिम बंगाल	200	200
	कुल	22796	28346

विवरण-II

चोरी छिपे शिकारियों द्वारा मारे गये हाथियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	3	उपलब्ध नहीं	1
2.	असम	3	4	3
3.	कर्नाटक	16	15	14
4.	केरल	10	3	उपलब्ध नहीं
5.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	4	उपलब्ध नहीं
6.	पश्चिम बंगाल	1	4	

[हिन्दी]

माल डिब्बे

1068. श्री जनार्दन मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु माल डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार माल डिब्बों की कमी दूर करने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). माल ढुलाई के लिए रेल मालडिब्बों की मांग, व्यस्त सीजन को छोड़कर, संतोषजनक ढंग से पूरी की जाती है। व्यस्त सीजन के दौरान प्रतियोगी मांग के कारण मांगपत्र प्रस्तुत करने से लेकर मालडिब्बों की आपूर्ति में, विशेषकर फुटकर यातायात के लिए समय अंतराल हो जाता है। मालडिब्बों का प्रापण आवश्यकता पर आधारित है।

[अनुवाद]

निगमित घरानों को ठेके

1069. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण और वहां यात्री सुविधाओं का प्रावधान करने संबंधी ठेका निगमित घरानों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में स्थित रेलवे स्टेशनों के रखरखाव के लिए ऐसे ठेके देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). स्टेशन के सौंदर्यवर्धन/अनुरक्षण में सुधार तथा वाणिज्यिक विज्ञापनों से राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर एक मुश्त विज्ञापन के अधिकार न देकर उत्तर रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सौंदर्यवर्धन/अनुरक्षण के लिए 19.9.94 से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक प्राइवेट विज्ञापन एजेंसी के साथ समझौता किया है, पार्टी रेलवे द्वारा यथानिर्धारित एकमुश्त शुल्क का भुगतान भी करेगी।

(ग) और (घ). जी, हां। इस तरह के ठेके अन्य रेलों के 18 और

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

1070. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल ढुलाई के लक्ष्य में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या माल ढुलाई के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्कतानुसार यात्री रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है अथवा उनमें कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान रद्द की गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दालों का उत्पादन

1071. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जगमीत सिंह बराड़ :
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1950-51 की तुलना में 1992-93 में दालों के उत्पादन में कितनी गिरावट दर्ज की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य और तदनुसार उपलब्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) 1994-95 और 1995-96 के लिए दालों के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की सफलता के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). वर्ष 1950-51 और 1992-93 में दालों का उत्पादन क्रमशः 8.41 और 12.81 मिलियन मीटरी टन था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1991-92	15.50	12.02
1992-93	14.50	12.81
1993-94	15.50	13.10

परंपरागत रूप से, दलहन उगाने वाले कुछ मुख्य क्षेत्रों में मौसम की स्थितियां प्रतिकूल होने तथा किसानों द्वारा संस्तुत उत्पादन प्रौद्योगिकियां न अपनाए जाने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके।

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए दालों का 15.50 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1995-96 के लिये लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गये हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना को सिंचित स्थितियों में ग्रीष्म दलहनों के तहत क्षेत्र में वृद्धि के प्रयासों तथा अन्य खरीफ और रबी दलहन फसलों के लिये बारानी खेती की प्रौद्योगिकियां अपनाने के प्रयासों द्वारा लागू किया जायेगा।

गार्डों और ब्रेकवैनों के बिना रेल गाड़ियां

1072. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों को गार्डों और ब्रेकवैनों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना चलाए जाने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनके फलस्वरूप जान और रेल सम्पति की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। इन कारणों से 1993-94 और 1995 (आज तक) के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्यतः किसी गाड़ी को गार्ड/ब्रेकयान और प्रशिक्षित कर्मचारी के बिना चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, पर्याप्त संरक्षा पूर्वोपाय करके परिचालनिक तात्कालिकता तथा आपवादिक परिस्थितियों में कुछ माल गाड़ियां बिना गार्ड/ब्रेकयान के चलाई जाती हैं और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक अनुदेश निर्धारित किए गए हैं। ब्रेक यानों सहित सभी माल गाड़ियों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड/ब्रेकयानों का नियमित रूप से निर्माण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

1073. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में तम्पानूर रेलवे स्टेशन से कचकुट्टम तक की रेलवे लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएंगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्य क्विलोन-तिरुवनन्तपुर दोहरीकरण का भाग है और यह पहले से ही प्रगति पर है।

(ग) 31.3.98 तक बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

रुग्ण चीनी मिलें

1074. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कई चीनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके फलस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य को कितना घाटा हुआ है;

(ङ) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जायेंगे;

(च) क्या कुछ रुग्ण मिलों को सार्वजनिक तौर पर बेचा जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). 14.3.1995 तक 31 फैक्टिरयों ने 1994-95 तक चीनी मौसम के लिए उत्पादन की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है :—

राज्य	फैक्टिरयों की संख्या
1	2
बिहार	13
पंजाब	1
उ. प्र.	3
गुजरात	2
महाराष्ट्र	3
असम	1
उड़ीसा	1
आन्ध्र प्रदेश	3
कर्नाटक	1
तमिलनाडु	1
केरल	1
नागालैण्ड	1

(ग) चीनी मिल को बंद करने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकारी आकार, पुरानी एवं अप्रचलित प्लांट और मशीनरी, तकनीकी और प्रबंधकीय कठिनाइया, वित्तीय रुकावटें आदि।

(घ) सरकार चीनी मिलों से संबंधित लाभ और हानि का लखा जोखा नहीं रखती है।

(ङ) चीनी मिलों को पुनःस्थापन/आधुनिकीकरण क लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती है और उनका संबंधित संस्थानों स अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुनःस्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते वे उनमें निहित शर्तें पूरा करती हों।

(च) और (छ). यह संबंधित रुग्ण चीनी मिलों/राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इस संबंध में अपनी नीति तैयार करें, और इस मामले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

[अनुवाद]

खजुराहो के मंदिरों को क्षति

1075. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुयानों के उतरने तथा उड़ान भरने के समय उत्पन्न होने वाली कम्पन के कारण खजुराहो के मंदिरों को भारी क्षति होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन महीनों के दौरान इण्डियन एयर लाइन्स क विमान चालकों ने खजुराहो के मंदिरों के ऊपर से उड़ान न भरन संबंधी निर्देशों का अनेकों बार उल्लंघन किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). यदि विमान मन्दिरों के बहुत नजदीक से उड़ते हैं और नियत सीमा से ज्यादा कम्पन पैदा करते हैं, तो मन्दिरों को नुकसान पहुंचने का डर है। नागरिक

उड्डयन प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विमान चालकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे खजुराहो के मन्दिर-समूह के ऊपर विमान न उड़ाएं। तथापि, पिछले तीन महीनों में इन निर्देशों के उल्लंघन की घटनाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ध्यान में आई हैं और सरकार को इस समस्या की जानकारी है।

रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि

1076. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण मध्य रेलवे में तेनाली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के स्तर में वृद्धि करने और सुधार लाने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेनाली रेलवे स्टेशन के अंतर्गत और आसपास कितनी फालतू भूमि उपलब्ध है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). परिचलन क्षेत्र और प्रतीक्षालय की कुरसी (पानी इकट्ठा होने से बचने के लिए) को ऊंचा करने और प्लेटफार्म सायबान के विस्तार सहित प्लेटफार्म सं. 2 और 3 के विस्तार से संबंधित कार्य 20.07 लाख रुपये की लागत से शुरू कर दिये गये हैं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.एस.टी.सी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय

1077. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेशनल स्पोर्ट टेलेंट कंटेस्ट (एन.एस.टी.सी.) स्कीम" के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में खेल के मैदान, तरणताल, जिमखाना, भोजन और आवास सुविधाओं जैसी खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) ऐसे कितने विद्यालयों का प्रबंधन नगर निगमों के अधीन है;

(ग) क्या इन विद्यालयों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन. एस.टी.सी.) योजना के अंतर्गत अपनाए गए सभी स्कूलों में चयनित विधाओं के लिए अपेक्षित खेल अवस्थापनाएं हैं। इसके अलावा ऐसे स्कूलों में भोजन व आवास की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) इन स्कूलों में से 16 स्कूलों का प्रबंध नगर निगम द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन स्कूलों में अपनाए गए बच्चों की दिनप्रति-दि देखरेख और खेल कार्यकलापों का प्रबोधन क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया हुआ है जिसका कार्य योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा, इन स्कूलों के कार्य और चयन, प्रशिक्षण सामग्री और कार्यक्रमों के प्रबोधन और सुधार के उपायों पर विचार करना है। जो छात्र निर्धारित स्तर पर प्राप्त नहीं करते हैं उनको छांटने के लिए एक प्रणाली भी बनाई हुई है।

[अनुवाद]

स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन ("क्लास")

1078. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "क्लास"-स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथ अध्ययन को लागू करने के लिए इसके प्रारंभ से अब तक प्रत्येक राज्य में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कुल कितने स्कूलों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस योजना को लागू करने से क्या उपलब्धि हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 के दौरान आरंभ की गई थी। 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संस्वीकृत स्कूलों व अन्य संगठनों तथा जारी अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय प्रायोजित योजना "क्लास" हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन अभी जल्दबाजी होगा।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/ अन्य संगठनों के नाम	संस्वीकृत स्कूलों की संख्या	वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	142	113.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	7.20
3.	असम	93	76.40
4.	बिहार	123	98.40
5.	गोआ	12	9.60
6.	गुजरात	136	108.80
7.	हरियाणा	77	93.60
8.	हिमाचल प्रदेश	33	26.40
9.	जम्मू एवं कश्मीर	43	36.40
10.	कर्नाटक	155	163.50
11.	केरल	115	124.00
12.	मध्य प्रदेश	152	168.60
13.	महाराष्ट्र	211	168.80
14.	मणिपुर	10	8.00
15.	मेघालय	11	10.80
16.	मिजोरम	10	8.00
17.	नागालैंड	11	8.80
18.	उड़ीसा	117	93.60
19.	पंजाब	100	80.00
20.	राजस्थान	129	142.70
21.	सिक्किम	11	8.80
22.	तमिलनाडु	163	169.90
23.	त्रिपुरा	10	8.00
24.	उत्तर प्रदेश	254	250.20
25.	प. बंगाल	232	225.10
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	7	5.60
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	8	6.40
28.	दिल्ली प्रशासन	78	89.40
29.	दादरा एवं नगर हवेली	6	4.80
30.	दमन और दीव	1	0.80
31.	लक्षद्वीप	9	7.20
32.	पांडिचेरी	8	6.40
33.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	325	260.00
34.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन	7	5.60
35.	बाल भवन सोसायटी	1	0.80
36.	आणविक ऊर्जा शिक्षा सोसायटी	7	5.60
	जोड़	2816	2601.80

[हिन्दी]

कृषि संबंधी ऋण

1079. **बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों के कृषि संबंधी ऋण समय से न मिलने की शिकायतें मिली हैं; जिसके कारण उनके कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसमें कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ). किसानों को अपने कृषि उत्पादन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार समय से तथा पर्याप्त मात्रा में ऋण देने का हर संभव प्रयास कर रही है। यदि इस बारे में सरकार के पास कोई शिकायत आती है तो इस पर उपचारात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित बैंकों व अन्य एजेन्सियों के साथ मामला उठाया जाता है।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

1080. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नहेरू विश्वविद्यालय द्वारा एन.ए.ए. परिसर स्थित कमरों को खाली करवाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कुल कितने आवासों को खाली किया गया है और आई.एस.टी.एम को सौंपा गया है;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपनी नई आवासीय परिसरों का निर्माण किया है परंतु अब तक किसी को भी इनका आवंटन नहीं किया है और इसके लिए बाजार दर पर किराया दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा सरकार को अब तक बाजार दर पर किराए की कुल कितनी राशि अदा की गई है; और

(ङ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा कब तक उक्त परिसर को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार 5-1-95 को सरकार को ब्लॉक-I के 13 कमरे सौंप दिए गए हैं।

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अभी तक निम्नलिखित आवासीय स्थान सरकार को सौंप दिए गए हैं :-

(i) 31-10-91 को 16 टाईप-III क्वार्टर, तथा

(ii) 5-1-95 को ब्लॉक-1 के 13 कमरे।

(ग) सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित आवासीय स्थान के अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने शेष कर्मचारियों के लिए आवास निर्मित किए हैं। परंतु विश्वविद्यालय सभी निर्मित घरों पर अधिकार नहीं कर सका है क्योंकि दिल्ली नगर निगम पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं करा पा रहा है। अतः विश्वविद्यालय एन.ए.ए. परिसर में उसके द्वारा अधिकृत भवनों के लिए सरकार को बाजार दर पर किराया दे रहा है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा सरकार को दिया गया कुल बाजार किराया 36,02,702/- रु. है।

(ङ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय पानी की आपूर्ति ठीक होते ही एन.ए.ए. परिसर में आवासीय स्थान खाली कर देगा।

नारियल का उत्पादन

1081. डा. असीम बाला :
श्री थाइल जॉन अंचलोज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार प्रति वर्ष नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने क्षेत्र में नारियल की खेती की गई;

(ग) 1994-95 के दौरान कितने क्षेत्र में नारियल की खेती किए जाने का विचार है;

(घ) 1994-95 के दौरान नारियल की खेती हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नारियल उत्पादों का विविधीकरण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 मे नारियल का कुल राज्यवार उत्पादन और नारियल की खेती के अधीन भू-क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

राज्य का नाम		क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)		उत्पादन (मिलियन ढाने)	
		1992-93	1993-94	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	1081.8	1103.5	71.7	79.9
2.	असम	103.2	103.2	15.6	15.6
3.	गोवा	113.0	113.0	24.2	24.2
4.	कर्नाटक	1269.7	1340.8	246.0	252.2
5.	केरल	5125.2	5586.4	877.0	881.6
6.	महाराष्ट्र	131.0	148.5	7.9	7.9
7.	उड़ीसा	219.5	219.5	38.4	38.4
8.	तमिलनाडु	2771.1	3281.9	196.4	270.3
9.	त्रिपुरा	4.9	4.9	11.3	11.3
10.	पश्चिम बंगाल	285.1	310.3	20.4	21.1
11.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	84.4	85.3	24.1	24.4
12.	लक्षद्वीप	21.0	20.3	2.8	2.8
13.	पांडिचेरी	31.0	31.4	1.9	1.9

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान 3690 हैक्टेयर को नारियल की खेती के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1994-95 में नारियल रोपण हेतु प्रत्येक राज्य को आवंटित राज्यवार धन निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य	आवंटित धनराशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	केरल	24.00
2.	तमिलनाडु	22.50
3.	कर्नाटक	22.50

1	2	3
4.	आंध्र प्रदेश	15.00
5.	महाराष्ट्र	0.60
6.	गुजरात	0.90
7.	गोवा	0.90
8.	पांडिचेरी	0.90
9.	उड़ीसा	4.50
10.	बिहार	1.80
11.	असम	4.50
12.	त्रिपुरा	1.50
13.	पश्चिम बंगाल	3.00
14.	मणिपुर	0.75
15.	नागालैण्ड	0.60
16.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.25
17.	मध्य प्रदेश	2.25
18.	अरुणाचल प्रदेश	1.50
19.	अन्य	0.75
	योग	110.70

(ङ) और (च). कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड ने प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र खोला है और उत्पादों को विविध बनाने के लिये प्रौद्योगिकी विकास आरंभ किया है। इस बोर्ड की पहल पर विकसित किए गये नये उत्पाद हैं—ठंडे पेय के रूप में नारियल पानी, नारियल क्रीम और स्किन्ड-दुग्ध पाउडर।

मछुआरों का कल्याण

1082. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान मछुआरों के बुनियादी विकास हेतु आदर्श गांव प्रदान करने और अन्य सुविधाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि में केन्द्रीय प्रायोजित "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" तथा "अंतर्देशीय मछली विपणन योजना के लिये मूलभूत ढांचे की सुविधाएं" के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

I. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

1992-93

200 लाख रुपये की कुल लागत से आंध्र प्रदेश के सात जिलों में 1540 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। बाद में यह लागत संशोधित करके 218.67 लाख रु. कर दी गई थी। इस लागत में केन्द्रीय अंश 100 रु. का था तथा शेष लागत के लिये व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी थी।

1993-94

712.12 लाख रुपये की कुल लागत से आंध्र प्रदेश के 22 जिलों में 5000 मकानों, 245 बोरवेल्स तथा 16 सामुदायिक हालों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। लागत में केन्द्रीय और राज्यीय अंश 206.06 लाख रुपये प्रत्येक का था तथा शेष लागत के लिये धन की व्यवस्था, हुडको से ऋण (250 लाख रुपये) तथा लाभार्थियों से अंशदान (50 लाख रुपये) लेकर की जानी थी।

1994-95

650 लाख रुपये की कुल लागत से 22 जिलों में 5000 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। केन्द्रीय तथा राज्यीय अंश 175 लाख रुपये प्रत्येक का था तथा शेष लागत के लिये धन व्यवस्था हुडको/जीवन बीमा निगम से ऋण (250 लाख रुपये) प्राप्त करके तथा लाभार्थियों से अंशदान (50 लाख रुपये) प्राप्त करके की जानी थी।

II. अंतर्देशीय मछली विपणन योजना के लिये मूलभूत ढांचे की सुविधायें मजबूत बनाना

1992-93

राज्य सरकार ने मछली के रख-रखाव के शेड, बर्फ संयंत्र तथा शीत भण्डारण, इन्सुलेटेड/रेफ्रिजिरेटेड परिवहन वाहनों, मछली खुदरा केन्द्रों/खोखों तथा इन्सुलेटेड डिब्बों वाली बाईसाइकिलों से लैस कुल 89 लाख रुपये की कुल लागत से एक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया था और सारी लागत के लिए धन व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी थी।

1993-94 तथा 1994-95

इन दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार को दिए गये धन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

I. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

अनुमोदित मदें	निर्मुक्त धनराशि (रुपये लाखों में)		
	1992-93	1993-94	1994-95
1540 मकान	50	—	50
5000 मकान	—	25	100

II. अंतर्देशीय मछली विपणन योजना के लिए मूलभूत ढांचे की सुविधाओं को मजबूत बनाना

(रुपये लाखों में)

अनुमोदित मदें	निर्मुक्त धनराशियां		
	1992-93	1993-94	1994-95
1. मछली विपणन एकक	44.50	—	—

[हिन्दी]

मिर्जा गालिब का घर

1083. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) :
श्री आनंद अहिरवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जा गालिब के घर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के संबंध में कोई मांग/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) घर को संरक्षित रखने के प्रस्ताव की विस्तृत जांच की गई थी, किन्तु इसे केन्द्रीय संरक्षण के अंतर्गत लाए जाने के उपयुक्त नहीं पाया गया।

(ग) चूंकि अतीत में, इमारत के ढांचे में बड़े परिवर्तन किए गए हैं इसलिए मूल घर का हिस्सा भी जर्जरावस्था में है।

(घ) दालान एवं कुछेक मेहराबों को छोड़कर, यहां मुश्किल से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे संरक्षित किया जा सके। ये भी जर्जर अवस्था में हैं।

खाद्यान्नों की खरीद

1084. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफेड ने सरकार द्वारा 1994-95 में तय किए गए समर्थन मूल्य पर उत्पाद को उत्पादकों से सीधे खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना लाभ अर्जित होगा;

(ग) नयी योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यानों की अधिप्राप्त के लिए नेफेड को केन्द्रीय शीर्षस्थ एजेंसी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एस.एफ.सी.आई.

1085. **श्री मोहन रावले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1994 के "इकॉनोमिक टाइम्स" में स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 24 दिसम्बर, 1994 के इकॉनोमिक्स टाइम्स, दिल्ली में "भारतीय राज्य फार्म निगम में घोटाला" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारतीय राज्य फार्म निगम में एक घोटाला हुआ है जिसमें इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनियां चलाकर इतना धन एकत्र किया है जो उनकी आय के ज्ञात साधनों के अनुरूप नहीं है और जिससे यह संगठन खोखला हो गया है और इस घोटाले का पर्दाफाश भारतीय राज्य फार्म निगम की अध्यक्ष श्रीमती सरिता जे. दास ने किया है। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि कई साल पहले इस कदाचार का पता लगा था। किन्तु निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लीपापोती करते हुए छानबीन ठप्प कर दी गई तथा कार्रवाई में देर की गई। एक ऐसे मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया गया जिसमें श्री विजेन्द्र सिंह और श्री एस.पी. दवे शामिल हैं।

निगम के शीर्ष अधिकारियों के विरूद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्रवाई के अन्य मामलों तथा विपणन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के लिए श्री डी.पी. सोनी, विपणन प्रबंधक के विशेष मामले का भी उल्लेख किया गया।

सर्व श्री एस.पी. दुबे और बिजेन्द्र सिंह के संबंध में मामला यह है कि 1987 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि श्री बिजेन्द्र सिंह अन्य चार कंपनियों के मालिक हैं:

(i) मैसर्स शिवा एन्टरप्राइजिज
(ii) मैसर्स जियो कंपनी इलेक्ट्रानिक्स
(iii) मैसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट
(iv) मैसर्स बंदना कालोनाइजर्स

आगे यह भी उल्लेख किया गया कि मैर्सस शिवा एन्टरप्राइजिज के मालिक कोई श्री उमेश हैं जो श्री बिजेन्द्र सिंह के पार्टनर हैं तथा उन्होंने भारतीय राज्य फार्म निगम को अतिरिक्त पुर्जों (स्पेयर पार्ट्स) की सप्लाई की थी।

जांच करने पर यह पता चला कि एक घटक फार्म अर्थात केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ से मुख्यालय में अनुमोदन के लिए टैंडर नोटिस का मसौदा प्राप्त होने पर जिससे संबंधित कार्य सर्वश्री एस.पी. दुबे और बिजेन्द्र सिंह कर रहे थे, जो उस समय निगम के इंजीनियरी प्रभाग में तैनात थे, ने टेंडर नोटिस के प्रारूप में कुछ अतिरिक्त मदें जोड़ीं तथा केंन्द्रीय राज्य फार्म से कहा कि वह इन मदों को भी खरीदें। मैसर्स शिवा एन्टरप्राइजिज फर्म ने इन अतिरिक्त मदों में से कुछ के लिए कोटेशन दिया। मैसर्स शिवा एन्टरप्राइजिज द्वारा निवेदित दर के आधार पर श्री दुबे ने अन्य घटक फर्मों को पत्र लिखा कि यदि आवश्यक हो तो वे मैसर्स शिवा एन्टरप्राइजिज से इन मदों को खरीदें क्योंकि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ की एवज में जारी टेंडर नोटिस के प्रत्युत्तर में इस फर्म द्वारा निवेदित दर के आधार पर इनकी दरों का अनुमोदन किया गया है। जब यह शिकायत विशेष तथा जमीन जायदाद के संबंध में उस शिकायत में वर्णित अन्य आरोप सामने आए, जब दोनों अधिकारियों से उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया, जिसे दोनों अधिकारियों ने झुठला दिया। जब अतिरिक्त तथ्य सामने आए तो दोनों अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई के लिए खेद प्रकट किया तथा आश्वस्त किया कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर तत्कालीन प्रबंधकों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, शायद यह सोचकर कि इसे इन अधिकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए अंकुश के रूप में उपयोग किया जाएगा। जब हाल ही में यह मामला तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती सरिता जे. दास के ध्यान में आया, तब इसे बोर्ड के ध्यान में लाया गया तथा बोर्ड ने इस पर आगे अनुवर्ती कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की तथा उचित एजेंसी के माध्यम से छानबीन कराने के लिए यह मामला उठाया गया है।

विपणन प्रक्रिया में की गई गलतियों के लिए श्री डी.पी. सोनी के विरुद्ध जांच की जा रही है। भारतीय राज्य फार्म निगम ने सर्व श्री टी. सी. जी. नायर भतपर्व प्रबंधक निदेशक, बी. के. शर्मा, मुख्य कृषि विद, भारतीय राज्य फार्म निगम, आर.एस. मलिक, निदेशक (इंजी.), भारतीय राज्य फार्म निगम, के.पी. सिंह, निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचुर, एस.डी.एस. यादव, विपणन प्रबंधक, भारतीय राज्य फार्म निगम और जी.ए. सिद्धिकी, विपणन अधिकारियों के विरुद्ध चूक और त्रुटि के विभिन्न मामलों में अनुशासनिक मामले शुरू किए हैं। आइड्रोलिकली आपरेटिड डिस्क हैरोज की अधिप्राप्ति के लिए टेंडर दस्तावेजों में हेर-फेर करने के मामले में श्री एस.पी. दुबे, भूतपूर्व इंजीनियर के विरुद्ध विभागीय जांच पूरी कर ली गई है। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

उन्नाव स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

1086. श्री देवी बक्स सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध आधारभूत यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्टेशन पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल मार्गों पर मालवाहक ट्रकों का आवागमन

1087. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईंधन की बचत करने तथा विदेशी कर्ज को कम करने के लिए देश में मालवाहक ट्रकों के आवागमन हेतु खाली समय में रेल मार्गों का उपयोग किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). रेल प्रणाली द्वारा सपाट मालडिब्बों पर लदे हुए ट्रकों के संचलन के लिए निजी पार्टी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि पार्टी अपने टर्मिनलों और अभिकल्प का स्वामित्व रखेगी और ट्रकों की ढुलाई के लिए अपने मालडिब्बे और रेल इंजन सप्लाई करेगी। पार्टी ने इस्तेमाल किये जाने वाले प्रस्तावित मालडिब्बे तथा रेल इंजन के अभिकल्प को अभी अंतिम रूप देना है और इस यातायात को सम्हालने के लिए उपयुक्त टर्मिनलों का निर्धारण करना है।

किसानों को सब्सिडी

1088. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1994-95 से फसल उत्पादन संबंधी राजसहायता को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश के उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष से सब्सिडी देना बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों को खाद्यान्नों, कपास तथा अन्य फसलों का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कोई अन्य योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार आठवीं योजना के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के वास्ते विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुख योजनाएं, अर्थात समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम चावल, गेहूं, मोटे अनाज, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, गहन पटसन विकास कार्यक्रम और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित करना जारी रखेगी। इन कार्यक्रमों के जरिए बैल वाहित उपस्करों नव विकसित किस्म के प्रमाणित बीजों के वितरण, प्रदर्शनों के आयोजन, कृषक प्रशिक्षण, समन्वित कृषि प्रबंध प्रदर्शन, मिनिकिटों के वितरण आदि पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र

1089. श्री परसराम भारद्वाज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सूखे से प्रभावित अनेक क्षेत्रों में खाद्यान्न इत्यादि की कमी अभी भी बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कौन-कौन से क्षेत्र सूखे से प्रभावित घोषित किए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अभी तक किस प्रकार की सहायता दी गई या दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ख). मध्य प्रदेश सरकार से प्रापत सूचना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानूसन 1994 के बाद राजगढ़, खंडवा, बालाघाट, रायपुर, दुर्ग और टीकमगढ़ की 12 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1994-95 के लिए आपदा राहत कोष का समस्त केन्द्रीय अंश, जो 27.75 करोड़ रुपये हैं, निर्मुक्त कर दिया है।

[हिन्दी]

विज्ञान स्नातकों का नामांकन

1090. श्री विजय एन. पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्य और कला स्नातकों की तुलना में विज्ञान स्नातकों की संख्या में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विज्ञान संबंधी अध्ययन को प्रोत्साहन देने तथा उसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न भण्डार

1091. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के भण्डार की वर्षवार स्थिति क्या है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1995-96 के खरीद मौसम के दौरान राज्य की वास्तविक मांग की तुलना में कितनी मात्रा में गेहूं और चावल खरीदे जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास एक जनवरी, 1993, एक जनवरी, 94 और एक जनवरी, 1995 को गेहूं और चावल की स्टाक स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

('000 मीटरी टन में)

निम्नलिखित तारीख को	गेहूं	चावल
पहली जनवरी, 1993	107.7	418.6
पहली जनवरी, 1994 (अनन्तिम)	465.0	601.0
पहली जनवरी, 1995 (अनन्तिम)	437.2	750.7

(ख) मध्य प्रदेश में आगामी रबी मौसम 1995-96 के दौरान गेहूं की 3.30 लाख मीटरी टन वसूली होने का अनुमान है। वर्ष 1995-96 के खरीफ विपणन मौसम में चावल की वसूली के निश्चित आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि उक्त मौसम अक्तूबर में तो शुरू होगा।

राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1994 से जून, 1995 के लिए 48,660 मीटरी टन गेहूं की प्रति-माह मांग और जनवरी, 1995 से दिसम्बर, 1995 के लिए 45,586 मीटरी टन चावल की प्रति-माह मांग की है।

[अनुवाद]

सहायता अनुदान

1092. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि विकास कार्यक्रम हेतु कार्य प्रदर्शन, ब्लॉक वृक्षारोपण, पौध उगाने, पौध वितरण तथा जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी गतिविधियों के लिये स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में कुछ धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्वयंसेवी एजेंसियों के नाम क्या हैं और उपरोक्त अवधि के दौरान इन्हें कितनी-कितनी धनराशि दी गयी;

(घ) क्या सरकार ने इन्हें दिये गये अनुदानों के संदर्भ में इनके कार्यनिष्पादन का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बंजर भूमि के विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के परियोजना प्रस्ताव, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा संचालित अनुदान सहायता स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश से संबंधित परियोजनाओं के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). राज्य एजेंसी अथवा प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा विस्तृत पूर्व-मूल्यांकन के उपरान्त ही परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। तदुपरान्त कार्यान्वयन अवधि के दौरान परियोजनाओं का मध्यवर्ती मूल्यांकन तथा स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद मूल्यांकन संबंधित स्थानीय सरकारी विभागों, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्रों अथवा गैर-सरकारी परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इन मूल्यांकनों की रिपोर्टों के आधार पर ही धनराशि अवमुक्त की जाती है।

विवरण

राज्य का नाम-उत्तर प्रदेश — लाख रुपये

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
		स्वीकृत धनराशि	दी गई धनराशि	स्वीकृत धनराशि	दी गई धनराशि	स्वीकृत धनराशि	दी गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
क. राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं							
1.	सेन्टर हिमालयन इंटीग्रेटिड रूरल एक्शन ग्रुप, नैनीताल	32.93	14.76	–	10.98	–	–
2.	इंदिरा विकास नर्सरी, अलमोड़ा	–	2.99	8.94	5.31	–	3.64
3.	आरोही, नैनीताल	–	–	7.58	3.00	–	1.00
4.	यान हिमालयन ग्रास रूट्स डेवेलपमेंट कोरम, नैनीताल	–	–	9.39	3.15	–	2.00
5.	नव-युवक विकास समिति संस्था, पौड़ी गढ़वाल	–	–	–	–	5.31	1.31
6.	भूतपूर्व सैनिक पर्यावरण संरक्षण संस्थान पौड़ी गढ़वाल	–	–	–	–	4.85	2.00
7.	बाल भारती विकास मंदिर समिति, टिहरी गढ़वाल	–	–	–	–	4.65	1.50
8.	ग्रामीण विकास समिति, शिकोहाबाद	–	–	–	–	2.23	1.33
9.	डेवेलपमेंट आल्टरनेटिव, नई दिल्ली	–	0.37	–	0.48	–	–
10.	सैंटर फार इम्प्रूवमैंट ऑफ रूरल डेवेलपमेंट, नई दिल्ली	4.20	2.14	–	–	–	–
11.	नोनहिल इंटीग्रेटिड रूरल प्रोजेक्ट फॉर हैल्थ एण्ड डेवेलपमेंट, नई दिल्ली	4.39	2.39	–	–	–	–
12.	इ.एम.ई. एडवैंचर सूट्स एसोसिएशन, नई दिल्ली	–	–	0.85	0.85	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
ख.	बंजर भूमि विकास बोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं						
1.	यूनिक ग्रोमोद्योग संस्थान, मणिपुर	5.71	3.00	–	–	–	–
2.	माधव सेवा संस्थान, मणिपुर	6.68	3.50	–	–	–	–
3.	उर्मिला ग्रामोद्योग समिति, गोंडा	3.03	1.51	–	–	–	–
4.	बंजारा विकास परिषद, अलीगढ़	1.21	0.74	–	–	–	–
5.	बाबा श्रीनाथ शिक्षा संस्थान, सुलतानपुर	–	1.12	–	–	–	–
6.	ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति, आगरा	–	2.07	5.88	1.93	–	–
7.	द्रोणाचल ग्रामोद्योग एवं पर्यावरण संस्थान, अलमोड़ा	–	–	5.48	1.68	–	–
8.	हरित क्रांति सेवा संस्थान, बिजनौर	–	–	3.00	0.77	–	–
9.	दयाल वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद	–	1.60	11.06	3.69	–	3.69
10.	ग्रामोदय सेवा आश्रम, शाहजांपुर	–	–	3.25	1.70	–	–
11.	नेहरू सेवा आश्रम, शाहजांपुर	7	7	2.49	0.99	–	–
12.	किसान वृक्षारोपण समिति, आगरा	–	5.59	19.95	6.68	–	6.68
13.	ग्रुपियस सोशल वैलफेयर समिति, बिजनौर	4.25	2.25	–	2.00	–	–
14.	कृषक एवं समाज सेवा संस्थान मुरादाबाद	–	–	–	2.30	–	–
15.	अखिल भारतीय विद्या परिषद, मथुरा	–	–	4.97	1.66	–	–
16.	जन मानस विकास संस्थान, शाहजांपुर	–	–	2.65	0.99	–	–
17.	हिमालय इकॉलोजी एण्ड ट्रीटमेंट एण्ड नैचुरल एग्रीकल्चर समिति, उत्तरकाशी	–	–	4.57	1.16	–	–
18.	बांके बिहारी संस्कृत संस्थान, मथुरा	–	–	5.37	1.66	–	–
19.	रंधोल वृक्षारोपण समिति, मुजफ्फरनगर	–	–	–	–	2.21	0.88

[हिन्दी]

उपरि पुलों का निर्माण

1093. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :
श्री राम कापसे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान रेल फाटकों पर उपरि पुलों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार का कोई अनुरोध मिला है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे रेल फाटकों पर पुलों का निर्माण करने का है जो महत्वपूर्ण हैं और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कल्याण में रेल पुल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) इस कार्य के पूरा होने मे विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और यह पुल यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. चाचर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). व्यस्त समपार को ऊपरी/निचले सड़क पुल से बदलने की प्रणाली यह है कि राज्य सरकार प्राथमिकताएं प्रदान करते हुए काम का प्रस्ताव करें। तत्पश्चात् रेलें मामले की जांच करती हैं और उनमें से ऐसे कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार करती हैं जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पूर्वापेक्षित औपचारिकताएं पूरी की गई हों।

(घ) और (ङ). ब्यौरा इस प्रकार है:

	काम का ब्यौरा	स्वीकृति का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1.	खापरी-राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर सपमार सं. 119-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1988-89	रेलवे का भाग/प्रगति लगभग 80 प्रतिशत लो.नि.वि. का भाग/प्रगति-10 प्रतिशत
2.	मुलुण्ड-समपार सं. 20 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1991-92	बम्बई नगर निगम ने अभी अतिक्रमण हटाने हैं और पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू करना है।
3.	विरार-वलसाड खंड पर समपार से 43 के बदले सफाला में ऊपरी सडक पुल का निर्माण	1990-91	रेलपथ पर पुल मई, 94 में पूरा हो गया है। पश्चिमी पहुंच मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। पूर्वी छोर के पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा अभी कार्य शुरू किया जाना है।
4.	बोरखेंड़ी-समपार सं. 107 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1991-92	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।
5.	बूटी बोरी-सतपार सं. 113 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निमार्ण	1991-92	राज्य सरकार से अनुमान की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	उधना-जलगांव खंड पर समपार सं. 120 के स्थान पर नरदाना में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1994-95	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।
7.	विले-पार्ले-चर्चगेट विरार खंड पर समपार सं. 22 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1994-95	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।
8.	कल्याण-समपार सं. 41 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1994-95	राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।
9.	विले पार्ले-चर्चगेट-विरार खंड के बीच समपार सं. 21 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1995-96	इस कार्य को 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
10.	कांडिवाली-चर्चगेट-विरार खंड पर समपार सं. 31 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1995-96	इस कार्य को 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
11.	बोरीवली-चर्चगेट-विरार खंड पर समपार सं. 33 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1995-96	इस कार्य को 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
12.	डेहरी-समपार सं. 39-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1995-96	इस कार्य को 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
13.	बदलापुर-कल्याण-पुणे खंड पर कि.मी. 67/3-4 पर समपार सं. 10 बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	1995-96	इस कार्य को 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(च) और (छ). राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण के साथ-साथ रेलवे द्वारा पुल खास का निर्माण पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। सामान्यतः रेलों द्वारा ऊपरी सड़क पुलों का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

रेल संपर्क

1094. डा. सुधीर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों की राजधानियों को रेल संपर्क द्वारा परस्पर जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की सभी राजधानियों में रेल संपर्क की व्यवस्था करना वहां के भू-भाग की प्रकृति तथा उनके निर्माण में शामिल भारी निवेश और रेलों के समक्ष संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। तथापि, कुमारघाट-अगरतला लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है और इस संपर्क के बारे में आगे विचार करना इस वर्ष बाद में सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

बी.टी. स्टेशन पर टिकट काउन्टर

1095. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में बी.टी. स्टेशन पर टिकट काउन्टरों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). बंबई बी.टी. स्टेशन पर, उपनगरीय कार्ड टिकट सीजन टिकट तथा अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए पहले ही 32 बुकिंग खिड़कियां हैं। इन्हें सामान्यतः इस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। प्रतीक्षा समय में कमी करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों की भी व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

मूल्यवान चित्र "पेंटिंग"

1096. श्री हरि किशोर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता में लगे बहुमूल्य चित्रों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश

1097. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए बच्चों के चयन की प्रक्रिया में कई खामियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या ये विद्यालय अधिक शिक्षण शुल्क, भवन निधि और अन्य शुल्कों की भी वसूली कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). स्कूली छात्रों के शैक्षिक भार को कम करने से संबंधित उपायों पर सुझाव देने के लिए गठित एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति (यशपाल समिति) ने अन्य बातों के साथ-साथ नर्सरी कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित करने की पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, विचार करने के पश्चात रिपोर्ट की राज्यों के लिए सिफारिश की।

(ग) और (घ). राज्य शिक्षा अधिनियमों में शुल्कों के विनियमन के लिए पर्याप्त प्रावधान है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर संबंधित अधिनियमों में प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में रेलवे योजनाएं

1098. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब शुरू किया गया था और कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). उड़ीसा में इस समय चल रही रेल योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के शुरू होने की तारीख	पूरा करने की अनुमानित तारीख
नई लाइनें			
1.	कोरापुट-रायगडा	81-82	95-96
2.	तालचेर-संबलपुर	84-85	96-97
3.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	93-94	2001-02
4.	दैतारी बांसपानी	93-94	98-99
5.	खुर्दा रोड-बोलनगीर	94-95	2001-02
दोहरीकरण			
1.	जोरांडा रोड-हिंडोल रोड	92-93	94-95
2.	तालचेर-हिंडोल रोड	93-94	95-96
3.	अंबोदला-विस्साम कटक और थेरूवली-गुमडा	92-93	94-95
4.	रजतगढ़-निरगुंडी	94-95	97-98

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में पशु-पक्षियों की मौत

1099. श्री श्रीकान्त जेना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में प्रजातिवार कितने पशुओं और पक्षियों की मौत हुई;

(ख) उनकी मृत्यु के प्रमुख कारण क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्यान में दयनीय दशाओं की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उद्यान की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1994 के दौरान 172 पशुओं तथा पक्षियों तथा 1993 में 171 पशु पक्षियों की मृत्यु हुई थी। 1993 और 1994 में मृत विभिन्न पशुओं और पक्षियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मृत्यु के मुख्य कारण निमोनिया, यकृत-शोध, फुफ्फुस गड़बड़ी, फुफ्फुस फोडा, फुफ्फुस क्षयरोग, जठर शोथ, आंत शोथ, उदर आंत्र शोथ तथा आपस में लडाई से लगी चोटें बताई गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसे मान्यता देते समय चिड़ियाघर का मूल्यांकन किया है और पशु चिकित्सा देखभाल सहित चिड़ियाघर के प्रबंधन के बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं। निधियां उपलब्ध होने पर सरकार इन सिफारिशों की चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रही है।

विवरण

क्र.सं.	प्रजाति का नाम	1993	1994
1	2	3	4
स्तनधारी			
1.	खरगोश	4	8
2.	घोरल	–	3
3.	ओरंग उतान	1	1
4.	अफ्रीकी सिंह (संकर)	–	2+1=3
5.	जावा बंदर	1	–
6.	अफ्रीकी गैंडा (नर+मादा)	2	1
7.	चित्तीदार हिरण	5	8
8.	वाह	–	1
9.	थामिन हिरण	6	2
10.	चिंकारा	4	3
11.	जंगली भालू	–	6
12.	तेंदुआ बिल्ली	1	–
13.	साही	3	1
14.	मलायन भालू	–	1
15.	इलन्द	1	1
16.	नीलगाय	6	7
17.	नीलगिरी लंगूर	2	–
18.	काकड़	4	–

1	2	3	4
19.	बाघ (सामान्य)	2	—
20.	बाघ (सफेद)	–	1
21.	काला मृग	3	1
22.	लद्दाखी बकरी	1	–
23.	सिक्का हिरण	1	–
24.	स्वैंप हिरण	–	1
25.	चौसिंहा	1	–
26.	भूरा लंगूर	3	2
27.	सिंह पुच्छी बंदर	1	1
28.	लघु पुच्छ बानर		
29.	काला पैंथर	1	–
30.	गिन्नी सूअर	3	–
31.	रेसस बंदर	1	3
32.	बानेट बंदर	–	1
33.	सामान्य लोमड़	1	–
34.	केद बुफेलो	1	–
35.	दरयाई घोड़ा	1	–
36.	ग्रसंग	1	2
37.	बड़ी भारतीय गन्ध बिलाव	–	1
38.	पैंथर	1	1
39.	भूरा हिरण	1	–
40.	सफेद हाथ वाला गिब्बन	1	1
41.	जंगली गधा	–	1
42.	सांबर हिरण	–	3
पक्षी			
1.	बार हेडेड नेवला	–	1
2.	बाजरिगर	11	2
3.	पहाड़ी मैना	1	–
4.	एनएच मैना	–	2
5.	रिंग नेक्ड पीजेंट	1	–
6.	कासोवेरी	–	1
7.	एसिल मुर्गी	4	1
8.	हेलमेटेड (गिन्नी मुर्गाबी)	2	–
9.	डब्ल्यूसी लाफिंग थ्रस	–	1
10.	एक्लेटस तोता	4	–
11.	भूरा काकटियल	–	1
12.	काकटियल	2	–

1	2	3	4
13.	काला जेकोबिन कबूतर	–	1
14.	लाल जंगल मुर्गाबी	6	1
15.	सामान्य कबूतर	–	1
16.	बराईया कबूतर	2	1
17.	रोशन कबूतर	–	1
18.	चितकबरी मुनिया	8	5
19.	मुनिया	–	2
20.	फ्लेमिंनगो	1	–
21.	नीलकंठ	–	1
22.	काला तीतर	1	1
23.	कुमन गूज चिक	–	1
24.	डेंटन मुर्गी	13	1
25.	सुनहरी फीजेंट	–	1
26.	काली फीजेंट	2	–
27.	सिलवर फीजेंट	–	3
28.	स्कारलेट इबिस	1	–
29.	गिन्नी मुर्गाबी	–	3
30.	लेडी अर्मोहर्ट्स फीजेंट	1	–
31.	तुइयां तोता	–	2
32.	इमू	2	–
33.	सिल्की सिडनी	–	1
34.	शिकरा	1	1
35.	बड़ा भारतीय तोता	–	2
36.	करैल	1	–
37.	ब्राह्मणी बतख	–	1
38.	मिलिट्री मकाउ	1	–
39.	सारस	1	–
40.	क्राउन साउस	–	2
41.	मारिसस कोस्टील	1	–
42.	पेलीकन	–	1
43.	सफेद लगलग	1	–
44.	रंगीन लगलग	–	7
45.	सफेद पीफाउल	1	–
46.	भारतीय पीफाउल	–	1
47.	छोटा सुग्गा	1	–
48.	काले सिर वाली मुनिया	1	–
49.	पंखाकार पूंछ वाला कबूतर	1	–
50.	काली हंस	1	1

1	2	3	4
51.	भूरा तीतर	–	8
52.	आड़ू चेहरे वाला छोटा सुग्गा	–	2
53.	लाल जैकोब्यिन कबूतर	–	1
54.	टर्की	–	1
55.	दक्षिणी अमरीकी का ढेलहरा तोता	–	9
56.	पीले सिर वाला तोता	–	1
57.	पूर्वी रोसेला	–	4
58.	लाल नितम्बी तोता	–	2
59.	नीले सिर वाला तोता	–	3
60.	अमलोन तोता	–	1
		73	84
सरीसृप			
1.	भारतीय अजगर	5	1
2.	मानीटर छिलार्ड	–	6
3.	सेंड बोआ	8	7
4.	इगुआना	1	–
5.	स्टार छुआ/कछुआ	7	–
6.	कोबरा	7	5
7.	तालाब में रहने वाला कछुआ	2	1
8.	करैत	2	–
9.	रसेल वाइपर	1	–
10.	किरीट	1	1
11.	धामिन	–	1
12.	नागराज	1	–

प्लास्टिक का प्रयोग

1100. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के व्यापक प्रयोग से सिंचाई हेतु जल के संरक्षण तथा सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने में मदद मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों को राजसहायता देकर प्लास्टिक के ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर प्लास्टिक पाइपों इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए नवीनतम निर्देश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) ड्रिप सिंचाई और प्लास्टिक मल्च के रूप में कृषि में प्लास्टिक का उपयोग करने से अनुसंधान फार्मों में 30-70 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत करने में मदद मिली है। फिर भी बड़े पैमाने पर अपनाये जाने के कारण किसानों के खेतों में इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) (i) **ड्रिप सिंचाई :** भारत सरकार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान "कृषि में प्लास्टिक का उपयोग" नामक योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत चाय काफी रबर को छोड़कर आयल पाम सहित बागवानी फसलों के लिए राजसहायता उपलब्ध है। यह राजसहायता लागत का 50 प्रतिशत या 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर दोनों में से जो भी कम हो, होती है।

(ii) **स्प्रिंकलर सिंचाई :** स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए सरकार अपने वर्तमान कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और कपास विकास के अंतर्गत किसानों को राजसहायता दे रही है। यह राजसहायता छोटे और सीमांत किसानों की प्रणाली की लागत का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को प्रणाली की लागत का 75 प्रतिशत और अन्य वर्गों के किसानों के मामलों में लागत का 25 प्रतिशत तक दी जाती है जो प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 10,000 रुपये तक है।

आवश्यक वस्तुएं

1101. श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री राम नाइक :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 के दौरान सार्वजनिक खपत की विभिन्न वस्तुओं की मांग और पूर्ति की स्थिति का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के दौरान गेहूं, चावल, चीनी, दालों और खाद्य तेलों की आपूर्ति में कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) इस संबंध में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) खुदरा मूल्यों पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : जी, नहीं। निर्धारित समय में आम-उपभोग की वस्तुओं की मांग, बहुत से तथ्यों, जैसे जनसंख्या, उत्पादन, उपलब्धता, आय-वितरण, मूल्यों के उतार-चढ़ाव, उपभोक्ताओं की आदतों, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता और अन्य संगत कारणों पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार एक निर्धारित अवधि के संबंध में आम-उपभोग की सभी वस्तुओं की सही मांग का जायजा लगाना संभव नहीं है।

(ख) से (घ). सरकार चावल, गेहूं, चीनी, दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रखती है और जब भी आवश्यक समझती है तब कीमतों को

उचित स्तर लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को आयात करने का विकल्प भी खुला रखती है। फिलहाल, केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं की स्टॉक स्थिति बहुत अच्छी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है।

चीनी के बारे में स्थिति यह है कि 1.10.1994 को 18.33 लाख मीटरी टन स्वदेशी चीनी के अनुमानित स्टाक को अग्रनयन (कैरी-ओवर) करने से और पहले आयात की गई लगभग शेष 8.77 लाख मीटरी टन चीनी के साथ 1994-95 मौसम में होने वाले 120 लाख मीटरी टन उत्पादन सहित चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होगी और इससे 1994-95 मौसम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। चीनी के खुदरा मूल्यों की कड़ी मानीटरिंग की जा रही है। यह मानीटरिंग युक्तिसंगत मासिक खुली बिक्री रिलीज और विभिन्न अन्य उपायों जैसे चीनी आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखकर, चीनी फैक्टिरयों द्वारा खुली बिक्री, चीनी की बिक्री और प्रेषण संबंधी शर्तों, चीनी व्यापारियों पर स्टाक रखने की सीमा संबंधी शर्तें आदि लगाकर की जा रही हैं।

दालों के बारे में स्थिति यह है कि देश में दालों की मांग और पूर्ति के बीच लगभग 3 मिलियन मीटरी टन का अन्तर है। वर्ष 1993-94 के दौरान 6 लाख मीटरी टन दालों का आयात करने से और अप्रैल-नवम्बर, 1994 के बीच 3.18 लाख मीटरी टन दालों का आयात करने से दालों की पूर्ति में वृद्धि करने में सहायता मिली है। दालों के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में रखा गया है।

खाद्य तेलों के संबंध में स्थिति यह है कि इसकी कुल आवश्यकताओं और सभी घरेलू स्रोतों से निवल उपलब्धता के बीच अभी भी 5-6 लाख मीटरी टन का अन्तर है।

"पामोलीन" नामक खाद्य तेल के आयात को 65 प्रतिशत कर सहित दिनांक 20 अप्रैल, 1994 से खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा, नारियल, आर.बी.डी. पाम-आयल, पाम करनल आयल और आर.बी.डी., पाम स्टियरिन को छोड़कर खाद्य तेलों के आयात को दिनांक पहली मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे हुए कर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। राज्य व्यापार निगम को वर्ष 1995-96 के दौरान 1.5 लाख मीटरी टन पामोलीन का आयात करने की अनुमति दी गई है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्कताओं को पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को वर्ष 1994-95 के दौरान 50,000 मीटरी टन पामोलीन और 1.0 लाख मीटरी टन चुने हुए खाद्य तेलों का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को नारियल तेल को छोड़कर 1.5 लाख मीटरी टन खाद्य तेल आयात करने की अनुमति भी दी गई है। आयात अगले 2-3 महीनों के बीच किया जाना है और इसे बाजार में वितरित किया जाना है ताकि उपभोक्ताओं के हित में इसका कीमतों पर निश्चित प्रभाव पड़े।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1102. प्रो. के.वी. थामस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। इस परियोजना को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने की शर्त पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक इकाइयों का बंद होना

1103. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में प्रदूषण फैलाने वाले चौदह औद्योगिक एककों को बंद करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा बाद में इसके तीन माह तक इन्हें चालू रखने के आदेश की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस समय व्याप्त स्थिति की निगरानी हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3 फरवरी, 1995 के अपने निर्णय में इन्हें बंद करने का आदेश दिया था। दिनांक 6 फरवरी, 1995 के अपने परिवर्ती आदेश में न्यायालय ने पूर्व आदेश पर तीन मास तक रोक लगा दी थी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निदेश भी दिया कि वह इस आदेश की तारीख से दो मास पश्चात् उनकी प्रदूषण स्थिति की निगरानी करे और इस संबंध में एक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। केन्द्रीय बोर्ड ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने से पहले ही शुरू कर दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना

1104. श्री वी.एस. विजयराघवन :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री विजय नवल पाटील :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य

सुरक्षा प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण कल्याण उपाय के रूप में पुनः शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इससे निर्धारित मात्रा में खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए क्रय शक्ति के अनुपात में कितनी न्यूनतम पोषण सहायता मिलेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों की मांग के अनुमानों का आकलन कराने का और इस संबंध में स्थिरता लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लोगों को शामिल किया जाएगा; और

(छ) खाद्य सुरक्षा योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली नीति में खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को खाद्यान्नों की आपूर्ति करना है। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की पूर्ति की जा रही है। खुले बाजार मूल्यों को स्थिर रखने के प्रयोजन से गेहूं और चावल की खुली बिक्री भी जारी है।

(ख) से (छ). क्योंकि कोई विशिष्ट स्कीम पुनः लागू नहीं की जा रही है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा सफाई योजना

1105. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गंगा सफाई योजना के अधीन पश्चिम बंगाल से बहने वाली हुगली नदी तथा इसकी सहायक नदियों की सफाई पर लगभग कितनी धनराशि खर्च की गई

(ख) इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) पश्चिम बंगाल में यह योजना कब तक पूरा हो जाएगी; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि गंगा के पश्चिम बंगाल में गुजरने से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से गंगा में कूड़ा-कचरा तथा प्रदूषण फैलाने वाली अन्य सामग्री न गिरे तथा गंगा सफाई योजना के अधीन इस धनराशि का उचित उपयोग हो?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल को 14.73 करोड़ रुपए की राशि दी गई।

(ख) और (ग). गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 110 स्कीमों में से 95 स्कीमें अब तक पूरी हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में यह कार्य योजना 1995-96 के अंत तक पूरी होने की आशा है।

(घ) पश्चिम बंगाल के गंगा उर्ध्वप्रवाह के प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाए गए उपाय ही उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रदूषण निवारण के लिए अपनाए गए हैं। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निधि के उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी तीनों राज्यों में कार्य की प्रगति और जल गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

टांडावाली तालाशील सड़क

1106. श्री राम कापसे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के चिपलून तालूके में टांडावाली तालाशील सड़क के निर्माण के लिए वन भूमि के एक भाग का इस्तेमाल करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सिंधुदुर्ग जिले के चिपलून तालूका में टांडावाली तालाशील सड़क के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार से 0.5137 हैक्टेयर वन भूमि को इस्तेमाल में लाने संबंधी एक प्रस्ताव मई, 1994 में प्राप्त हुआ था।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विस्तार से जांच करने के बाद इस प्रस्ताव को 10.10.1994 को रद्द कर दिया गया था।

रेलवे स्टेशन का नवीकरण

1107. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में किसी रेलवे स्टेशन की मरम्मत/नवीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). स्टेशन इमारतों की मरम्मत/नवीकरण का कार्य उनकी आयु एवं दशा के आधार पर तथा जब यातायात की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो किया जाता है। वर्तमान में, केरल में, किसी भी स्टेशन की इमारत की बड़ी मरम्मत/नवीकरण का काम आवश्यक नहीं है।

राजधानी एक्सप्रैस की बारम्बारता

1108. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस की बारम्बारता में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी बारम्बारता को कब तक बढ़ा दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). 1995-96 के दौरान 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन करने का प्रस्ताव है।

धुलियान गंगा स्टेशन पर स्टाप

1109. श्री जायनल अबेदिन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने पूर्व रेलवे के माल्दा डिवीजन के अंतर्गत धुलियान गंगा स्टेशन पर सियालदाह-कटिहार एक्सप्रैस का स्टॉप बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्टेशन पर इस रेलगाड़ी का रुकाव कब से बनाया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई थी लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

गुजरात में रेल परियोजनाएं

1110. श्री महेश कनोडिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में निर्माणाधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध कराई गई धनराशि और पूरा होने की लक्ष्य तिथियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	परियोजना	1995-96 के लिए प्रस्तावित धनराशि (करोड़ रुपयों में)	लक्ष्य तिथि
1.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद आमान परिवर्तन	226.43	1995-96
2.	वीरमगांव-मेहसाना आमान परिवर्तन	40.00	1995-96
3.	राजकोट-वेरावल आमान परिवर्तन	3.00	1998-99
4.	कपड़वंज-मोडासा नई बड़ी लाइन	2.00	अभी निर्धारित नहीं की गई।

राष्ट्रीय जलाशय विकास योजना

1111. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र में खेती की जाती है;

(ख) राज्य के शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जलाशय विकास योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के बाद इन जिलों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन में औसतन कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने वर्ष में दो फसलें उगाकर अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु कोई उच्च तकनीक विकसित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस उच्च तकनीक को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1991-92 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) उत्तर प्रदेश में असिंचित/वर्षा सिंचित क्षेत्र अनुमानतः 6.76 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) और (ग). ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। अतः प्रश्न (ख) तथा (ग) नहीं उठते।

(घ) जी, हां। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में संपोषक तरीकों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिये वर्षा के पानी के समुचित संरक्षण और उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने की दिशा में अनुसंधानपरक

प्रयास किए हैं जिससे उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में वर्षा में दो बार फसल उगायी जा सकती है।

(ङ) और (च). केन्द्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान (हैदराबाद, आं.प्र.) केन्द्रीय मृदा संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (देहरादून, उ.प्र.) और जल प्रबन्ध अनुसंधान निदेशालय (राहूरी, महाराष्ट्र) उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने-अपने केन्द्रों के माध्यम से उपर्युक्त विषयों में फार्म पर ही अनुसंधान करने के काम में लगे हुए हैं। इसको वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सम्बन्धित राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाओं के पनधारा दृष्टिकोण के माध्यम से भी और बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

मत्स्यकी का विकास

1112. श्री थाइल जॉन अंबलोच : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मत्स्यकी के विकास के संबंध में कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भी भेजी हैं;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी सहायता मांगी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). जबकि केरल तथा अन्य राज्यों से ताजा जल कृषि के विकास, खारा जल कृषि के विकास, तटवर्ती समुद्री मत्स्यकी के विकास, बड़े पत्तनों पर मत्स्यकी बन्दरगाह सुविधाओं, लघु मत्स्यकी पत्तनों, मछुआरों के कल्याण, मत्स्य विपणन के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता, समुद्री विनियमन अधिनियमों के प्रवर्तन तथा कृत्रिम जल शैल के लिए संसाधन वर्धन जैसी विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अधीन मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तथापि केरल सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

रेल परियोजनाएं

1113. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल-पथ परिवर्तन, रेल मार्गों के विद्युतीकरण और अन्य महत्वपूर्ण अधिनिकीकरण परियोजनाओं में कितना पूंजी निवेश किया गया और 1995-96 के लिए कितना परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं में कितना विदेशी निवेश किया जा चुका है/वायदा किया गया है/विचार है/अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने प्रति-गारंटी सहित रेलवे परियोजनाओं में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं योजना एंव 1995-96 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण योजनाशीर्षों के लिए व्यवस्थित परिव्यय नीचे दिया है :-

(करोड़ रुपयों में)

	आठवीं योजना	1995-96
नई लाइनें (निर्माण)	900	203
आमान परिवर्तन	3,600	1,000
दोहरीकरण	600	300
संगणकीकरण	400	100
चल स्टाक	10,630	2,940
रेलपथ नवीकरण	4,500	1,050
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी काम	675	285
विद्युतीकरण परियोजनाएं	1,350	390
कारखाने-उत्पादन इकाइयों सहित	1,350	200
यात्री एवं अन्य रेलवे सुविधाएं	225	90
महानगर परिवहन परियोजनाएं	700	240

उड़ीसा में रेल संपर्क

1114. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तेलचर कोयला क्षेत्र को गोपालपुर पत्तन से रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). तालचेर कोलफील्ड से पारादीप और गोपालपुर पत्तनों तक मौजूदा लाइनें आवश्यकतानुसार दोहरीकरण द्वारा उपयुक्त रूप से सुदृढ़ बनाई गई हैं जिसके कारण इन पत्तनों तक कोयला यातायात की बुलाई के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो जाती है।

ब्रिटेन के साथ वानिकी समझौता

1115. श्री अन्ना जोशी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रिटेन के साथ हाल ही में वानिकी संबंधी कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। वनों के संरक्षण, प्रबंधन और उनके सतत् विकास के बारे में सहयोग के लिए भारत और युनाइटेड किंगडम के बीच सितंबर, 1993 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत् विकास में अंतर्राष्ट्रीय समझ और प्रगति के संवर्द्धन के लिए सहयोग पर भारत सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड की युनाइटेड किंगडम सरकार के मध्य समझौता-ज्ञापन।

भारत सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की युनाइटेड किंगडम की सरकार आर्थिक, संवृद्धि, सतत् विकास और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की जरूरत को उचित प्राथमिकता देकर विश्व पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों की गहन चिंता को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास ("वन सिद्धांत") तथा सतत् विकास आयोग के क्रियान्वयन में इसकी भूमिका पर विश्व जनमत के लिए सिद्धान्तों के गैर-विधिक रूप से साध्यकारी प्राधिकृत विवरण के महत्व की पुष्टि करते हुए,

सितंबर 1993 की वनों संबंधी दिल्ली घोषणा में उल्लिखित वन सिद्धांतों की प्रतिबद्धता की कदर करते हुए,

वानिकी और विकास के अन्य क्षेत्रों में भारत और युनाइटेड किंगडम के मध्य विद्यमान सहयोग तथा दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक आपसी समर्थन और समझ को मान्यता देते हुए,

अनेक तरीकों से जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास पर विश्व जनमत के लिए सिद्धांतों के गैर-विधिक रूप से बाध्यकारी प्राधिकृत विवरण के तेजी से क्रियान्वयन हेतु मिलकर कार्य करने का निर्णय लेते हैं :—

— एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की संयुक्त रूप से मेजबानी सहित, 1995 में सतत् विकास आयोग द्वारा पुनरीक्षा से पूर्व वानिकी मामलों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।

— राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रमों के विकास और राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजनाओं के निष्पादन में वृद्धि करने हेतु अनुभवों का आदान-प्रदान।

— संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के वानिकी कार्यक्रमों की निष्पादन वृद्धि और जहां उपयुक्त हो, उनकी शिनाख्त करने और वानिकी के क्षेत्र में सं. रा. प्रणाली के मौजूदा ढांचे के अधीन क्रियातंत्र को सुदृढ़ करने में मिलजुल कर कार्य करना।

— वानिकी के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्व पर्यावरण सुविधा के जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित होने के कारण भूमि अवक्रमण से संबंधित गतिविधियों सहित विश्व पर्यावरण सुविधा के पुनर्निर्माण और पुनःपूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करना।

— सभी प्रकार के वनों में धारणीयता संबंधी तुलनात्मक कार्य सहित वनों के सतत् प्रबंधन पर सहयोगात्मक अनुसंधान, अध्ययन और अन्य कार्य करना।

— अन्य बातों के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियों, कार्बन और अन्य पारि-प्रसंस्करणों का पृथक्करण एवं अन्य पारि-प्रक्रियाओं तथा पूर्व निश्चित अवसर लागतों में उनकी भूमिका सहित वनों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण करना।

— शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियां।

वर्तमान समझौता-ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को प्रवृत्त होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक या तो दोनों सरकारों के संयुक्त निर्णय द्वारा अथवा किसी एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को लिखित नोटिस देकर इसे निरस्त न कर दिया जाए। वर्तमान समझौता-ज्ञापन को दोनों देशों के लिखित निर्णय से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

भू-संरक्षण सम्मेलन

1116. श्री पी.सी. चाको : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आठवां अन्तर्राष्ट्रीय भू-संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चा किए गये मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। दिनांक 4 से 8 दिसम्बर, 1994 तक नई दिल्ली में भारतीय मृदा तथा जल संरक्षक संघ द्वारा आठवीं अन्तर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य विषयों पर कागजात प्रस्तुत किये गये एवं विचार-विमर्श किया गया :—

(i) भूमि विघटन स्तर तथा मूल्यांकन;

(ii) कटाव को प्रभावित करने वाले तथ्य;

(iii) संरक्षण तथा उत्पादकता के लिए मॉडलिंग;

(iv) संरक्षण कार्यक्रमों में लोगों का भाग लेना;

(v) जल प्रबन्ध;

(vi) विघटित भूमियों का सुधार;

(vii) जुताई तथा अवशिष्ट प्रबन्ध;

(viii) परम्परागत प्रौद्योगिकी;

(ix) संरक्षण उपाय तथा उनके प्रभाव।

सम्मेलन में प्रस्तुत किये गये कागजात तथा सम्मेलन की कार्यवाही का आयोजनकर्त्ताओं द्वारा यथासमय प्रकाशन किया जायेगा।

(ग) कार्यवाही को अन्तिम रूप देते समय आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में परिषद में सिफारिशों की समीक्षा की जायेगी।

रेल परियोजनाएं

1117. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तनों, विद्युतीकरण और रेल लाइनों को दोहरा करने सहित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी; और

(ग) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ने हेतु क्या कदम् उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल लाइनों के विद्युतीकरण से संबंधित परियोजनाएं, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में चल रही हैं और उनके पूर्ण होने की लक्ष्य तारीखों का विवरण नीचे दिया गया है :—

परियोजनाओं का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	पूरा करने का लक्ष्य
1	2	3
I. **नई लाइनें**		
i. पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	177	9वीं पंचवर्षीय योजना
II. **आमान परिवर्तन**		
i. परभनी-पूर्णा एवं मुदखेड-आदिलाबाद आमान परिवर्तन तथा पूर्णा-मुदखेड समानांतर ब.ला.	248	
(क) परभनी-पूर्णा		पूरा हो गया है।
(ख) पूर्णा-नांदेड़		1994-95
(ग) नांदेड़-मुदखेड		1995-96
(घ) मुदखेड-आदिलाबाद		1996-97
ii. **बोलाराम-सिकंदराबाद-द्रोणाचलम**	331	
(क) बोलारम-फलकनुमा-महबूबनगर		पूरा हो गया है।
(ख) द्रोणाचलम-कुर्नूल		31.3.96
(ग) कुर्नूल-महबूबनगर		31.12.96
iii. **गून्दूर-गुन्तकल एवं गुन्तकल-कल्लूरू**	458	
(क) गून्दूर-गिद्दलूर		पूरा हो गया है।
(ख) गिद्दलूर-नंदयाल		1996-97
(ग) नंदयाल-द्रोणाचलम		1996-97
(घ) द्रोणाचलम-गुंतकल		1995-96
iv. काटपाडि-पकाला-तिरूपति	104	9वीं पंचवर्षीय योजना
III. **दोहरीकरण**		
कोई नहीं।		
IV. **विद्युतीकरण**		
i. विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	366	मार्च, 1998
ii. **विजयवाड़ा-बल्हारशाह खंड की शाखा लाइन**		
(क) मोटुमारी-जग्गयापेट	31	पूरा हो चुका है।
(ख) द्रोणाकल-सिंगरेणी	26	मार्च, 1995
iii. रेणिगुंटा-साकीबंदा (रेणिगुंटा-हासपेट का भाग)	328	मार्च, 1998

(ग) रेलवे ने योजना आयोग की सलाह से आंध्र प्रदेश में पिछड़े एवं दूर-दराज क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्ण अवसंरचना उपलबध कराने के लिए, इन पिछड़े इलाकों की संपूर्ण विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परियोजनाएं चलाई हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं :—

i. पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद में नई रेल लाइन।

ii. पूर्णा-नांदेड़-मुदखेड-अदिलाबाद, गुंटूर-गुंतकल एवं गुंतकल-कल्लरू तथा काटपाडि-पकाला-तिरूपति खंडों का आमान परिवर्तन

iii. रेणिगुंटा-साकीबंदा (रेणिगुंटा-हासपेट का भाग) खंड का विद्युतीकरण।

उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में काकीनाड़ा-कोटापल्ली के बीच छूटी हुई बड़ी लाइन को पुनः बहाल करने के कार्य को भी 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

ताजमहल

1118. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ताज महल को पर्यावरण संबंधी प्रदूषण से बचाने हेतु कारगर कदम उठाने के लिए सांसदों से अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) इन सुझावों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. आगरा को सम्पीडित प्राकृतिक गैस या अबाधित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना।
2. आगरा में उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध।
3. आगरा के लिए पर्याप्त द्रव पैट्रोलियम गैस (एल.पी. जी.) की आपूर्ति।
4. मथुरा और आगरा के बीच व्यापक वृक्षारोपण।
5. यमुना नदी पर बांध का निर्माण।

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल वैन

1119. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मोबाइल वैन खरीदने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खरीदे गए मोबाइल वैन की संख्या क्या है;

(ग) क्या 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से मोबाइल वैन खरीदने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन वैनों की खरीद के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि राज्यवार तथा वर्षवार प्रदान की गई?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश को वैनों की खरीद के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई थी।

(ग) से (ङ). वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मोबाइल वैनों की खरीद के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों और मुहैया की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 के दौरान मोबाइल वैनों के लिए प्राप्त हुए तथा मंजूर किए गए प्रस्तावों का वितरण

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव		स्वीकृत	
		वैनों की संख्या	राशि	वैनों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	16	64.00	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	44.00	5	20.00
3.	बिहार	20	80.00	—	—
4.	हिमाचल प्रदेश	16	64.00	12	48.00
5.	केरल	90	630.00	—	—
6.	मध्य प्रदेश	30	120.00	20.00	80.00
7.	महाराष्ट्र	70	280.00	15	60.00
8.	मणिपुर	10	40.00	6	24.00
9.	मिजोरम	10	40.00	—	—
10.	नागालैण्ड	6	30.00	—	—
11.	उड़ीसा	20	280.00	10	40.00
12.	पंजाब	11	33.00	—	—
13.	राजस्थान	65	260.00	35	140.00
14.	सिक्किम	4	16.00	4	16.00
15.	तमिलनाडु	27	108.00	8	32.00
16.	त्रिपुरा	5	20.00	4	16.00
17.	उत्तर प्रदेश	40	160.00	25	100.00
18.	पश्चिम बंगाल	7	28.00	7	28.00
	योग	458	2297.00	151	597.00

विवरण–II

वर्ष 1994–95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वैनों की खरीद के लिए प्राप्त प्रस्तावों और जारी की गई मंजूरियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव		स्वीकृत	
		वैनों की संख्या	राशि	वैनों की संख्या	राशि
1.	हिमाचल प्रदेश	10	40.00	10	40.00
2.	जम्मू और कश्मीर	16	105.60	16	53.00@
3.	केरल	90	360.00	10	40.00
4.	मध्य प्रदेश	60	240.00	25	100.00
5.	महाराष्ट्र	90	360.00	60	240.00
6.	मणिपुर	19	66.71	9	36.00
7.	मिजोरम	12	48.00	8	32.00
8.	राजस्थान	30	120.00	26	104.00
9.	तमिलनाडु	3	12.00	—	—
10.	त्रिपुरा	—	—	—	7.00*
	योग	330	1352.31	164	652.00

*1993–94 के बकाया

@शेष 52.60 लाख रु. की राशि 1995–96 में निर्मुक्त की जाएगी।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरों को रियायती दरों पर बेचना

1120. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूली छात्रों को रियायती दरों पर कम्प्यूटर साफ्टवेयर बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों से ये कम्प्यूटर छात्रों को उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) हाई स्कूलों के छात्रों के लिए उपलब्ध कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत कक्षा XI और XII के छात्रों के प्रयोग के लिए चयनित स्कूलों में हार्डवेयर के अधिग्रहण और इन्हें लगाने के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार किए गए तथा सभी राज्यों/संघ शसित प्रदेशों को परिचालित किए गए विक्रेताओं के पैनल में से किसी एक विक्रेता से ये हार्डवेयर खरीदे जाने होते हैं।

[हिन्दी]

गौवध

1121. **डा. परशुराम गंगवार :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से गौवध पर रोक लगाने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गौवध पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ). जी, हां। केन्द्र सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। गौवध का विषय राज्यों की सूची के अंतर्गत आता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों ने गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्लेटफार्मों को ऊंचा करना

1122. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिहार जंक्शन और भटनी के बीच रेल प्लेटफार्मों को अभी तक ऊंचा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे रेल प्लेटफार्मों का जोनवार ब्यौरा क्या है जिनको ऊंचा नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन प्लेटफार्मों को शीघ्र ऊंचा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लोको शेड

1123. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोको-शेड पूर्णतः परित्यक्त घोषित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शेडों के जोन-वार नाम क्या हैं तथा संख्या कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं;

(घ) कितने कर्मचारियों की ड्यूटी बदली गयी है; और

(ङ) इलैक्ट्रिक शैडों में बदले गये शेडों की जोन-वार संख्या कितनी है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विशेष प्रबंध योजना के अंतर्गत प्रवेश

1124. **श्री मुद्दी राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष प्रबंध प्रवेशों के संबंध में 1992 में गठित डा. मालिनी भट्टाचार्य समिति द्वारा दी गयी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शासी मंडल ने अभिपुष्ट स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कितने प्रवेश दिये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) डा. मालिनी भट्टाचार्य समिति ने केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष प्रबंध के अंतर्गत दाखिलों को विनियमित करने के कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया है और संसद सदस्यों, संगठन और शासी बोर्ड के सदस्यों और अन्य में विशेष प्रबंध के अंतर्गत दाखिलों के वितरण के बारे में सिफारिशें की हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ये दाखिले वर्ष के कुल दाखिलों के 10 प्रतिशत तक होंगे।

(ख) इन सिफारिशों का अनुमोदन केन्द्रीय विद्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया गया था।

(ग) और (घ). केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष प्रबंध के अंतर्गत दाखिले मोटेतौर पर 1992 से इस संबंध में अपनाई गई नीति के अनुसार किए जा रहे हैं। विशेष प्रबंध के अंतर्गत किए गए दाखिलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	विशेष प्रबंध के अंतर्गत दाखिलों की संख्या
1992-93	4482
1993-94	5806
1994-95	6991

केरल में रेल कोच फैक्ट्री

1125. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए देश में सवारी डिब्बों का निर्माण क्षमता पर्याप्त है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1126. **श्री संतोष कुमार गंगवार**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुछ ब्लाकों को लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाए जाने वाले गांवों/ब्लाकों की राज्य-वार संख्या क्या है और अब तक राज्य-वार कितने गांव इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए; और

(ग) शेष गांवों को इसके अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार रोजगार आश्वासन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात सभी अतिरिक्त ब्लाकों में करने का निर्णय किया गया है। इस समय संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में कुल 5241 ब्लाकों में से 1775 ब्लाकों में लागू की जा रही है। रोजगार आश्वासन स्कीम

2369 ब्लाकों में लागू की गई है, जिनमें संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पहले से ही लाए गए 1775 ब्लाक शामिल हैं। रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत लाए गए ब्लाकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्राम-वार ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। फिलहाल उन ब्लाकों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत आते हैं।

विवरण

रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत शामिल ब्लॉकों की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लॉकों की कुल संख्या	रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत ब्लॉक
1	2	3
आंध्र प्रदेश	330	155
अरुणाचल प्रदेश	54	48
असम	206	69
बिहार	591	266
गोवा	11	—
गुजरात	218	132
हरियाणा	108	44
हिमाचल प्रदेश	69	19
जम्मू और कश्मीर	119	80
कर्नाटक	175	119
केरल	152	21
मध्य प्रदेश	459	297
महाराष्ट्र	298	173
मणिपुर	31	22
मेघालय	32	32
मिजोरम	20	20
नागालैण्ड	28	28
उड़ीसा	314	175
पंजाब	118	—
राजस्थान	237	172
सिक्किम	4	4
तमिलनाडु	387	89
त्रिपुरा	18	18
उत्तर प्रदेश	897	248
पश्चिम बंगाल	341	129
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	2
चंडीगढ़	—	—
दादर और नागर हवेली	1	1
दमन और दीव	2	1
दिल्ली	5	—
लक्षद्वीप	5	5
पांडिचेरी	6	—
योग	5241	2369

आमान परिवर्तन

1127. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट-वेरावल मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष 1995-96 में गुजरात में किन-किन मीटर गेज/नेरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1998-99 तक।

(ख) 3 करोड़ रुपये।

(ग) (i) बीकानेर-मालिया मियाना।

(ii) बीरमगांव-मेहसाणा।

(iii) दिल्ली-अहमदाबाद।

रेल व्यय

1128. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मंजूर अनुदानों/विनियोजनों से फालतू व्यय को छिपाने के लिए व्यय का गलत वर्गीकरण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). अधिक खर्च को छुपाने के लिए खर्च का कोई गलत वर्गीकरण नहीं किया जाता है, बल्कि सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा जांच के बाद विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत अधिक खर्च और अनैच्छिक गलत वर्गीकरण,

यदि कोई हों, लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक लेखा समिति द्वारा उनकी 51वीं, 60 वीं और 74वीं रिपोर्ट के पैरा सं. 1.39, 2.6 और 1.38 में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लेखों के लिए ऐसी मदों की जांच की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम

1129. श्री मंजय लाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद मूंगफली और सूरजमुखी के उत्पादन के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या विशिष्ट कदम उठा रही है;

(ग) क्या उनके पास गोदामों में रखे इन महत्वपूर्ण उत्पादों के स्टॉक को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेने की सुविधा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार छोटे और सीमांत किसानों तथा ग्रामीण उद्यागों के हित में इस योजना में सुधार करने और इसके विस्तार के लिये कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान तिलहन विकास की सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, जिनमें राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम भी शामिल है, को मिलाकर एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम बनाया गया था जो देश के तिलहन उगाने वाले 22 मुख्य राज्यों में चल रहा है। 1990-91 के बाद मूंगफली तथा सूरजमुखी के उत्पादन में हुई प्रगति इस प्रकार है :-

(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मूंगफली	सूरजमुखी
1990-91	7514.7	873.3
1991-92	7094.6	1193.8
1992-93	8564.6	1181.7
1993-94	7759.8	1395.7

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को आधारी बीज के उत्पादन तथा प्रमाणित बीज, बीज मिनिकिटों के वितरण जैसे मुख्य आदानों की सप्लाई हेतु सहायता प्रदान की जाती है। उन्नत कृषि उपकरण, छिड़काव सेट, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम-पाइराइट, सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण, साधारण तथा प्रमुख प्रदर्शनों का आयोजन और किसानों का प्रशिक्षण भी इनमें शामिल है।

(ग) और (घ). ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत तिलहन उत्पादकों को अपने उत्पाद गोदामों में भण्डारित करने के लिए ऋण देने का प्रावधान हो।

(ङ) से (छ). तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के घटक अर्थात, मिनिकिट सप्लाई, उन्नत कृषि उपकरण, छिड़काव सेट आदि, इस प्रकार तैयार करके लागू किए जाते हैं कि मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचे।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

1130. डा. आर. मल्लू : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई चीनी मिलें लगाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में चालू चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कंपनियों/मिलों ने औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है; और

(छ) सरकार द्वारा अनुमोदित मिलों के आवेदन पत्रों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (छ). नई चीनी फैक्टिरयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से आवेदन, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 17 को राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने 30 प्रस्तावों पर विचार किया है और 4 मामलों में उद्योग मंत्रालय द्वारा आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित चीनी फैक्टिरयों के आधुनिकीकरण/पुनःस्थापन हेतु चीनी विकास निधि से ऋण की मंजूरी के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इन सभी मामलों पर चीनी विकास निधि की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा चुका है। 2 मामलों में 7.39 करोड़ रुपये की राशि पहले ही संवितरित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन

1131. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिसम्बर, 1994 के अंत तक चीनी उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी उत्पादन की में अधिष्ठापित क्षमता के अनुपात में कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादन की क्षमता का अधिकतम स्तर प्राप्त न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी की पर्याप्त मात्रा है;

(ङ) देश में सितम्बर और दिसम्बर, 1994 के अंत तक चीनी का आरक्षित भंडार कितना था;

(च) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी के आयात का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) दिसंबर, 1994 के अंत तक देश में चीनी उत्पादन से संबंधित राज्यवार सकल अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी उद्योग की उपयोगिता क्षमता की प्रतिशतता विवरण-II पर है।

(ग) 1992-93 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में गिरावट मुख्यतः अधिकतर प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ना उत्पादन में गिरावट के कारण ओर उपलब्ध गन्ने का अन्य मीठा कारकों के उत्पादन के लिए अधिक झुकाव के कारण भी आई। जहां तक 1993-94 मौसम का संबंध है, चीनी उत्पादन कम होने का मुख्य कारण गन्ने का लगातार अन्य मीठा कारकों की ओर रुख और मुख्य चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ना/चीनी उत्पादन में गिरावट को कहा जा सकता है।

(घ) 1994-95 मौसम के शुरू में देशी चीनी के पूर्वाशिष्ट स्टॉक और 1994-95 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन सहित पहले आयात किए गए शेष चीनी स्टॉक के होने से, 1994-95 मौसम के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होने की आशा है।

(ङ) सितम्बर और दिसम्बर, 1994 के अंत में देश में देशी चीनी के कुल स्टॉक क्रमशः लगभग 18.33 और 38.03 लाख टन थे।

(च) और (छ). 1995-96 मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी आयात करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

दिसम्बर, 1994 के अंत तक देश में चीनी के उत्पादन से संबंधित राज्यवार कुल अधिष्ठापित क्षमता

(लाख टन)

क्र.सं.	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (चीनी उत्पादन के बारे में)
1.	पंजाब	5.898
2.	हरियाणा	3.562
3.	राजस्थान	0.232
4.	उत्तर प्रदेश	29.662
5.	मध्य प्रदेश	0.765
6.	गुजरात	7.470
7.	महाराष्ट्र	37.5209
8.	बिहार	3.918
9.	असम	0.184
10.	उड़ीसा	1.018
11.	प. बंगाल	0.066
12.	नागालैंड	0.064
13.	आंध्र प्रदेश	6.3805
14.	कर्नाटक	8.3682
15.	तमिलनाडु	11.9275
16.	पांडिचेरी	0.383
17.	केरल	0.170
18.	गोवा	0.093
	जोड़	117.6821

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी उद्योग की उपयोगिता क्षमता की प्रतिशतता

क्र.सं.	चीनी वर्ष (अक्तू.-सितंबर)	चीनी उत्पादन (लाख टन में)	अधिष्ठापित क्षमता (लाख टन) (30 सितंबर को)	उपयोगिता क्षमता (लाख टन में) (प्रतिशत)
1.	1991-92	134.11	102.3941	130.97
2.	1992-93	106.09	109.4092	96.96
3.	1993-94	98.12 (अनंतिम)	115.9999	84.58

[अनुवाद]

रेल गाड़ियों का समय पर नहीं चलना

1132. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान यात्री डिब्बों और मालडिब्बों में खराबी के कारण पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में गाड़ियां समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या कारक उत्तरदायी हैं; और

(घ) इन कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-दिसंबर "93 के दौरान 1507 मामलों से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर "1994 के दौरान 1696 मामले हो गए।

(ग) सवारी और माल डिब्बा स्टॉक के बढ़ते हुए उपयोग से मुख्यतः ऐसा हुआ है।

(घ) अनुरक्षण संबंधी अवसंरचना की समीक्षा की जा रही है और बढ़ते हुए यातायात की मांग को पूरा करने के लिए सुधार किया गया है। इसके अलावा, निर्वात ब्रेक स्टॉक के बदले अधिक से अधिक वात ब्रेक स्टॉक का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है, जो परिचालन की दृष्टि से अधिक विश्वसनीय है।

बड़ी लाइन

1133. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में लंका से सिल्चर के बीच की प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन की अद्यतन प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) यह अस्वीकृत परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय राज्य फार्म

1134. श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय राज्य फार्म के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) इस भू-भाग के कितने क्षेत्र का उपयोग विभिन्न खाद्यान्नों की बीजों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है; और

(ग) 1993-94 के दौरान इन फार्मों में कुल कितने बीजों का उत्पादन किया गया?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस समय महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राज्य फार्म निगम का कोई फार्म नहीं है। अतः अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

मोटे अनाज की खेती के अंतर्गत आने वाली भूमि

1135. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में कुल कितनी भूमि पर खेती हुई;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितनी भूमि में मोटे अनाज की खेती हुई है;

(ग) क्या मोटे अनाज की खेती वाली भूमि के कुल क्षेत्रफल में कोई ऐसी कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में खेती के अधीन कुल क्षेत्र का अनन्तिम अनुमान इस प्रकार है :-

वर्ष	खेती के अधीन क्षेत्र (मिलियन हेक्टेअर में)
1991-92	155.78
1992-93	158.04
1993-94	157.51

(ख) पिछले तीन वर्षों में मोटे अनाजों की खेती के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र इस प्रकार है :-

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन हेक्टेअर में)
1991-92	33.42
1992-93	34.42
1993-94	33.06

(ग) समय के साथ-साथ मोटे अनाजों की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कमी आयी है।

(घ) किसानों की यह प्रवृत्ति है कि ज्यों-ज्यों सिंचित क्षेत्रों का विस्तार होता जाता है त्यों-त्यों वे अपने क्षेत्र को अधिक उपज देने वाली अच्छी खाद्यान्न फसलों और अन्य अधिक लाभ देने वाली फसलों के लिये इस्तेमाल करने लगते हैं।

खाद्य राज सहायता विधेयक

1136. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य राज सहायता विधेयक में 800 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि दिखाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं; और

(ग) इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 4,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के प्रति भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के भुगतान हेतु 5,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें 685 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो आयातित चीनी के लिए है। इस प्रकार केवल खाद्यान्नों के कारण 415 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ग) बफर स्टॉक के रख-रखाव की लागत को कम करने और इसके बेहतर प्रबंध हेतु भारतीय खाद्य निगम ने अनेक उपाय किए हैं और अब भी कर कर रहा है। ये उपाय हैं :- भण्डारण क्षमता का इष्टतम इस्तेमाल, बढ़ती हुई भण्डारण लागत, मार्गस्थ और भण्डारण हानियों को कम करने के लिए गेहूं/चावल की खुली बिक्री। भारतीय खाद्य निगम अपनी हैंडलिंग-लागत को यथासंभव कम करने हेतु भी उपाय करता रहा है।

खुफिया जांच

1137. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सतर्कता संगठन द्वारा क्षेत्र-वार कितनी खुफिया जांचें की गईं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सतर्कता संगठन का खुफिया जांचों में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) विवरण नीचे दिया गया है :-

रेलवे	1992	1993	1994	फरवरी 95 तक	जोड़
मध्य	50	79	95	01	225
पूर्व	70	69	39	-	178
उत्तर	41	60	69	11	181
पूर्वोत्तर	120	112	136	16	384
पूर्वोत्तर सीमा	27	35	32	07	101
दक्षिण	112	89	88	19	308
दक्षिण मध्य	99	93	120	24	336
दक्षिण पूर्व	91	88	102	12	293
पश्चिम	48	29	43	02	122
जोड़	658	654	724	92	2128

(ख) छद्म जांचों के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय रेलों ने 955 रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई की।

(ग) की गई छद्म जांचों की संख्या प्राप्त की गई विशेष शिकायतों/सूचनाओं पर आधारित होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन

1138. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 और 1994 के दौरान चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु चीनी विकास कोष से भारी धनराशि वितरित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1989-90 की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार में कोई गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा 1990-91, 1991-92 और 1993-94 के दौरान गन्ने की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार कितनी-कितनी थी; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्ने के औसत उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास स्कीमों को हाथ में लेने के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से कुल क्रमशः 109.85 करोड़ रुपये और 115.28 करोड़

रुपये की राशि के ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान वितरित धनराशि की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज निम्न प्रकार से थी :-

वर्ष	उपज (मीटरी टन प्रति हेक्टेयर)
1989-90	65.61
1990-91	65.39
1991-92	66.06
1992-93	63.84
1993-94	67.06

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गन्ना उत्पादन का लक्ष्य 275 मिलियन मी. टन निर्धारित किया गया है जिसे मुख्य रूप से उत्पादकता में वृद्धि करके प्राप्त किया जाना है।

विवरण

1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास के लिए विभिन्न चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से रिलीज की गई निधियों की राज्यवार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1992-93		1993-94	
		आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापन	गन्ना विकास	आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापन	गन्ना विकास
1.	आंध्र प्रदेश	20.35	1.45	10.84	1.72
2.	बिहार	2.00	—	—	0.25
3.	गुजरात	5.30	0.13	2.36	—
4.	कर्नाटक	3.87	3.87	8.05	4.88
5.	मध्य प्रदेश	0.90	0.82	3.74	0.76
6.	महाराष्ट्र	22.09	3.74	20.08	14.81
7.	पंजाब	—	2.66	—	3.78
8.	तमिलनाडु	11.34	0.73	11.92	4.60
9.	उत्तर प्रदेश	26.93	1.96	16.67	2.97
10.	उड़ीसा	—	—	3.84	1.31
11.	हरियाणा	—	0.39	—	2.70
12.	पश्चिम बंगाल	—	1.32	—	—
	कुल योग	92.78	17.07	77.50	37.78

मदरसों का राष्ट्रीय सम्मेलन

1139. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मदरसों के एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गयी;

(ग) क्या सरकार ने सम्मेलन में दिये गये सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) यह सूचित किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष मंच, जोगा बाई, जामिया नगर, नई दिल्ली ने अगस्त, 1994 में जामिया नगर में एक त्रिदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) यह सूचित किया गया है कि यह सम्मेलन मदरसों में परम्परागत शिक्षण के आधुनिकीकरण के बारे में था।

(ग) और (घ). सम्मेलन, मुद्दों और दिए गए सुझावों के बारे में आयोजकों से सरकार को कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1140. श्री प्रेम चन्द राम :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा-पटना-मुगलसराय रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इस खंड का विद्युतीकरण हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). हावड़ा-सीतारामपुर खंड पहले से ही विद्युतीकृत है। सीतारामपुर-पटना-मुगलसराय का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। 31 मार्च, 1995 तक का परिव्यय 56.31 करोड़ रुपये है तथा 1995-96 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 31 करोड़ रुपये है।

नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा

1141. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में पददलित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये नवोदय विद्यालय प्रणाली के संबंध में कोई योजना बनाई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वयंसेवी संगठनों को ऐसे स्कूलों का संचालन करने हेतु प्रोत्साहन देने का है जिनमें पिछड़े क्षेत्रों के पददलित वर्ग की बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). नवोदय विद्यालयों की स्थापना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को, उनके परिवारों की सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान किए बिना, उत्तम कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गयी है। नवोदय विद्यालय योजना की दाखिला नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि शहरी क्षेत्रों से बच्चों की संख्या को अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित किया जाए। यह सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जाते हैं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक-तिहाई छात्र लड़कियां हैं। इस स्कीम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है बशर्ते कि किसी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा।

(ग) और (घ). बच्चों की किसी विशिष्ट कोटि के लिए नवोदय विद्यालयों की पद्धति पर स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्कूल चलाने सम्बंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में डेयरी विकास

1142. **श्री हरिन पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से चल रही डेयरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों और दिसम्बर, 1994 तक गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) राज्य में लगाई जाने वाली डेयरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आयेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से गुजरात में चलाई जा रही ऑपरेशन फ्लड-3 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान दिसम्बर, 1994 तक ऑपरेशन फ्लड के तहत गुजरात को प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	लाख रुपये में
1992-93	3479.42
1993-94	14014.86
1994-95 (दिसम्बर 1994 तक)	3196.02

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित परियोजनाओं के अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से राज्य में कोई अन्य डेयरी विकास परियोजना स्थापित किए जाने की संभावना नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से गुजरात में चल रही ऑपरेशन फ्लड-3 परियोजनाओं का ब्यौरा

1. मेहसाना जिला सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड

(1) मेहसाना डेयरी विस्तार चरण-2 (1050-1150 हजार ली. प्रति दिन)

(2) खेरलु प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (70-150 हजार ली. प्रति दिन)

(3) मेहसाना डेयरी, विस्तार एवं उन्नयन (चरण-3)

(4) हंसापुर प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (70-150 हजार ली. प्रति दिन)

(5) काडी प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (70-150 हजार ली. प्रति दिन)

2. सूरत जिला सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड

(1) सुमुल डेयरी विस्तार

(2) उच्छल प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (10-30 हजार लीटर प्रति दिन)

(3) नवी पार्डी प्रशीतन केन्द्र (200 हजार लीटर प्रति दिन)

3. साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड

(1) साबर डेयरी का सुदृढ़ीकरण

(2) आई.डी.ए.आर. प्रशीतन केन्द्र (75-125 हजार लीटर प्रति दिन)

(3) प्रांतीज प्रशीतन विस्तार केन्द्र का विस्तार (75-125 हजार लीटर प्रति दिन)

4. बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड

(1) बनास डेयरी विस्तार

(2) बनास डेयरी का सुदृढ़ीकरण

(3) खिमाना प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (30-75 हजार लीटर प्रति दिन)

(4) धनेरा प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (20-50 हजार लीटर प्रति दिन)

(5) थारद प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (20-50 हजार लीटर प्रति दिन)

(6) दंता प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (10-50 हजार लीटर प्रति दिन)

(7) राधनपुर प्रशीतन केन्द्र का विस्तार (10-50 हजार लीटर प्रति दिन)

5. कैरा जिला सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड

(1) अमूल-3 डेयरी परियोजना (650 हजार लीटर प्रति दिन)

(2) उपग्रह डेयरी खेडा (300 हजार लीटर प्रति दिन)

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1143. श्री हरि केवल प्रसाद :
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या 1994-95 के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक बैठकें करती है। इन बैठकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सुझावों तथा उपायों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई विशेष समीक्षा नहीं की गई है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों की सप्लाई

1144. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र को चेतावनी दी है कि वह रेलवे को अच्छी किस्म की रेल पटरियों की सप्लाई करेगी अन्यथा वह रेल पटरियों का आयात करेगी ताकि उसके द्वारा रेल मार्गों के आधुनिकीकरण में रूकावट न आये;

(ख) रेलवे ने भिलाई इस्पात संयंत्र को गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के क्रयादेश दिये हैं;

(ग) क्या क्रयादेशों पर भिलाई इस्पात संयंत्र ने माल समय पर सप्लाई किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने रेल पटरियों का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ समझौता किया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। बहरहाल, रेलें पटरियां बनाने और जांच सुविधाओं के ग्रेडोन्नयन के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से आग्रह कर रही है।

(ख) रेलों ने वर्ष 1992-93 के दौरान 417 करोड़ रुपये, 1993-94 के दौरान 506 करोड़ रुपये और 1994-95 के दौरान 554 करोड़ रुपये की पटरियों के लिए आदेश दिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय सरकार कठोर सिरे वाली पटरियों का ही आयात कर रही है जोकि देश में नहीं बनाई जाती।

(च) कठोर सिरे वाली पटरियां यूनाइटिड किंगडम से यूनाइटिड किंगडम अनुदान तथा कनाडा से इंडो-कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना के अंतर्गत खरीदी जा रही हैं।

[हिन्दी]

उपरि पुलों का निर्माण

1145. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में निचले पुलों और उपरि रेलवे पुलों के निर्माण संबंधी कई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके निर्माण पर होने वाले कुल खर्च का पचास प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा वहन करने के लिए तैयार होने के बावजूद सरकार शेष खर्च वहन करने के लिए तैयार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1995-96 के दौरान पुलों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). जी, नहीं। बहरहाल, राज्य सरकार ने कि.मी. 1392/9-10 पर समपार 413ए के बदले, कि.मी. 1392/6-7 पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया था। भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और बाह्य मार्ग के निकट कि.मी. 1390/5 पर ऊपरी

सड़क पुल का सुझाव दिया है। प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इस मामले को मार्च, 1992 में राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार ने अब तक इसका उत्तर नहीं दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 के मुरादाबाद-बरेली खंड पर कि.मी. 1376/12 पर समपार सं. 404/ए-3 के बदले ऊपरी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में, पुल निर्माण के हिस्से का अनुमानित ब्यौरा भी राज्य सरकार को मार्च, 1993 में भेजा गया था। राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) 33.00 करोड़ रुपये ।

स्कूलों में शारीरिक शिक्षा

1146. डा. सीवीजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख). इस समय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना नहीं है। इस प्रकार "क" तथा "ख" पर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

1147. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार की देखरेख में नियत आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें क्या थीं;

(ख) इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा उसे अपने प्रयासों में कहां तक सफलता मिली है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण, जिसमें आवश्यक वस्तुओं में खुदरा मूल्य दिए गए हैं, जिनकी सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान [illegible] है, संलग्न है।

(ख) दालों, खाद्य तेलों जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का रूख दिखाई दिया है जो मुख्यतः उनकी मांग व आपूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर के कारण है। इसके अलावा गत तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के संचित प्रभाव के परिणामस्वरूप प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा इससे वेज गुड्स पर ऊर्ध्वमुखी दबाव बना है।

(ग) सरकार ने विशेष रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा उसके द्वारा जो अन्य उपाय किए गए हैं उनमें ऐसी वस्तुओं का आयात करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कुल उपलब्धता में वृद्धि हो सके। आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बाजार मूल्यों से कम पर आपूर्ति की जा रही है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

(रुपये प्रति कि.ग्रा.)

वस्तुएं/केन्द्र	8.3.1995	9.3.1994
1	2	3
चावल		
दिल्ली	8.50	8.00
बम्बई	9.00	8.00
कलकत्ता	9.00	6.70
मद्रास	7.60	7.00
गेहूं		
दिल्ली	5.50	5.20
बम्बई	6.50	8.00
मद्रास	8.00	8.00
चना		
दिल्ली	14.00	18.00
बम्बई	15.00	18.00
कलकत्ता	17.00	18.00
मद्रास	14.00	16.50
तुर		
दिल्ली	18.00	16.50
बम्बई	22.00	18.00
कलकत्ता	20.00	17.00
मद्रास	23.00	18.00

1	2	3
चीनी		
दिल्ली	13.50	13.50
बम्बई	13.00	14.00
कलकत्ता	13.50	13.40
मद्रास	11.20	13.40
मूंगफली का तेल		
दिल्ली	48.00	42.00
बम्बई	42.00	34.00
कलकत्ता	59.00	48.00*
मद्रास	42.00	33.00
सरसों का तेल		
दिल्ली	37.00	31.00
बम्बई	38.00	36.00*
कलकत्ता	40.00	32.00
मद्रास	45.00	37.00
वनस्पति		
दिल्ली	42.00	35.00
बम्बई	43.00	38.00
कलकत्ता	47.00	36.00
मद्रास	45.00	37.00
खुली चाय		
दिल्ली	75.00	70.00
बम्बई	80.00	76.00
कलकत्ता	65.00	61.00
मद्रास	103.00	102.00
आलू		
दिल्ली	3.00	2.50 *
बम्बई	4.00	5.50 *
कलकत्ता	2.50	6.50 *
मद्रास	3.00*	3.50 *
प्याज		
दिल्ली	4.00	6.00 *
बम्बई	3.00	5.50 *
कलकत्ता	4.50	6.00 *
मद्रास	2.50*	3.50 *
नमक (पैक किया हुआ)		
दिल्ली	4.00	3.50
बम्बई	4.00	3.50 *
कलकत्ता	4.00	3.50
मद्रास	4.00	3.50 *

* निकटतम तारीख

टिप्पणी : आंकड़े हमारे द्वारा एकत्र किए गए हैं—इनमें अन्तर संभव है।

किसानों की जनगणना

1148. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न फसलों, विशेष रूप से तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों की जनगणना कराई है;

(ख) यदि हां, तो सारे देश में तम्बाकू कृषकों का पता लगाने के लिए की गई इस जनगणना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार तम्बाकू की खेती के लिए वित्तीय सहायता किस प्रकार उपलब्ध कराने का है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि संगणना, 1985-86 के अनुसार तम्बाकू उगाने वाली प्रचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या 360757 है। तम्बाकू उगाने वाली प्रचालनात्मक जोतों की संख्या पर आकार वर्गवार सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1985-96 के दौरान भारत में तम्बाकू उगाने वाली प्रचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	आकार का वर्ग (है.)	जोतों की संख्या
1.	सीमान्त (1 हैक्टेयर से कम)	155052
2.	छोटे (1.0 से 2.0 है.)	96513
3.	अर्द्ध मध्यम (अर्द्ध मध्यम 2.0 से 4.0 है.)	74864
4.	मध्य (4.0-10.0 है.)	31014
5.	वृहत (10 है. और अधिक)	3314
	सभी आकार	360757

[हिन्दी]

मसालों की खेती

1149. श्री एन.चे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में मसालों की खेती की संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पता लगाई गई सम्भावनाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक मसालों की खेती के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) राज्य में कौन-कौन से मसालों का उत्पादन किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य के सूरत, पंचमहल, बहरौच, बड़ौदा, अहमदाबाद, खेडा, गांधीनगर, बनास कांठा, मेंहसाना, सावर कांठा, कच्छ, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, अमरेली, जूनागढ़ और भावनगर जिलों में मसालों की खेती की संभावना है।

(ग) राज्य में जीरा, सौंफ, मैथी, धनिया, मिर्च और हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1150. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अधिकतम रेलमार्गों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है तथा इसकी रेलगाड़ियों के यात्री डिब्बों की स्थिति खराब होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जब इकहरी लाइन वाले खंडों की वहन क्षमता संतृप्त बिन्दु पर पहुंच जाती है तब रेल लाइन का दोहरीकरण शुरू किया जाता है जिसमें माल यातायात के गहन खंडों को प्राथमिकता दी जाती है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उन खंडों अर्थात् जलपाईगुड़ी के रास्ते मालवा से अंबारीफलकटा, जहां यातायात इस स्तर पर पहुंच चुका है, का दोहरीकरण पहले शुरू किया जा चुका है तथा इसका काफी भाग पहले ही पूरा हो चुका है। सवारी डिब्बों की हालत की जांच करने और उनमें सुधार करने के लिए रेलवे को कहा गया है।

जहां तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लाइनों के विद्युतीकरण का संबंध है, इस जोन में यातायात का घनत्व कम होने के कारण फिलहाल किसी खंड का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु विश्व बैंक की सहायता

1151. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त सहायता का उपयोग किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के दस जिलों को शामिल करके एक बुनियादी शिक्षा परियोजना विकसित की है जिसे विश्व बैंक ने 1993 में अनुमादित किया था।

(ख) परियोजना में 7 वर्षों की अवधि के लिए तकरीबन 728 करोड़ रु. की लागत की परिकल्पना की गई.है। विश्व बैंक से अमेरिकी डालर 163.1 मिलियन की निधियां प्राप्त होंगी जिससे परियोजना की लागत का 87 प्रतिशत वहन किया जाएगा। परियोजना लागत का 13 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को गति मिलेगी। इसमें प्राथमिक स्कूलों, अनौपचारिक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण व महिला शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ग) परियोजना में मुख्यतः दस जिले अर्थात् वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पौढ़ी गढ़वाल तथा नैनीताल शामिल हैं।

[अनुवाद]

भूमि उपयोग बोर्ड

1152. श्री अंकुशराव टोपे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में भूमि उपयोग बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ-समूह ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजे हैं तथा उक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है तथा क्या अभी उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). राज्य भू-उपयोग बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की केन्द्र क्षेत्रीय योजना को 1986-87 से गुजरात को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। गुजरात राज्य सरकार से भी अपना राज्य भू-उपयोग बोर्ड का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो राज्यों/विधान सभा वाले संघशासित क्षेत्रों के मामले में 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में है।

विधान सभा के बिना संघशासित क्षेत्रों के लिये 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में होती है। केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के लिये दी जाती है :

(क) केन्द्रीय प्रकोष्ठ के वेतन और भत्ते।

(ख) डाटा बैंक सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास।

(ग) अध्ययन कराने, सेमिनारों कार्यशालाओं का आयोजन करने/प्रचार व चेतना अभियान के लिए सहायता।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग के तत्कालीन अपर सचिव की अध्यक्षता में तथा पर्यावरण एवं वन विभाग ग्रामीण विकास विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, योजना आयोग के प्रतिनिधियों तथा प्रत्येक अंचल के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करके 1986 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य भू-उपयोग बोर्डों के कामकाज की जांच करना तथा उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए सुझाव देना था।

(घ) उस अध्ययन दल की सिफारिशें विवरण I में दी गयी हैं।

(ङ) से (छ). वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर अनुमोदित धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

अध्ययन दल की सिफारिशें

1. राज्य भू-उपयोग बोर्ड को एक ऐसा शीर्षस्थ निकाय होना चाहिये जो भू-संसाधनों बंजर भूमि के विकास सम्बन्धी रणनीतियों और नीतियों के साथ-साथ राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों में सभी सम्बद्ध विभागों को जैसे कृषि वन, पर्यावरण, सिंचाई कार्य एवं आवास, खान, परिवहन, रेलवे, योजना, वित्त आदि तथा एजेन्सियों को नीति दिशा निर्देश दे सके और उनके बीच समन्वय स्थापित कर सके।

2. बोर्ड को वांछित राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर प्रदान करने के लिये मुख्य मंत्री या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष होना चाहिये। इसके विकल्प के रूप मे मुख्य सचिव स्तर का एक पूर्णकालिक अधिकारी इसका अध्यक्ष होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये की महत्वपूर्ण मुद्दों को समय-समय पर मुख्य मंत्री के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

3. बोर्ड की सहायता के लिये एक समन्वय समिति होनी चाहिये जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव या उसके समक्ष का कोई अधिकारी होना चाहिये और इसमें संबोधित सचिवों व्यावसायिक अध्यक्षों और गैर सरकारी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिये। राज्य भू-उपयोग बोर्ड के प्रस्तुत करने के लिए किये गये अध्ययन/तैयार कागजातों में उत्पन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार करने में मदद करने के लिये एक विशेषज्ञ प्रकोष्ठ होना चाहिये जिसकी संरचना भू-उपयोग, मृदा एवं जल संरक्षण, भूमि सुधार एवं विकास सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मरूस्थल एवं सूखा प्रवण क्षेत्र विकास प्रबंध, वन, पर्यावरण, पहाड़ी क्षेत्र विकास नगर एवं गांव नियोजन आदि के क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञों को सम्मिलित करके होनी चाहिये।

4. राज्य भू-उपयोग बोर्डों के पास अपने मुख्य उद्देश्यों और कार्यों का एक "चार्टर" होना चाहिये। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भू-संसाधनों के आकलन नीति-नियोजन में दिशा निर्देश देने, समन्वय, भू-उपयोग परिवर्तनों/कृष्य योग्य भूमियों अन्य कार्यों हेतु उपयोग आदि की समीक्षा करने व पारस्परिक प्राथमिकता निर्धारित करने, समेकित और वैज्ञानिक नियोजन को बढ़ावा देने, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, डाटा आधार तैयार करने और समेकित और संदर्शी योजना में उनका उपयोग करने आदि से सम्बन्धित बातें निहित होंगी। परिकल्पना की गई है कि बोर्ड अधिकारियों, गैर-अधिकारियों और भू-उपयोगकर्ताओं की व्यावसायिक, प्रबन्धकीय और निर्णय लेने की क्षमता को अद्यतन बनाने वाले और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक प्रबन्ध और उपयोग से सम्बन्धित मामलों पर विभिन्न साधनों से जानकारी प्रदान करने वाले मंच के रूप में काम करेगा।

5. इन उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से राज्य भू-उपयोग बोर्ड कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, भू-संसाधनों के स्तर और डाटा बेस संदर्शी योजनाओं को तैयार करने, जानकारी अभियान चलाने, प्रशिक्षणों का आयोजन करने और साथ ही साथ कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन करने के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों प्रकार के कदम उठाएंगे/काम करेंगे और अधिक कारगर प्रौद्योगिकी के विकास अनुसंधान अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य भू-उपयोग बोर्डों को जांच एवं मूल्यांकन का काम करना चाहिये चाहे इसमें उसे राष्ट्रीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य एजेन्सियों से सहयोग मिले या न मिले।

6. केन्द्रीय और राज्य सरकारों की राज्य भू-उपयोग बोर्डों की स्थापना करने तथा सम्बन्धित राज्यों की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल बहुआयामी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयास करते रहना चाहिये। इसमें राष्ट्रीय निकायों, संस्थानों और अन्य एजेन्सियों के साथ मिलकर विभिन्न क्रियाकलापों को अपनाने या प्रायोजित करने की बात भी निहित होनी चाहिये। इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय योजना का पर्याप्त रूप से सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये जिससे कि वित्त पोषण, कार्यकलापों में सहायता करने, समय-समय पर जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराने, प्रगति के कार्यक्रमों और अड़चनों को दूर करने आदि के रूप में ठोस सहायता प्रदान की जा सके।

7. राष्ट्राय संदर्भों तथा साथ ही साथ राज्यों के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को तैयार करने तथा इनका लगातार क्रियान्वयन करने के लिये राज्य भू-उपयोग बोर्डों को निश्चित की गई बैठकों और दी जाने वाली सहायता सहित कार्यकलापों की एक वार्षिक योजना उपलब्ध करायी जानी चाहिये। योजनाओं के साथ-साथ कार्यक्रमों की अर्धवार्षिक समीक्षा राष्ट्रीय निकायों के पास भेजी जानी चाहिये। इस समय राष्ट्रीय भू-उपयोग बोर्ड तथा राष्ट्रीय पनधारा विकास बोर्ड दोनों रिपोर्टें और पत्रिकाएं लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें नये विकास को कवर करेंगे। इस प्रकार जानकारियों, विचारों और अन्य सम्बन्धित बातों के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

विवरण-II

1994-95 (15.3.95 की स्थिति के अनुसार) के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	तकनीकी अनुमोदन	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.00	10.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.925	5.10
3.	असम	16.75	6.50
4.	बिहार	3.64	–
5.	गोवा	10.7875	–
6.	गुजरात	–	–
7.	हरियाणा	6.60	–
8.	हिमाचल प्रदेश	7.50	5.00
9.	जम्मू व कश्मीर	8.67	4.00
10.	कर्नाटक	–	–
11.	केरल	22.865	15.00
12.	मध्य प्रदेश	13.50	8.09
13.	महाराष्ट्र	8.10	–
14.	मणिपुर	5.00	–
15.	मेघालय	–	–
16.	मिजोरम	18.20	12.45
17.	नागालैंड	5.148	–
18.	उड़ीसा	–	–
19.	पंजाब	9.00	–
20.	राजस्थान	11.00	5.60
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	13.91	8.91
23.	त्रिपुरा	9.00	7.13
24.	उत्तर प्रदेश	15.00	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	19.05	15.00
26.	पांडिचेरी	8.90	3.40
27.	दादरा एवं नगर हवेली	1.90	1.90
28.	दिल्ली	–	–
29.	लक्षद्वीप	3.57	3.57
	कुल	239.0155	127.10

[हिन्दी]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

1153. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री पी.सी. चाको :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है; और

(ख) इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में लागू करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश नामक 7 राज्यों के 42 जिलों में प्रारम्भ किया गया है। शामिल किये गये राज्य-वार जिले निम्नलिखित हैं :—

असम	4
हरियाणा	4
कर्नाटक	4

केरल	3
महाराष्ट्र	5
तमिलनाडु	3
मध्य प्रदेश	19

(ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश के पांच-पांच जिलों में आयोजना के चरण में है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय कंप्यूटरीकृत पूछताछ प्रणाली

1154. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गाड़ियों की समयसारणी और आवागमन की सूचना प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कंप्यूटरीकृत पूछताछ प्रणाली शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा आम जनता के लिए कब से उपलब्ध होगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) बंबई सैंट्रल, अहमदाबाद, बड़ौदा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो (नई दिल्ली) तथा नई दिल्ली स्थित केन्द्रीकृत टेलीफोन पूछताछ केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत विश्वव्यापी पूछताछ प्रणाली पहले से ही मौजूद है। इस प्रणाली को सिकन्दराबाद में शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए कार्य प्रगति पर है।

(ख) सिकन्दराबाद में इसे कार्यान्वयन करने की समयावधि, स्थान विशेष की आवश्यकताओं से मेल बिठाने के लिए सोफ्टवेयर को अनुरूप बनाने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

निजी पार्टियों के लिए गोदाम

1155. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में भाण्डागारों की कमी की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए निजी पार्टियों को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ निजी पार्टियों को कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। लगातार अच्छी वसूली होने के कारण, वसूली क्षेत्रों को गम्भीर भण्डारण कमी का सामना करना पड़ रहा है। तथापि कुछ उपभोक्ता क्षेत्रों में रिक्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो सकती है।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम ने अपने आंचलिक प्रबन्धक (उत्तर) और क्षेत्रीय प्रबन्धकों, पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश और राजस्थान को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इन राज्यों में भण्डारण क्षमता आवश्यकताओं में हुई भण्डारण कमी को पूरा करने के प्रयोजन से लगभग 5 मिलियन मीटरी टन की भण्डारण क्षमता को सृजित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत किया है :

राज्य	भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टन में)
पंजाब	25.00
हरियाणा	10.00
उत्तर प्रदेश	10.00
राजस्थान	7.00
जोड़	52.00

(घ) और (ङ). जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने केवल कुछ अवधियों के संबंध में केवल "गारंटीड" उपयोग की पेशकश की है लेकिन भारतीय खाद्य निगम, गोदाम बनाने की इच्छुक पार्टियों को कोई वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं करता है।

रेल परियोजना

1156. श्री राघेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना में प्रगति और पूर्णता की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या माल और सवारी गाड़ियों के चलाए जाने की अनंतिम तिथियां तय की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 31 दिसम्बर, 1994 तक परियोजना पर कितना व्यय हुआ और इसके पूर्ण होने तक कितना अनुमानित व्यय होगा;

(ङ) परियोजना पर हुए कुल व्यय में कोंकण रेल बांडों द्वारा प्राप्त कुल पूंजी कितनी है;

(च) क्या बांडों की बिक्री कोंकण रेल परियोजना के अधिकारियों के आशानुरूप नहीं हुई ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 28.02.95 तक कोंकण रेल परियोजना की कुल मिला कर वास्तविक प्रगति 82 प्रतिशत हो चुकी थी।

(ख) जी हां।

(ग) (i) माल यातायात 30.06.95 तक

(ii) यात्री यातायात 31.12.95 तक

(घ) (i) व्यय 1530 करोड़ रुपये

(ii) अनुमानित लागत 1784 करोड़ रुपये

(ङ) 1470 करोड़ रुपये

(च) जी हां।

(छ) दिसंबर, 1993 तक कोंकण रेलवे बंधपत्रों की असंतोषजनक बिक्री पूंजी बाजार में प्रतिकूल परिस्थितियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर-मुक्त बंधपत्रों में सीधी-बिक्री के लेन-देन पर रोक लगा देने के परिणामस्वरूप थी।

नेशनल लाइब्रेरी समिति

1157. डा. असीम बाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के मामलों पर विचार करने हेतु बनायी गयी समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) समिति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक, दोनों कार्यकरण के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पहलुओं की जांच करेगी तथा इसमें सुधार के लिए उपाय सुझायेगी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1158. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का वितरण तथा द्वार पर डिलीवरी की बात मात्रा काल्पनिक है;

(ख) यदि हां, तो भूल-चूक तथा त्रुटियों को ठीक करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का कोई विचार महिलाओं द्वारा चलायी जाने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों को वितरण का कार्य सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3.2 लाख से अधिक उचित दर दुकानें कार्य कर रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के हिस्से के रूप में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में अवस्थित उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी का कार्य एक चरण-बद्ध तरीके से शुरू करने पर सहमत हो गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार एक लाख से अधिक उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल आकार के इस कार्य में यहां-वहां कुछ कमियां होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। दरवाजे तक सुपुर्दगी स्कीम एक ऐसे उपाय के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्य उचित दर दुकान के मालिकों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को प्रणाली से बाहर भेजने पर रोक लगाना है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे उचित दर दुकानों के आवंटन के मामले में महिलाओं और महिलाओं की सहकारी समितियों को प्राथमिकता/वरीयता दें। इस प्रकार के निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

1159. श्री मोहन रावले :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग में व्यथित महिलाओं द्वारा अब तक कुल कितने मामले दर्ज कराए गए हैं;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले अभी तक लम्बित है;

(ग) लम्बित मामलों के निपटारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) आयोग में दर्ज मामलों के निपटारे के समय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार और इसकी अन्य एजेंसियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) अब तक आयोग में 853 मामले दर्ज करवाए गए है।

(ख) और (ग). 853 मामलों में से 730 की जांच आयोग द्वारा की गई जिसमें से कुछ के संबंध में प्राथमिक पूछताछ के बाद कार्रवाई बन्द कर दी गई । अन्य मामलों को समुचित कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया। शेष मामले आयोग में पिछले दो महीनों के दौरान प्राप्त हुए।

(घ) शिकायतों के निपटान के संबंध में आयोग द्वारा कोई सिफारिश सरकार को नहीं भिजवाई गई।

(ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत आयोग को अपने कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुपर बाजार में गुणवत्ता की जांच

1160. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की विभिन्न शाखाओं में बेची जा रही खाद्य वस्तुओं जैसे गेहूं, आटा, बिस्कुट, तेल इत्यादि की बिक्री के पहले जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजार द्वारा इस तरह की जांच के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार द्वारा उन वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के साथ-साथ उनकी मात्रा की भी जांच की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सुपर बाजार द्वारा उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है जिनके उत्पाद घटिया तथा वजन में कम पाए जाते हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसी किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस समय अपनाए जा रहे मानदंड इस प्रकार है

(1) दालों जैसी वस्तुओं की प्रत्येक खेप, जो थोक में अधिप्राप्त की जाती है, की बिक्री के लिए पैक करने की अनुमति देने से पूर्व उनकी गुणवत्ता/मात्रा के संबंध में जांच की जाती है।

(2) आटा, मैदा, सूजी, नमकीन मिश्रण, नमक के वर्ग के पैक किए हुए खाद्य उत्पादों की प्रत्येक खेप की भी उनकी गुणवत्ता के संबंध में जांच की जाती है।

(3) अन्य सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री स्थल में तथा ग्राहकों से शिकायत प्राप्त होने पर यादृच्छिक जांच की जाती है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण-I

अप्रैल 1992 -मार्च 1993

क्र.सं.	उत्पाद	विनिर्माता	कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	ब्रिटानिया स्नेक्स	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि.	इतर वस्तु	चेतावनी दी गई।
2.	किसान मिक्स फ्रूट जाम	मै. किसान फूड्स	तिलचट्टा पाया गया	पूरे बैच को बिक्री से हटा लिया गया और मामले को फल उत्पाद आदेश के तहत लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों को भेजा गया।
3.	स्नो स्काई एग नूड्डल्स	मै. स्नो स्काई फैक्ट्री	जिंदा घुण	चेतावनी दी गई और सारे सामान को बिक्री से हटा लिया गया।
4.	राज पेठा	मै. राज पेठा भण्डार	मक्खियां	वही
5.	इन्डाना सुपर ग्लूकोज बिस्कुट	मै. फारमोस्ट इंडस्ट्री	असंतोषजनक स्वाद	बिक्री से हटा लिया गया।

1	2	3	4	5
6.	वहीट पफ्फ कोको	मै. आधुनिक फूड	नरम	बिक्री से हटा लिया गया।
7.	मील मेकर	मै. वोल्टास लि.	कीड़े	वही
8.	राज पेठा	मै. राज पेठा भंडार	चीनी के सिरप में काला कण	वही
9.	स्पेशल पीनट कुकीस	मै. क्वालिटी बेकर्स	असंतोषजनक स्वाद	वही
10.	पालजी मिल्क ग्लूकोज बिस्कुट	मै. पालजी फूड	देखने में अच्छे नहीं	वही
11.	बेकमेन ग्लूकोज बिस्कुट	मै. बेकमेन होम प्रोडक्ट्स	नरम	वही
12.	इन्डाना सुपर ग्लूकोज बिस्कुट	मै. फारमोस्ट इंडस्ट्रीज	नरम	वही
13.	क्वालिटी पीनट कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर्स	आकार और आकृति	वही
14.	क्वालिटी पीनट कुकीज	वही	करकराहट और बासी	वही
15.	कोकोनट कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर्स	देखने में अच्छे नहीं	वही
16.	राज पेठा	मै. राज पेठा भंडार	वही	वही
17.	क्वालिटी स्पेशल कोकोनट	मै. क्वालिटी बेकर्स	देखने में अच्छे नहीं, नरम	वही
18.	पालजी मिल्क ग्लूकोज बिस्कुट	मै. पालजी फूड प्रा. लि.	वही	बदल दिए गए
19.	बेकमेन ग्लूकोज बिस्कुट	मै. बेकमेन होम प्रोडक्ट	नरम/स्वाद ठीक नहीं	वही
20.	इन्डाना ग्लूकोज बिस्कुट	मै. इन्डाना फूड	हल्की अस्वादिष्ट	वही
21.	इन्डाना ग्लूकोज बिस्कुट	मै. इन्डाना फूड	वही	वही
22.	क्वालिटी आटा कुकीज पीनट्स	मै. क्वालिटी बेकर्स	आकार और आकृति एक समान नहीं थी।	वही
23.	क्वालिटी जीरा कुकीज	वही	बासी, स्वाद ठीक नहीं करकराहट थी	वही
24.	क्वालिटी कोकोनट कुकीज	वही	टूटे, नरम व कड़वा, सोडा मौजूद	वही
25.	आटा कमल	मै. तिरूपति फूड प्रोडक्ट्स	कम वजन	पार्टी को चेतावनी दी गई और आनुपातिक मूल्य कटौती लगाई गई
26.	बादशाह आटा	मै. हनुमान फ्लोर मिल	वजन आंशिक रूप से कम	चेतावनी दी गई
27.	कमल आटा	मै. तिरूपति फूड प्रोडक्ट्स	वही	वही
28.	क्वालिटी कोकोनट कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर्स	स्वाद और गंध ठीक नहीं	वही
29.	ब्रिटानिया स्नेक्स	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्री लि.	इतर वस्तु	वही
30.	बेकमेन ग्लूकोज बिस्कुट	मै. बेकमेन होम प्रोडक्ट्स	नरम	सप्लायर को वापस कर दिया गया।
31.	मेघराज जैकपॉट	मै. के.आर. बिस्कुट प्रा. लि.	स्नैक क्रैकर की गंध ठीक नहीं	बदल दिए गए
32.	होममेड काजू कुकीज/ बिस्कुट	मै. जे.आर. फूड प्रा. लि.	असंतोषजनक स्वाद	वही
33.	होममेड मिल्क रस्क	मै. जे.आर. फूड प्रा. लि.	अत्यधिक नरम होना	वही
34.	हॉर्लिक्स बिस्कुट	मै. स्मिथ क्लाइन बीचम	स्वाद हल्का सा ठीक नहीं	भविष्य में ताजी आपूर्ति सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई।

1	2	3	4	5
अप्रैल 1993 से मार्च, 1994 तक				
1.	सपन डेयरी स्पेशल घी	मै. डालमिया इंडस्ट्रीज	अधिक छाछ मौजूद	चेतावनी दी गई
2.	रूहअफजा	मै. हमदर्द वक्फ लेबोरेट्री	छिपकली	सतर्कता द्वारा जांच की गई। फर्म को सावधान रहने की सलाह दी गई और उनका वितरक भी बदल दिया गया।
3.	क्वालिटी आटा कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर	असंतुष्ट स्वादिष्ट	बदल दिए गए
4.	पालजी पीनट कुकीज	मै. पालजी एण्ड कं.	देखने में अच्छा नहीं	वही
5.	लजीज उड़द मसाला बड़िया	मै. रिधि इन्टरप्राईजेज	छोटे तिलचट्टे पाए गए	स्टॉक वापस कर दिया गया और आगे खरीद बंद कर दी गई।
6.	क्वालिटी आटा कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर	असंतुष्ट स्वाद	बदल दिया गया
7.	पीनट कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर	वही	वही
8.	होममेड मिल्क रस्क	मै. जे.आर.फूड्स	स्वाद ठीक नहीं	वही
9.	ब्रिटानिया मिल्क बिक्कीस	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि.	असंतोषजनक	वही
10.	काजू पिस्ता कुकीज	मै. जे.आर. फूड	गंध व स्वाद ठीक नहीं	वही
11.	क्वालिटी मिल्क रस्क	मै. क्वालिटी बेकर	स्वाद ठीक नहीं	माल हटाया गया।
12.	क्वालिटी जीरा कुकीस	मै. क्वालिटी बेकर	वही	वही
13.	होममेड ग्लूकोस बिस्कुट	मै. जे.आर. फूड्स	सख्त बनावट	बदल दिए गए
14.	पालजीस मिल्क ग्लूकोज बिस्कुट	मै. पालजीस फूड एंड कं.	तर सवाद, गंध	वही

विवरण–II

अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक

क्र.सं.	उत्पाद	विनिर्माता	कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	किसान पाइनएप्पल जैम	मैसर्स किसान प्रोडक्ट्स लि.	कीट	चेतावनी दी गई
2.	कनोडिया कोल्हू मस्टर्ड ऑयल	मै. दि दिल्ली कनोडिया आयल मिल्स	बैच सं. नहीं दी गई	बिक्री से वापस लिया गया
3.	क्वालिटी जीरा कुकीज	मैं. क्वालिटी बेकर्स	दिखने में ठीक नहीं	वही
4.	क्वालिटी जीरा आटा कुकीज	वही	पैकेज अधिनियम के अनुरूप नहीं	वही
5.	क्वालिटी पीनट कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर्स	दिखने में अच्छी नहीं	वही
6.	पालजी आटा कुकीज	मै. पालजीज एंड कं.	असंतोषजनक स्वाद	वही
7.	जम्पिंग पाइनएप्पल ड्रिंक	मै. गोदरेज फूड प्रा. लि.	पैक में गंध	वही
8.	पालजीज मिल्क बिस्कुट्स	मै. पालजीज एंड कं.	गंदहीन और स्वादहीन	वही

1	2	3	4	5
9.	नेफेड आरेंज स्क्वाश	मैं. नेफेड प्रोसेस्ड फूड	रेतीले कण और काले कण मिले	बिक्री से वापस लिया गया।
10.	ब्रिटानिया नाइस बिस्कुट्स	मैं ब्रिटानिया इंड. लि.	असंतोषजनक स्वाद	वही
11.	क्वालिटी जीरा बिस्कुट्स	मै. क्वालिटी बेकर्स	देखने में अच्छा नहीं	वही
12.	हल्दीराम नमकीन काबली चना	मै. हल्दीराम मार्केटिंग प्रा. लि.	पैकेज अधिनियम के अनुरूप नहीं	वही
13.	क्वालिटी जीरा पीनट्स एंड कोकोनट कुकीज	मै. क्वालिटी बेकर्स	वही	वही
14.	बोटंन प्लेन व्हीट पफ	मै. आधुनिक फूड	बीड़ी पाई गई	वही
15.	पाल्को जीरा कुकीज	मै. पालको क्वालिटी कन्फैक्शनर्स	पैकेज अधिनियम का अनुपालन नहीं करते	वही
16.	आटा गणेश	मै. गर्ग फ्लोर मिल्स	आंशिक रूप से भार कम	वही
17.	आटा शक्ति भोग	मै. कुमार दाल मिल्स	वही	वही
18.	विष्णु भोग आटा	मै. वीरेन्द्र फ्लोर मिल्स	वही	चेतावनी दी गई और आनुपातिक रूप से कीमत काट ली गई।
19.	ब्रिटानिया ग्लूकोज "डी"	मै. ब्रिटानिया इंड लि.	ज्यादा पकाए गए	बदल दिए गए।

[अनुवाद]

ओजोन की परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से समाप्तिकरण

1161. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओजोन की परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों तथा ग्रीन हाऊस गैसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्तिकरण की कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). भारत ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक कन्ट्री कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का एक कार्य-निष्पादन सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी ढ़ाचा कन्वेंशन अथवा किसी अन्य करार की शर्तों के तहत ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

स्वदेशी कार्यक्रम का कार्य निष्पादन सारांश

इस समय भारत में ओजोन क्षयकारी पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत का स्तर 10 ग्राम से कम है जिसके 1995-97 के मध्य 20 ग्राम पार कर जाने की संभावना है और इस तरह यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता का पात्र बन जाता है। भारत क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के उत्पादन में आत्म-निर्भर है तथा इसके हैलोन्स के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है।

विलायक सेक्टर इनका प्रमुख उपयोगकर्त्ता है जो इनका 47.7 प्रतिशत जिसके बाद रिफ्रिजरेशन तथा वातानुकूलन 19.2 प्रतिशत, फोम 15.2 प्रतिशत, एयरोशोल 10.6 प्रतिशत तथा अग्नि-शमन 7.2 प्रतिशत उपयोग करते हैं।

भारत एक तेजी से विकास कर रहा देश है। संबंधित क्षेत्रों के लिए भिन्न-2 विकास दरों (25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत) के आधार पर सन् 2010 तक की निर्बाध मांग परिदृश्य परिकल्पित किया गया है। 1991 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों की वास्तविक खपत 10,370 मी. टन है और 2010 की अनुमानित मांग 1,84,000 मी. टन है।

ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए, स्वैच्छिक करारों, कानूनों तथा विनियमों, वित्तीय

सहायता, शैक्षिक कार्यक्रम तथा सूचना अभियानों के रूप में मिश्रित उपायों का उपयोग किया जाएगा।

स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाएगा। विकल्पों के संबंध में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने तथा वित्तीय विस्थापन को कम से कम करने पर बल दिया जाएगा। जहां तक संभव हो, ड्राप-इन विकल्पों को विकसित किया जाएगा तथा उपभोक्ता की लागत को संतुलित रखने के लिए संरक्षण एवं पुनश्चक्रण परियोजना तैयार की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे कि लघु और छोटे उद्यम, औपचारिक क्षेत्र उपभोक्ताओं की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति की जाए। संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

प्रमुख तकनीकी सरोकार निम्नलिखित हैं :

1. वित्तीय विस्थापन को कम करना
2. स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना
3. एक बार में प्रतिस्थापन को प्राथमिकता देना
4. विकेन्द्रीकरण प्रबन्धन
5. मानकों एवं प्रमाण-पत्र प्रणाली विकसित करना
6. अप्रचलन लागतों को कम करना।

लगभग दो-तिहाई क्लोरो फलोरो कार्बन का उपयोग लघु और औपचारिक क्षेत्रों में होता है। अनुमान है कि इस क्षेत्र की इकाई परियोजना लागत बड़े और मझौले उद्योग से ढाई गुणा अधिक होगी। इस क्षेत्र के लिए आंकड़ा आधार बनाने तथा रख-रखाव करने की आवश्यकता है जिसके लिए व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक है।

[हिन्दी]

निःशुल्क पास

1162. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक श्रेणी के मानक पास जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते है;

(ख) क्या गत वर्ष रद्द कर दिए गये पासों को पुनः जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन पासों को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा जाने माने व्यक्तियों अथवा अखिल भारतीय स्तर, आदि के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक खेल-कूद और शैक्षणिक कार्यकलापों में सक्रिय संगठनों को उनके मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर पहले या दूसरे दर्जे के मानार्थ कार्ड पास दिए जाते हैं।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित मानदंड के आधार पर जब अनुरोध प्राप्त होता है तब रद्द/समाप्त कार्ड पासों के नवीकरण सहित कार्ड पास जारी किए जाते हैं।

सीधी रेल सेवा शुरू किया जाना

1163. श्री कमलेराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत और पटना या वाराणसी के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) यह रेलगाड़ी कब से शुरू की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है बहरहाल, सूरत और वाराणसी के बीच मांग को पूरा करने के लिए 1995-96 के दौरान सूरत और वाराणसी के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाएगी।

प्रतिमाओं का लगाया जाना

1164. श्री आनन्द अहिरवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के साथ हुए एक समझौते के अंतर्गत मास्को और दिल्ली में क्रमशः चार गणमान्य भारतीयों और रूसियों की प्रतिमाएं लगाई जानी थी;

(ख) उन गणमान्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी प्रतिमाएं इन दोनों देशों में लगाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार उपरोक्त समझौते के अनुसार उन सभी चार व्यक्तियों की प्रतिमाएं नहीं लगा पाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रतिमाओं को शीघ्र लगाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) रूस में भारत महोत्सव और भारत में रूस महोत्सव समारोहों के भाग के रूप में एक-दूसरे के देश में गणमान्य भारतीय और रूसी व्यक्तियों की प्रतिमाएं अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, दोनों देशों के बीच इस आशय के किसी भी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ख) महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमाएं मास्को में तथा लियो टॉलस्टाय, लेनिन और पुश्किन की प्रतिमाएं दिल्ली में अधिष्ठापित की गयीं।

(ग) से (ङ). मास्को में पंडित नेहरू और दिल्ली में एम. गोर्की की प्रतिमाएं अभी अधिष्ठापित की जानी है। मास्को स्थित हमारे दूतावास के माध्यम से, पंडित नेहरू की प्रतिमा के अधिष्ठापन-कार्य, जो कि अधिष्ठापन-स्थल पर प्रारंभिक कार्य संपन्न न हो पाने के कारण लंबित है, के संबंध में परामर्श जारी है और दिल्ली में एम. गोर्की की प्रतिमा का अधिष्ठापन उक्त कार्य से जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता सहकारी संस्थान

1165. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार शहरी क्षेत्रों में कितने उपभोक्ता सहकारी संस्थान स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन सहकारी संस्थानों को कोई विदेशी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सहकारिता राज्य का विषय है। पंजीकरण, उपभोक्ता सहकारी समितियों को किन्हीं संस्थाओं तथा शाखाओं को खोलना और उपभोक्ता सहकारिताओं से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों के तहत शासित होती हैं तथा उनका पर्यवेक्षण संबंधित राज्यों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है।

(ख) भारत सरकार का इन उपभोक्ता सहकारी समितियों/संस्थाओं को चलाने के लिए बाहर से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि हेतु राज सहायता

1166. श्री शिव शरण वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आदान पर राज सहायता के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के कुछ क्षेत्रों में किसानों को दी जा रही राज सहायता की राशि में अत्यधिक अंतर है तथा जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि उत्पादनों पर दी जा रही राज सहायता में भारी अंतर के क्या कारण हैं तथा राज सहायता देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ङ) सरकार किस प्रकार कृषि हेतु राज सहायता में अंतरों को समाप्त करेगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). जो क्षेत्र टेक्नोलाजी की दृष्टि से विकसित हैं और जिनका बुनियादी ढांचा बेहतर है वे कृषि निवेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। सब्सिडी फलस्वरूप उन्हें फसलों से अधिक उत्पादन मिलता है।

(ङ) सरकार लक्ष्यों को सख्ती से निर्धारित करके कृषि निवेश सब्सिडी की असमानता को दूर करना चाहती है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु सुविधाएं

1167. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार इस समय प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

यात्रा सुविधाएं सेवा-निवृत्ति के बाद स्वयं, पत्नी/पति तथा बच्चों को उसी श्रेणी के मानार्थ पासों के अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जिस श्रेणी के लिए सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी निम्नलिखित मानों के अनुसार सेवा के समय अर्हक था :

श्रेणी		अनुमेय पासों की संख्या	
		20 वर्ष से अधिक परन्तु 25 वर्ष से कम की रेल सेवा पूरी करने वाले	25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा पूरी करने वाले
1.	ग्रुप "क" तथा "ख"	एक वर्ष में 2 सैट	एक वर्ष में 3 सैट
2	ग्रुप "ग"	एक वर्ष में 1 सैट	एक वर्ष में 2 सैट
3	ग्रुप "घ" (क) 1.7.93 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले	कुछ नहीं	हर दूसरे वर्ष 1 सैट
	(ख) 1.7.93 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त	कुछ नहीं	1 वर्ष में 1 सैट

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, ये दो योजनाओं के अंतर्गत मुहैया कराई जा रही हैं, ये हैं :- सेवा निवृत्त कर्मचारी अंशदान स्वास्थ्य योजना तथा सेवा निवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य

योजना। पहली योजना के अंतर्गत, स्वयं तथा पत्नी के लिए बाह्य चिकित्सा सुविधाएं नाममात्र के मासिक अंशदान पर उपलब्ध हैं। जबकि बाद वाली योजना के अंतर्गत एकमुश्त अंशदान के आधार पर बाह्य तथा आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। केवल निर्दिष्ट मामलों में ही सरकारी चिकित्सा कालेज/मेडिकल कालिजों/अस्पताल से किए गए इलाज की लागत के 50 प्रतिशत की पावती का प्रावधान भी मौजूद है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

टिकट निरीक्षण कर्मचारियों की कमी

1168. **डा. सुधीर राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टिकट निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ग) सरकार ने इन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(I) फालतू कर्मचारियों में से योग्य कर्मचारियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देने के पश्चात् टिकटों की जांच करने के प्रयोजन से उनसे काम लेना;

(II) ग्रुप "घ" से ग्रुप "ग" श्रेणी में पदोन्नति द्वारा टिकट चेकिंग संवर्ग में रिक्तियों को भरा जाना;

(III) समतुल्य अभ्यर्पण करके टिकट चैकिंग कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन करना; और

(IV) रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती करना।

[अनुवाद]

कुक्कुट

1169. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तक देश में राज्य-वार कितने कुक्कुट थे;

(ख) हमारे देश में एशियाई देशों और कुल मिलाकर सारे विश्व की तलना में प्रति व्यक्ति कितना कक्कट मांस उपलब्ध है; और

(ग) सरकार ने देश में कुक्कुट-मांस के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) देश में परिगणित कुक्कुट पक्षियों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) कुक्कुट मांस की वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार है

भारत	:	0.453 कि.ग्रा.
एशिया	:	3.880 कि.ग्रा.
विश्व	:	8.259 कि.ग्रा.

(स्रोत : विश्व खाद्य संगठन का उत्पादन वर्ष बोध।)

(ग) कुक्कुट मांस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कृषकों को गुणवत्ता चूजों की उपलब्धता में सुधार;

(2) प्रशिक्षण सुविधाएं;

(3) उचित मूल्यों पर संतुलित कुक्कुट आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुक्कुट विकास निगमों/परिसंघों की स्थापना।

विवरण

1987 की संगणना के अनुसार कुक्कुट पक्षियों की राज्यवार संख्या

(हजार में)
(अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल कुक्कुट
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	39045
2.	अरूणाचल प्रदेश	1121
3.	असम	11451
4.	बिहार	15880 ए
5.	गुजरात	5490
6.	गोवा	608
7.	हरियाणा	5336
8.	हिमाचल प्रदेश	753
9.	जम्मू और कश्मीर	3805
10.	कर्नाटक	15689
11.	केरल	17993
12.	मध्य प्रदेश	9371

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	24828
14.	मणिपुर	3018
15.	मेघालय	1590
16.	मिजोरम	838
17.	नागालैण्ड	1124
18.	उड़ीसा	12597
19.	पंजाब	15276ए
20.	राजस्थान	2605
21.	सिक्किम	254
22.	तमिलनाडु	21567
23.	त्रिपुरा	1865
24.	उत्तर प्रदेश	9317
25.	पश्चिम बंगाल	35823ए
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	433
2.	चण्डीगढ़	169
3.	दादरा और नगर हवेली	100
4.	दिल्ली	220ए
5.	लक्षद्वीप	51
6.	पाण्डिचेरी	108
	अखिल भारत	258335

ए : राज्य जिन्होंने संगणना नहीं की है और पिछली संगणनाओं के आधार पर अनुमानित संख्या प्रदान की है।

स्रोत : आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा राज्य पशुपालन एवं डेरी विभाग।

पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों का विकास

1170. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे के अंतर्गत सियालदाह लालगोला रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप से विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृष्णानगर से बहमपुर तक रेल लाइन के विद्युतीकरण की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो दोहरी रेल लाइन बिछाने के संबंध में क्या कदम उठाए गये है; और

(ङ) क्या सरकार राणाघाट जंक्शन से लालगोला स्टेशन तक डी.एम.यू. कोच चालू करने पर सहमत हो गयी है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा ऐसा तभी किया जाता है जब यातायात की जरूरतों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो तथा यह निधियों की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तदनुसार, सियालदह, खुरदा, हलीसहर, बउकुल्ला, दम-दम, कालीनारायणपुर, चकदुह, लालगोला, कांचरा पाड़ा, पलटा तथा कृष्णनगर सिटी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था/विस्तार, भगवानगोला तथा देवग्राम पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था, नलहाटी, बैरकपुर तथा राणाघाट पर यात्री उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था, बैरकपुर राणाघाट तथा दम दम पर गाडी संकेतक बोर्डों की व्यवस्था, सियालदह तथा बेहरामपुर कोर्ट के परिचलन क्षेत्र में सुधार, मुर्शिदाबाद, दम-दम तथा कल्याणी में जल आपूर्ति में सुधार, काकीनाड़ा, श्यामनगर, इछापुर तथा पलटा इत्यादि पर स्टेशनों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण में सुधार से संबंधित कार्यों को शुरू किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राणाघाट-लालगोला खण्ड पर डी.एम.यू. सेवाएं शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य सचिवों की बैठक

1171. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य सचिव ने जनवरी, 1995 में राज्य खाद्य सचिवों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में चीनी के उत्पादन के संबंध में चर्चा हुई थी;

(ग) क्या चीनी उत्पादक राज्यों के खाद्य सचिवों ने चीनी उत्पादन का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में चीनी के उत्पादन के संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई पूर्ण मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में चीनी के आयात का कोई प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार 1994-95 चीनी मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 120.0 लाख टन होगा।

(ङ) अभी तक एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी. ने जुलाई/अगस्त, 1995 डिलीवरियों के लिए लगभग 3.63 लाख टन चीनी के आयात के लिए अग्रिम अनुबंध किए हैं। इसके अतिरिक्त चीनी का आयात, उत्पादन के रुख पर निर्भर करेगा जिसकी मार्च, 1995 के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी।

[अनुवाद]

मछली/झींगा पालन

1172. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मछली तथा झींगे का दोनों समुद्रीय तथा अन्तर्देशीय उत्पादन कुल कितना-कितना रहा;

(ख) मछली/झींगा मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इसके लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता उपलब्ध करायी गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सूचना इस प्रकार है :

कुल मछली और झींगा उत्पादन

(रुपये लाख मीटरी टन में)

वर्ष	समुद्री	अन्तर्देशीय	कुल
1992-93	25.76	17.89	43.65
1993-94	26.88	19.93	46.81

(अ) अनन्तिम

1994-95 का उत्पादन वर्ष समाप्त होने के बाद ही ज्ञात होगा।

(ख) सरकार द्वारा मछली/झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिये किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :- मछली पालक विकास एजेन्सियों के माध्यम से तालाबों और पोखरों में अर्ध-गहन तकनीकों के प्रसार द्वारा मछली पालन का विस्तार करना, खारा जल मछली पालक विकास एजेन्सियों के तथा प्राइवेट उद्यमियों के फार्मों के जरिए खारे पानी में अर्ध-गहन झींगा पालन और जलाशयों में गहन मछली पालन करना विशेष कर सहकारी समितियों के माध्यम से मछली पालन कार्यों का विस्तार निम्नलिखित के माध्यम से संभव बनाया जाता है—प्रौद्योगिकी के उन्नयन, अच्छी क्वालिटी के बीज आहार और अन्य आदानों के उत्पादन जैसे मछली पालन से जुड़े कार्यकलापों में प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा देकर तथा सहभागी बनाकर, मछली/झींगा पालकों की प्रशिक्षण देने के लिये मूलभूत ढांचा सृजित करके तथा ऋण सुलभ करवाकर।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मात्स्यिकी विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई केन्द्रीय और विदेशी सहायता

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	केन्द्रीय सहायता			विदेशी सहायता	
		1992-93	1993-94	1994-95 15.3.95 तक	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	238.54	76.80	199.00	300.00	89.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.00	13.00	2.86	-	-
3.	असम	20.35	84.45	26.00	-	-
4.	बिहार	49.00	72.75	2.00	-	62.00
5.	गोवा	4.70	7.45	2.00	-	-
6.	गुजरात	244.30	397.97	204.50	-	-

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	45.75	104.00	24.50		
8.	हिमाचल प्रदेश	12.10	7.11	2.00	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	12.00	27.00	2.00	–	–
10.	कर्नाटक	93.37	188.31	222.72	–	–
11.	केरल	578.02	1040.38	972.47	–	–
12.	मध्य प्रदेश	65.46	202.66	89.50	–	–
13.	महाराष्ट्र	23.20	241.95	377.41	–	–
14.	मणिपुर	34.00	7.00	5.00	–	–
15.	मेघालय	1.00	1.00	–	–	–
16.	मिजोरम	29.50	8.00	7.00	–	–
17.	नागालैंड	27.00	2.00	41.00	–	–
18.	उड़ीसा	1664.33	1376.08	167.87	466.00	20.26
19.	पंजाब	61.00	27.00	26.00	–	–
20.	राजस्थान	33.43	38.09	34.50	–	–
21.	सिक्किम	2.00	1.00	1.00	–	–
22.	तमिलनाडु	502.15	1189.54	491.71	–	–
23.	त्रिपुरा	14.18	24.73	29.00	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	178.37	235.37	173.22	12.00	66.00
25.	पश्चिम बंगाल	219.00	250.21	223.21	77.00	66.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	4.00	6.08	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
28.	दादरा नागर हवेली	–	–	–	–	–
29.	दमन और दीव	4.70	8.38	10.72	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–
31.	लक्ष्यद्वीप	0.53	0.80	–	–	–
32.	पांडिचेरी	49.87	54.65	56.50	–	–

* दी गई सूचना राज्यों द्वारा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा और मछली पालन परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता है। 1994-95 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, निम्नलिखित राज्यों को भी उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु विदेशी सहायता दी गई :-

	राज्य	धनराशि	अवधि
1.	कर्नाटक	778.57 लाख रु.	1982-95
2.	हिमाचल प्रदेश	22.20 लाख रु.	1988-97
3.	केरल	39.42 लाख रु.	1992-96

उपर्युक्त के लिये वर्षवार आवंटन उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

मसालों का उत्पादन

1173. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसालों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) क्या देश में मसालों की औसत उत्पादन दर अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में मसालों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मसालों का औसत उत्पादन कितना हुआ और इनका वर्तमान औसत उत्पादन कितना है;

(च) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान मसालों का आयात भी किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सन् 2000 तक देश में मसालों की औसत उत्पादन दर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) खाद्य और कृषि संगठन के प्रकाशन खाद्य तुलन पत्र (1984-85) के अनुसार मसालों के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवां स्थान है।

(ख) और (ग). विभिन्न देशों में मसालों की प्रति हैक्टेयर उपज के विश्वसनीय अनुमानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). विभिन्न मसालों के उत्पाद में विभिन्न प्रकार का रुख देखने में आया है। लेकिन 1991-92 और 1992-93 के लिए सूचकांक के औसत मूल्य 149.5 की तुलना में 1992-93 और 1993-94 के लिए 159.2 की औसत के साथ मसालों के उत्पादन के अखिल भारतीय सूचकांक (1981-82 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि को आधार मानते हुए) लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(च) जी, हां।

(छ) 1993-94 (अप्रैल-मार्च) के दौरान आयातित मसालों का मूल्य करीब 52.75 करोड़ रुपये होने की अनुमान है।

(ज) देश में मसालों के उत्पादन में वर्ष 2000 ई. तक लगभग 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि बने रहने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल में रेल परियोजनाएं

1174. **श्री थाइल वॉन अंचलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेलवे द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या संशोधित समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत कितनी है और इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को संशोधित समय सीमा के अनुसार पूरा करने हेतु क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). केरल में परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र. सं.	परियोजना	मूल अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	संशोधित लागत	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
क. दोहरीकरण				
1.	कुट्टीपुरम-कालीकट	60.00	60.00	96-97 संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन
2.	कायनकुलम-कोल्लम	42.17	59.67	30.6.95
3.	कोल्लम-तिरुवेंद्रम सेंट्रल	76.41	81.23	97-98 संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन
ख. रेल विद्युतीकरण				
4.	वालायार-एर्णाकुलम (इरोड-एर्णाकुलम परियोजना का भाग)	100.00	100.00	मार्च 1998
ग. कारखानें और उत्पादन इकाइयां				
5.	कोचीन हार्बर टर्मिनस गतलाइन सुविधाएं	3.40	3.45	31.3.94 को लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा हो गया
घ. आरक्षण सुविधाओं का कंप्यूटीकरण				
6.	पालघाट	0.20	0.20	31.3.94 को लक्ष्य से पहले पूरा हो गया
7.	कोल्लम	0.20	0.20	29.10.94 को लक्ष्य से पहले पूरा हो गया
8.	तेल्लिचेरी	0.09	0.09	22.3.95 को लक्ष्य से पहले पूरा किया जा रहा है

1	2	3	4	5
9.	कोट्टयम	0.09	0.09	31.3.95
10.	चेंगन्नूर	0.09	0.09	31.3.95
11.	अल्वाय	0.09	0.09	31.3.95

(ङ) रेलवे को उपरोक्त लक्ष्य तिथियों के अनुरूप अपेक्षित निधि और सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

मेट्रो रेल

1175. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री चित्त बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ते में मेट्रो रेल चलाने के लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक नया और अलग निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या बाध्यकारी कारण हैं; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कृषि वानिकी

1176. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई केन्द्रीय योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है;

(घ) अब तक इस योजना में शामिल किए गए क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा आज तक इस योजना के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक

1177. **श्री मुद्दी राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और लखनऊ में केन्द्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक शिक्षकों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक मामले का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उन शिक्षकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है जो रिक्त पदों को ध्यान में रखने के बाद स्वीकृत स्टाफ संख्या के अतिरिक्त हैं :

दिल्ली	प्राथमिक शिक्षक	14
	योग शिक्षक	17
मद्रास	स्नातकोत्तर शिक्षक	02
बंगलूर	शून्य	
बम्बई	शून्य	
कलकत्ता	योग शिक्षक	03
हैदराबाद	शून्य	
लखनऊ	स्नातकोत्तर शिक्षक	05
	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	05
	प्राथमिक शिक्षक	04

(ख) संगठन ने सूचित किया है कि विद्यालयों के लिए स्वीकृत स्टाफ की पद्धति में सेक्शनों की संख्या में वृद्धि/कमी, विद्यालयों के उन्नयन, +2 स्तर पर विषयों के बढ़ने या घटने, स्टाफ नियतन के मानकों में परिवर्तन आदि से परिवर्तितन होता रहता है। जो अध्यापक बेशी हो जाते हैं, उनका समंजन स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरणों के दौरान रिक्त पदों पर किया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बूढ़े होते हुए बैल

1178. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या कृषि मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बूढ़े होते हुए बैलों को बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस संबंध में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सहायता को बन्द करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). जी, नहीं, बूढ़े हो रहे सांडों को बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना (राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम) के अंतर्गत अपने प्रजनन कार्यक्रमों के लिए सांड उत्पादन के उद्देश्य से स्वदेशी गोपशु/भैंसों के प्रजनन फार्मों के सुदृढ़करण के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। यह योजना चालू योजना अवधि के अंतिम वर्ष 1996-97 तक जारी रहेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	वित्तीय सहायता		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	उत्तर प्रदेश	29.15	17.40	33.00
2.	महाराष्ट्र	3.00	–	–
3.	गुजरात	5.985	2.00	188.00
4.	तमिलनाडु	5.00	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	6.50	6.30	–
6.	उड़ीसा	3.75	7	–
7.	गोवा	5.00	–	–
8.	राजस्थान	15.225	3.75	–
9.	अरूणाचल प्रदेश	–	15.90	8.4
10.	केरल	–	15.25	–
11.	मिजोरम	–	5.00	–
12.	मेघालय	–	2.00	–
13.	हरियाणा	–	–	186.1
14.	दिल्ली	–	–	5.00

सुपरफास्ट रेलगाड़ी

1179. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद-बरेली और बम्बई के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब से शुरू की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्री-सुविधाएं

1180. **श्री राधनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्री सुविधाओं जैसे गाड़ियों के डिब्बों/शौचालयों मे सफाई की स्थिति, प्लेटफार्मों का रखरखाव तथा भोजन यान द्वारा सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाने वाली खान-पान सेवाओं पर पूरी तरह ध्यान दे रही है;

(ख) यदि नहीं, तो यात्रियों के हितों की अवहेलना करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). जी, हां। रेल यात्री सुविधाओ की स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। शौचालयों में सफाई के लिए जेट सफाई यंत्र के अलावा लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों में चल सफाई वालों की भी व्यवस्था की गई है। प्लेटफार्मों की मरम्मत उनकी स्थिति के अनुसार जब भी आवश्यक होती है। समय-समय पर की जाती है। विभिन्न मदों के लिए माल भाड़ा दरों का निर्धारण निवेशगत लागत को ध्यान में रखकर एवं वाणिज्य समझे जाने पर किया जाता है। खान पान सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से आकस्मिक जांचें की जाती हैं और दोषी कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आरक्षण न मिलना

1181. **श्री मंजय लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में आरक्षण उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री रेल में यात्रा नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) लंबी दूरी की गाड़ियों में कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रहते हैं और ऐसा विशेषकर गर्मी, पूजा और सर्दी की छुट्टियों जैसी व्यस्त अवधि के दौरान होता है।

(ख) प्रतीक्षारत यात्रियों की स्थिति के संबंध में दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है और जहां औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक होता है वहां भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते है। गर्मी की छुट्टियों और अन्य व्यस्त अवधियों के दौरान विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती है। मांग पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण व्यस्त मार्गों पर निरंतर आधार पर गाड़ियां चलाई जाती हैं।

[अनुवाद]

रेल लाइन का विद्युतीकरण

1182. **श्री उद्धव वर्मन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के किन्हीं मार्गों का विद्युतीकरण करने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जोन में कम यातायात घनत्व के कारण इस समय पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कोई भी खंड विद्युतीकरण के लिए अर्हक नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन

1183. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री अमर पाल सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में चीनी उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खुले बाजार में चीनी की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

खान मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). कृषि मंत्रालय 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान गन्ने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों, महिलाओं सहित खेतिहर मजदूरों को नव-विकसित उत्पादन, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, अच्छे बीज का उत्पादन, बेहतर उपकरणों का वितरण आदि में प्रशिक्षण देने पर बल दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) चीनी मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

(1) प्रति माह खुली बिक्री चीनी की पर्याप्त मात्रा रिलीज की जा रही है।

(2) राज्य सरकारों से चीनी व्यापारियों से संबंधित विभिन्न विनियमन आदेशों, स्टॉक रोकने की सीमा, निर्धारित सीमा अवधि के भीतर व्यापारियों द्वारा स्टॉक का हेर फेर, एक थोक विक्रेता द्वारा दूसरे थोक विक्रेता को चीनी की बिक्री आदि के संबंध को कड़ाई से लागू करने का, अनुरोध किया गया है।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेवी चीनी का नियमित व समय से वितरण सुनिश्चित कराने का सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(4) खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी के आयात की अनुमति दे दी गई है। इस आयात पर कोई सीमा शुल्क और कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीनी मिलों द्वारा देशी चीनी रोक कर न रखी जाए, उन पर मासिक खुली बिक्री कोटे की नियमित बिक्री और प्रेषण सुनिश्चित करने की शर्त लगाई गई है।

[अनुवाद]

खान-पान सेवा

1184. **श्री पी.सी. चाको :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-पान सेवा के निजीकरण के संदर्भ में सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि खान-पान व्यवस्थापकों (केटरर्स) की खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग पर विचार नहीं किया जाए;

(ख) क्या उपरोक्त मार्गों से लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों का भी पता चलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

1185. **श्री जावनल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजीमगंज होते हुए कटवा से फरक्का तक की रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन

1186. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलूर और पेरूम्बदूर को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम

1187. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत शीघ्र ही कालेजेस कांसोर्टियम फार इंटरनेशनल स्टडीज़ (सी.सी.आई.एस.यू.एस.ए.) के प्रतिष्ठित छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में शामिल होने वाला तीसरे विश्व का पहला देश बन जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सी.सी.आई.एस. के एक अध्ययन दल ने देश का दौरा कर दिल्ली, बंगलौर और मद्रास विश्वविद्यालय का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्यक्रम देश के लिए कितना सहायक रहेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल गार्ड

1188. श्री प्रेम चन्द राम :
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल के अंतर्गत माल, सवारी, एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में कुल कितने गार्ड नियुक्त हैं;

(ख) क्या मालगाड़ियों में नियुक्त गार्डों को समय-समय पर प्रोन्नतियां दी जाती हैं और प्रोन्नतियों के पश्चात् उन्हें एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में नियुक्त कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मालगाड़ियों से प्रोन्नति के बाद कुल कितने गार्डों को एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में नियुक्त किया गया; और

(घ) क्या रेल गार्डों को संरक्षा स्टाफ की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी हां।

[अनुवाद]

उपभोक्ता कल्याण कोष

1189. श्री हरिन पाठक : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक इनमें से कितने स्वीकृत हो चुके हैं;

(ग) शेष मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन मामलों में धन किस प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ङ) उपरोक्त कोष से अब तक राज्य-वार कितनी सहायता राशि जारी की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ). उपभोक्ता कल्याण निधि 27.1.1994 से चालू हो गई है। अब तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश (125), तमिलनाडु (83), उत्तर प्रदेश (77), मिजोरम (5), राजस्थान (43), दिल्ली (41), उड़ीसा (40), बिहार (22), पश्चिम बंगाल (11), गुजरात (21), हरियाणा (14), हिमाचल प्रदेश (11), केरल (47), कर्नाटक (17), महाराष्ट्र (27), जम्मू और कश्मीर (1), चंडीगढ़ (5), सिक्किम (2), पंजाब (7), त्रिपुरा (1), मेघालय (1), असम (2), गोवा (2), पाण्डिचेरी (1), मध्य प्रदेश (5) से लगभग 657 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय को विभिन्न उपभोक्ता संगठनों आदि से अभी भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता मांगी गई है। अनेक प्रस्तावों को रद्द किया गया है, क्योंकि वे दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों, जैसे पंजीकरण की तारीख से कार्य के तीन वर्ष पूरे करना आदि को पूरा नहीं करते हैं। अनेक आवेदकों ने अपूर्ण आवेदन भेजे हैं। उन्हें पूर्ण सूचना भेजने के लिए कहा गया है।

स्थायी समिति ने अब तक हुई अपनी चार बैठकों में एक करोड़ रुपए से अधिक के 62 आवेदनों को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें से गुजरात (2), तमिलनाडु (5), दिल्ली (1), पश्चिम बंगाल (1), राजस्थान (1), आंध्र प्रदेश (1), उत्तर प्रदेश (1) तथा असम (1) राज्यों के 11 आवेदकों को लगभग 14.80 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

कार्यविधि के अनुसार जिस आवेदक का आवेदन स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसे अनुदान के निबंधन तथा शर्तों का पालन करने के लिए एक बांड प्रस्तुत करना होता है। सरकार द्वारा बांड स्वीकार कर लिए जाने के बाद उसे धनराशि निर्मुक्त कर दी जाती है।

सरकार ने हाल ही में उपभोक्ता कल्याण निधि का कार्य देखने तथा मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 8 पद सृजित किए हैं।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा में प्रवेश

1190. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों का प्रवेश संतोषप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा योजना की समीक्षा कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, कार्य योजना 1992 तथा प्राप्त पुनर्निवेशन के अनुसरण में योजना की समीक्षा की गई थी तथा इस योजना में 1987 और फिर 1993 मे संशोधन किया गया था।

(घ) संशोधित योजना में परियोजना निरूपण, अधिकाधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबंध के विकेन्द्रीकरण, गहन प्रशिक्षण, पठन-पाठन सामग्री के विकास तथा अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के सेमेस्टरीकरण की परिकल्पना की गई है। लागत पैरामीटरों में संशोधन करके सह शैक्षिक केन्द्रों की तुलना में अनौपचारिक शिक्षा बालिका केन्द्रों का अनुपात 25 : 75 से बढ़ा कर 40 : 60 कर दिया गया है। सह शैक्षिक केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता की पद्धति प्रशासनिक तथा संसाधन सहयोग को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि यह बालिका केन्द्रों के लिए 90 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

1191. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के विद्यालयों में छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा नगर पालिका के विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा शुल्क समाप्त किए जाने पर होने वाली उपलब्धियों का, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ दिए जाने के संदर्भ में, ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). पिछले दशक से भी अधिक समय से सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रारम्भिक स्कूलों व स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

(ग) कक्षा I से VIII में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों की दर 1980-81 में 72.7 प्रतिशत से काफी घटकर 1991-92 में 57.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

[हिन्दी]

प्रतीक्षा सूची वाले टिकटधारियों से आरक्षण शुल्क

1192. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों से द्वितीय श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी की प्रतीक्षा-सूची वाली टिकटों पर आरक्षण प्रभार के रूप में 25 प्रतिशत भाड़े की अधिक वसूली की जाती है, जब कि आरक्षण की पुष्टि नहीं हुई होती है;

(ख) क्या प्रतीक्षा-सूची वाले यात्री सामान्य डिब्बे या आर.ए.सी. में यात्रा करने को विवश होते है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची वाली टिकटें खरीदने वाले यात्रियों से शायिका प्रभार (25 प्रतिशत) न लेने तथा आरक्षण के पुष्टीकरण के समय ही आरक्षण प्रभार वसूल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। आरक्षण प्रभार एक निर्धारित राशि है जो किराये की राशि का 25 प्रतिशत नहीं होती है।

(ख) जी नहीं। प्रतीक्षाबद्ध यात्रियों को अपनी टिकटें अभ्यर्पित करने तथा पूरी राशि वापिस लेने की अनुमति है।

(ग) और (घ). शयनयान दर्जे की किराया संरचना अलग है। प्रतीक्षाबद्ध यात्रियों से कोई आरक्षण प्रभार नहीं लिया जाता। बहरहाल, आरक्षण पुष्टि से समय बुकिंग काउंटरों अथवा चल टिकट परीक्षक द्वारा आरक्षण प्रभार वसूल किया जाता है।

[अनुवाद]

फसल उत्पादन योजना

1193. डा. साधीचौ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994-95 के दौरान वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित फसल उत्पादन नीति और आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण मध्य रेलवे में रेलमार्ग संबंधी खराबी

1194. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने ऐसे क्षेत्रों या डिवीजनों का पता लगाया है जिनमें रेल मार्ग संबंधी खराबी की सर्वाधिक घटनाएं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे पर पटरियों की अधिकांश टूट-फूट विजयवाड़ा मंडल के गुडूर-विजयवाड़ा तथा सामलकोट-विशाखापट्टनम खंडो पर हो रही है।

(ग) पटरियों की टूट-फूट को रोकने के लिए पटरियों की पराश्रव्यय विधि से दोष का पता लगाने तथा दोषपूर्ण पटरियों का बदलाव करने जैसे आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

1195. श्री एम.वी. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में खाद्यान्नों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई व्यापक योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, गुजरात राज्य में हुए खाद्यान्न उत्पादन की कुल मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	"000" मीटरी टन में
1991-92	3393.5
1992-93	5409.7
1993-94	3777.8

(ख) और (ग). खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये फसलोत्पादोन्मुखी कार्यक्रम यथा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—चावल, गेहूं और मोटे अनाज तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसके अलावा, फसलों के उत्पादन में सुधार लाने के लिये उर्वरकों की कम खपत वाले क्षेत्रों में इनके प्रयोग में बढ़ोत्तरी लाने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(घ) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने की संभावना है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों के ठहराव

1196. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव स्थानों में वृद्धि किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों ने 1994 के दौरान अब तक मांगें की हैं;

(ख) क्या इन मांगों को पूरा कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. चापर शरीफ) : (क) 1994 के दौरान और अब तक निम्नलिखित राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के अतिरिक्त ठहराव देने की मांग प्राप्त हुई है :-

(1) 2951/2952 नई दिल्ली-बम्बई सैन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेस।

(2) 2953/2954 हज़रत निजामुद्दीन-बम्बई सेन्ट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस।

(3) 2421/2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस।

(4) 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस।

(5) 2425/2426 हजरत निजामुद्दीन-नई दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस।

(6) 2429/2430 हजरत निजामुद्दीन- सिकंदराबाद-बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस।

(7) 2431/2432 हजरत निजामुद्दीन-मद्रास-तिरूवनन्तपुरम राजधानी एक्सप्रेस।

(ख) से (घ). 1994 के दौरान 2953/2954 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को मथुरा और भरूच पर और 2305/2306 नई दिल्ली पटना-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को भधुपूर पर ठहराव दिया गया है। इसके अलावा, 1.4.95 से 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को न्यू बोंगाईगांव पर और 2431/2432 हज़रत निजामुद्दीन-मद्रास-तिरूवनन्तपुरम राजधानी एक्सप्रेस को पालघाट पर ठहराव दिया जा रहा है।

अन्य प्राप्त मांगों की जांच की गई थी परन्तु उन्हें परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रणाली

1197. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
डा. रामकृष्ण हुसमरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस. ई.) परीक्षा को त्रुटिहीन बनाने हेतु उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन की अपनी पद्धति में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। व्यक्तिपरकता को कम करने और यथासंभव अधिकतम सीमा तक एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से बोर्ड वर्ष 1995 में अपने द्वारा आयोजित कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों को विस्तृत और ब्यौरेवार अंकण-प्रणालियां प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1198. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोषों को दूर करने तथा इस संबंध में जारी योजनाओं के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से गोवा में इस प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा शहरी निर्धन लोगों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने हेतु इस प्रणाली का पुनर्गठन करने का है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। जहां केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को थोक में आवंटन करती है, वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु प्रचालन संबंधी जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक बैठकें करती है। इन बैठकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सुझावों और उपायों पर चर्चा की जाती है। गोवा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केंद्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे रहता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार लाने की नीतियों और उपायों पर कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

नव-साक्षर

1199. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बीस जिलों में नव साक्षरों के लिए मुक्त शिक्षण पद्धति के माध्यम से शिक्षा जारी रखने के लिए कोई परियोजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग लाभान्वित होंगे; और

(घ) 1995-96 के दौरान इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलेजा) : (क) राष्ट्रीय मुक्त स्कूल ने मुक्त बुनियादी शिक्षा पर एक परियोजना तैयार की है। इसमें नव-साक्षरों के लिए सतत् शिक्षा घटक शामिल हैं।

(ख) चूंकि यह एक नवीन परियोजना है, यह विचार किया गया है कि शुरू में इसे ऐसे 20 चुने गए जिलों में शुरू किया जाए जहां पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सफल हुए हैं। तथापि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण राज्य में कार्यान्वित कर सकती हैं।

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल एक संसाधन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। वास्तविक कार्यान्वयन राज्य, जिला और उप-जिला स्तर के संगठनों, जिनमें/गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ). इसका मूल्यांकन करना असामयिक है। यह राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के स्तर पर निर्भर करता है।

रेल दुर्घटना

1200. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीनगर जंक्शन के निकट खल्पारा में 1994 के नवंबर माह में एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लोगों की जान तथा रेल सम्पत्ति की हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). जी हां। 18.11.94 को जब 3141 अप तीस्ता - तोरशा एक्सप्रेस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी - कूच बिहार खण्ड के बेलासेवा और रानीनगर-जलपाईगुड़ी स्टेशनों के बीच चल रही थी, इसके 10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 6 यात्री घायल हुए, जिसमें एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था।

इस दुर्घटना में जान-माल की कोई हानि नहीं हुई।

दुर्घटना की सांविधिक जांच, पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जा चुकी है। दुर्घटना के कारण और रेल सम्पत्ति की हानि का पता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लगेगा।

(घ) क्षतिपूर्ति का भुगतान रेल द्वारा अधिकरणों की संबंधित पीठ के निर्णय और डिक्री प्राप्त होने पर किया जाएगा। घायल यात्रियों को 4500/- रु. की अनुग्रह राशि पहले ही दी जा चुकी है।

(ङ) रेल संरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों के आधार पर जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

फसल बीमा योजना

1201. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :
श्री अरविंद त्रिवेदी :
श्री भवानीलाल वर्मा :
श्री फूलचंद वर्मा :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री सत्यनारायण जटिया :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान योजना के स्थान पर नई फसल बीमा योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई योजना कब से शुरू की जाएगी;

(घ) क्या वर्तमान योजना तहसील को इकाई मानते हुए कुछ फसलों तक ही सीमित है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान योजना की समीक्षा करने का है ताकि गांवों को इकाई मानते हुए सभी फसलों को योजना के अंतर्गत लाया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या वर्तमान योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति राशि को 150 प्रतिशत से कम करके सौ प्रतिशत कर दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) और (ङ) से (च). मौजूदा वृहत फसल बीमा योजना को संशोधित करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करते हुए ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(घ) मौजूदा वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं, धान, कन्दन्नों, दलहनों तथा तिलहनों की फसलें आती हैं। यह राज्य फसल बीमा समिति द्वारा अधिसूचित प्रत्येक फसल के लिये एक निश्चित क्षेत्र पर लागू होती है। परिभाषित क्षेत्र कोई जिला/तहसील/तालुका/ब्लाक या अन्य कोई नजदीकी क्षेत्र हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता

है कि क्या राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के पास पैदावार संबंधी पर्याप्त आंकड़े हैं तथा वे अधिसूचित क्षेत्र/फसल के लिये प्रत्येक मौसम के अन्त में न्यूनतम संख्या में फसल के प्रयोग करने में सक्षम हैं।

(छ) और (ज). आरम्भिक वर्षों में हुई भारी हानि के कारण खरीफ 1988 से बीमे की राशि वितरित फसल ऋण को 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया थी। जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/- रुपये है।

रेल परियोजनाएं

1202. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोन में आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कितना लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम और विशाखापत्तनम से खड़गपुर के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 1993-94 में आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लक्ष्यों के संबंध में निष्पादन इस प्रकार है :

आमान परिवर्तन

जोन/रेलवे	लक्ष्य/कि.मी.	उपलब्धि/कि.मी.
1	2	3
मध्य	42	42
पूर्व	कोई नहीं	कोई नहीं
उत्तर	427	436
पूर्वोत्तर	215	220
पूर्वोत्तर सीमा	181	181
दक्षिण	258	263
दक्षिण मध्य	332	332
दक्षिण पूर्व	82	82
पश्चिम	63	63
जोड़	1600	1619
रेल लाइनों का दोहरीकरण		
मध्य	47	63
पूर्व	17	26
उत्तर	16	24
पूर्वोत्तर	कोई नहीं	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	8	8
दक्षिण	14	14
दक्षिण मध्य	44	55
दक्षिण पूर्व	92	92
पश्चिम	12	13
जोड़	250	295
विद्युतीकरण		
मध्य	136	136
पूर्व	69	69
उत्तर	34	34
दक्षिण	13	13
दक्षिण पूर्व	214	219
दक्षिण मध्य	11	11
पश्चिम	23	23
जोड़	500	505

(ग) विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

खड़गपुर-विशाखापत्तनम खंड को दो चरणों में विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

चरण-I खड़गपुर-भुवनेश्वर/खुरदा रोड चरण-I में विद्युतीकरण का काम वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है।

चरण-II भुवनेश्वर/खुरदा रोड-विशाखापत्तनम चरण-II का विद्युतीकरण भुवनेश्वर-खुरदा रोड का अभी तक कार्यक्रम नहीं बनाया गया है

दिल्ली में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

1203. श्री मोहन रावले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने दिल्ली, विशेषरूप से नजफगढ़ नाले के साथ-साथ बसी हुए बस्तियों में भूमिगत जल के परीक्षण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) क्या सरकार को वह सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल की मुख्य टिप्पणियां क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नजफगढ़ नाला बेसिन क्षेत्रों में भूमिगत जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। इस अध्ययन में 19 स्थानों पर प्रति माह 34 पैरामीटरों की निगरानी शामिल है। जनवरी से मई, 1994 से एकत्रित नमूनों के 5 मास के सेट के विश्लेषण से पता चलता है कि फ्लाराइड और कालीफार्म को छोड़कर सभी पैरामीटर निर्धारित सीमाओं के अन्दर है।

(घ) सरकार ने नजफगढ़ नाला बेसिन स्थित सभी उद्योगों को निर्देश दिया है कि वे बहिस्राव गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन करें। दिल्ली प्रशासन द्वारा इस बेसिन में मलजल शोधन, कम लागत की सफाई व्यवस्था तथा नगरीय अपशिष्ट जल के अवरोधन और दिशापरिवर्तन से संबंधित कार्य शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र एक्सप्रैस की गति

1204. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर और कोल्हापुर के बीच चलने वाली 7384/7383 महाराष्ट्र एक्सप्रैस की गति बढ़ाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1-7-94 से 7383 अप की गति बढ़ाकर इसके चालन समय में 45 मिनट की कमी तथा 7384 डाउन की गति बढ़ाकर इसके चालन समय में 70 मिनट की कमी की गई है। परिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल इनकी गति को आगे और बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

कलकत्ता से रेलगाड़ियां

1205. डा. सुधीर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों के लिये कलकत्ता से पश्चिम बंगाल के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के लिये कुछ द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). 1995-96 के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते हावड़ा-गुवाहाटी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलाने का प्रस्ताव है जो दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की आवश्यकताएं भी पूरी करेगी।

प्रशिक्षु निर्माण निरीक्षक-III

1206. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रेल मंत्री 3 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद भी मध्य रेलवे के लिये चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे चुने गये वर्कर्स-ग्रेड तीन के प्रशिक्षु निर्माण निरीक्षक-III की नियुक्ति सम्भव न हो पाने के बावजूद रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद ने हाल ही में उक्त परीक्षा के लिये विज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों से मध्य रेलवे में नियुक्ति के लिये पहले से ही चयनित 33 प्रशिक्षु निर्माण निरीक्षक-III की प्रतीक्षा सूची होने पर भी उक्त परीक्षा के लिये विज्ञापन दिये जाने का क्या औचित्य है; और

(ङ) उपरोक्त स्थिति को देखते हुये क्या सरकार पूर्वतः चयनित 33 उम्मीदवारों को अन्य रेलवे जोन में नियुक्ति करेगी ताकि ये उम्मीदवार अपने चयन हो चुकने के बाद भी बेरोजगार न रहें?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल भर्ती बोर्ड, बम्बई द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को मध्य रेलवे पर रिक्तियां न होने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका।

(ख) इंडेंर, 1991 की प्रत्याशित आवश्यकता के आधार पर दिया गया था, जब निर्माण गतिविधियों में परवर्ती कमी होने का अनुमान नहीं लगाया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) प्रत्येक रेल भर्ती बोर्ड का अपना स्वतंत्र न्यायाधिकार क्षेत्र है। रेल भर्ती बोर्ड अहमदाबाद द्वारा विज्ञापित रिक्तियां पश्चिम रेलवे के बडोदरा, राजकोट तथा भावनगर मंडलों के लिए हैं।

(ङ) जी नहीं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1207. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन राज्यवार तथा खाद्यान्नवार कितना रहा;

(ख) उत्पादन की तुलना में उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की मांग तथा पूर्ति की राज्य-वार क्या स्थिति रही;

(ग) 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन क्या रहा;

(घ) चीन को तुलना में वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता का औसत क्या है; और

(ङ) पोषण मानक के आधार पर न्यूनतम खाद्यान्न आवश्यकता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले वर्षों के दौरान देश में हुए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राज्यवार और खाद्यान्नवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न स्रोतों से खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के बारे में जानकारियां न मिल पाने के कारण खाद्यान्नों की कुल मांग व आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ग) मौजूदा आकलन के अनुसार, 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 185 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

(घ) देश में 1994-95 के दौरान खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता अनन्तिम रूप से 464 ग्राम प्रतिदिन आंकी गई है। 1993 में अद्यतन उपलब्ध चीन में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 630 ग्राम प्रतिदिन थी।

(ङ) पोषण स्तर के अनुसार खाद्यान्नों की अपेक्षित न्यूनतम मात्रा उपभोग किये जाने वाले जिंसों पर निर्भर करने के कारण भिन्न-भिन्न होती है। फल, सब्जियों, अण्डों, मांस और अन्य पशुधन उत्पादों की बढ़ती हुई उपलब्धता के कारण विनिर्दिष्ट पोषण स्तर के लिए खाद्यान्नों की कम मात्रा में जरूरत होती है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा प्रतिदिन 419 ग्राम से 498 ग्राम तक है।

विवरण

खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

ईकाई : उत्पादन (हजार मीटरी टन)

		चावल			गेहूं			मोटे अनाज			कुल दलहन			कुल खाद्यान्न		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	9249	8792	9487	7	8	7	1657	2119	1939	792	739	610	11705	11658	12043
2.	असम	3197	3300	3361	112	79	101	18	18	16	53	51	57	3380	3448	3535
3.	बिहार	4753	3641	6063	3594	3450	4323	1440	1298	1592	850	693	755	10637	9082	12733
4.	गुजरात	691	830	839	906	1360	928	1404	2572	1473	394	648	538	3395	5410	3778
5.	हरियाणा	1812	1869	2057	6502	7083	7231	509	969	497	270	330	470	9093	10251	10255
6.	हिमाचल प्रदेश	103	110	102	596	594	415	628	687	709	13	12	11	1340	1403	1237
7.	जम्मू एवं कश्मीर	550	509	509	308	347	347	526	510	510	21	18	18	1405	1384	1384
8.	कर्नाटक	2826	3069	3136	142	158	179	4293	4709	4548	666	563	600	7927	8499	8463
9.	केरल	1060	1085	961				6	5	6	17	20	19	1083	1110	986
10.	मध्य प्रदेश	5248	5283	5822	5138	5243	6161	2329	3466	3217	2792	2898	3363	15507	16890	18563
11.	महाराष्ट्र	2100	2364	2484	626	798	1056	4707	9054	7837	933	1829	2013	8366	14045	13390
12.	उड़ीसा	6660	5388	6616	56	7	5	424	152	163	1133	362	387	8273	5909	7171
13.	पंजाब	6755	7002	7624	12295	12369	13341	505	561	480	80	75	74	19635	20007	21519
14.	राजस्थान	120	175	143	4478	5148	3460	2466	4699	2374	917	1458	1069	7981	11480	7046
15.	तमिलनाडु	6596	6806	6602				1318	1210	1569	331	343	397	8245	8359	8568
16.	उत्तर प्रदेश	9411	9709	10115	20229	19834	20798	3359	4167	3568	2522	2527	2488	35521	36237	36969
17.	पश्चिम बंगाल	11954	11445	11444	558	587	632	170	158	187	175	199	178	12857	12389	12441
18.	अन्य	1592	1491	1607	143	145	147	232	237	233	56	50	53	2023	1923	2040
	अखिल भारत	74677	72868	78972	55690	57210	59131	25991	36591	30918	12015	12815	13100	168373	179484	182121

गैर-सरकारी विश्वविद्यालय

1208. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमति देने के लिये सैद्धान्तिक रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तथा मानक बनाये रखने के लिये व्यापक मार्ग निर्देश बनाने के लिये कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में मार्ग निर्देशों को अंतिम रूप कब तक दे दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय आयोग द्वारा इस संबंध में घोषणा कब तक कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त विधायी ढांचे सहित उपयुक्त नीतियों के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

शिकायत निवारण प्रणाली

1209. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिकायत निवारण की वर्तमान प्रणाली के दोषों को दूर करने हेतु रेल कर्मचारियों के अभ्यावेदनों तथा सेवा संबंधी शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिये हाल ही में शिकायत निवारण की कोई नयी प्रणाली बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी नहीं। बहरहाल, रेल सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों के दर्ज करने, पावती देने और आवधिक निगरानी रखने के लिए 1985 में अनुदेश जारी किए गए थे। इन अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि अभ्यावेदनकर्ताओं को यथोचित समयावधि के भीतर उत्तर भेज दिये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

विद्युतीकरण कार्य

1210. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में किसी रेल क्षेत्र का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कोचिन हार्बर टर्मिनस खण्ड सहित ईरोड-पालघाट-एर्णाकुलम का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है। इस खण्ड को चरणबद्ध आधार पर विद्युतीकरण किया जा रहा है। कार्य के प्रथम चरण में ईरोड-पालघाट खण्ड के विद्युतीकरण को शुरू किया जाएगा।

(ग) इस समय इसकी अनुमानित लागत 167.76 करोड़ रुपये है।

(घ) मार्च, 1998 तक पूरे खण्ड के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते की संसाधन उपलब्ध हो।

रेल लाइन का दोहरीकरण

1211. **श्री थाइल जॉन अंचलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्विलौन और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। तिरूवनन्तपुरम क्षेत्र में लम्बे ऊपरी सड़क पुलों पर काम शुरू किया जा रहा है। खण्ड के शेष भाग पर कार्य केरल सरकार द्वारा रेलवे को भूमि दिये जाने के तुरन्त बाद शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) 31.3.1998 तक बशर्ते के संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारी

1212. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं तथा भत्ते वहां कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित विशेष भत्ते और सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि, अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन सुविधाओं को अपनाते हुए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्नातकोत्तर शिक्षकों और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए तीन वर्षों के एक समान न्यूनतम कार्यकाल से व्यवस्था की है जबकि इसके विपरीत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए सेवा की अवधि के आधार पर यह कार्यकाल दो अथवा तीन वर्षों का है। वर्ष 1984 में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से भर्ती किए गए शिक्षकों को विशेष कार्य भत्ते के लिए पात्र नहीं समझा गया था।

ऑयल पाम

1213. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल पाम के आयातित पौधों में घातक विषाणुओं के कारण देश में ऑयल पाम की खेती को भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कर्नाटक में शिमोगा स्थित नर्सरी में आयल पाम की कुछ कलमों में पॉटि विषाणु जैसे कुछ विषाणुओं का पता चला है।

(ख) और (ग). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आयल पाम में पॉटि विषाणु के संपूर्ण पहलू का अध्ययन करने के लिये एक दल गठित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। विश्व में कहीं भी पॉटि विषाणु के कारण आयल पाम को किसी प्रकार की भारी क्षति होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। इस विषाणु के कारण भारत में आयल पाम को कोई खतरा नहीं है।

(घ) भारत सरकार ने भारत में नियंत्रित स्थितियों में आयल पाम नर्सरी तैयार करने के बारे में सावधान रहने के लिये भरसक प्रयास किये हैं। आयातित आयल पाम बीजों का भारत में आने के बाद निश्चित अन्तरालों पर संगरोध निरीक्षण किया जाता है। भारत में आने के बाद संगरोध निरीक्षण के दौरान जिन पौधों में विषाणु का प्रभाव पाया जाता है उन्हें नष्ट कर दिया जाता है ताकि आयल पाम बागानों को कोई क्षति न पहुंचे। खेतों में रोपण के लिये नर्सरी से केवल स्वस्थ आयल पाम कलमें ही जारी की जाती हैं।

कपास का उत्पादन

1214. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री महेश कनोडिया :
श्री अमर पाल सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री विजय एन. पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में कपास के प्रति हैक्टेयर उत्पादन की दर में इस अंतर के क्या प्रमुख कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू मांग और निर्यात के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान देश में कपास की जरूरत का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो हासिल किये जाने वाले अनुमानित लक्ष्य के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जरूरत को पूरी करने के लिए कपास के उत्पादन में वृद्धि करने और विभिन्न राज्यों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन की दर के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) कपास उगाने वाले विभिन्न प्रमुख राज्यों में वर्ष 1993-94 के लिए कपास की प्रति हैक्टेयर उपज का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न राज्यों में कपास की प्रति हैक्टेयर उपज में अंतर होने के कारण हैं :- कृषि जलवायुवीय स्थितियों में अंतर, मृदा की उर्वरता तथा सामाजिक आर्थिक कारण।

(घ) जी, हां।

(ङ) कपास सलाहकारी बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, 1994-95 के दौरान कपास की 170 कि.ग्रा. वाली लगभग 128 लाख गांठों की आवश्यकता होने का अनुमान है। इसके मुकाबले, वर्तमान वर्ष के लिये कपास उत्पादन के उनके अनुमान के अनुसार 125.5 लाख गांठ का उत्पादन होगा जबकि कपास उत्पादन का सरकारी अनुमान 116.5 लाख गांठ का है जो उत्तम तौर पर न्यूनोन्मुखी होता है।

(च) कपास का उत्पादन और उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन के अंतर को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण, कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि तथा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विवरण

1993-94 में प्रमुख राज्यों में कपास की उपज के अनुमान दर्शाने वाला विवरण

(कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	उपज
आंध्र प्रदेश	314
गुजरात	245
हरियाणा	339
कर्नाटक	229
मध्य प्रदेश	145
महाराष्ट्र	180
पंजाब	445
राजस्थान	275
तमिलनाडु	282
उत्तर प्रदेश	182
अखिल भारत	248

[अनुवाद]

रेल लाइन

1215. श्री पी.सी. चाको : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलेप्पी रेल लाइन को इस समय पूरा करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार को इस लाइन का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) निर्धारित क्षमता के अनुसार अलेप्पी रेलवे लाइन का 78 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1995-96 के दौरान अलेप्पी के रास्ते एर्णाकुलम तथा तिरुवनंतपुरम के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी एवं बेंगलूरु तथा कोल्लम के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाएगी।

नेशनल सर्विस वॉलन्टीयर्स स्कीम

1216. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल सर्विस वालन्टीयर्स स्कीम" केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित करने में सफल नहीं रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केरल में इस योजना का व्यापक प्रचार अभियान चलाने के लिए क्या नीति अपनाएं जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) 1994-95 के दौरान देश भर में राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना के अंतर्गत कुल 3476 राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों को लगाया गया है जिनमें से 144 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित केरल में लगाया गया है। वे राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र, भारत स्काउट व गाइड जैसे संगठनों में कार्य कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व पर्याप्त एवं संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय रेल सेवा और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण

1217. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने और कस्बों को जोड़ने वाली स्थानीय रेल सेवा शुरू करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष में प्रतिदिन औसतन 200 से अधिक टिकटों की बिक्री वाले स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या दस लाख की जनसंख्या वाले कस्बों को जोड़ने वाली स्थानीय रेल सेवा शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). इस समय अपनाये जा रहे मानदंड के अनुसार उन सभी स्टेशनों पर जहां आरक्षण कार्यभार प्रतिदिन 300 तथा उससे अधिक आरक्षण संबंधी लेन-देन होता है, वहां कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। प्रतिदिन 200 से अधिक आरक्षण कार्यभार संबंधी लेन-देन करने वाले सभी स्टेशनों पर यह व्यवस्था करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों को जोड़ने वाली स्थानीय गाड़ियों सहित गाड़ी सेवाएं शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यात्री यातायात की मात्रा तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है बशर्ते कि परिचालनिक व्यवहार्यता हो या संसाधन हों, तथापि,

1995-96 के दौरान मुख्य लाइन की बिजली गाड़ी/डीजल कर्षित पुश-पुल रेक चलाकर, उन खंडों, जिन पर दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बे है, सहित विभिन्न खंडों तथा सूरत-वडोदरा, वडोदरा-अहमदाबाद, अहमदाबाद-वीरमगाम, सूरत-वलसाड, इंदौर-भोपाल, एर्णाकुलम-गुरूवापूर, एर्णाकुलम-कोल्लम तथा पुणे-दौंड-बारामती पर स्थानीय गाड़ियां चलाई जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

1218. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ठेका प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों की उतराई होती है;

(ख) क्या सरकार को इस ठेका प्रणाली के फलस्वरूप हुई अनियमितताओं के कुछ मामलों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के कुछ डिपुओं में ठेका प्रणाली प्रचलित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय रेल विचार गोष्ठी

1219. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय रेल विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में देश-वार कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया; और

(ग) विचार गोष्ठी में किस विषय पर चर्चा हुई?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, हां। 16 और 17 फरवरी 1995 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में रेलपथ इंजीनियर संस्थान भारत द्वारा कंक्रीट स्लीपर रेलपथ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में संलग्न विवरण के अनुसार विदेश से 21 प्रतिनिधियों सहित कुल 376 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :

1. कंक्रीट स्लीपरों का अभिकल्प तथा विकास।
2. लचीले जुड़नारों का अभिकल्प तथा विकास।
3. कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण-निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण।
4. कंक्रीट स्लीपरों को मशीनों की मदद से बिछाना।
5. कंक्रीट स्लीपर रेल पथ की अनुरक्षण हेतु पद्धतियां।

विवरण

(क) और (ख). 16 और 17 फरवरी, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित "कंक्रीट स्लीपर ट्रैक" सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की देशवार संख्या इस प्रकार है :-

क्र.सं.	देश	प्रतिनिधियों की संख्या
1.	अल्जीरिया	1
2.	आस्ट्रेलिया	2
3.	जर्मन	1
4.	हंगरी	2
5.	इंडोनेशिया	1
6.	केन्या	3
7.	मंगोलिया	2
8.	मोजाम्बिक	1
9.	श्री लंका	2
10.	ताइवान	1
11.	यूनाइटेड किंगडम	3
12.	जाम्बिया	2
13.	भारत	355
	जोड़	376

मसाला जीन बैंक

1220. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में एक मसाला जीन बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा जीन बैंक स्थापित करने के लिये परिषद् ने क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भा.कृ.अनु. परिषद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मौजूदा समय में विभिन्न फसलों के मूल संग्रहों

के 1,40,000 बीज के नमूनों का दीर्घ अवधि तक भंडारण किया जा सकता है जिसमें 66 नमूने मसालों के हैं। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट में स्थित विभिन्न मसालों के राष्ट्रीय रक्षा गृहों में विभिन्न मसालों के 4933 जर्मप्लाजम संग्रह रखे गए हैं। मसालों के जर्मप्लाजमों का रख रखाव राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों में स्थित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना केन्द्रों में भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश में काली मिर्च के जर्मप्लाज्म का चिंताप्पाल्लई, हल्दी के जर्मप्लाजम का जगति आल और फेनग्रीक जर्मप्लाजम का गुंटूर में रख-रखाव किया जाता है।

मौसम संबंधी उप-खंड

1221. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारगर ढंग से कार्य न करने वाले मौसम विज्ञान संबंधी उपखंड का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो, ऐसे सब-डिवीजनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सब डिवीजनों में खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है; और

(घ) कितने प्रतिशत खाद्यान्न क्षेत्र में सिंचाई होती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कृषि मंत्रालय भारतीय मौसम विभाग से सभी 35 मौसम-संबंधी उपखंडों के बारे में नियमित रूप से मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त कर रहा है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजना

1222. **डा. विश्वनाथम कैनिथी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में वंशधारा सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण को पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को शीघ्र स्वीकृत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). जी, नहीं। वंशधारा सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण को परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय आंकड़े और प्रबंध योजनाएं न भेजे जाने के कारण जनवरी, 1986 में पर्यावरणीय दृष्टि से रद्द कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार से भी वन भूमि के इस्तेमाल के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण संबंधी कायम स्कीम अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) पूरी पर्यावरणीय और वानिकी योजनाएं प्राप्त होने के बाद ही स्कीम के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

[हिन्दी]

रेल लाइन को दोहरा करना

1223. **डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में उधना-जलगांव के बीच दोहरी लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). 1982-83 में एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। उस समय प्रस्तावित दोहरीकरण की अनुमानित लागत 7.03 करोड़ रुपये थी जिसकी प्रतिफल दर 12.6 प्रतिशत थी। अमलनेर-टाकरखेडे-धरनगांव के बीच 2 ब्लॉक खंडों में कहीं-कहीं दोहरीकरण शुरू किया गया था। इस कार्य की बाद में समीक्षा की गई थी और यह पाया गया कि लाइन क्षमता संबंधी जिन कार्यों को शुरू किया गया था और जिनके 1995-96 के दौरान पूरा होने की संभावना है, से काफी राहत मिलेगी जिससे कुछ समय के लिए दोहरीकरण की आवश्यकता अस्थगित हो जाएगी। खंड के दोहरीकरण की योजना यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाएगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

सुपर बाजार

1224. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री सुपर बाजार की दरों के पुनरीक्षण के बारे में 14 फरवरी, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनरीक्षित दरों पर जिन्सों के भंडार प्राप्त किये बिना उन जिन्सों की दरें बढ़ाने के क्या कारण हैं जो पहले से ही उसके भंडार में पड़ी हैं;

(ख) अपने पुराने भंडारों में पड़ी जिन्सों पर सुपर बाजार अधिक कीमत न लगाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सुपर बाजारों के गठन के लक्ष्य क्या हैं और इनका गठन कब हुआ था; और

(घ) मंत्रालय में लंबित पड़े सुपर बाजार संबंधी पत्रों की संख्या क्या है और इन पत्रों के उत्तर कब तक दे दिये जायेंगे?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि दरों में संशोधन करना एक सामान्य व्यापारिक व्यवहार है जो कि अधिप्राप्ति लागत, करों/उत्पाद शुल्क में संशोधन तथा बाजार के रूख जैसे कारकों पर निर्भर रहते हुए किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सुपर बाजार को वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। सुपर बाजार की उप-विधियों में यथापरिभाषित इसके उद्देश्य हैं : उपभोक्ता वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा वितरण का कार्य करना; बदलते हुए बाजार के अनुरूप निरंतर आधार पर उत्पादन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावशाली संबंध विकसित-करने के लिए बहु-विभागीय भंडार स्थापित करना; उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा न्यूनतम मानकों को बनाए रखना; बाजार समर्थन और प्रबंधन संबंधी सलाह के जरिये नए विनिर्माण एककों के विकास को प्रोत्साहित करना; वितरण लागत में कमी लाना और नियत मूल्य आदि जैसे उचित तथा बेहतर व्यापारिक व्यवहारों को शुरू करना; तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को सूचना सेवा उपलब्ध कराना।

(घ) सुपर बाजार से संबंधित 12 पत्र उत्तर हेतु मंत्रालय में लंबित पड़े हैं तो जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

कपास की खेती

1225. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा जैसे राज्य में, जहां प्रायः कपास की खेती नहीं की जाती है कपास उगाने के लिए जलवायु संबंधी स्थितियों तथा मिट्टी की जांच के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में कपास की खेती किये जाने की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कपास की खेती करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता

(ग) से (ङ) उड़ीसा राज्य में कपास के उत्पादन की काफी संभावना है। इस राज्य के बोलनगीर, सुन्दरगढ़, ढेंकनाल, गंजाम, सम्बलपुर, मयूरगंज, कोरापुट, और कालाहाड़ी जिलों में कपास उगाया जाता है।

देश में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से गहन कपास विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का उड़ीसा सहित 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में चलाया जा रहा है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी निभाती हैं।

इस योजना के अंतर्गत बीज, प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण, पादप संरक्षक उपकरणों और स्प्रिंकलर सेटों की आपूर्ति किसानों को प्रशिक्षण, आई.पी.एम. प्रदर्शन सह प्रशिक्षण मुख्यालयों के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

ताजमहल

1226. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो दशकों से ताजमहल को आस-पास स्थित अनेक स्रोतों से वायु-प्रदूषण के कारण धीरे-धीरे क्षय होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन विभिन्न स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए गत कुछ वर्षों के दौरान उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उपायों से ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने में बहुत थोड़ी ही सफलता मिली है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी ताजमहल को मथुरा तेलशोधक कारखाने तथा अन्य स्रोतों से हो रही क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय न करने के कारण सरकार की आलोचना की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए 10-सूत्री एकमुश्त कार्यक्रम सहित कुछ कारगर कदम उठाने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने रिपोर्ट दी है कि ताजमहल पर प्रदूषण के प्रभाव से गत दो दशकों में इसके धीरे-धीरे क्षय के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुराना हो जाने तथा धूलकणों के जमाव के कारण ताजमहल पीला हो गया है।

(ग) से (ङ). प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) ताजमहल के चारों और एक समलम्ब परिवेश की शिनाख्त की गई है। इस क्षेत्र में किसी नए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को लगाने की अनुमति नहीं है।

(2) आगरा में उद्योगों में भट्ठी तेल तथा डीजल जेनरेटरों के उपयोग पर पाबन्दी है। शीतकाल की रातों में ढलाईखानों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(3) परिवेशी वायु में सल्फर डाई-आक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइडों के जमाव के रूझान का पता लगाने के लिए जनवरी, 1991 से ताजमहल में एक सतत् सल्फरडाई-आक्साइड निगरानी केन्द्र बनाया गया है।

(4) इसके चालू होने से लेकर मथुरा तेल शोधन कारखाना मथुरा और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी कर रहा है।

(5) आगरा में कोयले पर आधारित 2 ताप विद्युत संयंत्रों को 1981 में बंद कर दिया गया है।

(6) आगरा रेल मार्शेलिंग स्टेशन यार्ड का डीजलीकरण कर दिया गया है।

(7) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा में वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक तंत्र स्थापित किया गया है।

(8) एक वायु पर्यावरणीय प्रबंध योजना विकसित की गई है। इस योजना में अभिनिर्धारित क्षेत्रों विशेष रूप से ताजमहल में विभिन्न प्रदूषक कारकों के प्रभाव को कम करना शामिल है।

(9) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने उपलब्ध सरकारी भूमि पर पेड़ लगाकर ताजमहल के चारों और हरित पट्टी सृजित की है।

(10) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ताजमहल के आस पास सल्फर डाईआक्साइड, धुल कणों तथा अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ मौसमी आंकड़ों सहित परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध तरीकें से रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण किया जाता है।

(11) उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपनी उत्पादन प्रणाली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करें।

(च) और (छ). माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 24-2-1995 के आदेश में मथुरा रिफायनरी में हाइड्रो-क्रेकर यूनिट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने में देरी के बारे में असंतोष व्यक्त किया है।

(ज) और (झ). ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए 10 सूत्री पैकेज कार्यक्रम सहित कई उपाय आरंभ किए गए हैं। पैकेज कार्यक्रम के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं;

- सभी घरों के लिए एल.पी.जी. गैस।
- सीसा रहित/अल्प सीसा वाला पैट्रोल।
- उद्योगो के लिए एलपीजी का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन।
- परिवहन के लिए कम सल्फर वाला डीजल
- मथुरा रिफायनरी द्वारा पर्यावरणीय प्रबंध को बढ़ावा देना।
- उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस।
- वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस
- मथुरा रिफायनरी के लिए स्वच्छ ईंधन।
- मथुरा रिफायनरी के लिए हाइड्रोक्रेकिंग प्रौद्योगिकी।
- एशिया विकास बैंक के परामर्श से पर्यावरणीय प्रबंध के लिए वैकल्पिक नीतियों का पता लगाना।

न्यायालयों में विचाराधीन मामले

1227. श्री राधेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता शिक्षा और शोध केंद्र से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। हाल ही में सरकार को उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र (कंज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च सेंटर) से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इन सुझावों को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के तत्वावधान में गठित कार्यदल को अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने हेतु भेजा गया है।

राष्ट्रीय बीज निगम

1228. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कृषि क्षेत्र में किये गये प्रमुख योगदान का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण

के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन मार्च, 1983 में की गई थी। निगम की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई, वे हैं :–बेहतर उपज सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और किसानों में इसका वितरण तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग के लिए कृषक समुदाय में जागरूकता लाना। आठवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम की कुछ मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(1) प्रमाणित बीज का उत्पादन जो 1992-93 में 372385 क्विंटल था 1994-95 में बढ़कर 463435 क्विंटल होने का अनुमान है।

(2) आधारी बीज का उत्पादन 1992-93 के 23967 क्विंटल से बढ़कर 1994-95 में 34802 क्विंटल हो गया।

(3) हरी खाद बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बीज निगम ने हरी खाद की बीज की अधिप्राप्ति और वितरण की गति तेज कर दी है जो निम्नवत है :-

वर्ष	वितरित मात्रा (क्विंटल)
1993-94	1120
1994-95	6161

(4) पौध रोपण सामग्री के रूप में परंपरागत कंद की तुलना में आलू के विशुद्ध बीज के लाभ पर विचार करते हुए राष्ट्रीय बीज निगम ने 1991-92 में केवल 300 ग्राम आलू के विशुद्ध बीज का वितरण किया, 1994-95 में 18 किलों ग्राम बीज का वितरण किया गया तथा 1995-96 में 50 किलोग्राम वितरित करने की संभावना है।

(5) किसानों की बीच नई/उत्कृष्ट प्रकार की जिन का त्वरित और शीघ्र प्रचार के लिए राष्ट्रीय बीज निगम भारत के मिनिकिट कार्यक्रम में भाग ले रहा है।

गुजरात में केन्द्रीय राज्य फार्म

1229. **श्री एन.वी. राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय राज्य फार्मों का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन हेतु कितने क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) 1994-95 के दौरान इन फार्मों में बीजों का कितना उत्पादन किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम, जो इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, का गुजरात राज्य में कोई केन्द्रीय राज्य फार्म नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

एशिया ब्राउन बोवरी लोकोमोटिव्स

1230. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया ब्राउन बोवरी लोकोमोटिव्स (एबीवी) को देश को रेल लोकोमोटिव्स का निर्यात करने संबंधी ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह निर्यात कब से शुरू हो जायेगा;

(घ) क्या एबीवी ने निश्चित सुपुर्दगी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहलकारी कदम उठाए हैं,

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस संबंध में हुए करार के अनुसार अपेक्षित स्तर के माल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जायेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मौजूदा इंजनों के स्थान पर क्रमशः नये एबीवी डिजाइन के इंजनों का प्रयोग करने हेतु बनाई गई भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. चाफर शरीफ) : (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों के आधार पर जुलाई, 1993 में मैसर्स ए बी बी/स्विटजरलैंड को (i) पुर्जों सहित 30 अदद 6000 अश्वशक्ति वाले 25 कि.वो. ए सी 3-फेज बिजली रेल इंजनों की आपूर्ति तथा (ii) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए ठेके दिए गए थे।

(ग) और (घ). मई, 1995 के रेल इंजनों का लदान शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया है। तदनुसार ए बी बी ने आपूर्ति करने के लिए पहल शुरू कर दी है।

(ङ) और (च). सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकी के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संविदा में निर्धारित की गई है।

(छ) मौजूदा रेल इंजनों को उनका उपयोगी जीवन पूरा हो जाने के बाद सेवा से हटाया जाएगा। फिलहाल, ए बी बी के अभिकल्प वाले रेल इंजनों का निर्माण 1996-97 से शुरू करने की योजना बनाई गई है।

माल डिब्बे

1231. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड 1995-96 में खुली निविदा आधार पर माल डिब्बे खरीदने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों से माल डिब्बों की खरीद के आदेश संबंधी योजना में रूकावट आई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). रेलों के चल स्टॉक कार्यक्रम की तुलना में 1995-96 की मालडिब्बा आवश्यकता की केवल 50 प्रतिशत खरीद सीमित निविदा आधार पर करने का प्रस्ताव है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां निविदा में भाग लेने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं और इसलिए मालडिब्बों के आदेशों से उनके योजना अनुमान में बाधा पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

1232. डा. वसंत पवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में वृद्धि से भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में दिसंबर, 1994 तक भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी; और

(ग) भूमि की उपलब्धता में कमी की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.36 हैक्टेयर आंकी गई है।

(ग) देश में जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

12.03 म.प.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके अनुमति दूंगा। आज श्री वासुदेव आचार्य को पहले अनुमति दी जाती है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कुछ मंत्रियों ने मिलकर भारतीय सीमेंट निगम जोकि सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, के सभी एककों के बेच देने का निर्णय किया है। इस कंपनी का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के पास नहीं भेजा गया। जब इस कंपनी का मामला उक्त बोर्ड को नहीं भेजा गया जिसका काम रुग्ण उद्योग की जांच करने का है तब कुछ मंत्री मिलकर के कोई ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? भारतीय सीमेंट निगम के सक्षम एककों को बेच देने का निर्णय कुछ मंत्री मिलकर कैसे ले सकते है? यह कंपनी रुग्ण कंपनी नहीं हो इसको कोई हानि नहीं उठानी पड़ी बल्कि वर्ष 1991-92 और 1992-93 में इसने लाभ अर्जित किया है। महोदय, सरकार लाभ अर्जित करने वाली कंपनी को उसे अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किये बिना कैसे बेच सकती है। भारतीय सीमेंट निगम के प्रबन्धकों ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर इस कंपनी का दीर्घावधि तक सक्षम बनाने के लिए, जैसाकि एक या दो अक्षम एककों को बेच देने और उनसे प्राप्त धनराशि को सक्षम एककों में लगाने जैसे अनेक प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं।

हाल ही में सरकार ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश स्थित एककों के लिये, जहां बिजली की भारी कमी है, डीजल जेनरेटिंग सेट उपलब्ध कराने के लिये 20 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। सरकार ने पूंजीगत ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करने के सम्बंध में, जो कि गत तीन वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है, कोई निर्णय नहीं लिया है। यह बात ठीक नहीं है। कि यह कंपनी सक्षम नहीं बनायी जायेगी क्योंकि अनेक बार जब भी हमने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के मामले उठाये हैं जिनको औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास भेजा गया है, हमे सरकार की ओर से बताया जाता रहा है कि कंपनी की स्थिति में सुधार करने के लिए हर प्रकार से प्रयास किये जाने चाहिए और सरकार उसको सक्षम बनाने का प्रयास किये बिना न बन्द करेगी और न ही उसे निजी हाथो में सौंपेगी।

परन्तु इस मामले विशेष में, जबकि भारतीय सीमेंट निगम घाटे में नहीं चल रहा है, सरकार ऐसा निर्णय कैसे ले सकती है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सक्षम कंपनी को सस्ती दर पर बेच देने के निर्णय पर पुनर्विचार करें।

वहां पर 6 या 7 हजार से अधिक श्रमिक काम करते हैं ऐसे श्रमिकों का भविष्य क्या होगा जिन्हें कंपनी ने सीधे भर्ती किया है। इसके अतिरिक्त वहां कई हजार और श्रमिक जैसे नैमित्तिक, ठेका श्रमिक और आदिवासी श्रमिक काम करते है, उनका क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी को संबोधित मत कीजिए। आपको अध्यक्ष महोदय पीठ को संबोधित करना है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस निर्णय को तत्काल बदल दे और कंपनी के पूंजीगत ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करने हेतु तत्काल एवं ठोस निर्णय ले। प्रबंधको ने भी दीर्घकालिक प्रक्रिया (वेट प्रॉसेस) के स्थान पर अल्पकालिक प्रक्रिया (ड्राई प्रॉसेस) की प्रौद्योगिकी अपनाने का सुझाव दिया है जिससे लागत कम आयेगी और कंपनी के लाभ में वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमित भाषण नहीं है। आपने केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिये कदम उठायें और सरकारी क्षेत्र के इस सक्षम उपक्रम को सस्ते मूल्य पर बेच देने संबंधी कुछ मंत्रियों द्वारा लिये गये निर्णय को बदल दे।

12.07 म.प.

'टाडा' का दुरुपयोग और उसके निरसन की मांग

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : प्रत्येक व्यक्ति श्री बसुदेव आचार्य से सहमत है।

मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। मैंने पहले भी इस सभा में 'टाडा' का मामला उठाया था। ऐसे मामलों में न्याय मिलने में विलंब होता है। विलम्ब से मिला न्याय न मिलने के बराबर होता है। मैंने गत पखवाड़े के समाचार पत्रों में पढ़ा है कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे शीघ्र ही कोई संशोधन लायेंगे।

'टाडा' कानून बहुत घातक है। यह कानून इस लोक सभा में तब पास किया गया था जब वर्ष 1984 में पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां जोरों पर थीं। अब यह आतंकवादी गतिविधियों वाले क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि समूचे देश में लागू हो गया है।

मैं सरकार द्वारा स्थापित मानव अधिकार आयोग के प्रतिवेदन में से उद्धृत कर रही हूं। उन्होंने भी इसे क्रूर, सख्त और काला कानून बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दोष स्वीकृति को साक्ष्य नही माना जायेगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (ii) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। परन्तु 'टाडा' के अंतर्गत ऐसा ही हो रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 167 (ii) के अनुसार यदि कोई कातिल न्यायालय से अनुरोध करता है तो वह भी 90 दिन के भीतर जमानत प्राप्त कर सकता है और यद्यपि जांच पूरी न भी हुई हो तब भी न्यायालय जांच के आदेश दे देता है। परन्तु 'टाडा' के मामलों में लोगों को लंबी अवधि तक हिरासत में रखा जाता है। श्री संजय दत्त भी आतंकवादी नहीं है। सरकार आयुध अधिनियम के अधीन उस पर मुकदमा चला सकती है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं है। उनको अलग-अलग करना होगा।

महोदय, आपको हैरानी होगी कि पूरे देश में 75000 लोग गिरफ्तार किये गये हैं और उनमें से 80 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया।

मैं निवेदन करती हूं कि सरकार इस संबंध में संशोधन लाये। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है। सरकार 'टाडा' को सेना के माध्यम से लागू कर सकती है। परन्तु यदि इसे पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन पर छोड़ा गया तो वे इसका उपयोग बदले की भावना से करेंगे। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि सरकार इसी सत्र में संशोधन लाये।

सरकार को संशोधन लाना चाहिए ताकि इन निर्दोष लोगों को तत्काल राहत मिल सके। पता नहीं उन निर्दोष लोगों की हालत क्या है जो लंबे समय से जेलों में पड़े हैं। मैं इस सम्मानित सभा से, मंत्री महोदय से और आप से यह सुनिश्चत करने के लिए अपील करती हूं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो। मानव अधिकार आयोग ने भी इस कानून की निन्दा की है। सरकार और मानव अधिकार आयोग अलग-अलग नहीं है। सरकार ने इस आयोग की स्थापना की है। जब प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी निन्दा की है तो मेरे विचार में सरकार को इस काले कानून को अवश्य समाप्त कर देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि यद्यपि मैं शासक दल की सदस्या हूं, यदि इसी सत्र में हमें न्याय नहीं मिला तो मैं मूल अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए धरने पर बैठूंगी। मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। गृह मंत्रालय में एक राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं....(व्यवधान) मैं शासक दल की सदस्या हूं। परन्तु यदि न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे जनता के अधिकारों की रक्षा करनी होगी क्योंकि हमारे दल का आधार विशाल जनसमूह है और मैं अपने दल की रक्षा करना चाहती हूं। श्री पी.एम. सईद यहां पर उपस्थित हैं। वह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। मेरे विचार में ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि लोगों के मन में इस कानून के बारे में बहुत भय है। उनको अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक संशोधन लाने वाले हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या वह संशोधन ला रहे हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह साधारण मामला नहीं है। इसे साधारण मामला नहीं कहा जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक-एक करके अनुमति दे सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, सर्वप्रथम आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि आपने इस समय बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और आप इसका तत्काल उत्तर चाहती हैं। यह सम्भव नहीं है। आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कह दी है। अब आप बैठ जायें। इसका स्वतः प्रभाव होगा...

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : हमने इस मामले को अनेक बार उठाया है। इस सभा के सभी सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार रखे थे। यदि आप इस प्रकार के विनिर्णय देते हैं तो हमारे पास और विकल्प क्या रह जाता है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियमों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि आपके पास अनेक विकल्प है। आपको प्रश्न पूछना चाहिए था। क्या मुझे कक्षा लगाकर बताना चाहिए?

श्री मुरली देवरा : आप उनको उत्तर देने के लिए कहें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : सरकार को उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से यह आशा नहीं करता कि वे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस तरीके से उत्तर दें। उन्हें भलीभांति समझ बूझ कर अपना विचार प्रस्तुत करना होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : बेहतर यह होगा कि वे कह दें कि यह एक गंभीर मामला है और वे इस पर विचार करेंगे....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य के रूप में आप भी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के रूप में एक संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से तरीके आपके पास उपलब्ध हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसा करने में 6 महीने का समय और लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्रीमती ममता बनर्जी की बात का समर्थन करते हुए...

एक माननीय सदस्य : वह कुमारी ममता बनर्जी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'श्रीमती'। अच्छाजी, कुमारी ममता बनर्जी की 'टाडा' को निरस्त करने की मांग का समर्थन करते हए मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व हमें मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन से एक पत्र प्राप्त हुआ था।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : सब को प्राप्त हुआ है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने कहा है, हमें प्राप्त हुआ है, हम में सब आ जाते हैं उस पत्र में न्यायमूर्ति मिश्रा ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि यदि कोई कानून, संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है तो क्या हमारे कानून बनाने वाले इस बात को बर्दाश्त करते रहेंगे कि वह कानून कानून की पुस्तक में बना रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि इसको जारी रखने से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अपने कृत्य करने में कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। तत्पश्चात मैंने सोचा कि सरकार इस मामले पर विचार-विमर्श करके अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। यदि आज आप कहते हैं कि उनको समय चाहिए तो हम उन्हें समय देने के लिए तैयार हैं। परन्तु हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में वे इस मामले पर विचार कर रहे है। निश्चय ही इस प्रकार के कानून के जारी रहने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार सोच विचार करके इस मामले में अपनी राय सभा को बताये।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस दल की ममता जी ने यह बात उठाई और इस कानून को हटाने की मांग की है। मैं आपके माध्यम से संसद को बताना चाहता हूं कि जब से टाडा बना है, बहुत से निरपराध लोग, खासकर गुजरात में बहुत से ट्रेड यूनियनिस्ट, लैजिटिमेट ट्रेड यूनियन ऐक्टिविटीज के चलते टाडा में बंद हुए।

और खासकर आपके समक्ष श्री शरद पवार्‌जी का बयान रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अक्लियत लोगों ने इसलिए कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया क्योंकि निरपराध लोगों को टाडा के दरम्यान जेल में बंद कर दिया था। अध्यक्ष जी, सारा हाउस कह रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले सात दिन पहले गृह मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण का बयान था कि टाडा स्टेच्यूट बुक में रहना चाहिए। यहां पर बलराम जाखड़ जी, अजितजी वगैरह बैठे हैं, आप सहमत होगें कि इसका कोई कारण नहीं रहा, कोई औचित्य नहीं रहा। इसलिए मैं आपके जरिये, खासकर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि टाडा के कानून को स्टेच्यूट बुक से हटाया जाय। प्रजातंत्र, लॉ और संविधान की खातिर इसको करना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में मानव अधिकार आयोग के चेयर मैन ने अनेक संसद सदस्यों को लिखे गये पत्र में, मुझे भी उनका वह पत्र मिला है, जो कुछ कहा है, उस पर चर्चा करने का यह अवसर नहीं है। इस पूरे मामले का वह एक बिल्कुल भिन्न पहलू है। इस विषय से सम्बंधित सभी कानून, जिसे संक्षिप्त रूप में 'टाडा' कहा जाता है, भद्दे कानून होते हैं चाहे वह 'टाडा' प्रवर्तक हो, जो विशेष न्यायालय अधिनियम था भूतपूर्व गृह मंत्री यहां उपस्थित है—या विशेष न्यायालय अधिनियम के पूर्वगामी—आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम—मेरे सम्मानित नेता श्री अटल बिहारी जी भी जिसके शिकार हुए या अन्य जो वर्ष 1975 की ढोंगपूर्ण आपात स्थिति में बनाये गये थे। इस सभा में तथा राज्य सभा में हमारे दल ने इन सभी अधिनियमों का आरंभ से ही पुरजोर विरोध किया था। मैं शासक दल की स्पष्ट धूर्तता पर हैरान हूं जो अब मानव अधिकारों के प्रमुख संरक्षक बनने का प्रयास करने लगे है...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : जसवन्त सिंह जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं परन्तु आपको पता होना चाहिए कि चुनाव से पूर्व भी मैंने संसद में इस मामले को दो बार उठाया था आप रिकार्ड देख लीजिए...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वह किसने पास किया था...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, जब माननीय महिला सदस्या बनावटी या असली आवेश में बोलती है तो मुझे सदा चुप हो जाना पड़ता है। परन्तु प्रश्न यह है कि अब शासक दल अपने आपको

'टाडा' का विरोध करने वाला प्रमुख दल दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, इस प्रकार कि प्रतिवाद से में बिल्कुल सहमत नहीं हूं...(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : ठीक है तो आप भी उसका विरोध करने वाले प्रमुख दल बन जाईए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय यह मेरे वरिष्ठ नेता हैं, अभी गत वर्ष के निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, उस शहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान को 'टाडा' के अधीन गिरफ्तार किया गया था। परन्तु यहां पर एक भी आवाज नहीं उठाई गयी। मेरे एक मित्र, जो गुजरात के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे, बड़ौदा के महापौर, गुजरात सरकार के मंत्री और गुजरात के विधायक स्वर्गीय मकरंद देसाई—दुर्भाग्य से अब वह नहीं रहे, को 'टाडा' के अधीन गिरफ्तार किया गया था। भूतपूर्व अध्यक्ष रवि राय जी गुजरात में 'टाडा' के स्पष्ट व बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के बारे में बोले थे परन्तु 'टाडा' का दुरुपयोग किसने किया? शासक दल ने। इसीलिए उनके तर्क का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता... (व्यवधान)। हम इस प्रकार के विरोध को नही मानते 'टाडा' का अब जो विरोध किया जा रहा है वे केवल मात्र चुनाव को नजर में रखकर किया जा रहा है। इसलिए अब मानव अधिकारों के संबंध में चिन्ता की तीक्ष्णता को कुछ कम करना चाहते हैं। आपकी मानव अधिकारों या लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में चिन्ता तंगदिली से प्रेरित है जिसका मानहाटन के माननीय सदस्य निःसंदेह समर्थन करेंगे।

महोदय जब ये विचार और प्रबोधन चुनावों को नजर में रख कर रखे जाते हैं तो उनकी तीक्ष्णता समाप्त हो जाती है और इसी लिये हम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमे मानव अधिकारों के बारे में अपनी निष्ठा को किसी अन्य के सामने नहीं और निश्चय ही शासक दल के समक्ष वही सिद्ध करना है। परन्तु चूंकि 'टाडा' का व्यापक रूप से दुरूपयोग हुआ है, इसमें सुधार के पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। 'टाडा' के अधिनियम के दिन से ही इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। सरकार को सभी राजीनतिक दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए। सरकार को उसमें 'टाडा' में मूल सुधार के बारे में एक दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। महोदय, वहीं से चर्चा आरम्भ होनी चाहिए।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सर, बाहर यह नारा जोर पकड़ता जा रहा है—'हर्षद मेहता बेल में, संजय दत्त जेल में'

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, 'टाडा' का मामला शासक दल ने स्वयं उठाया है। हम इसका विरोध करते हैं...(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अपनी शिकायत रखना चाहता हूं। कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक-एक करके संरक्षण दे सकता हूं। आप कृपा करके बैठ जायें।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं आरम्भ से ही समय मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जब यह इतना कड़ा कानून लागू किया गया तो हम सब ने इस सभा में इसका विरोध किया था। सभी दल इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। दुर्भाग्य से शासक दल ने शायद बहुत देर से महसूस किया है अथवा जब उनको शंका हुई है कि कोई अन्यथा स्थिति न पैदा हो जाय जिसका उपयोग उनके विरुद्ध हो सकता हो। इसीलिये वे इस मामले को उठाने लगे हैं। श्री गुलाम नबी आजाद ने भी एक चुनाव सम्बन्धी बैठक में कहा था कि...

कुमारी ममता बनर्जी : श्री चौधरी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है। आपको इस प्रकार भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको पक्षपातपूर्ण रवैय्या नहीं अपनाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : मैडम, आप कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, श्री गुलाम नबी आजाद ने चुनाव बैठक में कहा कि वह सरकार से त्यागपत्र दे देंगे...(व्यवधान) महाराष्ट्र में चुनाव के बाद काफी दिन गुजर गये हैं। परन्तु न तो श्री गुलाम नबी आजाद ने त्यागपत्र ही दिया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता है? यदि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है तो आप एक गैर-सरकार सदस्य का विधेयक क्यों नहीं लाते?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, हमने पहले ही सूचना दी हुई है।

श्री लोकनाथ चौधरी : हमने अनेक बार सूचना दी है। जब इसकी अवधि बढ़ाई गयी थी तब भी हमने विरोध किया था इस सम्बन्ध में मुझे खेद से कहना पड़ता है। कि कुछ मित्र 'टाडा' में सुधार करने के पक्ष में हैं। महोदय, मूलतः 'टाडा'...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, अभी अनेक सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया समाप्त कीजिए। मैं पहले श्री शरद यादव को अनुमति दूंगा और तत्पश्चात् अन्य सदस्यों को।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मूलतः 'टाडा' कानून मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून है अब समय आ गया है कि उसको निरस्त कर दिया जाये। सरकार को निश्चय करना चाहिए। सरकार अपना विचार नहीं बता रही है। मेरे विचार में सरकार को निर्णय लेना चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए। और भी अनेक मामले हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : सरकार अपना विचार नहीं बता रही। महोदय, इसके साथ ही मैं एक और मामला भी उठाना चाहता हूं जिसके लिये मैंने सूचना दे रखी है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं वहां पर गया था। अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया हर बार उठकर खड़े न हों। जब सभी सदस्य बोल चुकेंगे, मैं तभी आपको समय दूंगा। कृपया बैठ जाईए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : वह समय नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : आयेगा। मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जायें।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, उड़ीसा, बालासोर में साम्प्रदायिक तनाव है। स्थिति बहुत खराब है...**(व्यवधान)**

12.23 म.प.

इस समय डा. कार्तिकेश्वर पात्र आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गये

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं डा. पात्र से अनुरोध करता हूं कि वह अपने स्थान पर वापिस चले जाएं। उनको समझना चाहिए कि जब श्री चौधरी बोल रहे हैं तो मैं उनको अनुमति नहीं दे सकता।

12.24 म.प.

इस समय में डा. कार्तिकेश्वर पात्र आपने स्थान पर वापस चले गये

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, वहां पर गम्भीर स्थिति है। बालासौर में दो व्यक्ति मारे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सबकी समझ में आ गयी है। आपको अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर साम्प्रदायिक तनाव है जो वहां के इतिहास में पहले कभी नहीं था। वहां से स्वतंत्रता आन्दोलन चलता रहा है। दुर्भाग्य से यह घटना हुई है जिसमें गोली चली और दो निर्दोष व्यक्ति मारे गये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने भाषण को अब समाप्त करेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं कह रहा हूं कि सरकार समस्या की ब्यौरेवार छानबीन करे...**(व्यवधान)**

श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, इस घटना की न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। इस मामले की जांच करने के लिये जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया जा चुका है।...**(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : इसका आदेश उड़ीसा सरकार ने किया है कृपया देखें कि वहां हुआ क्या है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो लोग थाने में आते रहे हैं और शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पीटा गया।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह राज्य का विषय है। उड़ीसा सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिये हैं।...**(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या यह बात ठीक नहीं है कि आपके मुख्य मंत्री ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है जिन्होंने 10 घंटे तक जनता की बात को नहीं सुना और स्थिति को बिगड़ने दिया। सरकारी अधिकारियों ने 3 बजे से लेकर 10 बजे तक जनता के अनुरोध पर क्यों नहीं ध्यान दिया? हमने कहा है कि आधिकारी ही साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार है। आपके मुख्य मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव के बोलने के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, लोगों ने बहुत विस्तार से बोला, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी न किसी शक्ल में इस देश में जो हमारे यहां कानून और संविधान का प्रावधान है, उसके ऊपर यह जो ड्रैकोनियन लॉज हैं ये लगातार देश में लगते रहे हैं, कभी मीसा के नाम से, कभी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के नाम पर और आज टाडा के नाम पर यह लागू है।

इस टाडा का दुरुपयोग जिस तरह से पिछले दिनों राजनीतिक लोगों के साथ होता रहा है वह सर्वविदित है। हिन्दुस्तान भर में जिस तरह से इस टाडा का हमला हुआ है, उस पर मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जब इसको यहां लाकर पास कराया गया था उस समय कहा गया था कि डिस्टरबिंग एरियाज में इसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में इसका कितना दुरुपयोग हुआ है। इस सदन में कई लोगों ने आंकड़े देकर अपनी बात को रखा और बताया कि किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया है। लोगों के साथ कानून के आधार पर, समानता के आधार पर, स्वाभाविकतौर पर जो अधिकार मिले हुए हैं। उनसे इस टाडा को लगाकर किस प्रकार से वंचित किया जा रहा है, इस बात को सारा सदन जानता है।

इसलिए मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह ड्रैकोनियन लॉ है। यह सब तरह से लोकतांत्रिक और लोकशाही के खिलाफ है। इस कानून को जितनी जल्दी उठाया जाए उतना अच्छा है और देश में जहां संकट है, जहां राष्ट्रीय एकता को खतरा है, वहां

इसको लागू करने के लिए प्रयोग किया जाए ताकि इसको पास करते समय जो बात कही गई थी, उसी के अनुसार इसको सावधानी के साथ प्रयोग किया जाए। इसको डिस्टरबिंग एरियाज में लागू करने की स्वीकृति इस सदन ने दी थी, लेकिन इसको वहां से उठाकर गुजरात महाराष्ट्र जैसे सूबों में इसका दुरुपयोग हुआ है। गरीब लोगों को तंग किया गया है। राजनीतिक लोगों को इसके अंदर फंसाया गया है। इसके चलते, इस सदन में इस कानून के खिलाफ आवाज उठती रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गैरकानूनी कानून को तत्काल समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु कृपया आप ऐसे मुद्दे उठाये जो इस सदन में उठाये जाने योग्य हों।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, बालासौर में, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, हिंसात्मक घटना घटी है और यह रात के 10.50 बजे घटी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह राज्य का विषय नहीं है? क्या वहां पर आपकी अपनी सरकार नहीं है?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं उस स्थान पर स्वयं गया हूं और मैं आपको तथा सम्मानित सभा से आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से दो व्यक्ति मारे गये हैं एक शेख अनवर जो स्कूल बाजार के शेख होनान का सुपुत्र था और दूसरा सुनहर का श्री अब्दुल शाहद था और उस घटना में 10 लोग घायल हो गये। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। मैंने इस मामले की जानकारी अपने माननीय मुख्य मंत्री को दी और वह भी घटनास्थल पर गये थे। उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बालासौर और पुलिस अधीक्षक को, जिन्होंने स्थिति से ठीक ढंग से नहीं निपटा, निलंबित कर दिया है। 6.30 बजे सांय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि ऐसे मामले यहां पर नहीं उठाये जा सकते। मैंने आपको अनुमति दी थी। अब आप कृपया बैठ जायें।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैंने इस मामले की ओर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी ध्यान आकर्षित किया है। मैंने सबसे इस बारे में बातचीत की है। मैं चाहता हूं कि कुछ सहायता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को ऐसे स्थानों पर ले जा रहे हो, जहां कुछ नहीं किया जा सकता।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं माननीय मुख्य मंत्री से पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि इस घटना के शिकार व्यक्तियों को कुछ सहायता दी जानी चाहिए। मैंने बालासोर की जनता-हिन्दू और मुसलमान दोनों-से अपील की है कि शान्ति समिति बनाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठेंगे या नहीं?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, पूरे नगर में जन-जीवन पूरी तरह ठप्प हो गया है, इसीलिए मैं आप से और इस सभा से भी निवेदन करता हूं कि हमें कुछ संरक्षण दिया जाये...(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उड़ीसा राज्य और विशेषकर बालासौर की यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। स्थिति यह है कि वहां पर भारी साम्प्रदायिक तनाव है। बालासौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के ठीक बाद जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गयी...(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक मामला नहीं है। यह साम्प्रदायिक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप बैठ जायेंगे? कृपया बैठ जाइए। आपने इस मामले को उठाया है, उन्होंने नहीं। अब वह जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। आप कृपया बैठ जाइए। मैं प्रत्येक सदस्य को मनमानी करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात नहीं कही।

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं कहनी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, मैंने नहीं कहा। कृपया मेरी बात सुनिएं महोदय, यह क्या बात है? कांग्रेस पार्टी ने साम्प्रदायिक तनाव को कभी बढ़ावा नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कांग्रेस सदा साम्प्रदायिक सद्भाव चाहती है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। यह क्या है?..

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया। आपने ही उठाया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इस घटना के तुरन्त बाद न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय-कार्य मंत्री जी, क्या आप अपने सदस्यों को रोकेंगे या नहीं?

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया। आपने ही उठाया था। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हम 'टाडा' के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे और बीच में यह मामला आ गया। मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में जनता शासन काल में किसी एक घटना में भी 'टाडा' का इस्तेमाल नहीं किया गया। उड़ीसा राज्य में 'टाडा' के अधीन किसी एक व्यक्ति को भी हिरासत में नहीं लिया गया और पूर्ण साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा गया...**(व्यवधान)**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : वहां बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और हमारी सरकार ने स्थिति को सम्भाला था...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : मैं बालासौर के माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के पांच सौ घर जला दिये गये थे और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से अल्पसंख्यक समुदाय के दो व्यक्ति मर गये थे। यह बात कार्यवाही वृतान्त में जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के दूसरे ही दिन वहां पर साम्प्रदायिक तनाव था। बालासौर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हार जाने के कारण ही साम्प्रदायिक तनाव था। इसीलिए बालासौर में जानबूझ कर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा की गयी। बालासौर में कर्फ्यू है, भद्रक में तनाव है और पूरे उड़ीसा राज्य में तनाव की स्थिति है। उनके लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों से मिलकर बालासौर में यह स्थिति पैदा की है। इसके लिये उनके मुख्यमंत्री पूरी तरह जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक होने के कारण उन्होंने इस मामले को इस प्रकार की स्थिति का रूप दे दिया।

आप का मुख्य मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सांठगांठ किए हुए हैं...**(व्यवधान)** और इसके लिये वही जिम्मेदार हैं क्योंकि वह वर्ष 1983 में बालासाहब देवरस को इस शहर में लाये थे। गत पांच वर्षों से उड़ीसा राज्य में पूर्ण साम्प्रदायिक सद्भाव था। आज समूचे उड़ीसा राज्य में हर स्थान पर साम्प्रदायिक तनाव है। समूचे राज्य, जिसमें सम्पूर्ण शान्ति थी, आज साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित है क्योंकि मुख्य मंत्री का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्ध है। इसलिए वहां पर यह स्थिति पैदा हुई है...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मुझे इस पर घोर आपत्ति है। इस वाद-विवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? आप ने चुनाव हारा और उन्होंने चुनाव जीता है। अब यहां यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम का क्यों उल्लेख कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : मैं अधिकृत रूप से यह कह रहा हूं। मुझे पूरी जानकारी है और मैं इसे सिद्ध करूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्ध किस प्रकार से हैं। इस बात की जांच हो जाये। श्री बूटा सिंह जांच के आदेश दें। मैं सिद्ध करूंगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। किसी भी केन्द्रीय मंत्री द्वारा जांच करवा लीजिए। आपको पता चल जायेगा कि दोनों में क्या सम्बन्ध हैं। महोदय, मैं मांग करता हूं। कि उड़ीसा राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा पैदा की गई साम्प्रदायिक तनाव स्थिति के मामले पर गृह मंत्री एक वक्तव्य दें...*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री जेना कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, कृपया बैठ जाइए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही यह बहुत दुख की बात है कि कुछ माननीय सदस्य एक दुखद स्थिति को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मामले में राजनीति की बिल्कुल कोई भूमिका नहीं है। मेरे मित्र श्री श्रीकान्त जेना को थोड़े संयम से काम लेना चाहिए।

महोदय, हम इस घटना की और साम्प्रदायिक हिंसा की भी निन्दा करते हैं। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में कांग्रेस का रिकार्ड बिल्कुल साफ है। ...**(व्यवधान)** हम साम्प्रदायिक हिंसा के विरुद्ध हैं। राज्य सरकार स्थिति के बारे में पूरी तरह जागरूक है। स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई भूल हो सकती है; मैं उनका बचाव नहीं करता। राज्य सरकार जागरूक है और उन्होंने पहले ही एक जिला न्यायाधीश द्वारा इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। स्वभावतः सच्चाई सामने आ जायेगी और दोषी को दंड दिया जायेगा मुख्य मंत्री ने स्वयं तत्परता से घटना स्थल का दौरा किया है। आपने उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य डा. पात्र को यह कहते हुए सुना है कि अधिकारियों के विरुद्ध अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। इस अवस्था में माननीय सदस्य और क्या आशा करते हैं? और क्या किया जा सकता था? प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य और जानकारी के आधार पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं, जिला प्रशासन चलाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गयी है।

अतः माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जैसाकि आप जानते हैं, हाल ही में वहां चुनाव समाप्त हुए हैं और जनता दल चुनाव हार गया है..

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : छात्र घायल हो गये थे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इसलिये रिकार्ड बिल्कुल स्पष्ट है, इसे कोई राजीनतिक पुट नहीं देना चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसलिये मैं इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य होने की निन्दा करता हूं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए के उड़ीसा में सब जगह सामान्य स्थिति बहाल हो जाय और कहीं भी साम्प्रदायिक शक्तियां अपना सिर न उठा सकें।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाते हुए अनावश्यक ही मुख्य मंत्री के नाम सहित कुछ नामों का उल्लेख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आपकी पार्टी के सदस्य ने ही शुरू किया है।

श्री बूटा सिंह : मुख्य मंत्री का नाम और संस्था विशेष का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल देना चाहिए। .

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। हम उस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : बूटा सिंह जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने इतना ही कहा है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर आप वहां जाइए और इसकी इन्क्वायरी करवाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गुमानमल लोढा, मैं आपको सचेत करता हूं। आपने मुझे वह लिखित विवरण नहीं दिया। जिस मामले पर आपने मेरे साथ, मेरे कक्ष में, चर्चा की थी, वह बहुत नाजुक मामला है। जो बात विधि अनुसार नहीं है, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप को पहले वह विवरण मुझे देना चाहिए था। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैंने लिखित में दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मेरे पास नहीं पहुंचा।

श्री गुमान मल लोढा : मैंने उनको दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप न्यायाधीश रह चुके हैं। आप जानते हैं कि मामला कितना नाजुक है। मैं आपको इस तरीके से मामला उठाने की अनुमति नहीं दूंगा जिससे मामला और पेचीदा न बन जाये।

श्री गुमान मल लोढा : मैं अपनी बात को केवल लिखित तथ्यों तक सीमित रखूंगा। मैं स्वतः कुछ नहीं कहूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पूरे राष्ट्र के लाखों एडवोकेट इन दिनों आन्दोलन, हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बार ने गत कुछ दिनों से लगातार आन्दोलन प्रारम्भ किया हुआ है। राजस्थान में 23.3.95 को हड़ताल है। अन्य प्रान्त भी इस ओर अग्रसर हैं। श्री पी. सी. मिश्रा, अध्यक्ष, बार कौंसिल ऑफ इंडिया को तीन वर्ष के लिये वकालत से जो सस्पैंड किया गया है, वह स्थिति फिर न आये, इसलिये बार की मांग है कि कंटैम्ट कोर्ट ऑफ ऐक्ट को संशोधित किया जाये। यदि सरकार मूकदर्शक व निष्क्रिय बनी रही तो पक्षकारों और जनता को इस आन्दोलन के कारण न्याय से वंचित होना पड़ेगा।

आवश्यकता इस बात की है कि विधि मंत्री महोदय सक्रिय होकर और बार को विश्वास में लेकर हल करें। सदन को भी सारी वस्तु स्थिति बताकर विश्वास में लें ताकि गलत भ्रम न फैलें। संबंधित एक्ट के संशोधन के बारे में भी विधि मंत्री सब दल के नेताओं के साथ विचार कर रास्ता निकालें ताकि जनता व पक्षकार न्याय से वंचित न रहें।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभा के हर कोने से सदस्य टाडा के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं न्यायाधीश नहीं हूं कि उस पर कोई टिप्पणी करूं।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : महाराष्ट्र के इतिहास में आज बहुत खराब दिन है। कल हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बम्बई में वहां रहने वाले भारतवासियों के प्रवेश को नियंत्रित करने का निर्णय किया है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को रिकार्ड में ले आइए।

श्री आर. अन्बारासु : एक अन्य बात यह है कि यह बड़े दुःख की बात है कि उन्होंने कुछ स्थानों के नाम बदलने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समाचार-पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। इसकी अनुमति नहीं है। यदि आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है और यदि आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो आप ऐसे मामले को उठा सकते हैं। अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है।

श्री आर. अन्बारासु : वे औरंगाबाद जैसे कुछ नामों को बदलना चाहते हैं उसके स्थान पर कोई हिन्दु नाम रखना चाहते हैं और ऐसा करके वे हिन्दू-मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।

अब तक मैं समझता था कि शिव सेना ने अपना मार्ग बदल लिया है। वर्ष 1960 के दशक में वे तमिल लोगों और उनके व्यापारिक प्रतिस्थापनाओं के विरुद्ध थे और जिसके परिणामस्वरूप शिव सेना के अत्याचारों के कारण तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और दक्षिण के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब पुनः उन्होंने सत्ता सम्भालने के एक सप्ताह के भीतर ही अन्य क्षेत्रों से आने वाले अन्य भारतवासियों के बम्बई में आने पर रोक लगा दी है। यह दहलाने वाली खबर है। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बात है। इस कार्यवाही की प्रतिक्रिया पूरे देश में होगी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नही कि डी.एम.के. पार्टी भी ऐसा ही करेगी।

श्री एम.आर. कादम्बूर चनार्दनन (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु की पूरी जनता की भी यही प्रतिक्रिया होगी।

श्री आर.अन्बारासु : जी हां, तमिलनाडु की पूरी जनता की भी यही प्रतिक्रिया होगी। वे भी तमिलनाडु में अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। निश्चय ही यह खतरनाक स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको विश्वास है कि ऐसा कोई निर्णय किया गया है?

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मेरे विचार में यह बात ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको विश्वास है?

श्री आर. अन्बारासु : जी हां।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस बात के परिणामों का भली-भांति समझकर आप यह वक्तव्य दीजिए।

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मैं परिणाम जानता हूं। लेकिन मैंने महाराष्ट्र के कुछ माननीय सदस्यों से इस बारे में सुना है।

अध्यक्ष महोदय : 'सुनना' 'जानने' से भिन्न बात है।

श्री आर. अन्बारासु : मैंने सुना है कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उन्होंने यह निर्णय लिया था। इसलिये यह एक अलोकतांत्रिक निर्णय है।...**(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दन : शिवसेना को इसका उत्तर देना होगा...**(व्यवधान)**

श्री आर. अन्बारासु : बंगलौर में जनता दल सरकार को भी बहुत असुविधा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले को व्यापक मत बनाइए। आप इस बात को यहां तक ही सीमित रहने दें।

श्री आर. अन्बारासु : कर्नाटक में भी दक्षिण के लोग काफी संख्या में हैं। जनता दल सरकार भी यदि उसको अनुमति दी जाये, इस प्रकार का मामला उठा सकती है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त कार्यवाही करे और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे कि वे इस प्रकार का निर्णय न लें।...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि इस विषय पर चर्चा चलती रहे, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री चन्द्र शेखर : यह बहुत नाजुक मामला है। यहां पर विरोधी पक्ष के नेता बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार में उनका दल भागीदार है। मैं चाहूंगा कि श्री अटल जी इस बात का पता लगा लें कि क्या कोई ऐसा निर्णय लिया गया है या नहीं और एक अधिकृत वक्तव्य दे दें। अन्यथा यदि प्रत्येक सदस्य यहां पर बोलता रहेगा तो स्थिति खराब होगी। मेरे विचार में, इससे समूचे देश में काफी समस्याएं पैदा हो जायेंगी। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। परन्तु यदि कोई ऐसा निर्णय लिया गया है तो मेरे विचार में यह उस बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जो शासक दल के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में करते रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उस सदस्य द्वारा दिया गया यह वक्तव्य गैर-जिम्मेदाराना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के आधार पर संवेदनशील मामले सदन में उठाना और ऐसी सरकार के साथ उन मामलों को जोड़ना, जो अभी-अभी जनता का विश्वास प्राप्त करके आई है, जिसने थोड़े दिनों पहले सत्ता संभाली है, इस सदन के हर सदस्य को थोड़ी गम्भीरता से और जिम्मेदारी से आचरण करना होगा। जहां तक हमारी जानकारी है, इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन क्या माननीय सदस्य के लिए यह उचित नहीं था कि समाचार पत्रों पर भरोसा करने के बजाए वे अपनी सरकार से पता लगा लेते और मुम्बई से इस की पुष्टि करा ली जाती या इसका खण्डन लिया जाता। अगर ये मामले यहां उठाए जायेंगे, तो प्रतिक्रिया होगी। चन्द्रशेखर जी ने ठीक कहा, संवेदनशील मामले न उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु : वह आश्वासन दे कि ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। मेरी आलोचना करने के बजाय उन्हें आश्वासन देना चाहिए। वह आश्वासन नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ने पुष्टि करवाये बिना वक्तव्य दिया है तो उनका आपकी आलोचना करना जायज है।

श्री आर. अन्बारासु : मैंने महाराष्ट्र के कुछ सदस्यों से पुष्टि करायी थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, इस तरह से बार-बार न उठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप सचेतक हैं। आपको याद रखना चाहिए। अब कृपया बैठ जाइए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उनका वक्तव्य गैर-जिम्मेदाराना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यहां की व्यवस्था करना आपका का काम नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर जी और वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा है मैं इससे सहमत हूं। मैंने माननीय सदस्य को सचेत किया था कि उन्हें पुष्टि कराने के बाद ही ऐसा वक्तव्य देना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के सम्बन्ध में ही वक्तव्य नहीं दिया अपितु अन्य राज्यों के नाम भी उसमें सम्मिलित कर लिये। यह बहुत संवेदनशील मामला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और सचेत भी करता हूं कि आप को ऐसे संवेदनशील मामलों को पुष्टि कराये बिना इस सभा में नहीं उठाना चाहिए।

श्री राम कापसे : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री राम कापसे : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे वक्तव्य के साथ कार्यवाही वृत्तान्त में रहेगा।

(**व्यवधान**)

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : यह कोई साधारण मामला नहीं है।...(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय देश में गलत जानकारी जायेगी।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों की सिर्फ बोलने की इच्छा है। हमने जो कहा है

[**अनुवाद**]

वह पर्याप्त है।

[**हिन्दी**]

श्री राम नाईक : ठीक है, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।. ..(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मेरा काम काम्पलीकेटिड मत कीजिए।

[**अनुवाद**]

आप वहां के हैं, इसलिये मैंने आपको अनुमति दी थी। परन्तु श्री वाजपेयी के वक्तव्य के पश्चात् अब यह आवश्यक नहीं है।

[**हिन्दी**]

श्री राम नाईक : ठीक है, मैं बैठ जाता हूं...(**व्यवधान**)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, वहां के मुख्य मंत्री जी का इंटरव्यू छपा है।...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी, आप एक दिन रुक जाइए। आपको जानकारी मिल जायेगी। यदि यह बात सच हुई तो मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति दे दूंगा। परन्तु यदि यह सच नहीं है तो अनावश्यक उत्तेजना पैदा करना उचित नहीं।

[**हिन्दी**]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : श्रीमन् मैं इन्स्टीगेट नहीं कर रहा हूं।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप एक दिन रुक जाइए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए और यदि आवश्यक हुआ तो कल वक्तव्य दे दीजिए।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, वह कह रहे हैं परमिट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। हमारे इलाके के लाखों आदमी बम्बई में रहते हैं।...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी, आपको बोलने में खुशी मिलती है। परन्तु आपको समाज में विष घोलने में भी खुशी मिलती है।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महोदय, पॉयजन करने की बात नहीं है।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप एक दिन प्रतीक्षा कीजिए और जानकारी प्राप्त कर लीजिए और यदि आप चाहेंगे तो आप इस मामले को उठा सकते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री पी.जी. नारायणन : यह बहुत गम्भीर मामला है। भारतवासियों के लिये परमिट सिस्टम लागू करने का प्रयास कोई साधारण बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सच है तो यह बहुत गम्भीर मामला है। आप भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और फिर भी यदि चाहे तो कल इस विषय पर बोल लीजिए। यदि यह सच हुआ तो मैं आपको अनुमति दूंगा। यदि सच न हुआ तो अनावश्यक उत्तेजना पैदा करना उचित नहीं होगा।

स्वयंदून लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, समूचे देश से लगभग 1000 सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी दिल्ली में इकट्ठे

हुए हैं। वे नेशनल एक्स-सर्विसमैन कोआर्डिनेशन कमेटी के नाम से इकट्ठे हुए हैं। उनके साथ कुछ युद्ध विधवाएं हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमण के विरुद्ध इस राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने पति खो दिए। उनके साथ दूसरे विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सैनिक भी हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो गयी है। उनके साथ कुछ विक्लांग व्यक्ति भी हैं जिनके अंग कट गये थे। एक व्यक्ति के विदेशी आक्रमण के विरुद्ध देश की रक्षा करते हुए एक आंख और दोनों बाहें चली गयी। वे अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए आए हैं। वे कल आये थे उन्होंने एक जलूस निकाला और वे बारी-बारी से अनशन कर रहे हैं। आज मुझे पता चला है कि उनमें से पांच व्यक्तियों ने आज अनिश्चित काल के लिये अनशन आरम्भ कर दिया है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उनकी शिकायतों को सुनें और उनकी मांगें तुरन्त पूरा करने के लिये रक्षा राज्य मंत्री को निर्देश दें जिससे और तनाव न बढ़े।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस त्रासदी को हुए एक दशक से अधिक हो चुका है लेकिन आज भी उसकी भयावहता को याद करके लोग सिहर जाते हैं। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वहां का दौरा किया और उन्होंने यूनियन कारबाईड के परिसर में जो घास बड़ी हो गई है उसमें रसायनिक पदार्थ, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, के कुछ अंश होना बताया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसके कारण आने वाले समय में और ज्यादा भयानक त्रासदी होने की वहां संभावना खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और यह कहा है कि इस प्रकार के रसायनिक द्रव्यों की मौजूदगी में वहां पर कोई घटना घट सकती है, इसलिए ऐसी कार्यवाही की जाए ताकि उनका प्रभाव नष्ट किया जा सके और होने वाले किसी संकट से लोगों को बचाया जा सके। आज भी वहां पर उस परिसर में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां सुरक्षा गार्ड भी जाने की हिम्मत नहीं करता और वहां पर इतने जहरीले जंतु भी प्रवेश कर गए हैं जिनके कारण किसी प्रकार की दुर्घटना संभावित है।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बारे में, जब कि राज्य सरकार ने भी आग्रह किया है वहां इतनी भयानक स्थिति है, सरकार आवश्यक कदम उठाए और इस सदन को अवगत कराए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने,...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कीजिए।

श्री मोहन रावले : महोदय, मैं मुंबई के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी यहां बार-बार कह चुके हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी भी वहां नही आए। मनोहर जोशी जी और गोपीनाथ मुंडे जी वहां आए। वे प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्होंने मान लिया कि बम्बई का नाम मुंबई होना चाहिए। बनारस का वाराणसी नाम रखा गया है। मुत्रा का मथुरा हुआ है। टेंजोर का तंजावर हुआ है। बड़ौदा का बड़ोदरा हुआ है। त्रिवेन्द्रम का तिरूवनंतपुरम हुआ है। तिरूचिरापल्ली का तिरचनापल्ली हुआ है। ये सब नाम बदले गए हैं। यूनेस्को में जो इंटरनेशनल मैप है उसमें भी बम्बई का मुंबई नाम लिखा हुआ है।

इंटरनेशनल यूनेस्को मैप में भी मुंबई नाम है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी मुंबई लिखा हुआ है। एक गुजराती का न्यूज पेपर है जो बहुत पुराने समय से चल रहा है, उसका नाम भी मुंबई समाचार है, प्रधान मंत्री जी ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है, फिर बंबई का नाम बदल कर मुंबई क्यों नहीं रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 1985 में मुंबई नगर के सभी सदस्यों ने, जिसमें सभी दलों के सदस्य शामिल थे, इस संबंध में एक प्रस्ताव पास करके बंबई का नाम मुंबई कर दिया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय लिया जाए और बंबई का नाम मुंबई किया जाए।

श्री अयूब खां (झुंझनू) : जनाबे सदरे मोहतरम, श्री कमल चौधरी जी ने जिस सवाल को यहां पर उठाया है, जो कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं से संबंधित है, मैं उनका समर्थन करता हूं। वन रैंक वन पेंशन की मांग लंबे समय से चली आ रही है, थोड़ी तादाद में लोग हैं, कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक हैं, जिनको बिल्कुल पेंशन नहीं मिलती है, यह उनकी ज्वलंत समस्या है, जिसकी वजह से आज वे धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को शीघ्र मंजूर किया जाए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में मैं सरकार का ध्यान पिछले 4 वर्षों से आकर्षित करता रहा हूं, लेकिन जो अन्याय और धोखाधड़ी इनके साथ की गई है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। वन रैंक, वन पेंशन का झुंझुना दिया गया, लेकिन उसमें कई खामियां थीं, जिनके बारे में समय समय पर मैंने प्रधान मंत्री जी का और रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, बराबर लिखता रहा हूं। एक सचिव स्तर की कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिशों में भी बहुत हेरा-फेरी की गई और ऐसी-ऐसी चीजें उसमें रख दी गई, जिनका इस समस्या से कोई ताल्लुक नहीं था। इस संबंध में मैं बराबर सरकार से पत्र-व्यवहार करता रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज नतीजा यह है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने कभी यूनीफार्म पहनी थी, आज वे झंडा और डंडा लेकर सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। मैंने बार-बार इस बात को कहा है कि यह अच्छी बात नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, उनको मजबूर मत करिए कि उनको इस मैदान में आना पड़े, जिसमें आप और हम फंसे हुए हैं। हम जानते हैं कि कितनी गंदी राजनीति आज की हो गई है। मेरा नम्र निवेदन है कि भूतपूर्व सैनिकों को अपनी शतरंज की गोटी मत बनाइए, उनकी जो जेनविन प्राब्लम्स हैं, उनको देखिए। इस सदन में भी कई भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे सुझाव

लेकर कोई न्यायोचित बात कीजिए। आज जिस चीज के लिए भूतपूर्व सैनिकों को मजबूर होना पड़ रहा है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक संसदीय समिति बनाकर इस समस्या का समाधान कीजिए। ब्यूरोक्रेट्स के जरिए यह काम होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

ब्यूरोक्रेट्स उनको कुछ देने या उनकी समस्या का समाधान करने के इच्छुक नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप इन लोगों को धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृपा करके इसके लिये एक संसदीय समिति बनाइए। यही मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

यह भूतपूर्व सैनिकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

डा. वी. राजेश्वरन (रामनाथपुरम) : रामेश्वरम के मछियारों के जीवन को निरन्तर खतरा बना रहता है। महोदय, 18-3-1995 को रामेश्वरम के तटवर्ती क्षेत्र में श्रीलंका की नौ-सेना ने हमारे मछियारों पर आक्रमण किया। वर्ष 1990 और 1995 के बीच हमारे मछियारों पर 72 बार जोरदार आक्रमण किये गये। लगभग 40 मछियारों की हत्या कर दी गयी, करोड़ों रुपये मूल्य की मछली, नौकाओं और जालों की क्षति हुई। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार हमारे मछियारों की सुरक्षा के लिये समुचित कार्यवाही करे और प्रभावित मछियारों को आवश्यक मुआवजा देने की कृपा करें। सरकार को कच्चाटिवू द्वीप सम्बन्धी भारत-श्रीलंका समझौता निरस्त करने पर भी विचार करना चाहिए। महोदय, रामेश्वरम द्वीप में मछियारा समुदाय के जमाव को कम करनें के विचार से रामनाथपुरम जिले में मूकलयूर फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट को कार्यरूप देना चाहिए।

श्री पी.जी. नाराचणन : श्रीलंका की नौ-सेना भारतीय मछियारों पर निरन्तर आक्रमण करती रहती हैं। यह बात वर्ष 1974 के समझौते के विरुद्ध है।

1.00 म.प.

सरकार से अपील करनी होगी कि कच्चाटिवू द्वीप भारत को लौटाया जाना चाहिए। वर्ष 1974 के समझौते के अनुसार भारतीय मछियारे कच्चाटिवू के आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ने जा सकते हैं। वे वहां पर मछली पकड़ने वाले जाल सुखा सकते हैं, आदि-आदि। परन्तु उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनः विचार करे। भारतीय मछियारों के संरक्षण के हित में कच्चाटिवू भारत को लौटाया जाना चाहिए।

1.01 म.प.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

रेलवे रैड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1994

रेल मंत्री (श्री सी.के. चाफर शरीफ) : मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेलवे रैड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1994, जो 14 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7115/95]

वर्ष 1995-96 के लिये पर्यटन विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से वर्ष 1995-96 के लिए पर्यटन विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7116/95]

भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7117/95]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 1995, जो 3 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 2(4)/93 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (पहला संशोधन) विनियम, 1995, जो 17 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 41-2/87 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7118/95]

बाट और माप मानक (प्रतिमानों का अनुमोदन) संशोधन नियम, 1995

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (प्रतिमानों का अनुमोदन) संशोधन नियम, 1995, जो 16 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7119/95]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री कमलनाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7120/95]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7121/95]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7122/95]

नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियां) विनियम, 1994 आदि

मानव संसधान विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :-

(एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7123/95]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियां) विनियम, 1994, जो 16 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (फीस के लिए मानदंड और दिशा-निर्देश तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों में दाखिले हेतु दिशा-निर्देश) विनियम, 1994, जो 26 मई, 1994

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7124/95]

(4) (एक) महिला समता सोसायटी, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समता सोसायटी, आन्ध्र प्रदेश के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7125/95]

(5) (एक) महिला समाख्या, गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या, गुजरात, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7126/95]

(7) (एक) लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुम्बिश परिषद्, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7127/95]

(9)(एक) महिला समाख्या सोसायटी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या सोसायटी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7128/95]

(11)(एक) महिला समाख्या सोसायटी, कर्नाटक के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या सोसायटी, कर्नाटक के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7129/95]

(13)(एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, राउरकेला के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, राउरकेला के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7130/95]

(15)(एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7131/95]

(17)(एक) व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7132/95]

(19) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 और 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7133/95]

(21) नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7134/95]

(23)(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7135/95]

01.02 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा ने 20 मार्च, 1995 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा, 19 दिसम्बर, 1994 को पारित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन), विधेयक, 1994 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है :

अधिनियमन सूत्र

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'पैंतालीसवें' शब्द के स्थान पर 'छियालीसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।" (1)

खंड 1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, '1994' के स्थान पर 1995 प्रतिस्थापित किया जाये।" (2)

खंड 5—नई धाराएं 4ग, 4घ और 4ङ का अन्तःस्थापन

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 16, '1994' के स्थान पर '1995' प्रतिस्थापित किया जाये।" (3)

"कि पृष्ठ 3, पंक्ति 11, '1994' के स्थान पर '1995' प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

खंड 21—निरसन एवं व्यावृति

कि पृष्ठ 12, पंक्ति 22 और 23 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये :—

1995 का अध्यादेश (2) "21 (1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।" (5) निरसन एवं व्यावृति

इसलिये मैं, राज्य सभा में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसार उपरोक्त विधेयक इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि वह इन संशोधनों पर लोकसभा की सहमति के बारे में इस सभा को सूचित करे।

राज्य सभा में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों के नियम iii के उपबन्धों के अनुसार मुझे बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) संशोधन विधेयक, 1995 की एक प्रति भेजने का निर्देश मिला जिसे राज्य सभा ने 20 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में पारित कर दिया है।

01.02 ½ म.प.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक-राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में

और

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय मैं भारतीय औद्योगिक (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसाकि राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किया गया है और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक की जैसाकि राज्य सभा द्वारा 20 मार्च, 1995 की अपनी बैठक में पारित किया गया, सभा-पटल पर रखता हूं।

01.03 म.प.

लोक लेखा समिति

84वां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं लोक लेखा समिति (दसवीं लोकसभा) के उन्नत हल्के हैलीकाप्टर का डिजाइन और विकास के बारे में अठासवनवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में यह चौरासीवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

01.03½ म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

11वां, 12वां, 13वां और 14वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पर ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) समिति (1993-94) के आकाशवाणी से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1992 के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

[हिन्दी]

01.04 म.प.

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

01.04½ म.प.

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : मैं प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोकसभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

01.05 म.प.

दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों द्वारा सभा की अवमानना के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को ज्ञात है कि 20 मार्च, 1995 को करीब 3.45 बजे दर्शक, जो अपने आप को राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा, अफजल अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद, शंकर लाल महरोत्रा पुत्र स्वर्गीय श्री सुन्दर लाल महरोत्रा, महेन्द्र महूरिया पुत्र श्री राम सेवम महूरिया, अनवर हुसैन पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद इल्यास, निर्मल मिश्रा पुत्र श्री ईश्वर चन्द मिश्रा, परमेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री राजनारायण दीक्षित, हरि मोहन पुत्र श्री एल.सी. विश्वकर्मा और राजेश शुक्ला पुत्र श्री मधु सूदन शुक्लाजब बतलाते हैं, ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाने का प्रयत्न किया। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। इन दर्शकों ने अपने बयान दिये किन्तु उन्होंने अपने कृत्य के लिए खेद व्यक्त नहीं किया।

मैं इसे यथोचित कार्यवाही के लिये सभा के ध्यान में लाया हूं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, यह एक असाधारण घटना है और इसे यथासम्भव उभरने नहीं देना चाहिए। इसलिये, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि वे व्यक्ति जो अपने आपको राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा, अफजल अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद, शंकर लाल महरोत्रा पुत्र स्व. श्री सुन्दर लाल महरोत्रा, महेन्द्र महूरिया पुत्र श्री राम सेवम महूरिया, अनवर हुसैन पुत्र स्वर्गीय श्री

मोहम्मद इल्यास, निर्मल मिश्रा पुत्र श्री ईश्वर चन्द मिश्रा, परमेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री राजनारायण दीक्षित, हरि मोहन पुत्र श्री एल.सी. विश्वकर्मा और राजेश शुक्ला पुत्र श्री मधु सूदन श्रीवास्तव बतलाते हैं तथा जिन्होंने 20 मार्च, 1995 को अपराह्न 3.45 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाने का प्रयत्न किया और जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है और सभा की अवमानना के लिए दोषी पाए गए हैं। यह सभा आगे संकल्प करती है कि उनको 22 मार्च 1995 के 6 बजे शाम तक के साधारण कारावास का दंड दिया जाये और तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में भेज दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा, अफजल अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद, शंकर लाल महरोत्रा पुत्र स्व. श्री सुन्दर लाल महरोत्रा, महेन्द्र महरिया पुत्र श्री राम सेवम महरिया, अनवर हुसैन पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद इल्यास, निर्मल मिश्रा पुत्र श्री ईश्वर चन्द मिश्रा, परमेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री राजनारायण दीक्षित, हरि मोहन पुत्र श्री एल.सी. विश्वकर्मा और राजेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री मधु सूदन श्रीवास्तव कहने वाले व्यक्तियों जिन्होंने 20 मार्च, 1995 को अपराह्न 3.45 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाने का प्रयत्न किया और जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है और वे सभा की अवमानना के लिए दोषी पाए गए हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उनकी 22 मार्च 1995 के 6 बजे शाम तक के साधारण कारावास का दंड दिया जाये और तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में भेज दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने नारे लगाये, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं। इस तरह की प्रवृत्तियों को निरूत्साहित किया जाना चाहिए। यह घटना कल घटी, इसे कल ही क्यों नहीं सदन के सामने लाया गया? वे रात भर कहां थे, उनकी स्थिति क्या थी, क्या उनको कारागार भेजा गया था? मैं समझता हूं कि आज शाम तक के लिए उन्हें दण्डित किया जाना पर्याप्त होना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कल यह घटना ऐसे समय हुई कि जब तक उनसे पूछताछ नहीं हो जाती तब तक सदन के सामने लाना सम्भव नहीं था। पूछताछ खत्म हुई, तब सदन की बैठक समाप्त हो चुकी थी। इसलिए इसको आज रखा गया है। जहां तक मेरी सूचना है वे लोग कल वाच एंड वार्ड की कस्टडी में रहे। सदन का कोई निर्णय इस पर नहीं हुआ था इसलिए सदन के निर्णय की प्रतीक्षा में उनको वाच एंड वार्ड के साथ रखा गया। आज सदन का निर्णय हो जायेगा तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

जैसाकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है, मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनायें कम से कम भारत की संसद में नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी घटनायें होती हैं तो उसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है। जिन माननीय सदस्यों के द्वारा बनवाये गये पास के आधार पर वे यहां आते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे इसे देखें। क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है, कोई कारण वे उचित मानते हों, लेकिन इस तरह से सदन में बाहर से लोग आकर व्यवधान डालें इसके लिए कम से कम जो हो सकता है, आज हम उसे तय करेंगे, मैंने जो कहा है वह कल शाम तक के लिए कहा है। जिससे आगे ऐसी कठिनाइयां न आयें। मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले में जो हम निर्णय लेंगे, उससे आगे चलकर ऐसी बात फिर न हो। जिन माननीय सदस्यों ने इनको यहां आने का पास दिया उनको भी थोड़ी जिम्मेदारी से कबूल करना चाहिए कि आइंदा सोच-समझकर काम करें। हम भी गांव से आते हैं, ऐसी गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि जानबूझकर किया होगा। उन माननीय सदस्यों की जानकारी के बिना भी हो सकता है ऐसा हुआ हो। हम लोगों को इसके बारे में जिम्मेदारी मानकर ऐसा काम करना चाहिए जिससे आगे ऐसी घटनायें न हों। कोई बाहरी आदमी यहां व्यवधान न डाल सके। इसके लिए दो दिन बहुत नहीं होते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसमें मैं संशोधन पेश कर रहा हूं कि जो लोग अपराधी पाये गये हैं, उन्हें जो दंड दिया जा रहा है वह आज समाप्त समझा जाये।

कल रात में वे जेल की हवा खा रहे थे। उनके लिये क्या संसद भवन को जेलखाना बनाया गया था?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी कमरे में आराम से रखा होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये कल शाम तक की बात कह रहे हैं। तो क्या कल शाम तक उनको संसद भवन के कमरे में आराम से रखा जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं कि आज शाम को इसको समाप्त कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ऐसी है जो सब की राय से करते हैं मगर यह हाऊस में रिपीट हो रहा है। न सिर्फ गैलरी से बोलने वालों की जिम्मेदारी है बल्कि हम पास देने वालों की भी जिम्मेदारी है। अगर

आप पास ऐसे देंगे जिनके बारे में जानकारी नहीं है और यहां हाऊस में ऐसा हो गया तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि सांसदों को यह जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। जो पास दिये गये हैं उनपर न सिर्फ संसद सदस्यों ने बल्कि उस पर विप ने भी दस्तखत किये हैं। यह ठीक नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको दुरुस्त किया जाये। आपने कह दिया कि मैं जानता हूं मगर मैं हाउस में यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सर्वसम्मति से करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप संशोधन मान लीजिये शुक्ला जी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। इसलिये उन्होंने जो बात कही है, वह मंजूर करते हुये उस मांग से मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को सभा मतदान के लिये रखूंगा और सभा उससे सहमत होगी। मेरे विचार में वह उसमें उपयुक्त संशोधन करेंगे।

उन्हें कितने समय तक का साधारण कारावास का दंड दिया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : 'आज सभा के उठने तक'।

अध्यक्ष महोदय : क्या 21 मार्च 1995 के सायं 6 बजे तक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनको 4 घण्टे के लिये दोबारा तिहाड़ जेल भेजना होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, आज सभा के उठने तक बेहतर रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : अर्थात सांय 6 बजे तक और फिर उन्हें तिहाड़ जेल भेजना पड़ेगा।

अतः इस आज 2.00 बजे म.प. अथवा 1.30 म.प. तक रहने दो जिससे वे जा सकें क्योंकि उन्हें एक दिन और एक रात यहां पर रहना है अन्यथा उनको जेल मे भेजना पड़ेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ठीक है जी,

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी जो चाहते थे, उससे यह बेहतर प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्रीकान्त जेना (कटक) : यह आपका अमेंडमेंट है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उस शर्त के साथ जिसका उल्लेख मैंने पहले कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती हैं कि वे व्यक्ति जो अपने आपको राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा, अफजल अहमद पुत्र श्री इश्तियाक अहमद, शंकर लाल महरोत्रा पुत्र स्वर्गीय श्री सुन्दर लाल महरोत्रा, महेन्द्र महूरिया पुत्र श्री राम खेवम महूरिया, अनवर हुसैन पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद इलयास, निर्मल मिश्रा पुत्र श्री ईश्वर चन्द मिश्रा, परमेन्द्र कुमार दीक्षित पुत्र श्री राज नारायण दीक्षित, हरी मोहन पुत्र श्री एल. सी. विश्वकर्मा और राजेश शुक्ला पुत्र श्री मधु सूदन श्रीवास्तव बतलाते है तथा जिन्हों ने 20 मार्च 1995 को अपराह्न 15.45 बजे दर्शकदीर्घा से नारे लगाने का प्रयास किया और जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गम्भीर अपराध किया है और सभा की अवमानना के दोषी पाये गये हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें 21 मार्च 1995 के 1.30 बजे म.प. तक के साधारण कारावास का दंड दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

01.14 ½ म.प.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल के बारे में

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मै अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल सम्बन्धी मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। कल, यदि मैंने आपको गलत नहीं समझा, तो आपने टिप्पणी की थी अथवा सरकार से अनुरोध किया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में रेजिडेंट डाक्टरों की चल रही हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य शीघ्र दिया जाना चाहिए। अब 45 दिन से अधिक समय हो गया है। रोगियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और रेजिडेंट डाक्टरों की मांगों के बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई।

रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल जो मेरे विचार में एक वरिष्ठ डाक्टर की बिना जांच के अचानक बर्खास्तगी को लेकर शुरू हुई थी अब 6 सप्ताह से अधिक समय से चल रही है। यह इस रूप में बहुत अधिक है कि हड़ताल में भाग लेने के कारण लगभग 100 डाक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। परन्तु हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्राधिकारियों, सरकार अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी शिकायतों के बारे में डाक्टरों के साथ किसी किस्म की कोई सार्थक बातचीत की है जिससे कि मामला शीघ्र सुलझ सके। इसीलिये मैं आपकी टिप्पणी का समर्थन करता हूं जो आपने कल की थी कि सरकार को एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए। अब क्या स्थिति है? यह मामला शीघ्र सुलझाये जाने की क्या सम्भावनाएं हैं और सरकार इस मामले में किस प्रकार की पहल करने को तैयार है?

दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता हुआ था। मैंने देखा है उस पर निदेशक तथा अन्य लोगों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं। अब प्राधिकारी उससे मुकर रहे हैं। रेजिडेंट डाक्टर उस पर कायम रहने के लिये सहमत हैं और हड़ताल समाप्त करने के पक्ष में है बशर्ते कि समझौते का पालन किया जाये। परन्तु अब दूसरा पक्ष इससे मुकर रहा है कि उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ... (व्यवधान) हजारों लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहिए...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, जैसा कि आपने निदेश दिया था, आपका निदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया था। उन्होंने कुछ कार्यवाही की है और वे सभा को पूरी रिपोर्ट देना चाहते हैं। इसलिये वे इस मामले पर कल वक्तव्य देने के लिए सूचना भेज रहे हैं जिसमें मामले की पूरी तस्वीर होगी और संभवतः उसके समाधान का भी उल्लेख होगा। इस प्रकार का वक्तव्य दिया जायेगा।

वक्तव्य आज नहीं दिया जा रहा। मैंने इस मामले में अपने सहयोगी डा. सिल्वेरा से विचार विमर्श किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ समाधान निकल आयेगा और कल प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य दे दिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में, इस वक्तव्य को देखते हुए, इस मामले पर कल विचार किया जा सकता है।...

(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : सरकार चुपचाप बैठी है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

01.17 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक पदार्थों, विशेष रूप से प्लास्टिक और धातु की कतरनों के जमाव को रोकने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, हमारे देश में जिस खतरनाक ढंग से प्लास्टिक और धातु कतरनों का जमाव किया जाता है, उस ओर सरकार का तत्काल ध्यान दिलाये जाने की आवश्यकता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एण्ड ग्रीनपीस द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 1990 से लेकर भार में 40 करोड़ टन कतरन भारत में पहुंच गयी है। ये अत्यधिक हानिकारक विष उत्पादक प्लास्टिक और धातु कतरन तथा कीटनाशक अवशेष बेरोकटोक देश में आ रहे हैं जिससे पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति हो रही है। यह हानिकारक कतरनों का जमाव विश्वव्यापी जागरूकता के बावजूद हो रहा है, जिनकी आयात पर अफ्रीका और कैरिबियन देशों में भी प्रतिबंध लगा हुआ है।

यह पता चला है कि केरल में कोचीन से दूर वयपीन द्वीप समूह में कूड़ाकर्कट से बिजली पैदा करने के लिए इनसिनरेटर स्थापित किया गया है। इस परियोजना के संचालन के लिए अमरीका से प्रतिवर्ष 15 लाख टन कूड़ा कर्कट आयात किया जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे देश में पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक विषैली कतरनों का जमाव बन्द करने हेतु कानून बनाने के लिए तत्काल कदम उठाये।

(दो) बंगलौर तथा तुमकुर के बीच एक नयी शटल रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता

श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : महोदय, कर्नाटक की जनता, विशेषकर तुमकूर और संलग्न जिलों के लोगों की यह मांग काफी लंबे समय से रही है कि बंगलोर और तुमकुर के बीच एक शटल गाड़ी चलायी जाये।

तुमकुर कर्नाटक का महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। इसके अतिरिक्त वहां पर अनेक शिक्षण संस्थाए जैसे बी. ऐड कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज आदि हैं। पावन स्थान सिद्धगंगा भी वहां है। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी कर्मचारी जो बंगलौर में काम करते है, तुमकुर में रहते है।

इसलिये छात्र, कारखाना कर्मचारी, तीर्थ यात्री, सरकारी कर्मचारी, किसान और अनेक अन्य लोग तुमकुर और बंगलौर के बीच पूरी तरह से रेल यात्रा पर ही निर्भर करते है। कर्नाटक में यह सबसे अधिक आबादी वाला मार्ग है। सड़क यातायात की बहुत भीड़ होती है और विशेषकर नीलमंगला के निकट लगभग प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती

है। हमने माननीय मंत्री को इस संबंध में अनेक प्रत्यावेदन भेजे है। परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इसलिये मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बंगलौर और तुमकुर के बीच एक नयी शटल रेलगाड़ी तुरन्त चलायी जाये।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सलेमपुर स्थित जे. के. पैट्रो-केमिकल्स परियोजना को शीघ्र शुरू किये जाने की आवश्यकता

डा. लाल बहादुर रावत (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के अंतर्गत सलेमपुर में जे.के. पैट्रोकैमिकल्स परियोजना की स्थापना किए जाने की घोषणा विगत 10 वर्ष पूर्व की गयी थी जिसको प्रारंभ किए जाने हेतु सलेमपुर में एक कार्यालय की स्थापना भी की गयी लेकिन अभी तक यह परियोजना कार्यान्वित नहीं हुई है। स्थानीय बेरोजगारों को एक आशा की किरण दिखायी दी थी कि क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा किन्तु स्थापना न होने से उनकी आशाओं पर कुठाराघात हो रहा है। इस कारण से लोगों में क्षोभ व्याप्त है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सलेमपुर से उक्त परियोजना की शीघ्र स्थापना किये जाने के लिए ठोस कार्रवाई करके क्षेत्रीय नागरिकों/बेरोजगारों को लाभान्वित कराने का कष्ट करेंगे।

(चार) अफीम उत्पादकों विशेष रूप से मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की अफीम काश्त के संबंध में नीति के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लाखों अफीम उत्पादक अत्यधिक संकट में है। उन्हें जहां उनके उत्पादन का सरकार द्वारा समुचित भाव नहीं दिया जा रहा वहीं प्राकृतिक प्रकोप या फसल में रोग के कारण होने वाली हानि को अनदेखा कर उनके लाइसेंसेज निरस्त किये जाते है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में ही उत्पादकों की संख्या 90 हजार से अधिक है, जिनके उत्पादन से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है वहीं इसके सह-उत्पादन का औषधि के रूप में प्रयोग होने से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है। इस वर्ष इस फसल में रोग के कारण औसत उत्पादन में कठिनाई है जिसे सरकार द्वारा देखा जाना जरूरी है। साथ ही एक सुस्पष्ट नीति की आवश्यकता है। सरकार को विदेशी अनुबंध के तहत बड़ी मात्रा में अफीम निर्यात करना है। अतः इस दृष्टि से उत्पादकों की समस्याओं का समाधान जरूरी है।

मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि इस बारे में अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे लाखों उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर इस वर्ष फसल में लगे रोग व प्रकोप से हुई फसल हानि को देखकर औसत उत्पादन के बारे में निर्णय ले व किसानों के हितों का संरक्षण करे।

[अनुवाद]

(पांच) सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री चितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं अलीपुरद्वार रोड स्टेशन, जलपाईगुड़ी जाने वाली सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि अलीपुरद्वार जंकशन सहित, जोकि उस क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है, समूचे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन सके। इस मामले को लेकर इस क्षेत्र की जनता में काफी रोष है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.30 बजे म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

01.22 म.प

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

02.34 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.34 बजे म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर चर्चा स्थगित करने हेतु पूरक कार्य-सूची के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह पेटेंट (संशोधन) अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के लाखों लोग इससे जुड़े हैं। हमने कुछ टिप्पणियां की हैं और श्री रूपचन्द पाल ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। लगभग पूरी सभा की यह राय है कि यह संशोधन हमारे राष्ट्र के हित में नहीं हैं। इसलिये हमारे विचार में इस सभा द्वारा यह विधान पास नहीं किया जान चाहिए।

श्री राम नाईक (बंबई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य सूची के अनुसार विधेयकों पर चर्चा की

जाती है। मंत्री महोदय को कल पेटेंट विधेयक का उत्तर देना था और चर्चा पूरी की जानी थी। परन्तु अब यह क्या हो रहा? अब अचानक पूरक कार्य-सूची कैसे आ रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। पूरक कार्य-सूची आपके हाथों में है...

श्री राम नाईक : हम जानना चाहते है कि यह कैसे हुआ। मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित क्यों नहीं। सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए। यह तो नहीं होना चाहिए कि वे आयें और जैसे चाहे, कार्य सूची को बदल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरक कार्य-सूची परिचालित की गयी है।

श्री राम नाईक : जी, हां। यह परिचालित की गयी है। पूरक कार्य सूची आ गयी है। परन्तु यह किस बात की द्योतक है?

अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय का भाषण पूरा हो जाने तक कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। संभव है कि सरकार को इस बात की आशंका हो कि विधेयक को पास करने के लिये उनके सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हम उनकी स्थिति जान गये हैं। परन्तु बात यह है कि मंत्री महोदय का भाषण पूरा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात किसी दूसरे विषय को लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर कुछ समय बाद विचार किया जा सकता है। पहले हम पूरक कार्य सूची पर विचार कर लेते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : सदन की ऐसी उपेक्षा कैसे हो सकती है? सभा की राय भी प्राप्त नहीं की गयी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जायेंगे? मंत्री महोदय खड़े हैं। आप उनकी बात को सुनो।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : क्या आप अध्यादेश वापस ले रहे है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं आपको बताता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह पूरक कार्य-सूची है। यदि आप इसका विरोध करते है तो मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे। वह आपको बतायेंगे कि पूरक कार्य सूची लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। आप कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने आज प्रातः विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत की थी। हमने भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। हम वामपंथी दलों और इस सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी अन्य दलों को भी विश्वास में लेना चाहते है।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप हमें विश्वास में लेना चाहते हैं। किस बारे में?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परामर्श करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। मैं सभा से अनुरोध करना चाहता हूं कि पेटेंट विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाये और पहले अन्य कार्य कर लिया जाये।...**(व्यवधान)** कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और फिर आप अपने विचार रख सकते हैं। हम सभा से अनुरोध करते है कि पेटेंट विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर के पूरक कार्यसूची में उल्लिखित कार्य को कर लिया जाये जिससे चल रही परामर्श की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आज प्रातः शून्य काल से पूर्व, परामर्श करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। राज्य सभा में भी यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसलिये हमने अनुरोध किया है कि इस विधेयक को कल तक के लिये स्थगित किया जाये। इस बीच पूरक कार्य-सूची में सम्मिलित अन्य विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। हम विपक्ष के माननीय नेताओं के साथ परामर्श कर रहे हैं। हम उनको इस बात के लिए सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाना क्यों आवश्यक है, मुख्य बात यह है। हमने अध्यक्ष महोदय को भी यह बात बता दी है। सभा इस मामले को तय कर सकती है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अभी बोल रहे हैं। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। उनको कुछ कहना है। आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मेरी बात पूरी हो गयी है। ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मंत्री महोदय ने कहा कि वह परामर्श करेंगे और फिर कार्य सूची में परिवर्तन करेंगे। हमें पहले ही पता चल गया है कि उन्होंने बिना परामर्श किये क्या निर्णय कर रखा है। अतः यह बहुत आपत्तिजनक बात है। निर्णय करने से पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्णय कर लिया है। उन्होंने पहले ही सोच रखा है कि सभा सहमत हो जायेगी और हमें बता दिया है कि क्या करना है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा भी करना था, तो आज की कार्यसूची में और क्या है जिस पर पहले विचार करने का प्रस्ताव है। अब आप किसी नयी मद पर विचार नहीं कर सकते। इसलिये यह पूरक कार्यसूची जारी करने से पहले परामर्श क्यों नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः आप यह जानना चाहते है कि यह किन परिस्थितियों में किया गया।

श्री सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, वे पहले से मान कर चलते है कि सभा की सहमति मिल जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस समय सुन नहीं रहे थे जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे।

(व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : वह किस प्रकार का परामर्श हमारे साथ करना चाहते है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी कुछ कह रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभा में अशान्ति है। आप उनकी बात सुन लीजिए कि वह इस विषय से संबंधित है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय : हम अपने स्थान पर बैठ रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, कृपया बैठ जाईए।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार ने स्थिति से कितने गलत ढंग से निपटा है। सरकार एक महत्वपूर्ण विषय से इतने गलत ढंग से निपटने के बाद उस पर पर्दा डाल रही है। यदि परामर्श करने की प्रक्रिया जो सरकार हमसे या हमारे मित्रों से करना चाहती थी तो निश्चय ही यह परामर्श प्रक्रिया लगभग उस अंतिम दौर पर आरंभ नहीं होनी चाहिए थी जब विधेयक पर मतदान होने वाला है। यह इस सरकार की पूर्ण अक्षमता और दूरदर्शिता की कमी का अभूतपूर्ण उदाहरण है। यह पहली बात है।

02.42 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, मैं निवेदन कर रहा था और यदि पुनरावृत्ति न समझी जाये तो मैं वही बात आपके समक्ष कहूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं यहीं पर था।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं समझ गया। वास्तव में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मेरी सहानुभूति है क्योंकि उनकी सरकार की पूर्ण अक्षमता की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, इसलिये मैं उनकी असमंजस की स्थिति को समझता हूं।

अब यदि सरकार हमारे साथ परामर्श करना चाहती थी, निश्चय है यह परामर्श कोई ऐसी चीज नही थी जिसे उसी समय आरंभ किया जाना था जब विधेयक पर मतदान होने वाला था। मंत्री महोदय खड़े थे, उन्होंने उत्तर देना आरंभ कर दिया था और चूंकि समय की कमी के कारण सभा स्थगित होने वाली थी, यह कहा गया कि "वह कल जारी रखेंगे"। यह 'कल' आज और अब है।

अब अचानक हमें पूरक कार्य-सूची दे दी जाती है और संसदीय कार्य मंत्री आते हैं और कहते हैं जो कुछ आपने ने कहा है, उसे रोक दो, अब इस पर विचार किया जाये; जिससे हम अर्थात सरकार अंतरिम परामर्श के माध्यम से अपनी अक्षमता पर पर्दा डाल सके और स्पष्ट ही काफी खराब हालत से निकलने का कोई तरीका निकाल सके। मेरा निवेदन यह है कि यदि नियमों का अनुसरण किया जाता है, आप नियमों के संरक्षक है—निसंदेह पूरक कार्यसूची एक साधन है जिससे हम सभा में पूरक कार्य के लिए ले सकते हैं परन्तु सभा पूरक कार्य को सभा की अनुमति से कर सकती है। सरकार अचानक आ कर हमें पूरक कार्य सूची देते हुए यह नहीं कह सकती "अब इसको करो, उसको मत करो जो पहले से निर्धारित है या जो सभा में चल रहा है।" सरकार की अपनी अक्षमता को स्पष्ट करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, मैं स्पष्ट करने के लिये ही आया हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, यह तो सरकार को स्पष्ट करना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस मामले में, संभवतः मुझे सभा को स्पष्ट करना है। यह कठिनाई मुझे बताई गई थी। सरकार ने कहा वे अन्य दलों के नेताओं तथा सदस्यों से विचार-विमर्श करना चाहते हैं।

इन्द्रजीत गुप्त : किसके बारे मे विचार-विमर्श?

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ी देर के लिए रुकिए और मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। हमारे सामने बात यह थी कि सभा में कौन से कार्य को लिया जाना चाहिए। यदि नेतागण चाहे तो क्या हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी चाहिए? फिर, यदि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को आरम्भ करते हैं तो क्या वह पूरी हो पायेगी और यदि पूरी न हो सकी तो क्या हमें वह चर्चा बीच में छोड़ देनी चाहिए? मैंने सुझाव दिया था कि हमें नेताओं से बातचीत कर लेनी चाहिए और यदि सभा सहमत हो तो हमें पूरक कार्य-सूची को ले लेना चाहिए। मैंने पूरक कार्य सूची परिचालित करने का भी सुझाव दिया था क्योंकि यदि सभा सहमत हो जाती है तो उस समय परिचालन का समय नहीं रह जाता। परन्तु यह बात निश्चित थी कि हम पूरक कार्य सूची को तभी लेंगे यदि सभा इससे सहमत हुई। अतः मैं यहां पर अपनी जिम्मेदारी लेने के लिये आया हूं अन्यथा मैं नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष इस तथ्य से अवगत नहीं थे। इसीलिये मैं यहां पर आया हूं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, आपने तो हमको बिल्कुल निरुत्तर कर दिया, जब आप कह रहे हैं कि मैं सरकार की ओर से ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से नहीं, हाउस का बिजनेस चल रहा है, इसलिए

[अनुवाद]

बात यह है कि क्या हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए या नहीं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने शुक्ला जी को सुना। सवाल यह है कि यह बहुत बुनियादी सवाल है। सवाल देश की प्रभुसत्ता का है, सवाल देश के भविष्य का है। मेरा यह कहना है कि कंसलटेशन गैट एग्रीमेंट के सिलसिले में सरकार सारी पार्टियों के साथ बहुत बार कर चुकी है।

दूसरी चीज यह है कि मारक्केश एग्रीमेंट होने के पहले संसद से पूछा नहीं गया। संसद के पीछे सारा काम करके सरकार अभी एक आर्डिनेंस लाई है, इसलिए हमें कहना है कि सरकार जो अभी कंसलटेशन की बात कह रही है, वह इसलिए कह रही है, क्योंकि सरकार डर रही है कि यह पारित नहीं होगा। सारी संसद, इवन रूलिंग पार्टी कांग्रेस के मैम्बरों ने भी कल खड़े होकर विरोध किया, इसलिए यह ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि हम सारे लोग जो इस पक्ष के हैं और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से लोग हैं, जो कि बुनियादी तौर पर इस सारे सिद्धान्त को, जो आर्डिनेंस के पीछे सिद्धान्त है, उसको हम देश के खिलाफ मानते हैं।

मैं तो समझता हूं कि यह संविधान के खिलाफ है, हमारे देश की प्रभुसत्ता के खिलाफ है, हमारा जो फैसला करने का सोवरेन राइट था, उसको हम लोग खो रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार जब कहेगी कि आर्डिनेंस को वापस ले रहे हैं तो ठीक है, हम इसपर सवाल जवाब करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर हमें यह आपत्ति है कि इस संसद ने इस मामले को आरम्भ से ही उचित महत्व नहीं दिया है, विश्व की अन्य संसदों में हम देखते है कि वहां महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। सदस्यगण अपने हित में नये विश्व की संकल्पना के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और सर्वोत्तम सुविधाएं प्राप्त करते हैं। परन्तु हमारे मामले में सब कुछ विपरीत चल रहा है। हम अपने आपको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं परन्तु हम देखते है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर पूर्ण रूपेण चर्चा से इस संसद को वंचित रखा जा रहा है।

इस अध्यादेश की उद्घोषणा से पूर्व भी अनेक संसद सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति जी से अपील की थी कि वह ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अध्यादेश की उद्घोषणा न करें। हमने कल भी सरकार से अपील की थी कि वह अध्यादेश वापस ले ले और संसद को इस पर पूर्ण रूपेण चर्चा करने दें क्योंकि संशोधित विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकलेंगे जो राष्ट्र को भुगतने पड़ेंगे यद्यपि यह कहा जा रहा है कि यह केवल पहला चरण है। कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। विश्व की संसदें प्रतीक्षा कर रही है कि अन्य देश विश्व व्यापार संगठन की मांगों पर नियंत्रण हेतु अपने अपने कानूनों में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। हमारे मामले में, हम यह सब कुछ बड़े भद्दे तरीके से और जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मेरी मांग है कि यदि आप इसे स्थगित करना चाहते है तो आप इसे वापस ले लीजिए और संसद को इस पर पूर्ण रूपेण चर्चा करने दीजिए जिससे यह ससंद ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार खुल कर प्रस्तुत कर सके।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस अध्यादेश की उद्घोषणा से पूर्व 100 से अधिक संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था। हमें इस बात की आशंका थी कि सरकार संसद की उपेक्षा करेगी, अध्यादेश की उद्घोषणा कर देगी और फिर संसद में अध्यादेश को स्थान लेने वाला विधेयक लायेगी क्योंकि इस सरकार की इस कार्यवाही के बिल्कुल विरूद्ध थे। हम इस प्रक्रिया के बिल्कुल विरूद्ध है जिसके माध्यम से सरकार पेटेंट् अधिनियम, 1970 में संशोधन करना चाहती है और हमने यही विचार व्यक्त भी किये हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। यदि वे विपक्ष से विचार-विमर्श करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। हमारा प्रश्न यह है कि अध्यादेश की उद्घोषणा किये जाने से पूर्व यह विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया। दिसम्बर मास में ऐसा करने के लिये काफी समय था। वे विपक्षी दलों से विचार-विमर्श कर सकते थे। वे सभी राजनीतिक दलों की राय प्राप्त कर सकते थे। ऐसा न करके, अध्यादेश की उद्घोषणा कर देने के बाद, विपक्ष के साथ विचार-विमर्श करने को क्या रह गया है?

इसलिये अब इस अवस्था में हम यही चाहते हैं कि अध्यादेश वापस ले लिया जाये। पहले विचार-विमर्श कर लिया जाये और यदि वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो विपक्ष के साथ विचार विमर्श करके व संशोधन विधेयक में उनके विचार शामिल करके ऐसा किया जा सकता है। इसलिये हम चाहते है अध्यादेश को तत्काल वापस ले लिया जाये।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री और जनता दल पार्टी के बीच हुए विचार-विमर्श से हमने भी स्पष्ट रूप से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की थी और कहा था कि पहले विचार-विमर्श होना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई तो हम इसपर चर्चा कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार की निश्चित स्थिति कि पहले अध्यादेश जारी कर देना, फिर उसे पास कराने के लिए सदन में लाना, यह कुछ ऐसी बात है कि जिसके साथ हम सहयोग नहीं कर सकते। इसलिये अध्यादेश को व्यपगत हो जाने दीजिए अथवा आप

वापस ले लीजिए और तत्पश्चात सभा में इस मामले पर पूर्ण रूपेण चर्चा होने दीजिए। जिससे सभा की जो राय बने उसके अनुसार सरकार कार्यवाही कर सकती है। हमारी यही स्थिति है और हम सरकार से यह अध्यादेश वापस लेने का अनुरोध करते हैं। पहले संसद में ब्यौरेवार चर्चा होने दीजिए और बाद में सभा जो निर्णय ले, सरकार तदनुसार आगे कार्यवाही करे। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार अध्यादेश को तत्काल वापस ले ले।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये तो सरकार को यह जानकारी थी कि इस तरह से आवश्यक संशोधन भारतीय नियमों में सरकार को करने पड़ेंगे। आपके प्रयास से कमेटी सिस्टम इस देश में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके सम्बन्ध में एक अमूल्य बात यह कही जा रही है कि हमारी संसदीय प्रणाली में एक नई पद्धति का श्रीगणेश हुआ है। क्या सरकार पहले कमेटी के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत करके समीक्षा के लिये नहीं रख सकती थी? सरकार इसको जल्दी में अध्यादेश के जरिये लायी। अब सदन के भीतर अपना बहुमत नहीं देख रही है। इसलिये जल्दबाजी खत्म हो गई। इस विधेयक पर अब करीब-करीब बहस खत्म हो गई है। मंत्री जी इसका उत्तर देने वाले हैं। यह एक सांविधिक संकल्प था। बिना सभी पार्टियों को विश्वास में लिये हुए और वे सदस्य जिन्होंने इसके रिफ्युजल का रैजोल्यूशन मूव किया था, उस पर विचार करने के लिये इस ऐजेंडे को आगे बढ़ाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। सरकार ने अध्यादेश जारी करते समय, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय, इसको सदन में प्रस्तुत करते समय विपक्ष से कोई बातचीत नहीं की । इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसे वापस लिया जाये और नये सिरे से विधेयक का मसविदा बना कर कमेटी के सामने लाया जाये। पूरी तरह से इस पर विचार करके सदन के सामने प्रस्तुत किया जाये। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्य इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि चर्चाधीन विधेयक का क्या किया जाये जिसका उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय तैयार खड़े थे। यह तो मामले का एक पहलू है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न पूरक कार्यसूची के बारे में है जो संसद सदस्यों में परिचालित की गई है। परिचालित की गयी पूरक कार्यसूची में एक विधेयक दिखाया गया है। यह विशिष्ट विधेयक जिसे पास किया जाना है, वह राज्य सभा द्वारा 20 मार्च को अर्थात कल पास किया गया है। अब जिस विधेयक पर चर्चा की जानी होती है, उसपर हमें संशोधन भेजने होते है, और उन संशोधनों को भेजने के लिये हमें समय चाहिए अर्थात कम से कम दो दिन। यह बात नियम अनुसार है।

कार्य सूची के बारे में मैं आपका ध्यान पृष्ठ 40 पर नियम 31 के उप-नियम (1) की ओर दिलाना चाहता हूं :—

> "महा सचिव प्रत्येक दिन के लिये एक कार्य सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध की जायेगी।"

यह कर दिया गया है।

अब पूरक कार्य सूची के बारे में मुझे कोई नियम तो नजर नहीं आया परन्तु मै आपका ध्यान नियम 31, उपनियम (3) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है :—

> "इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर कोई कार्य जिसके लिये सूचना अपेक्षित हो उस कार्य के वर्ग के लिये अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिये नहीं रखा जायेगा।"

संशोधन भेजने के लिये हमें कम से कम दो दिन पहले सूचना देनी होती है। अब हम उससे वंचित रह जायेंगे। क्या यह विधेयक आज पारित होगा या नहीं, यह एक अलग बात है। परन्तु यह हमारा अधिकार है कि हमें पहले से जानकारी दी जानी चाहिए कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जायेगा। इस विधेयक के लिये सूचना अपेक्षित है। इस कार्य सूची के अनुसार हमें समय नहीं दिया गया है।

इसलिये मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक पूरक कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अच्छा तरीका यह होगा कि यदि सरकार इस विधेयक के लिये और किसी अन्य कार्य के लिये तैयार नहीं है तो सभा को स्थगित कर दिया जाये। परन्तु सूचना के अभाव के कारण इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह बात किस नियम में लिखी है कि सूचना के अभाव में इस विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जा सकता?

श्री राम नाईक : एक बार चर्चा आरम्भ हो जाती है तो हम संशोधन प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा। कार्यकरण की सुविधा के अनुसार नियमों की व्याख्या की जा सकती है। आपको अपने संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है। आप उस अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मैं आपको अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा।

श्री राम नाईक : परन्तु यदि विधेयक आज ही पास हो जाता है तो मैं क्या करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आज पास नहीं होगा। आप अपने संशोधन आज दे सकते हैं। उन पर कल विचार किया जा सकता है। इसलिये आप उनको दे सकते है।

श्री राम नाईक : यह महत्वपूर्ण विधेयक है। बिना तैयारी के वाद-विवाद का दर्जा और गिर जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यह नियमित प्रक्रिया नहीं है। यह एक असाधारण प्रक्रिया है। हम सब की सहमति से ही इस प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आज संशोधन किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे, वह बात ठीक है। मैं आपको अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : संसदीय कार्य मंत्री का सुझाव कि अग्रेतर विचार-विमर्श की आवश्यकता है, आपत्तिजनक है। बल्कि मैं कहूंगा कि यह सुझाव अपने आप में ही आपत्तिजनक है। यह इसलिये भी आपत्तिजनक है क्योंकि जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था उस समय, काफी समय था। यदि सरकार का आशय उस समय अन्य लोगों से विचार-विमर्श करने का था तो वे कर सकते थे। उस समय ऐसा न करके, संसद की स्थगन के तीन दिन पश्चात, अध्यादेश जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति से भी अनुरोध किया था कि वह अध्यादेश जारी न करे। वह बात ठीक नहीं लगी अथवा उस सुझाव पर विचार नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि सरकार विधेयक को पास कराने या देश पर थोपने के लिये दृढ़संकल्प थी। हम अनेक कानून पास करते हैं। हमें उनको पास करना ही चाहिए। उसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि इस विधेयक से हमारे संविधान का उल्लंघन होता है।

03.00 म.प.

हमने संविधान की मर्यादा बनाये रखने की शपथ ली है। इसलिये किसी सरकार या दल को ऐसा अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है जिससे हमारे संविधान का उल्लंघन होता हो। सबसे बड़ी बात यह है जिसपर विचार किया जाना चाहिए। इस विधेयक को देख कर मैं यहां तक कह सकता हूं कि इससे हमारे संविधान का तथा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस विधेयक के सम्बन्ध में सहयोग करना अपने लिये व देश के लिये आत्मघाती होगा। यदि हम सहयोग करते हैं तो हम हमें दिये गये अधिकार की सुरक्षा करने सम्बन्धी अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप असली मुद्दे पर आ जाइए। यदि आप चाहते है कि विधेयक पास न हो तो आप कल इसके विरूद्ध मत दे दीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : सरकार आपसे बात करना चाहती है और आपको सहमत करना चाहती है कि विधेयक में कुछ सार है और यदि आप सहमत नहीं होते तो आप विधेयक के विरूद्ध मत दे सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। आप यहां पर सरकार या सभा के ही संरक्षक नहीं बल्कि संविधान के भी संरक्षक हैं। आप अपनी जिम्मदारी को मत भूलिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना कुछ अध्ययन किये बोले जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

> "जिस दिन वह कार्य निबटारे के लिये रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार है।"

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं आपको संतुष्ट करने के लिये बता रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस विधेयक से हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं संतुष्ट हूं और यदि आप सहमत नहीं तो आप विधेयक के विरूद्ध मत दे सकते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : सरकार के पास एक ही विकल्प है कि वे विधेयक को वापस ले लें।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आप के तत्वाधान में संसदीय स्थायी समितियां बनायी गयी थीं। पहली बात यह है कि अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने से पूर्व संसदीय समिति से कोई परामर्श नहीं किया गया था। दूसरे मारक्केश समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वाणिज्य सम्बन्धी संसदीय समिति ने डंकल मस्विदे पर सूक्ष्मता से चर्चा की थी, उसने अनेक क्षेत्रों के लोगों के साक्ष्य लिये विशेषकर वैज्ञानिकों और विज्ञान संस्थाओं के प्रतिनिधियों के, व्यापारिक संगठनों व अन्य लोगों के साक्ष्य लिये। व्यापक अध्ययन के बाद उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारी सरकार को समझौते से सम्बन्धित देशों के दबाव में आकर प्रक्रिया पेटेंटिंग को उत्पाद पेटेरिंग में नहीं बदल देना चाहिए। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि समिति द्वारा दिये गये सुझाव का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अध्यादेश उद्घोषित कर दिया गया और अब उसको विधेयक के रूप में ले लिया है। यह संसदीय प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को विधेयक वापस लेने का निर्देश दें। अब जैसी स्थिति है, संसदीय स्थायी समिति के सुझावों के अनुसार इसको वापस लिया जाना चाहिए और तत्पश्चात विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श जारी रखना चाहिए। विचार-विमर्श के बाद वे फिर संसद में विधेयक को ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सरकार को विधेयक वापस लेने का निर्देश दूं। आप ही बताइए कि मैं किस नियम के अधीन ऐसा कर सकता हूं?

श्री तरित बरण तोपदार : उस विचार के अंतर्गत, जिसने आपको ये स्थायी समितियां बनाने के लिये प्रेरित किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं। यह बात बहुत अच्छे तरीके से रखी गयी है। परन्तु यह तर्क अध्यादेश के मामले में लागू नहीं होता।

श्री तरित बरण तोपदार : अब यह विधेयक है, अध्यादेश व्यपगत हो जाने दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे वह नियम बताएं जिसके अधीन मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं करूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार : यदि समय व्यपगत हो जाता है तो अध्यादेश भी स्वतः व्यपगत हो जायेगा। तत्पश्चात आप सरकार को निर्देश दें कि वे आप के साथ और अन्य सम्बन्धित लोगों के साथ परामर्श करके विधेयक तैयार करे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे वह नियम बताए तो मैं सरकार को विधेयक वापस लेने का निर्देश दे सकता हूं और मैं करूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार : यदि आप तर्कों और निष्कर्षों से संतुष्ट है तो आप निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वास्तव में ऐसे पूर्वोदहारण है जहां 'कौल और शकधर' के अनुसार राष्ट्रपति ने अथवा राष्ट्रपति की ओर से काम करते हुए उप राष्ट्रपति ने अध्यादेश वापस लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम उस स्थिति में नहीं है जब अध्यादेश वापस लिया जा सकता है या नहीं क्योंकि उस स्थिति में कोई विवाद नहीं हो सकता। बात यह है कि इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : संसदीय कार्य मंत्री के साथ आप की चर्चा के संदर्भ में आप ने कहा था कि सभा के सहमत होने पर ही आप पूरक कार्य सूची को लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : सदस्यों ने अब तक जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे स्पष्ट है कि सभा पूरक कार्य सूची को लेने पर सहमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे उसको सभा के मतदान के लिये रखेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : इसलिये पूरक कार्य सूची को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे उसको सभा के मतदान के लिये रखते हैं तो आप कृपया उसके परिणाम पर विचार करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यदि ऐसी बात है तो एक ही तरीका है कि सरकार अध्यादेश को वापस ले ले और वे ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वे ऐसा कर सकते हैं। आप इस मामले की छानबीन करने के लिये एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आपने हमें सूचित किया है कि विधेयक पर चर्चा स्थगित करना आवश्यक है क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री इस विषय पर पार्टियों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि विचार विमर्श का वास्तविक स्वरूप क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पहले मेरी बात सुने ताकि आपको बात स्पष्ट हो जाये। सरकार आपकी पार्टी के नेता के रूप में आप सब से परामर्श करना चाहती है और उनका विचार है कि इस विधेयक पर आज की चर्चा समाप्त करने के बजाय परामर्श करने के बाद कल या परसों इसको निपटा लें। यदि आप सोचते हैं कि सरकार जो कह रही है, वह ठीक नहीं है या उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तो आप कल विधेयक के विरुद्ध मतदान कर सकते है। परन्तु वे आप से परामर्श करने के लिये ही समय मांग रहे हैं और वे आपको विश्वास में लेना चाहते हैं।

जहां तक मंत्री महोदय की बात है उन्होंने मुझे बताया है कि विश्व व्यापार संगठन बन जाने के बाद कुछ विधिक कठिनाइयां हैं। यदि कोई आपत्ति दायर की जाती है तो ऐसा करने के लिये कुछ समय सीमा निर्धारित है। यदि विधेयक न हो, तो उसे दायर नहीं किया जा सकता। मुझे इसके ब्यौरे की जानकारी नहीं है। मैंने उसको पूरी तरह नहीं समझा। आप उनके साथ इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं। यदि आप सहमत हों तो आप उनसे आगे बातचीत करें यदि नहीं तो आप विधेयक के विरुद्ध मत डाल दीजिए।

श्री चित्त बसु : मैं आपके माध्यम से अपनी बात उन्हीं से कह रहा हूं। जैसाकि आप जानते है कि संसद के अनेक सदस्यों ने इस मामले में अन्तर्गस्त मूलभूत प्रश्नों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमारी सरकार ने मारक्केश समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। हमारी सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिये उस पर हस्ताक्षर किये हैं।

महोदय, मैं अन्य दलों के विचार नहीं जानता परन्तु, मेरा दल मूल रूप से इसके विरुद्ध है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये तैयार है? यदि वे आज इन मूल बातों पर विचार विमर्श करने के लिये तैयार हैं तो ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। इसलिये विधेयक को स्थगित करने पर मैं कैसे सहमत हो सकता हूं। आप ठीक कहते हैं। मैंने कल इसका विरोध किया था, मैं आज और कल भी

इसका विरोध कर सकता हूं। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें आप की सलाह बिल्कुल अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी सलाह वापस लेता हूं और आप से क्षमा याचना करता हूं।

श्री चित्त बसु : आपने ठीक कहा है महोदय, अतः मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न दलों के विभिन्न नेताओं के साथ विचार विमर्श करने का उद्देश्य क्या है।...(व्यवधान) क्या सरकार विचार-विमर्श के दौरान मूल बातों पर भी विचार करने को तैयार है? यदि वे इस पर सहमत हैं तो मारक्केश समझौते का क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन समझौते का क्या होगा? क्या सरकार उनको रद्द करने और बदलने की स्थिति में है? मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं।

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा परन्तु मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत का स्तर क्या होगा। आपने उचित ही कहा है कि सरकार इस विधेयक के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रस्तावित विधेयक में संशोधन कर सकेंगे।

सरकार कुछ तर्क प्रस्तुत करेगी। यदि मंत्री महोदय, जो उत्तर देने के लिये खड़े थे, वही प्रस्ताव का तर्क इस सभा में प्रस्तुत कर देते तो इसमें क्या हानि हो जाती? हमें भी उनकी जानकारी मिल जाती। सरकार विपक्ष के नेताओं को क्या पेशकश कर रही है? यह प्रस्ताव का ग्रहण किया जाना है या उसके विपरीत है। उनको सरकार द्वारा प्रस्तुत रूप में विधेयक का समर्थन करना होगा या अस्वीकार करना होगा। यदि वहां अस्वीकार किया जाना है तो हम यहीं अस्वीकार कर देते हैं।

मैं एक बात स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि क्या सरकार उस बैठक में विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रस्तावित संशोधन मानने के लिये तैयार होगी। यदि ऐसी बात है तो अध्यादेश का पूरा पाठ इस विधेयक में शामिल है, फिर तो विधेयक वापस लेना होगा। विधेयक को सकने की हालत में नहीं रखा जा सकता। यदि विधेयक को वापस लिया जा सकता है तो अध्यादेश का पूरा पाठ जो इस विधेयक में उद्धृत है, वह अध्यादेश ही वापस ले लेना चाहिए। महोदय यह विचित्र स्थिति है।

हम इसको स्थगित नहीं कर सकते, हमें इसके संबंध में निर्णय करना होगा। यदि हम कल इसके विरुद्ध मतदान करते हैं तो वह काम आज भी कर सकते है। हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए परन्तु संसदीय कार्य मंत्री अथवा सरकार हमें बताये कि क्या वे विपक्ष के नेताओं द्वारा दिये गये सुझाव मानने के लिये तैयार हैं।

वास्तव में इसी सदन में कुछ सुझाव दिये थे और मंत्री महोदय उनका उत्तर दे ही रहे थे। हम सर्वप्रथम मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को सुनना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं। वह अब बोलेंगे।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : प्रिय सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि विधेयक को वापस लिया जा रहा है स्थगित नही किया जा रहा। यदि विधेयक को वापिस ले लिया जाता है तो स्थायी समिति या प्रवर समिति अथवा विपक्ष के नेताओं की बैठक में, कहीं भी चर्चा हो सकती है, यह अलग बात है। परन्तु विधेयक को वापस ही लिया जाना चाहिए। यदि विधेयक वापस लिया जा सकता है तो अध्यादेश को ही वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि यह विधेयक और अध्यादेश तो एक ही चीज है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराइए नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके शब्दों को निर्णय समझते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) अध्यक्ष महोदय, कल कार्यवाही के अन्त में 6 बजे, मैं सभा में उपस्थित था। अनेक बातें होती रही और एक अनुरोध सरकार की ओर सभापति से किया गया कि सभा का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये जब तक विधेयक पर विचार नहीं कर लिया जाता, निर्णय नहीं हो जाता और वह पारित नहीं हो जाता। सभापति ने यह बात सभा के समक्ष रखी। उस समय सभा में व्यक्त विचारों को समझते हुए समय नहीं बढ़ाया जा सका और इसलिये वह आज के लिये रखा गया। महोदय, वास्तव में कल मंत्री महोदय ने उत्तर देना आरम्भ कर दिया था और उत्तर का एक भाग दे दिया था। उसमें स्थगन अथवा विचार विमर्श या ऐसी किसी बात का कोई उल्लेख नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि यह तरीका अनुचित है। यह निष्कपट नहीं है। यदि कोई बात निष्कपट हो तो आप हमेशा स्वीकार कर सकते हैं और यदि बात अनुचित है तो आप को निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि आप पूरी सभा का प्रतिनिधित्व करते है, इस पक्ष या उस पक्ष को नहीं। ऐसी स्थिति में मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया उपस्थित बहुसंख्या या अल्पसंख्या से छल या कपट करने के प्रयास की अनुमति न दें। अब महोदय यदि शासक दल किसी प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो वह संसदीय प्रणाली में कोई स्वस्थ पूर्वादहारण नहीं होगा। अन्त में जब मतदान होने की स्थिति थी, वे कहते है "हम बहुसंख्या में उपस्थित नहीं हैं इसलिये हम इसे स्थगित करने का अनुरोध करते हैं।" ऐसी स्थिति में मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप निष्पक्ष रहें और इस चाल की अनुमति न दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते है कि इस विषय पर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समझौते किये गये और वचनबद्धताएं है और उन वचनबद्धताओं को जो सरकार ने भारत की ओर से की है एक समय-सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के भीतर रहने के लिये हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा था...**(व्यवधान)** सभा की बैठक बुलाये जाने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद द्वारा अधिनियम में बदला जाना है।

महोदय, जब चर्चा चल रही थी, तो हम ने पाया कि कुछ मुद्दे ऐसे है जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और हमने सोचा के बेहतर यह होगा कि हम उनको विपक्ष के नेताओं के सामने स्पष्ट कर दें और तत्पश्चात विधेयक पर आगे चर्चा चले। आज सुबह हमने बातचीत का सिलसिला आरम्भ किया और बातचीत के दौरान हमने पाया कि इस विचार विमर्श में कुछ और समय लगेगा। इसीलिए हम यह प्रस्ताव लाये है कि आज के बजाय इसे कल या आवश्यक हो तो परसों विचारार्थ ले लिया जाये ताकि हम विरोधी पक्ष के सभी दलों के साथ जो यहां प्रतिनिधित्व करते है, विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर सकें।

महोदय, हम यह विचार विमर्श खुले दिल से कर रहे हैं? हमने यह नहीं कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं होंगे और आप को हमारे प्रस्ताव से सहमत होना पड़ेगा। हम माननीय सदस्यों और विभिन्न दलों द्वारा दिये जाने वाले सुझावों को सुनना चाहते हैं। जहां तक सम्भव हो हम उनकी इच्छा को मानेंगे और हम उनकी इस सम्बन्ध में अपनी बाध्यताओं से और अपनी समस्याओं से भी अवगत करायेंगे। इसलिये अभी कुछ बिगड़ा नहीं, विधेयक को वापस नहीं लिया गया, अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया, और हम आपसे विचारों का आदान-प्रदान के लिये केवल कुछ समय चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आप विधेयक को वापस ले लीजिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में तर्क प्रस्तुत करने का यह कोई तरीका है?

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है और हमने अन्य दलों से विचार-विमर्श करने के लिये समय देने का अनुरोध किया है। अतः यह बात नहीं है कि हमारी समस्याएं बहुसंख्या या अल्पसंख्या अथवा विधेयक पास होता है या नहीं से सम्बन्धित हैं। यह बात बिल्कुल नही है। यह विचार-विमर्श की बात है और कुछ माननीय नेताओं ने विचार विमर्श के लिए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया भी है और हम केवल कुछ और समय चाहते है। विधेयक सभा के निर्णय के लिये यहां पर आयेगा। सभा का जो भी निर्णय होगा, वह हमें मान्य होगा। उसके बारे में कोई समस्या नहीं है। विचार-विमर्श की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभा निर्णय करेगी। विचार-विमर्श की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता है, केवल यही बात है तत्पश्चात सभा अपना निर्णय लेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री वसुदेव आचार्य : उससे पूर्व हमारे साथ कोई विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर बार-बार नहीं दिया जा सकता।

श्री वसुदेव आचार्य : शुक्ला जी, आपने विरोधी दलों के साथ विचार-विमर्श करने का निर्णय कब किया था। क्या यह निर्णय आज किया गया? अब वे किस प्रकार का विचार-विमर्श करना चाहते हैं? हमारा एक ही सुझाव है कि अध्यादेश को वापस लिया जाये। इस अवस्था में हमारा और कोई सुझाव नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि संक्रमण अवधि पांच से दस वर्ष तक की दी गयी है, फिर भी सरकार ने यह अध्यादेश जारी कर दिया और विधेयक भी ले आयी है। इस से हमारा कोई हित नहीं होगा। इस अवस्था में सरकार हम से कह रही है कि वे अन्य विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श करना चाहते है। हम केवल यह चाहते है कि विधेयक को पूरी तरह वापस ले लिया जाये।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने महसूस किया है कि इस बिल में इम्प्रूवमेंट की कुछ गुंजाइश है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन जो बात वह कह रहे हैं इसमें इलिमेंट ऑफ मैलाफाइड है। वे सचमुच में कंसल्टेशन नहीं चाहते वरना तो 24 घण्टे की लिमिट नहीं लगाते। फिर वह कहते कि हम वक्त देंगे, बातचीत करेंगे और जो भी बात होगी वह कंसल्टेशन से मानेंगे।

[अनुवाद]

वह अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिये केवल स्थगन चाहते हैं। वह विचार-विमर्श करने का अवसर नहीं चाहते। हम इसी अनुचित बात के कारण इसका विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको सर्वप्रथम कानूनी पहलू को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं नियम संख्या 25 के परन्तुक को पढ़ रहा हूं :

> "परन्तु जिस दिन वह कार्य निबटारे के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं

किया जायेगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार हैं।

अध्यक्ष की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

"(दो) सामान्य तौर पर जिस दिन वह कार्य निबटारे के लिये रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक सभा सहमत न हो या अध्यक्ष का समाधान न हो जाये।"

"जब तक सभा सहमत न हो या –'और' नहीं –इसमें 'या' लिखा है— अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार है और फिर कार्य सूची में सम्मिलित सरकारी कार्य सरकार सभा में अनुरोध करने पर और अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर स्थगित किया जा सकता है।"

16 नवम्बर 1956 की कार्यसूची में उद्योग (विकास और विनियमन) लेखापरीक्षा विधेयक के तीसरे वाचन के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की कि कार्य सूची में अगली मद भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक को सत्र के दौरान बाद में किसी दिन लिया जा सकता है क्योंकि सरकार उस सम्बन्ध में प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है। तदुनसार विधेयक पारित कर दिया गया और अगली मद को विचारार्थ ले लिया गया। ...(व्यवधान)

अब यह व्यवधान कैसा है?

मैंने मंत्री महोदय को बताया है कि यह काम सभा में माननीय सदस्यों की सहमति से होना चाहिए और यदि यह उनकी सहमति के साथ नहीं किया जा सकता तो फिर इस सभा के मतदान के लिये रख दिया जाये । क्या इसको कल तक स्थगित किया जाना चाहिए या नहीं, हम अपना प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखेंगे और यदि सभा की राय यह हुई कि इसे कल लिया जा सकता है तो इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं रह जाती।

परन्तु यह क्या है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरल भाषा में कहे तो प्रस्ताव यह है : वे कहते हैं कि कुछ तकनीकी कठिनाइयां है। वे उन तकनीकी कठिनाइयों को अन्य नेताओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। नेताओं को स्पष्ट कर देना पर्याप्त नहीं है। कल वे उन तकनीकी कठिनाइयों को सदस्यों के सामने भी रखेंगे। यदि सभा के सदस्य उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे जैसे चाहे, मतदान करें। अब केवल करना यह है कि आज के बजाय कल मतदान होगा। यदि आप इस बात से सहमत हैं, तो ठीक है। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो यदि सरकार की ओर से कल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव आता है तो मैं उसको लूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप ने अभी नियम पढ़ा था। मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण अपनी जानकारी के लिये चाहता हूं। यह तो ठीक है कि किसी भी एजेंडा आईटम को पोस्टपोन करने या आगे ले जाने के बारे में कायदे कानून बने हुये हैं लेकिन क्या ऐसा भी कोई कानून है कि जब मंत्री जी ने सदन में हुई किसी बहस का उत्तर देना शुरू कर दिया हो, उनका भाषण चल रहा हो, उस स्थिति में क्या उन्हें रोका जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : किसी भी टाइम ऐसा किया जा सकता है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत का अभाव है और इसीलिये सब कुछ हो रहा है। आज कांग्रेस के पास सदस्य नहीं हैं क्या इसीलिये सब कुछ कल के लिये टाला जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री थाइमा सिंह थुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं पिछले एक घण्टे से शान्तिपूर्वक सुन रहा हूं, मेरा विचार यह है कि मंत्री महोदय ने कल उत्तर देना आरम्भ किया था, उसको जारी रखते हुए वह स्थिति को स्पष्ट कर दें। उससे हमें पर्याप्त समय मिल जायेगा। केवल इस सभा के नेताओं के साथ चर्चा करने के बजाय मंत्री महोदय उन सब मुद्दों को सभा के समक्ष रख दें और उन पर खुले मन से चर्चा कर लें। यह तरीका अधिक अच्छा होगा। यह मेरी राय है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं कि इस सदन में उन सभी मुद्दों की चर्चा हो तो मैं आपको ऐसा करने की अनुमति दे दूंगा। आप अपनी बात को स्पष्ट कर पायेंगे और चर्चा के बाद मतदान किया जा सकता है, यह कल हो सकता है अथवा आज भी हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि अनुरोध किया गया है अब हम इस सभा में परिचालित पूरक मद को लेगें और मुझे विश्वास है कि हम कल ग्यारह बजे तक विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर पायेंगे। इसलिये हम आपसे उस पूरक मद को लेने का अनुरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यदि आप स्पष्ट करना चाहे कि इस विधेयक को पास करने की क्या आवश्यकता है और विश्व व्यापार संगठन के पास आपत्तियां दायर करने में होने वाली कठिनाई आदि बताना चाहें तो आप सदस्यों को बता सकते हैं। माननीय सदस्य भी उस मुद्दे पर अपने विचार रख

सकेंगे। यदि चर्चा समाप्त हो गयी तो हम इसको आज मतदान के लिये रख देंगे और यदि समाप्त नहीं हुई तो हम इसको कल मतदान के लिये रख देंगे।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : हम इतना ही चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि सरकार बड़ी पसोपेश में पड़ गयी है। आपने बड़ी गहराई में जाकर स्पष्टता से कह दिया है कि आपके सामने दो ही विकल्प हैं कि या तो हाऊस तय कर ले या सलाह कर के तय कर लिया जाये या हाऊस मे वोटिंग करा ली जाये, वह तो नियमों में जैसा निहित है, वैसा है लेकिन जब सरकार इस किस्म के पसोपेश में पड़ी है तो मेरा सुझाव है कि आप सदन को 15 मिनट के लिये एडजर्न कर दीजिये ताकि हमसे सलाह-मश्वरा करके कोई निर्णय लिया जा सके। इनकी तो लगती है हवाइयां उड़ रही हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसाकि आप ने निर्देश दिया है, मैं अपने सहयोगी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वह स्पष्ट कर दें कि इस विधेयक को एक समय सीमा के भीतर पास करने की क्या आवश्यकता है और अन्य क्या कठिनाइयां हैं। उनको तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को सुनने के बाद यदि फिर भी आप महसूस करें कि इसको आज ही पूरा करना है तो हम उस दिशा में निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में चर्चा आरम्भ कर सकते हैं और मैं अपने कक्ष (चेम्बर) में जाऊंगा और वहीं नेताओं को बुला लूंगा और उनके साथ इस बारे में बातचीत करूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अन्यथा, सरल तरीका यह है कि स्थगन के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाये और कार्यसूची की अगली मद को ले लिया जाये।

श्री रूपचन्द पाल : इस तरह हस्तक्षेप नहीं किये जा सकते। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है। अन्य मंत्रियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जायेगी।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह कैसे हो सकता है? ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार का कोई मंत्री जिसे सरकारी पक्ष को स्पष्ट करना है, ऐसा कर सकता है। हम श्री सलमान खुर्शीद और श्री चिदम्बरम से अनुरोध करते है कि वे सरकारी पक्ष को स्पष्ट करें। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या वाद-विवाद में हस्तेक्षप करने वाला यह वक्तव्य है?

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : अब कोई मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह बात ठीक नहीं है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द्र पाल : श्री अरुणाचलम को अपना भाषण पूरा करने दीजिए, उन्होंने भाषण आरम्भ किया हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री चिदरबरम को भी सुनिए ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम उनको अनुमति नहीं दे सकते।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : उन्हें मुझे विस्तार में सुनने का बेहतर अवसर है **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : हम अन्य मंत्रियों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री सलमान खुर्शीद : आप कृपया मेरी बात सुने।

श्री वसुदेव आचार्य : आप किस नियम के अधीन बोल रहे हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री सलमान खुर्शीद : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं। जैसाकि सभा जानती है कि हमारे कुछ दायित्व है...**(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : हम उनको बोलने की अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी सदस्य को बोलने से नहीं रोक सकते। इस बारे में आपको निर्णय नहीं करना है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, विश्व व्यापार संगठन बनाते समय मारक्केश में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके अधीन हमारे दायित्व हैं। विश्व के लिये एक समान व्यापार संस्था बनाने में भारत ने प्रमुख भूमिका अदा की है। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य भी इस बात को भली भांति जानते हैं। यह निश्चित है कि भारत को अनेक क्षेत्रों मे इससे लाभ पहुंचेगा। यह बात स्पष्ट हो गयी है कि समान स्तर की संस्था के साथ बातचीत करते हैं तो वह एक तरफा नहीं हो सकती।

श्री जसवन्त सिंह : क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? संसदीय कार्य मंत्री ने जो विचार रखा है। हम विचार-विमर्श के लिए सभा का

भी उपयोग कर सकते हैं। अब विचार-विमर्श का अर्थ यह हो गया है कि मंत्रीगण भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्हें अपने विचार हमें बताने चाहिए। मैं यह मानता हूं कि वे बाध्य नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, क्या कोई सदस्य किसी दूसरे को सभा में बोलने से रोक सकता है?

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, महोदय (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : क्या किसी मंत्री को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आपको नहीं करना है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम केवल श्री अरूणाचलम की सहायता के लिये कहते है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : आप के सिवाय कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य को इस सभा में बोलने से नहीं रोक सकता। मैं किसी को नहीं रोक सकता। आप निश्चय ही मुझे रोक सकते हैं। आप किसी को भी रोक सकते हैं। परन्तु मैं खड़े होकर यह नहीं कह सकता है कि सरकार की ओर से 'एक्स', 'वाई', या 'जेड' को बोलने का अधिकार नहीं है। उन्हें भी बोलने का अधिकार है और बोलने के प्रयास में अपने लिये और कठिनाई पैदा करने का भी। यह बिल्कुल अलग बात है। परन्तु महोदय, यदि वे हमारे साथ विचार-विमर्श करना चाहते हैं तो मैं विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री—एक उत्साही एवं योग्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि उनके लिये पूरे विरोधी पक्ष पर सिंहनाद करने का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा नहीं कर रहे। वह अपना विचार रख रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : इस प्रकार के विचार-विमर्श का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक ही रास्ता है कि यदि आप सभा की इच्छा जानना चाहते हैं कि वह क्या चाहती है—कल तक के लिये कार्य स्थगित करना चाहती या जो भी हो—मत विभाजन करवाइए और सभा की इच्छा जान लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रस्ताव लाया जायेगा तो मैं ऐसा करूंगा और यदि प्रस्ताव नहीं होता तो मैं नहीं करूंगा। आप जैसा चाहें, इस मामले से निपट सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न सुनकर मैं बहुत खुश होता हूं।

श्री इन्नान मोल्लाह : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : हम मुझे से प्रश्न न पूछिए। आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के तहत है?

श्री इन्नान मोल्लाह : मंत्री महोदय किस नियम के अधीन बोलते हैं और दूसरे मंत्री नियम के अधीन हस्तक्षेप करते हैं। यह प्रथा है कि एक मंत्री बोलता है और फिर उस विधेयक को मतदान के लिये रख दिया जाता है। परन्तु किसी मंत्री का उत्तर पूरा होने से पहले कोई अन्य मंत्री किस नियम के अधीन हस्तक्षेप करता है? (व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या आप कोई नियम बता सकते हैं जिसके अधीन किसी मंत्री को हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है।...(व्यवधान)

श्री इन्नान मोल्लाह : ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यह नियम है यह प्रथा है।

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष पीठ ने निष्पक्ष रूप से विचार करके सम्बन्धित नियमों के परन्तुकों की व्याख्या करने के बाद अपना निर्णय पहले बता दिया है। अब केवल एक बात है कि सभा को निर्णय करना चाहिए कि इस विधेयक को स्थगित किया जाये या नहीं। इसका अर्थ यह है कि सीधी सी बात के लिये मतदान कराना होगा कि क्या सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाये या नहीं। इसे सीधे मतदान के लिये रख देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

श्री गुमान मल लोढा : यह प्रस्ताव उनका है कि इसे स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, अभी मैंने पूछा तो आपने कहा कि मिनिस्टर जब जवाब दे रहे हों तो बीच में दूसरा मिनिस्टर इंटरवीन कर सकता है। यह ठीक है लेकिन उसके बाद इस साइड से भी लोग बोलना चाहेंगे और उस साइड के लोग भी बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि यह डिबेट दुबारा शुरू होगी जिसका उद्देश्य यह है कि इसे किसी तरह छः बजे तक खींचा जाए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय प्रणाली में इसकी अनुमति है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यदि इसे कल तक ही जाना है तो फिर दूसरे सुझाव पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री इन्नान मोल्लाह : क्या आप मुझे एक संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : कैसा संकल्प? आप लिख कर दीजिए फिर मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, आपको पेटेंट्स (संशोधन) विधेयक के दूरगामी परिणामों के बारे में जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कल निर्णय कर लें तो आसमान तो नहीं गिर जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जब सभा गुरूवार को स्थगित हुई तब कार्य-सूची के अनुसार सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जानी थी और बाद में यह पेटेंट्स (संशोधन) विधयेक पर चर्चा की जानी थी। चार दिन की छुट्टी के बाद, कल, सरकार अचानक ही इस पेटेंट्स संशोधन विधेयक को ले आयी । उनकी आशा थी कि यह पारित हो जाएगा। परन्तु निराशा की बात यह हो गयी कि आज उनके सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं है और इसी लिये वे कल तक के लिये स्थगन चाहते हैं। महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि आप पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे और आप दूरगामी परिणाम जानते हैं। यह बहुत विनाशकारी होगा। सरकार या तो तत्काल मतदान का प्रस्ताव मान ले या यह पेटेंटस (संशोधन) विधेयक और अध्यादेश वापस ले ले। मेरा यही निवेदन है।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, क्या सभा में वाद-विवाद का उत्तर दे रहे मंत्री की वाक् स्वतंत्रता में एक अन्य मंत्री बाधा डाल सकता है?

अध्यक्ष महोदय : उनको आपत्ति करने दीजिए। आप मंत्री की— श्री सलमान खुर्शीद को बोलने की स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप यही कह रहे हैं और संसद में कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) महोदय, जब मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है तो वे क्यों आपत्ति कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कल जब सदन में विरोध पक्ष का सदस्य बोल रहा था तो आसन से आदेश दिया गया कि आप बैठ जाइये, मंत्री जी का जवाब होने वाला है। मंत्री जी इसी आधार पर बोले। मेरा भी लिस्ट में अंतिम नाम था, मेरा नाम भी काट दिया गया कि आप नहीं बोल सकते, अब चर्चा समाप्त हो गई है। जब सारी चर्चा समाप्त हो गई और मंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े हो गये तो फिर से नई चर्चा कैसे खड़ी हो सकती है? कल लिस्ट आफ बिजनेस में मेरा नाम था, मुझे बोलने का अधिकार था, वह अधिकार काटा गया। मेरे पहले जो सदस्य बोल रहे थे, उनको बिठा दिया गया और सदन में माननीय मंत्री महोदय रिप्लाई देने के लिए खड़े हो गये। ऐसी स्थिति में यह सारी प्रक्रिया एक बार समाप्त हो गई है तो दोबारा से प्रक्रिया आप चालू कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल के अधिकार को समाप्त करके आज फिर नई बात क्यों कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद और मेरा अधिकार, दोनों के अधिकार बराबर-बराबर हैं। कल जब मुझे नहीं बोलने दिया गया तो सलमान खुर्शीद को कैसे बोलने दिया जा रहा है? यह आश्चर्य की बात है।

3.43 म.प.

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा स्थगित न किए जाने के बारे में प्रस्ताव और पेटेंट (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक प्रस्ताव श्रीमती गीता मुखर्जी का है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, श्री सैफुद्दीन चौधरी और मेरे द्वारा प्रस्तुत यह संयुक्त प्रस्ताव है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित न की जाये और उस पर आज ही चर्चा की जाए।"

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रस्ताव श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि पेटेंट (संशोधन) विधेयक पर मतदान आज ही कराया जाये"

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पहले प्राप्त हुआ है और दूसरा प्रस्ताव बाद में

आया है। इस लिये मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए पहले रखूंगा।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, यदि प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखा जाना है तो उस प्रस्ताव की एक प्रति सभी सदस्यों में परिचालित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव यह है कि आज की कार्य सूची की मद संख्या 15 और 16 को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और उनको विचार तथा पास करने के लिये आज ही लिया जाना चाहिए।

अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं प्रश्न यह है :

> "कि 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और पेटेंट (संशोधन) विधेयक 1995 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित न की जाये और उस पर आज ही चर्चा की जाये।"

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

4.00 म.प.

अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

मैं पुनः श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित न की जाये और उस पर आज ही चर्चा की जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

[मत विभाजन संख्या 2] **[4.05 म.प.]**

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जॉन

अमर पाल सिंह

अवैद्य नाथ, महन्त

अशोकराज, श्री ए.

आचार्य, श्री बसुदेव

उरांव, श्री ललित

कालकादास, श्री

कुमार, श्री वी. धनंजय

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती

केशरी लाल, श्री

खनोरिया, मेजर डी.डी.

खण्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्द्र

गंगवार, डा. परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गिरि, श्री सुधीर

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गौड, प्रो. के. वेंकटगिरि

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी.एस.

छटवाल, श्री सरताज सिंह

जनार्दनन, श्री एम.आर. कादम्बूर

जसवंत सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डोम, डा. राम चन्द्र

तीरकी, श्री पीयूष

तोपदार, श्री तरित वरण्

तोमर, डा. रमेश चन्द
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारका नाथ
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दुबे, श्रीमती सरोज
देशमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
नाईक, श्री राम
नारायणन, श्री पी.जी.
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री राम पूजन
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
प्रेमी, श्री मंगलराम
बंडारू, श्री दत्तात्रेय
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, पलास
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा. असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस.
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, प्रमथेश
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरमु, श्री रूप चन्द
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
युमनाम, श्री याइमा सिंह
रंगपी, डा. जयन्त
राय, श्री रवि
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री डी.वेंकटेश्वर
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावल, डा. लाल बहादुर
रावले, श्री मोहन
लोढा, श्री गुमान मल
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वीरेन्द्र सिंह, श्री
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेन्द्र
शिवरामन, श्री एस.
श्रीनिवासन, श्री सी.
सरस्वती, श्री योगानन्द
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर (आंवला)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सैकिया, श्री मुहो राम
सैयद, श्री शहाबुद्दीन
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

[मत विभाजन संख्या 2] [4.05 म.प.]

विपक्ष में

अन्बारासु, श्री आर.
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम.
अर्स श्रीमती चन्द्र प्रभा
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
कोडियार, श्री चनैया
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
काले, श्री शंकर राव दे.
कुधुस्वामी, श्री सी.के.
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम.
कैनिथी, डा. विश्वानाथम
कौल, श्रीमती शीला
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गिरियप्पा, श्री सी.पी.
गुडाडिन्नी, श्री बी.के.
गमांग, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चलिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी.
चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल
चौधरी, डा. के.वी.आर.
चौधरी, श्री नारायण सिंह
जाखड़, श्री बलराम
जीवरत्नम, श्री आर.
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ती
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन.
डेका, श्री प्रबीन
डेलकर, श्री मोहन एस.
तारा सिंह, श्री
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
तोमर, डा. रमेश चन्द (हापुड़)
तिरिया, कुमारी सुशीला
थुंगन, श्री पी.के.
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
देव, श्री संतोष मोहन
देवी, श्रीमती विभू कुमारी
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नंदी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा बिठोबा
नायक, श्री ए. वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युंजय
पटनायक, श्री शरत
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पद्मा डा. (श्रीमती)
पवार, डा. वसंत

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर
पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बीरबल, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
भोई, डा. कृपासिन्धु
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी.
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मुजाहिद, श्री बी.एम.
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर
राम बदन, श्री
राम बाबू, श्री ए.जी.एस.
राय, श्री रामनिहोर
राव, श्री जे. चौक्का
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, कु. विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शिवप्पा, श्री के.जी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी.एम.
साय, श्री ए. प्रताप
सिंगला, श्री संतराम
सिदनाल, श्री एस.बी.
सिंह देव, श्री के.पी.
सुखबंस कौर, श्रीमती
सोड़ी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हरचन्द सिंह, श्री
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मत ठीक प्रकार से रिकार्ड नहीं किये गये। मतदान मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	112
विपक्ष में	:	109

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

4.10 म.प.

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और अस्वीकृत पेटेंट (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं अपने कल के उत्तर को जारी रखते हुए यह कहना चाहूंगा।

ट्रिप्स समझौते के अनुसार हमारा एक दायित्व 1 जनवरी 1995 से फार्मास्युटिकल्स आदि कृषि रसायनों के क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट के लिये आवेदन पत्र फाइल करने के लिये साधन उपलब्ध कराना है। आवेदनकर्ताओं के कुछ शर्तों को पूरा कर लेने पर उन्हें अनन्य विपणन अधिकार मिल जायेंगे जो पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने तक रहेंगे या जब तक पेटेंट स्वीकार अथवा रद्द न कर दिया जाये।

जहां तक पेटेंट अधिनियम 1970 का सम्बन्ध है उसमें उपयुक्त क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक ट्रिप्स समझौते का सम्बन्ध है उसके अनुसार इस तरह के पेटेंट प्रदान करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने के लिए सन् 2005 तक का समय है। इसलिये हमें बीच की इस अवधि में अपेक्षित व्यवस्था करनी होंगी।

कृषि रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र मे उत्पाद पेटेंट के लिये आवेदन पत्र फाइल करने हेतु सांविधिक प्रावधान की व्यवस्था करने हेतु संशोधन किया गया है। इस संशोधन में कुछ शर्तें पूरी कर लेने पर आवेदनकर्ताओं को अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। 1 जनवरी 1995 के बाद इन अधिकारों को प्राप्त करने के पात्र बनने के लिये आवेदनकर्ता को पेटेंट प्रदान किये जाने के लिये एक आवेदन पत्र भारत में देना होगा, दूसरे उसको किसी 'कन्वेंशन' देश में उसी प्रकार के अविष्कार के लिये एक आवेदन पत्र फाइल करना होगा और पेटेंट प्राप्त करना होगा, तीसरे उसको उन्हीं 'कन्वेंशन' देशों से विपणन अनुमोदन प्राप्त करना होगा; चौथे उसको भारत में उचित प्राधिकरण से विपणन अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तथापि, भारत में किये गये आविष्कार के सम्बन्ध में आवेदक के लिये कुछ अन्य देशों में उत्पाद पेटेंट और विपणन अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं। हमारे देश में इसी प्रकार के आविष्कार के लिये प्रक्रिया पेटेंट करना आवेदक की इच्छा पर निर्भर करता है। यह व्यवस्था देश में किये जाने वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिये की गयी है।

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि देश में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों को बढ़ावा मिले और आविष्कर्ताओं को प्रोत्साहन दिये जायें। आशा की जाती है कि इस कार्यवाही से देश में अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि होगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है इस सुविधा का प्रयोग दूसरे देशों में उपलब्ध उन पेटेंटों की, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पेटेंट के योग्य नहीं हैं, अवधि बढ़ाने के लिये न किया जाये। इस कारण से विधेयक की धारा 24 क (1) (2) में अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने से पूर्व यह पता लगाने के लिये कि क्या पेटेंट अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अधीन प्रथम दृष्यार्थ कोई उल्लंघन हुआ था, आवेदन पत्रों की छानबीन करने हेतु पेटेंट नियंत्रक का प्रावधान किया गया है।

हमने ये संशोधन करते समय प्रर्याप्त सुरक्षा उपाय किये हैं। हम ने जनहित की रक्षा हेतु अनेक प्रावधान इस विधेयक में सम्मिलित किये हैं। वे निम्नलिखित है :— (1) अनन्य विपणन अधिकार जनहित के विरूद्ध होने की स्थिति में या अत्यधिक आवश्यकता की अन्य परिस्थितियों में सरकार स्वयं किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग कर सकती है;

(2) सरकार जनहित में और लिखित में बताये गये कारणों से किसी भी पदार्थ को, जो अनन्य विपणन अधिकार के अन्तर्गत आता है, ऐसे मूल्य पर बेचने का निदेश दे सकती है जो उसके द्वारा नामित किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाये; और

(3) पेटेंट अधिनियम के अधीन अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों को, उपयुक्त फेरबदल के साथ, अनन्य विपणन अधिकारों के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है।

इस में एक संशोधन किया गया है जो भारत में रहने वाले आविष्कर्ताओं को बढ़ावा देने के लिये है। हमने इस अवसर पर अधिनियम में एक प्रावधान हटा दिया है जो भारत में रहने वाले लोगों द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों पर रोक लगाता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 39 के अधीन, भारत के रहने वाला कोई भी व्यक्ति पेटेंट प्रदान करने के लिये किसी अन्य देश में आवेदन पत्र नहीं दे सकता जब तक भारत के बाहर आवेदन-पत्र भेजने से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व उसी आविष्कार के लिये पेटेंट हेतु कोई आवेदन भारत में न दिया हो। फिर भी आवेदक इस शर्त से छूट हासिल करने के लिये सरकार की पूर्वअनुमति प्राप्त कर सकता है। इस से पता चलेगा कि यह धारा भारत निवासियों के लिये बाधक थी क्योंकि वे देश के बाहर पेटेंट के आवेदन फाइल नहीं कर सकते थे। ऐसा करने के लिये या तो उन्हे देश में ही आवेदन-पत्र फाइल करने पड़ते और निर्धारित अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती या सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता। इस प्रकार के विलम्ब का आवेदन पत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। इस धारा को हटाने के लिये जो संशोधन किया गया है उससे भारत में रहने वाले आविष्कर्ता बिना किसी रुकावट के पेटेंट प्रदान करने के लिये देश के बाहर आवदेन-पत्र भेज सकते हैं। इस से भारत के आविष्कर्ताओं को अपने पेटेंट विदेशों में पंजीकृत कराने के लिये आवश्यक बढ़ावा मिलेगा।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान श्री राम कापसे सहित अनेक माननीय सदस्यों ने जो मुख्य मुद्दा उठाया था वह भारत में या विश्व में कहीं भी इस समय बिकने वाली औषधियों पर इन संशोधन के प्रभाव के बारे में था। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में या विश्व में कहीं भी इस समय बिकने वाली औषधियों पर इस समझौते का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देशी उद्योग ऐसी औषधियों का निर्माण और विपणन जारी रख सकेगा। समझौते के प्रावधानों का प्रभाव केवल उन औषधियों पर पड़ेगा जिनका आविष्कार 1 जनवरी

1995 के बाद किया गया हो और 1 जनवरी 1995 के बाद पेटेंट करायी गयी हो। इसके अतिरिक्त इन औषधियों पर भारतीय मार्केट में तभी पड़ेगा यदि उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने पर अनन्य विपणन अधिकार दिये जायेंगे। तथापित विधेयक में ऐसी औषधियों के सम्बन्ध में भी ऐसी कार्यप्रणालियों पर नियंत्रण के लिए अनेक सुरक्षा उपाय किये गये हैं जिनका उपभोक्ताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें निर्धारित प्राधिकरण द्वारा तय किये गये मूल्य पर औषधियां बेचने के निदेश भी सम्मिलित हैं।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ और मुद्दे भी उठाए हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। श्री राम कापसे ने कहा कि पेटेंट कार्यालय में भ्रष्टाचार फैलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि उन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा उनके कार्यकरण को आधुनिक रूप देने के लिए उपाय किये गये हैं। फिर भी चूंकि पेटेंट अधिकार देश की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित है, इसलिये यदि कोई व्यक्ति यहां पर संरक्षण चाहता है तो उसे किसी अन्य देश में पेटेंट प्राप्त करना होगा। उन्होंने औषधियों के मूल्यों में वृद्धि का भी मुद्दा उठाया है। मैंने अभी-अभी उसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम विश्व के दबाव के आगे झुक सकते हैं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। हम ने विश्व व्यापार समझौता इसलिये किया है कि वह हमारे हित में है और पहले इस सभा में इस पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि ज्ञान निर्बाध रूप से उपलब्ध होना चाहिए उसे पेटेंट नहीं कराया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी भी सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए।

आविष्कार के लिये पेटेंट प्रदान किये जाते हैं, खोज के लिये नहीं। पेटेंट प्रदान किये जाने से पेटेंट प्राप्त करने वाले को आविष्कार किये गए पदार्थ को प्रयोग, बिक्री अथवा वितरण का अनन्य अधिकार मिल जाता है। फिर भी ऐसे अधिकार प्रदान किये जाने से पेटेंट प्राप्त करने वाले का कर्तव्य बनता हूं कि वह आविष्कार के लाभ उचित समय में और उचित शर्तों पर जनता को उपलब्ध कराये। इसलिये पेटेंट के अधिकार पेटेंट प्राप्त करने वाले को इस विचार से प्रोत्साहित करने के लिये दिये जाते हैं कि वह अपनी जानकारी का जनता के लाभ के लिये प्रयोग करे।

पेटेंट्स के माध्यम से आविष्कारों को संरक्षण प्रदान करने से प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सुविधा होती है। इसलिये पेटेंट्स का सम्बन्ध केवल व्यावहारिक ज्ञान से है, समय से नहीं।

मेरे सम्मानित मित्र श्री चव्हाण ने अनेक सुझाव दिये हैं। उनका एक सुझाव धारा 39 को निकाल देने के बारे में है। सरकार रक्षा, परमाणु, ऊर्जा आदि से सम्बन्धित आविष्कारों से अनभिज्ञ रहेगी चूंकि जानकारी देश के बाहर चली जायेगी। भारत मे रहने वाले लोगों द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों पर रोक को हटाने के लिये इस धारा को निकाल दिया है। ऐसी बात नहीं है कि इस धारा को निकाल दिये जाने से अन्य देशों को वर्गीकृत जानकारी भेजना सम्भव हो जायेगा। विधि के प्रावधानों के अधीन इसको फिर भी रोका जा सकता है। मैं श्री चव्हाण का बहुमूल्य सुझाव देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री लोढा ने कहा कि इन संशोधनों के परिणामस्वरूप विदेशी कम्पनियां भारत में आकर हमारे बीजों पर पेटेंट प्राप्त कर लेगी। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि इस विधेयक में बीजों के पेटेंट शामिल नहीं हैं। पेटेंट अधिनियम 1970 में पौधो की प्रजातियों का पेटेंट नहीं किया जाता और इन संशोधनों के बाद भी स्थिति वही बनी रहेगी।

श्री रासा सिंह रावत ने एक प्रश्न उठाया था कि क्या नीम का पेटेंट किया जाना अनिवार्य होगा। इस विधेयक से स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आयेगा जिससे कम्पनियां नीम आदि के लिये पेटेंट प्राप्त कर सके। नीम पौधों का ही घटक है। इसलिये वह पेटेंट के अन्तर्गत नहीं आता। इससे किसानों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला और उनके द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बीज आदि को पेटेंट के क्षेत्र में नहीं लाया जा रहा। वही प्रश्न डा. रामकृष्ण कुसमरिया, श्री अशोक आनंदराव देशमुख, डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय और श्री विजय कुमार यादव जैसे अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया था।

माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह ने आदान-प्रदान नीति का उल्लेख किया है और पूछा है कि क्या विदेशी उत्पादों का परीक्षण भारत में किया जायेगा। जी हां, निःसंदेह, किसी उत्पाद के बाजार में आने से पहले उसका विपणन अनुमोदन अपेक्षित है। यह बात देशी तथा आयातित उत्पादों-दोनों पर लागू होती है। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का हमारे हितों पर बिल्कुल भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रिप्स समझौते में पेटेंट अधिनियम 1970 को संशोधित करने के लिये 10 वर्ष की संक्रमण अवधि की व्यवस्था है जिसमें हम प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों में पेटेंट लागू कर सकते है जिन में अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हमें आशा है कि इस अवधि के दौरान भारतीय कम्पनियां अपनी अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों में तेजी लायेगी और उनको विकास के लिये उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ा पायेगी। यह आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हम इस विषय में विश्व में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकें।

संरक्षण प्रदान करने पर ही हमें प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी। इसी विचार से हमने अपनी विधि में संशोधन करने का कार्य आरम्भ किया है जिससे वे परिवर्तन की शक्तियों के अधिक अनुरूप बन सके। विधि में ऐसे परिवर्तन करते समय हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हमारे पास उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था को भी सशक्त बनाया जाये और उसमें सुधार किया जाये। हमारी पेटेंट सूचना सेवा को आधुनिक बनाने के लिये परियोजना पर पहले ही कार्य चल रहा है। हम अपने कार्यालयों में कार्मिक संख्या बढ़ाने के लिये भी अलग से कार्यवाही कर रहे हैं।

अंत में मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह विधेयक दो उद्देश्यों—हमारे दायित्वों का निर्वहन और हमारे हितों का संरक्षण—के बीच संतुलन लाने का प्रयास है। इससे ये उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना पूरा समर्थन दे कर विधेयक को पारित करें।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने चर्चा के दौरान उठाये गये किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को अन्तर्निहित संरक्षण के बावजूद, जिसका उल्लेख कल किया गया था और जो गैट समझौते में पहले से मौजूद है, स्पष्ट नहीं किया है। सरकार ने विधेयक लाने और उससे पूर्व अध्यादेश जारी करने में बहुत जल्दबाजी की है। मैं समझ नहीं पाया कि समझौते के मुख्य पाठ में दिये गये संरक्षण के बावजूद सरकार ने ऐसा करना आवश्यक क्यों समझा, महोदय, हमने एक के बाद एक बजट देखे है, अचानक ही हमने पाया कि 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व ही गैट सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के विचार से बजट बनाया जाने लगा और बाद के चार लगातार बजट विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं। वित्त मंत्री अपने भाषण में सुन्दर शब्द-विन्यास करके भी मूल्य वृद्धि, मुद्रा स्फीति और केवल अन्योन्याश्रयी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता की सच्चाई को छिपा नहीं सके। इस में 'विश्व में अन्योन्याश्रयी' अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। परन्तु हमारे देश में इसका अर्थ केवल निर्भरता है, आत्म निर्भरता की बात समाप्त कर दी गयी है जिसे वर्षों के प्रयास के बाद प्राप्त किया गया था। वित्त मंत्री ने इसी सदन मे बताया था कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के विरूद्ध कुछ नहीं, मानो अन्य सभी देश आठ वर्षों तक केवल भारत के कल्याण न कि अपने कल्याण के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। अमरीका अथवा अन्य योरूपीय देश केवल भारत के कल्याण के लिये मिलकर प्रयत्नशील रहे है, न कि अपने कल्याण के लिये यद्यपि महा-सचिव, श्री पीटर सुथरलैंड ने समझौते पर हस्ताक्षर के अगले दिन ही बताया था कि हम व्यापार-युद्ध के युग में प्रवेश कर रहे हैं।

4.29.म.प.

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

इस व्यापार युद्ध के युग में वित्त मंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों में भारत के विरूद्ध कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री, उनके सहयोगी और उनके कार्यों के समर्थक इससे यह बताना चाहते है कि सभी सदस्य देशों ने भारत के हित को ध्यान में रख कर अपने हितों का परित्याग कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं अमरीकियों से भी अधिक अमरीकी बन गये है। हमारे भूतपर्व वाणिज्य सचिव श्री अनवरूल होडा ने व्याख्यान दिया कि प्रौद्योगिकी की चोरी सम्मानजनक बात नहीं है। फिर जापान तो गौरवहीन राष्ट्र है। कल दूसरे पक्ष के सदस्यों ने भी अपनी आवाज उठाई थी। मुझे पता नहीं कि श्री अनवरूल होडा को विश्व व्यापार संगठन में इनाम के तौर पर नौकरी मिली है। पता नहीं, अन्य लोगों को क्या क्या मिलेगा। पेटेंट अपने आप में संरक्षण हैं। इसलिये उदारीकरण के नारे में आवरण में उत्पाद पेटेंट किसी कम्पनी, व्यक्ति या किसी देश को दिये जाने वाला सब से बड़ा संरक्षण है। उत्तर के दौरान मंत्री महोदय ने कहा है कि आविष्कार पर पेटेंट प्रदान किये जाते हैं, खोज पर नहीं। यह ठीक है कि खोज और आविष्कार के बीच कुछ भिन्नता होती है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या डी.एन.ए. खोज है या आविष्कार। जहां तक विज्ञान के बारे में मेरी जानकारी है डी.एन.ए. आविष्कार नहीं है बल्कि खोज है फिर डी.एन.ए.—यह किसी अम्ल का नाम है—का कैसे पेटेंट किया जा रहा है? मंत्री महोदय का कहना है कि इसे विधेयक में अभी शामिल नहीं किया गया है। यह एक अंतरिम व्यवस्था है। विधेयक अंतरिम व्यवस्था है। क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह अंतिम व्यवस्था है और पेटेंट अधिनियम में आने वाले 10 या 15 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा? नहीं, क्योंकि इस विधेयक में अन्तरिम व्यवस्था है।

पेंटेट अधिनियम में परिवर्तन करने से पूर्व उत्पाद पेटेंट के बजाय उन्होंने विपणन अधिकार बेच दिये। वास्तव में उत्पाद पेटेंट ज्ञान का पेटेंट कराने के बराबर है। विज्ञान का पेटेंट नहीं कराया जा सकता। कल मैंने यह बात कही थी कि विज्ञान का पेटेंट नहीं हो सकता। प्रौद्योगिकीय पहलुओं तरीकों और साधनों का कुछ समय के लिये पेटेंट किया जा सकता है। परन्तु ज्ञान का सिद्धान्तु, ज्ञान का विकास और ज्ञान के माध्यम से समाज का विकास इन सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। जब लोग ज्ञान प्राप्त करते है तो उनके मार्ग में कोई बाधा ठहर नहीं सकती चाहे विज्ञान हो या प्रोद्योगिकी। इसलिये जहां तक विज्ञान का सम्बन्ध है, उसका पेटेंट नहीं किया जा सकता, प्रौद्योगिकी का कुछ अवधि के लिए पेटेंट किया जा सकता है। परन्तु उसे बनाये नहीं रखा जा सकता। इसलिये कुछ समय के लिये उसका पेटेंट करना ही पड़ेगा। इसी कारण इसकी कुछ अवधि के लिये पेटेंट किया जाता है।

इस सम्बन्ध में कानून बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ये सामाजिक विकास और ज्ञान के विकास के लिये प्राकृतिक नियमों और स्वयं ज्ञान के सिद्धान्त को अवरूद्ध तो नहीं करेंगे।

आजकल विरोधी पक्ष पर आरोप लगाना सरकार के लिये आम बात हो गयी है। ये आरोप अधिकांशतः निरर्थक होते हैं। पूरा विरोधी पक्ष इस विधेयक के विरूद्ध है। मुझे पता चला है कि काफी संख्या में कांग्रेस के लोग भी इसके विरूद्ध हैं। मामूली बहुमत से अपनी सरकार को बनाये रखने के लिये, वे खुले रूप से विधेयक का विरोध नहीं कर रहे।

महोदय, बहुत कम समय में चुनाव होने वाले हैं। एक वर्ष से कम अवधि में चुनाव होने वाले हैं। उस समय तक इस प्रकार के

परिवर्तन करना आवश्यक नहीं और मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से और इतनी जल्दी प्रक्रिया पेटेंट के स्थान पर उत्पाद पेटेंट के सम्बन्ध में कानून बनाना हमारे देश के लिये इतना आवश्यक नहीं है। अनिवार्य लाइसेंसिग के बारे में अध्याय 16 में उल्लिखित प्रावधानों का प्रभाव इस संशोधन में समाप्त कर दिया गया है। अनिवार्य लाइसेंसिंग से सम्बन्धित अनुच्छेद पैराग्राफ, धाराएं और उपधाराएं पेटेंट के दुरूपयोग और प्राप्त की गयी अनुमति के दुरूपयोग को रोकने के लिये थे। इस प्रकार प्रावधानों का प्रभाव समाप्त करके सरकार पेटेंट चाहती है। इन प्रावधानों के अधीन उनको केवल बिक्री, वितरण आदि का अधिकार मिला है। इस संशोधन से हमारे हितों को इतनी क्षति पहुंचेगी जिस का कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता।

इसलिये मैं विनम्र टिप्पणी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। महोदय हमारे अच्छे मित्रों का कहना है कि औषधियों के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। कल मैंने निवेदन किया था कि फार्मास्यूटिकल्स और कृमिनाशी औषधियों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रक्रिया पेटेंट का कितना योगदान है। सी.एम.आई.आर. के वैज्ञानिकों ने लगभग 50 कृमिनाशी औषधियो का विकास किया था जिससे न केवल भारत को कृमिनाशी औषधियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली बल्कि वह इस क्षेत्र में निर्यातकर्ता समुदाय का सदस्य भी बन गया। मैं इसकी और व्याख्या नहीं करना चाहता क्योंकि सरकार मेरे सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं है। वो किसी बात पर चर्चा करने को तैयार नहीं, वे संसदीय समिति के सुझावों पर भी कोई गौर नहीं करते और इम सदन में जितना भी न्यायोचित सुझाव दिया जाये, उसको भी नहीं मानेंगे।

महोदय, जहां तक दूसरे पक्ष के इस दावे का सम्बन्ध है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास बहुत उदाहरण हैं पर मैं दो या तीन उदाहरण ही दूंगा।

एण्टीबायटिक्स के क्षेत्र में सेफालेक्सिन की दो गोलियों का मूल्य भारत में 11 रुपये 98 पैसे है, अमरीका में 55 रुपये 63 पैसे है और इंगलैड में 16 रुपये 50 पैसे है। बोरफलोक्लेसिन की चार गोलियों का मूल्य भारत में 15 रुपये 20 पैसे, पाकिस्तान में 30 रुपये 8 पैसे और अमरीका में 99 रुपये 14 पैसे है। यह अन्तर तो इस समय है और जब उत्पाद पेटेंट की अनुमति दे दी जायेगी तब हम समझ सकते हैं कि क्या होगा और यदि अनन्य विपणन अधिकार दे दिये जायेंगे तो क्या होगा।

कार्डियोवेस्कुलर औषधि अर्थात निफोडीपिन का उदाहरण लीजिए। भारत में इसकी 10 गोलियों का मूल्य 3 रुपये 88 पैसे है, पाकिस्तान में 38 रुपये 58 पैसे है, अमरीका में 60 रुपये 38 पैसे है और इंग्लैड में 31 रुपये 20 पैसे है। ऐसी अन्य अनेक औषधियां है। हम ऐसी 100 औषधियों का चार्ट बना कर दे सकते हैं।

इसलिये यह हमारे देश का गरीब जनता के हितों के बिल्कुल विरूद्ध है; हमारे देश की प्रभुसत्ता के भी विरूद्ध है। इसलिये मैं अपना सांविधिक संकल्प, जो मैंने प्रस्तुत किया है, वापिस नहीं ले सकता।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप कैसे आशा कर सकते है कि वह वापस ले लेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1994 को प्रख्यापित पेंटेट (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"

कुछ माननीय सदस्य : हम मत विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

4.45 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

शुक्ला जी, क्या आपको कुछ कहना है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, हम आपके समिति कक्ष में आपके साथ बातचीत कर रहे थे, जब मत विभाजन की घंटी बजी थी। मै इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम समिति कक्ष में बातचीत पूरी कर लेते तो फिर यहां पर मतदान हो जाता ।

मेरा इतना ही निवेदन है। यदि आप इससे सहमत हों तो ठीक है, अन्यथा आप अभी मत विभाजन करवा लीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि यह मशीन ठीक से काम नहीं कर रही या हम ठीक से बटन नहीं दबाते। दोनों बातें हो सकती हैं। अतः यदि आप सहमत हों तो पर्चियों के माध्यम से मत प्राप्त कर लिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

(व्यवधान)

अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 31 दिसम्बर, 1994 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994, (1994 का संख्यांक 13) का निरनुमोदन करती है।"

05.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : अब पर्चियां बांट दी जायें, एकत्र कर ली जायें गिन ली जायें और यह जानकारी मुझे दे दी जाये।

अनेक सदस्य मौन रहे। [व्यवधान]

मत विभाजन सं. 3 5.10 म.प.

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जॉन
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अमर पाल सिंह
अवैद्य नाथ, महन्त
अशोकराज, श्री ए.
आचार्य, श्री बसुदेव
उरांव, श्री ललित
कालकादास, श्री
कस्वां, श्री राम सिंह
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती
केशरी लाल, श्री
कोली, श्री गंगा राम
खनोरिया, मेजर डी. डी.
खण्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र
खां, श्री सुखेन्दु
गंगवार, डा. परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव
चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिखलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री चेतन पी.एस.
चौहान, श्री शिवराज सिंह
छोटे लाल, श्री
जनार्दनन, श्री एम.आर. काटम्बूर
जसवंत सिंह, श्री
जायनल अबेदिन, श्री
जैना, श्री श्रीकान्त
जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डोम, डा. राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तोपदार, श्री तरित वरण
तोमर, डा. रमेश चन्द
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारका नाथ
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)
दुबे, श्रीमती सरोज
देशमख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धूमल, प्रो. प्रेम
नाईक, श्री राम
नारायणन, श्री पी.जी.
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)
पटेल, श्री चन्द्रेश
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासी, श्री बलराज
प्रकाश, श्री शशि

प्रेमी, श्री मंगलराम
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा. असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बैरवा, श्री राम नारायण
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस.
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, प्रमथेस
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरमु, श्री रूप चन्द
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री शरद
युमनाम, श्री याइमा सिंह
रंगपी, डा. जयन्त
रामदेव राम, श्री
राम सिंह, श्री
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावल, डा. लाल बहादुर
रावले, श्री मोहन
लोढा, श्री गुमान मल
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वीरेन्द्र सिंह, श्री
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेन्द्र
शिवरामन, श्री एस.
श्रीनिवासन, श्री सी.
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ
सिंह, डा. छत्रपाल
सिंह, श्री देवी बक्स
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री बृजभूषण शरण
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री सत्यदेव
सुर, श्री मनोरंजन
सैकिया, श्री मुही राम
सैयद, श्री शहाबुद्दीन
सोरेन, श्री शिबू
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
स्वामी, श्री सुरेशानन्द

मत विभाजन सं. 3 5.10 म.प.

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी.
अजित सिंह, श्री
अन्बारासु, श्री आर.
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम.
अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा (मैसूर)
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
कोडियार, श्री चनैया
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
काले, श्री शंकर राव दे.
कुधुस्वामी, श्री सी.के.
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम.
केनिथी, डा. विश्वनाथम
कौल, श्रीमती शीला
खुर्शीद, श्री सलमान
गगोई, श्री तरुण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गिरियप्पा, श्री सी.पी. मुडाल
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुडाडिन्नी, श्री बी.के.
गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चलिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी.
चौधरी. स्क्वैड्रन लीडर कमल
चौधरी, डा. के.वी.आर.
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्रीमती संतोष
जंगबीर सिंह, श्री
जांगडे, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी.के.
जीवरत्नम, श्री आर.
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ती
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन.
डेका, श्री प्रबीन
डेलकर, श्री मोहन एस.
तंगका बालू, श्री के.वी.
तारा सिंह, श्री
तिरिया, कुमारी सुशीला
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थुंगन, श्री पी.के.
थौरात, श्री संदीपन भगवान
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देवी, श्रीमती विभू कुमारी
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नंदी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री ए. वेंकटेश
नायक, श्री जी. देवराय
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सभाष चन्द्र

नेताम, श्री अरविन्द
पटनायक, श्री शरत
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पद्मा, डा. (श्रीमती)
पवार, डा. वसंत
पांजा, श्री अजित
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्राही, श्री श्रीबल्लभ
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
ब्रह्म चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भगत, श्री विश्वेश्वर
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
भोई, डा. कृपासिन्धु
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी.
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा. आर.
माथुर, श्री शिव चरण
मीणा, श्री भेरू लाल
मुजाहिद, श्री बी.एम.
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मेघे, श्री दत्ता
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
राजेश्वरन, डा. वी.
राम बदन, श्री
राम बाबू, श्री ए.जी.एस.
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री रामनिहोर
राव, श्री जे. चौक्का
राव, श्री पी.वी. नरसिंह
राव, राम सिंह कर्नल
राही, श्री राम लाल
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी.
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एम. बागा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, कु. विमला
वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शिवप्पा, श्री के.जी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी

संगमा, श्री पूर्णो ए.

सईद, श्री पी.एम.

साय, श्री ए. प्रताप

सिंगला, श्री संतराम

सिंधिया, श्री माधवराव

सिदनाल, श्री एस.बी.

सिलवेरा, डा. सी.

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंहदेव, श्री के.पी.

सुखबंस कौर, श्रीमती

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

स्वामी, श्री जी. वेंकट

हरचन्द सिंह, श्री

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

मत विभाजन संख्या 3

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा—

पक्ष में	132
विपक्ष में	146

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार के लिये प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि पेंटेट अधिनिमय 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 8 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

विधेयक पारित करने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, विधेयक को पास करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री सैयद शहाबुद्दीन बोल सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपका विधेयक के उद्देश्यों और कारणों संबंधी विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले पैराग्राफ के अंतिम वाक्य में लिखा है कि :

"ट्रिप समझौते के अधीन भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।"

अध्यक्ष महोदय वास्तव में समूचा विपक्ष, देश का जनमत, बुद्धिजीवी तथा शिक्षाविद सभी की यह राय थी कि 'गैट' 1995 करार पर हस्ताक्षर न किये जायें और वे विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने के भी विरुद्ध थे क्योंकि ऐसा करने से देश के पेटेंट कानून में परिवर्तन करने पड़ेंगे जो गत 20-25 वर्षों से देश के हित में लागू है। अब विधेयक में लिखा है कि पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी जिस तक...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका ध्यान विधेयक के तीसरे वाचन पर चर्चा के प्रक्रिया पक्ष की ओर दिलाना चाहता हूं। आपको केवल इतना कहना है कि इस पास किया जाना चाहिए या क्यों पास नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं भी यह कहना चाहता हूं। मैं नये सिरे से चर्चा की मांग नहीं कर रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि सरकार आज इस विधेयक को पास करने की जल्दी केवल इसलिये कर रही है कि पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। "गैट" करार 1995 में मुझे किसी ऐसे खण्ड की जानकारी

नहीं है जिसके अनुसार इसको आज ही पास करना आवश्यक हो। महोदय, वास्तव में मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त करार पर हस्ताक्षर करने वाले अनेक देशों ने अभी उसकी पुष्टि नहीं की है। अब मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 'गैट' करार 1995 के किस खण्ड के अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि इस पेटेंट अधिनियम में इस अंतिम तिथि तक अथवा आज ही या 31 मार्च तक संशोधन किया जाना इतना आवश्यक है कि सरकार को उसके लिए अध्यादेश जारी करना पड़ गया। महोदय, मैं इसी प्रकार मैं उद्देश्य और कारणों के पैराग्राफ 4 पर आता हूं। इसमें लिखा है "ट्रिप्स करार में वचनबद्धता के अरूप..." मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डाले। ट्रिप्स करार में यह कहां पर वचन दिया गया है कि ये उपाय जो पांच वर्ष के अवधि के लिये फार्मास्यूटिकल उत्पादों को ये अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करते हैं, ट्रिप्स करार 1995 पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू कर दिये जाएं। मैं यही जानना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार का सारा मामला अविलम्बनीयता पर आधारित है, जिसके कारण सरकार को इस बारे में अध्यादेश तक जारी करना पड़ा और सभा में यह विधेयक भी लाना पड़ा। मैं कहता हूं कि यह अविलम्बनीयता काल्पनिक है। यह सभा को गुमराह करने वाली है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : आप यह स्पष्टीकरण प्रथम वाचन में ही मांग सकते थे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : दुर्भाग्य से मैं उपस्थित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई करण नहीं है जिससे इस बात को आज पूछने की अनुमति दी जाये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : चूंकि सरकार का मामला अविलम्बनीयता पर आधारित है, सरकार को इस बात का उत्तर देना होगा क्या अविलम्बनीयता है जिसके कारण सरकार को इतना कुछ करना पड़ा या देश की प्रभुसत्ता के साथ समझौता करना पड़ा और बिना चर्चा तथा बिना विचार विमर्श के इस विधेयक को संसद से पास कराना पड़ रहा है? वे स्वयं कहते है कि उनको विचार-विमर्श के लिये और समय चाहिए। वे स्वयं कहते हैं कि यह विधेयक अंतिम नहीं है, यह विधेयक आधा पका हुआ उत्पाद है। वे इस पर और समय क्यों नहीं ले सकते। मेरा यह मुद्दा है। यदि उनके पास और समय होता, वे और विचार-विमर्श कर पाते और इस प्रकार वे सभा के समक्ष एक सुविचारित विधेयक प्रस्तुत कर पाते और देश उसको एक मत से पास कर सकता। आखिरकार हमने एक अंतर्राष्ट्रीय करार किया है, हम उसकी पवित्रता को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करार करने के बाद कुछ परिणाम तो निकलते ही हैं। परन्तु मुझे सरकार का यह तर्क समझ में नहीं आया कि इसमें कोई ऐसी अविलंबनीयता है कि 31 जनवरी तक इस संबंध में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए और इसलिये यह विधेयक पास किया जाना है। महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार सभा में इस मुद्दे पर प्रकाश डाले।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, आप बहुत संक्षेप में बोले हैं। मैं संबंधित प्रावधान को पढ़ देता हूं :

> "किसी ऐसे प्रस्ताव पर, कि विधेयक या विधेयक, संशोधित रूप में यथास्थिति, पारित किया जाये, चर्चा विधेयक के समर्थन अथवा अस्वीकृति के लिये दिये जाने वाले तर्कों तक ही सीमित रहेगी। कोई सदस्य अपने भाषण के दौरान विधेयक के ब्यौरे का उतना ही उल्लेख करेगा जितना कि उसके तर्कों, जो सामान्य प्रकार के होंगे, के प्रयोजन हेतु आवश्यकता हो।"

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : धन्यवाद, मैं आपके विनिर्णय का पालन करूंगा और नियमानुसार संक्षेप में बोलूंगा।

मैं दो बातों पर जोर देना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को क्यों अस्वीकार किया जाये। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री भी सभा में उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक को अस्वीकार क्यों किया जाये।

सरकार इस विधेयक को लाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जिनके पास उत्पाद पेटेंट हैं, अपने उत्पाद हमारे देश में रजिस्टर कराने का अवसर प्रदान करने हेतु अवसर प्रदान कर रही है और जैसी आज स्थिति है, पेंटेट अधिनियम 1970 के अनुसार ऐसा करने के पात्र नहीं है। केवल प्रक्रिया पेटेंट रजिस्टर करवाया जा सकता है, उत्पाद पेटेंट नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार इन बहुराष्ट्र कंपनियों को पंक्ति में आगे खड़े होने का अवसर देती है जबकि वास्तव में हमारी सरकार उत्पाद पेटेंट को यह संरक्षण प्रदान करती है।

दूसरी बात यह है कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से इन कंपनियों को फार्मास्यूटिकल्स और कृषि रसायनों के क्षेत्र में अनन्य विपणन अधिकार प्रदान कर रही है जो इस समय उनके पास नहीं हैं हमें 5-10 वर्ष की संक्रमण अवधि प्रदान की गयी है जैसाकि प्रधान मंत्री ने हाल ही में 14 दिसम्बर 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1092 के उत्तर में बताया था। फिर भी भारत के पास पेटेंट संरक्षण से संबंधित 'ट्रिप्स' समझौते के प्रावधानों का विरोध करने के लिए । जनवरी 2000 तक और प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट संरक्षण लागू करने के लिये, जो अब तक संरक्षित नहीं थे, 1 जनवरी 2005 तक की, संक्रमण अवधि है। इस संक्रमण अवधि में हमारे वैज्ञानिक, पेटेंट कार्यालयों में हमारे कर्मचारी और विश्वविद्यालयों में हमारे वैज्ञानिक अपने आप को होने वाले परिवर्तनों जो निकट भविष्य में होने वाले हैं, के अनुरूप ढाल पायेंगे, और इस अवधि में हमारे वैज्ञानिक और हमारे उद्योग भी अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में आ जायेंगे। ऐसा करके सरकार इन सुविधाओं से अपने लोगों को वंचित कर रही है। वास्तव में इस विधेयक से हमारे अनुसंधान प्रयासो और हमारे स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि भारत पेटेंट अधिनियम, 1970 में अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान है जिसके अधीन पेटेंट धारक को हमारे देश में उत्पाद का निर्माण करना होता है। परन्तु अब इस संशोधन विधेयक के पृष्ठ 4 पर उपखंड (घ) में एक प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय : हमें ब्यौरे में नहीं जाना है। यह आवश्यक नहीं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जो महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें यह बताएं कि इसे क्यों नहीं पास किया जाना चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : पृष्ठ 4, उप-खंड (घ) में लिखा है :

> "धारा 90 के खण्ड (घ) और (ङ) का लोप कर दिया जायेगा।" इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार इस प्रावधान को समाप्त कर रही है अर्थात आयात किये जाने वाले उत्पाद के स्थान पर अनिवार्य लाइसेंसिंग के अभाव में देश में उसका निर्माण नहीं हो सकेगा। अब देश में निर्माण करने के बजाय वे पेटेंटधारक अपने उत्पादों को आयात करेंगे और उनको यहां बेचेंगे और इससे हमारे देश को कोई लाभ नहीं होगा। अतः यह संशोधन विधेयक केवल उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लाभप्रद होगा, हमारे स्वदेशी उद्योग, जनता अथवा प्रौद्योगिकी के लिये नहीं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अंतिम अवसर पर भी विचार कर ले और विधेयक को वापिस ले ले। यह इस देश के हित में कदापि नहीं है। सरकार केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये यह कार्य कर रही है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं कि इससे हमारे देश की जनता का भारी अहित होने वाला है और औषधियों तथा फार्मास्युटिकल्स के ऊंचे मूल्यों के रूप में लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इस देश के किसानों की भी बहुत क्षति होगी। सामान्य रूप से, स्वदेश उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप तो खेल के नियम जानते हैं। आप उनका पालन कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैंने वह सब सुना है जो आपने नियमावली से उद्धृत किया है। मैं यथा संभव और व्यवहार्य रूप से नियमों का पालन करूंगा। हम यह क्यों चाहते है कि यह विधेयक सभा द्वारा पास न किया जाये। इसका कारण यह है कि इस विधेयक का विशेष कर हमारे सवदेशी उद्योग और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पैटेंट अधिनियम 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक के पास होने से किन का हित होगा। यदि यह संशोधन किया जाता है तो अनिवार्य लाइसेंसिंग का स्थान स्वतः लाइसेंसिंग हो जायेगा जिसपर हमको आपत्ति है। मूल अधिनियम की धारा 87 में अधिकार का लाइसेंस अनुदत्त के रूप में शामिल कर लिया जायेगा। चूंकि फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित बिक्री, वितरण, आयात और निर्माण के बारे में अधिकार का लाइसेंसिंग स्वतः होगा, इससे देश का हित होगा। जो निर्माता खोज किये गये तरीके से निर्माण करे उसको अधिकार लाइसेंस दिया जाना चाहिए। हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करने की अनुमति होनी चाहिए और फार्मास्युटिकल्स पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए, जैसाकि अन्य देशों में किया जा रहा है। जनहित याचिका के माध्यम से उनका विरोध करने की अनुमति होनी चाहिए। यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिये हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम अब तो हमारे सुझावों पर ठीक से विचार करे। इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है? जब सरकार विचार-विमर्श करना चाहती है तो वह विरोधी दलों के साथ बातचीत करे और उन्हें यह विधेयक पास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका हमारे स्वदेशी उद्योग और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए मैं इस स्थिति में भी सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह विधायक को वापिस ले ले और उसके गहन अध्ययन के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दे। सदस्यों द्वारा दिए गये सुझावों को शामिल करके वे एक नया विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हम अनेक कारणों से इस विधेयक को पारित किये जाने का विरोध करते हैं। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह अध्यादेश और फिर यह विधेयक वैधिक दायित्वों को निभाने के लिये नहीं बल्कि सरकार अपनी कुछ राजनीतिक बाध्यताओं के कारण लायी है। दूसरे शब्दों में भारत से बाहर की कुछ एजेंसियों ने उन पर कोई दबाव डाला है। सबसे पहली बात अविलम्बनीयता की है जिससे अध्यादेश प्रख्यापित करने की आवश्यकता पड़ी है। मैं श्री शहाबुद्दीन से सहमत हूं कि यह अविलम्बनीयता राजनीतिक अविलम्बनीयता है और अध्यादेश प्रख्यापित करने की जल्दबाजी को टाला जा सकता था। बौद्धिक संपत्ति अधिकार संबंधी समझौते के अनुच्छेद 27, धारा 3 (ख) में एक खण्ड है कि पौधों और ढोर के उत्पादन के लिए माइक्रोआर्गनिज्म और गैर-जैविकीय तथा सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रियाओं पर पेटेंट किया जाये। अब, सभी देशों को जिन्होंने 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किये है और जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुए है, इस खंड को मान्यता देनी होगी। फिर भी हमने देखा कि 1 मार्च 1995 को, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हो जाने के बाद, योरूपीय संसद ने इस मामले पर एक विवादास्पद विधान पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया यह विधान जनन विज्ञान से उत्पन्न पौधों और ढोर तथा मानव जनन विज्ञान और शरीर के अन्य अंगों पर आधारित आविष्कारों पर पेटेंट की अनुमति देने के बारे में था। यदि योरूपीय संसद कृषि संबंधी आपूर्ति के वाणिज्यिक दुरुपयोग के विरुद्ध इस प्रकार का महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय कर

सकती है तो इस प्रकार गुप्त रूप से यह काला अध्यादेश लाने में भारत सरकार की क्या मजबूरी थी।

महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अन्य देशों ने, जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, अपनी विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यादेश जारी किये हैं? क्या अमरीका ने ऐसा कुछ किया है? क्या अन्य देशों ने ऐसा किया है? फिर क्या अविलम्बनीयता थी जिससे सरकार को यह अध्यादेश जारी करना पड़ा? यह मेरी पहली बात है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस संशोधन में धारा 19 के खंड (घ) और (ङ) का लोप किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के तीसरे वाचन में यह बात नहीं कही जा सकती। ये बातें प्रथम वाचन में कही जा सकती थीं। वही बातें कहने का यह दूसरा अवसर नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं इतना कहना चाहती थी कि आरंभ में किन्हीं परिस्थितियों में पेटेंट धारक से संतुष्ट न होने पर किसी पेटेंट उत्पाद के लिये जनता की उचित मांग पर विचार किया जाता रहा है और इस प्रकार पहले सरकार के लिये बाजार में एकाधिकार की संभावना को रोकना संभव था। परन्तु अब यह संशोधन लाकर सरकार उपयुक्त खण्डों का लोप करके एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है। इस विधेयक पर आपत्ति करने का यह दूसरा कारण है।

तीसरे, मैं अविलम्बनीयता की बात का पुनः उल्लेख करना चाहती हूं। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौते में अनुच्छेद 27 की धारा 2 उल्लेख है जिसमें आविष्कारों के लिये पेटेंट से, जिनके वाणिज्यिक दुरुपयोग से देश में शान्ति या नैतिकता अथवा मानव, ढोर या पौधों के जीवन या स्वास्थ्य आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, निकाले जाने की अनुमति है। अब, मैं कहना चाहती हूं कि यदि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो वह इस खंड का प्रयोग करके इस अध्यादेश को टाल सकती थी, वे इस जल्दबाजी से बच जाती जिससे उन्होंने यह अध्यादेश जारी किया है।

हमारे जैसे गरीब देश में, लाभ के लिये एकाधिकारवादियों के असीम लालच से यदि कोई संरक्षण नहीं दिया जाता तो क्या मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं पैदा होगा। परन्तु सरकार को यह मार्ग अपनाना पसंद नहीं था।

मैं और ब्यौरे में नहीं जाना चाहती। परन्तु ये कुछ बातें है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा और इसीलिये हम इस विधेयक के पूरी तरह विरुद्ध है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, हम इस विचार का आरंभ से ही विरोध कर रहे हैं और मैं कहना चाहती हूं कि सत्तारूढ़ दल को हाल ही में हुई अपनी हार से सबक लेना चाहिए। किसानों के मन में, साधारण महिलाओं के मन में, विशेषकर देश के उन लोगों के मन में, जो गरीब हैं और जिनको अपने इलाज पर अपने साधनों से अधिक खर्च करना पड़ता है यह विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वास्तविकता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस विधेयक के कारण औषधियों के मूल्य में भारी वृद्धि होगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। दूसरे, योरूप की कंपनियों आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को भी हम से ले जाना चाहती हैं। वास्तव में, यह विधेयक भी हमारे देश के उस महान खजाने को छीन ले जाने में सहायक है। अतः यह व्यवस्था विदेशी साम्राज्यवादियों के आदेश के आगे झुकने के बराबर है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शासक दल अभी भी वस्तु स्थिति को नहीं समझ रहा। मैं पुनः कहती हूं कि वह जनता के निर्णय को याद करे और इस विधेयक को वापस ले ले जिसकी इसी समय पारित कराने की कोई अविलम्बयता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं देख रहा हूं कि यह बिल पारित हो जाने के बाद कांग्रेस के बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि इतिहास में आज का दिन काले दिन के रूप में लिखा जायेगा।

1970 में जब पेटेंट लॉ बना था तो 15 साल तक जवाहर लाल जी के जमाने से इन्दिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हाई पावर्ड कमेटी बनी थी और सिलैक्ट कमेटी में भी इसको भेजा गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे देश के लोगों का विवेक उसमें लगा था और दलगत भावना से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय कनसैन्सस के आधार पर 1970 का पेटेंट लॉ बना था।

हम लोग संसद में बैठकर कह सकते हैं कि हमारी एक लीगेसी थी और फ्रीडम मूवमैंट की एक लीगेसी थी। हम लोगों ने स्वावलंबी बनने का प्रयास किया था। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। यह बिल पारित होने के बाद हम उस लीगेसी को और स्वावलम्बन की परम्परा को खत्म कर रहे हैं। 1970 के पेटेंट लॉ को पारित करने के लिए हमने जो पूरे देश की बुद्धि और विवेक को लगाया था उसको हम एकाएक खत्म कर रहे हैं।

मैं संसद और प्रधान मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जस्टिस अयंगर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने राय दी थी कि इस तरह के पेटेंट लॉ को बदलना नहीं चाहिये। उस कमेटी से जुरिस्ट भी शरीक थे। 1970 के पेटेंट लॉ को बदल कर हम बुनियादी तौर पर देश को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं।

दूसरी बात-संविधान की धारा 39, डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में कन्सन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ नहीं होना चाहिए। इसकी सीधे रूप से खिलाफत हो रही है। इससे यहां मल्टिनेशनल्स आ जायेंगे। इससे हम अपने देश की सार्वभौमिकता को खत्म कर रहे हैं। मैं यह कहना

चाहता हूं कि जनहित में हमें यह कानून बदलना पड़ेगा। तीसरी बात-यह हम मानते हैं कि इससे इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट नहीं होगा। इससे हमारी इंडिजिनस इंन्टस्ट्रीज खत्म होने जा रही है, लेकिन फिर भी हम मृग-मरीचिका की तरफ जा रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, वे देखे कि दीवारों पर क्या लिखा हुआ है। सारे देश के गरीब लोग, यहां तक कि कांग्रेस के लोग भी इस रवैये से हठ रहे हैं। चुनाव नतीजे इसके परिणाम हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यह सारा कानून गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मध्यम-वर्गीय विरोधी है और नारी विरोधी है, तो फिर आप किस तरह से इस कानून को पारित करके लोगों की सेवा करेंगे, मैं यह नहीं समझा पा रहा हूं सरकार की तरफ से कोई भी तर्क नहीं दिया गया है। हमारा इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट, एग्रीकल्चरल डवेलपमेंट सब खत्म हो जाएगा। हम सब लोग कहते हैं और मानते है कि इससे ऐलोपैथिक दवाइयों के दाम बढ़ जायेंगे और सरकार के मंत्री इस बात को काट नहीं रहे हैं। कोई कह रहा है कि 100 प्रतिशत दाम बढ़ जायेंगे, 150 प्रतिशत दाम बढ़ जायेंगे और कोई कह रहा है कि 200 प्रतिशत बढ़ जायेंगे। इसलिये सारे नतीजों को देख कर मेरी सरकार को राय है कि उसे इस बिल को पारित नहीं कराना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : मैं समझता हूं कि इस समय हमें विधेयक के समर्थन अथवा विरोध तक अपनी बात को सीमित रखना चाहिए।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि :

> "'ट्रिप्स' समझौते के अधीन भारत के दायित्वों को पूरा करने के विचार से पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी देशों को, जिन्होंने मारकेश समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, ऐसे पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने होंगे, जैसेकि यहां किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों ने ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह प्रश्न-उत्तर काल नहीं है आपको यह प्रश्न पहले पूछना चाहिए था।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : आपका धन्यवाद। यह पता चला है कि विश्व व्यापार संगठन के सभी देशों ने विश्व व्यापार संगठन और 'ट्रिप्स' के आदेशानुसार अपने पेटेंट अधिनियमों में संशोधन नहीं किये और यह बात भी सच नहीं है कि 'ट्रिप्स' और 'गैट' समझौतों के सभी मुद्दे पास और स्वीकार कर लिये गये हैं। कुछ मुद्दों पर अभी निर्णय नहीं लिये गये और सामाजिक खंड, बाल श्रम, मानव अधिकार के मुद्दों को व्यापार के साथ सम्बद्ध किये जाने सम्बन्धी मुद्दों पर वाद-विवाद और चर्चा चल रही है और भारती भी ऐसा करने के विरुद्ध है।

इस प्रकार यह सच नहीं है कि अब चर्चा और वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं रही। अतः हम इस मामले पर हमेशा चर्चा और वाद-विवाद कर सकते हैं, यह बात सब को पता है कि विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित सभी देशों ने अपने-अपने पेटेंट विधान में संशोधन नहीं किये हैं जैसेकि अमरीका। उन्होंने अपने बहु उद्देश्य साधक व्यापार अधिनियम में संशोधन नहीं किया जिसमें स्पैशल 301 और सुपर 301 जैसे खंड है। वह वैसा ही है। अतः यह सच नहीं है कि हमारे लिये इस अधिनियम में 1 जनवरी तक संशोधन करना अनिवार्य है।

वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि हमें पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। पेटेंट अधिनियम 1970 में आवेदन पत्र की छानबीन करने की नियंत्रक शक्ति के बारे में कहा गया है कि जैसाकि खंड 12 (क) में लिखा है "क्या आवेदन पत्र और संबंधित आविष्कार की बनावट और प्रयोग का विवरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है...." अतः पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक की पेटेंट आवेदन पत्र के विचार के बारे में शक्तियां बहुत अधिक हैं। हम 'गैट' समझौते में देखते हैं कि उसमें भी प्रतिकार को निष्फल करने का खण्ड है और ऐसी अन्य बातें भी हैं। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या पेटेंट अधिकार का अतिक्रमण हुआ है या नहीं। पहले तो, निःसंदेह देश का न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय अथवा भारत का उच्चतम न्यायालय या पेटेंट, डिजाइन आदि का महानियंत्रक इस बात का निर्णय करेगा। परंतु तत्पश्चात विश्व व्यापार संगठन की एक उच्च न्यायिक निकाय जेसी कोई संस्था है। यदि ऐसा है तो क्या यह सच नहीं है कि इससे हमारे सार्वभौमिकता के लिए और अधिक खतरा है।

एक बात और है। मार्केश समझौते में बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के साथ निकट सहयोग बनाये रखना होगा। हम ने इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते का पालन इस प्रकार करेंगे कि जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के हुकमनामों के आगे कुछ न कर सकें। यदि यह बात ठीक है तो यह अधिनियम हमारी सार्वभौमिकता को कम करने में काफी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिये मैं इस विधेयक को अस्वीकार करता हूं।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, माननीय सदस्यों को पता है कि 'ट्रिप्स' समझौते के अधीन भारत के दायित्वों को देखते हुए पेटेंट अधिनियम, 1970 में समझौते के अधीन दायित्वों के अनुरूप संशोधन करना आवश्यक हो गया है। 'ट्रिप्स' समझौते के अधीन एक दायित्व-अनुच्छेद 70 के अनुसार-सदस्य देशों को 1 जनवरी 1995 से फार्मास्युटिकल्स और कृषि रसायनों के क्षेत्र में पेटेंट कराने हेतु आवेदन-पत्र भरने के लिये साधन जुटाने होंगे और ऐसे आवेदकों द्वारा

कुछ शर्तें पूरी किये जाने पर पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अथवा जब तक पेटेंट प्रदान या अस्वीकार जो भी पहले हो, किया जाता है, उन्हें अनन्य विपणन अधिकार देने होंगे। चूंकि इन मदों के लिये उत्पाद पेटेंट कराने की पेटेंट अधिनियम 1970 में कोई व्यवस्था नहीं है और इस संबंध में प्रावधान बनाने के लिये 5 वर्ष की संक्रमण अवधि-उपलब्ध है, 1 जनवरी 1995 से दायित्व ग्रहण करने के लिये इन क्षेत्रों में अनन्य विपणन अधिकार हेतु व्यवस्था करनी थी। 1 जनवरी 1995 से पूर्व जो परिवर्तन किये जाने है उन्हीं के संबंध में संशोधन किये गये हैं। विधेयक में पेटेंट प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। इसमें दो क्षेत्रों अर्थात फार्मास्यूटिकल्स तथा कृषि रसायन में पेटेंट कराने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था है। विधेयक में अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है जो पेटेंट अधिकार से भिन्न अधिकार है। अनन्य विपणन अधिकार उत्पाद को केवल बेचने और वितरण के संबंध में होते है। उत्पाद के निर्माण के लिए अनन्य अधिकार नहीं है। भारत पेटेंट अधिनियम में जीवन के किसी रूप का पेटेंट कराने की व्यवस्था नहीं है। इस संशोधन से वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने अन्य देशों के बारे में पूछा था। अमरीका पहले ही पेटेंट अधिकार प्रदान करता है। इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और इसे पास करें।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न-उत्तर काल नहीं है।

अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अपना विरोध प्रकट करने के लिए हम सदन का त्याग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

5.55 म.प.

(तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 22 मार्च, 1995 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

5.56 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 मार्च, 1995/1 चैत्र, 1917 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।